Tuesday, 18 July, 1978

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF

6th
LOK SABHA DEBATES

Fifth Session

[पांचवा सत्र]

सत्यमेव जयते

[खंड 16 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XVI contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

: चार रुपये

Price : Four Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

1—279 LSS/78

विषय सूची/CONTENTS

अंक 2, मंगलवार, 18 जुलाई, 1978/27 आषाढ़, 1900 (शक)

No. 2, Tuesday, July 18, 1978/Asadha 27, 1900 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
आस्ट्रेलिया के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	Welcome to the Australian Parliamentary Delegation :	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 26	*Starred Questions Nos. 21 to 26	1—15
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :	
तारांकित प्रश्न संख्या 27 और 29 से 40	Starred Questions Nos. 27 and 29 to 40	15—22
अतारांकित प्रश्न संख्या 201 से 253 और 255 से 400	Unstarred Questions Nos. 201 to 253 and 255 to 400	22—125
स्थगन प्रस्ताव के बारे	*Re.* Motion for Adjournment	125—127
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table	129—130
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	130—131
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के बारे में	*Re.* Calling Attention	131
विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री के विरूद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में विनिर्णय	Ruling on Question of Privilege against the Minister of External Affairs and the Minister of Finance	132—133
नियम 377 के अधीन मामले	Matters Under Rule 377	133—134
7 (एक) पुनर्वास विभाग से क्रमवद्ध ढंग से समाप्त करने की योजना के बारे में मंत्री महोदय का कथित वक्तव्य	(i) Reported Statement of Minister about the plan to phase out Rehabilitation Department	
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy	133

किसी नाम पर अंकित यह† इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
(दो) मध्य देश में कथित भारी विद्युत संकट	(ii) Reported Power Crisis in Madhya Pradesh	
श्री लक्ष्मीनारायण पांडेय	Shri Laxminarayan Pandeya	133
(तीन) आगरा में गोलीकांड की न्यायिक जांच की आवश्यकता ।	(iii) Need for Judicial Inquiry into Firing at Agra—	
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर	Shri M. N. Govindan Nair	133
(चार) मैसर्ज मेटल फोरजिंग (प्राइवेट) लिमिटेड, मायापुरी, नई दिल्ली द्वारा कुछ श्रमिकों का कथित निलम्बन	(iv) Reported suspension of workers by Messrs Metal Forging (Private) Limited, Mayapuri, New Delhi.	
श्री उग्रसेन	Shri Ugrasen	134
तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) विधेयक—	Tobacco Board (Amendment) Bill—	134—141
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	134
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	134
श्री पी० वेंकटसुब्बया	Shri P. Venkatasubbiah	135
श्री लक्ष्मीनारायण नायक	Shri Laxmi Narain Nayak	136
श्री अरविन्द बाला पजनौर	Shri A. Bala Pajanor	136
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	136
श्री रामसेवक हजारी	Shri Ram Sewak Hazari	137
श्री पी० के० कोडियन	Shri P. K. Kodiyan	137
श्री पी० राजगोपाल नायडु	Shri P. Rajgopal Naidu	136
श्री मोहन धारिया	Shri Mohan Dharia	138
खण्ड 2 से 7 और 1	Clauses 2 to 7 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	
श्री मोहन धारिया	Shri Mohan Dharia	140
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ramgopal Reddy	141
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	141

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री कल्याण जैन	Shri Kalyan Jain	141
आन्तरिक सुरक्षा (निरसन) विधेयक	Maintenance of Internal Security	
विचार करने का प्रस्ताव —	(Repeal) Bill—	142
श्री धनिक लाल मण्डल	Shri Dhanik Lal Mandal	142
श्री एडुआर्डो फैलीरो	Shri Eduardo Faleiro	142
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi	142
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin	143
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	144
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	144
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy	144

लोक सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 18 जुलाई, 1978/27 आषाढ़, 1900 (शक)
Tuesday, July 18, 1978/Asadha 27, 1900 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*.]

आस्ट्रेलिया के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत
WELCOME TO THE AUSTRALIAN PARLIAMENTARY DELEGATION

अध्यक्ष महोदय : सब से पहले मुझे एक घोषणा करनी है।

मुझे अपनी तथा सब की ओर से भारत की यात्रा पर आये हमारे सम्मानीय अतिथि आस्ट्रेलिया के पर्यावरण, आवास और सामुदायिक विकास मंत्री माननीय आर० जे० ग्रूम और आस्ट्रेलिया के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत करते हुए प्रसन्नता है। शिष्टमंडल के अन्य माननीय सदस्य ये हैं :—

(1) सीनेटर कथनि मार्टिन

(2) सीनेटर ई० ए० रोबर्टसन

(3) श्री जे० एम० ब्राडफील्ड, संसद सदस्य

(4) डा० एन० ब्लैवेट, संसद सदस्य

वे अपनी संसद तथा आस्ट्रेलिया के हमारे मित्र लोगों तक हमारी शुभ कामनायें पहुंचा दें।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

INQUIRY AGAINST EMPLOYEES OF BIKANER DIVISION SINCE 1968

*21. SHRI R. L. P. VERMA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some employees of Bikaner Division on the Northern Railway are being treated as absent from duty as inquiry against them has been going on into the charge of absence from duty since 1968 to date;

(b) whether it is also a fact that an inquiry into the charges against the Station Master Bigga, has been going on for the last 10 years since 1968; and

(c) if the reply to parts (a) and (b) above be in the affirmative, whether Government will protect the employees from being harassed on such false charges and take action against the guilty officers ?

THE MINISTER FOR RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) Only one employee, Shri Reoti Raman, Station Master, Bigga, is treated as absent from duty.

(b) Yes Sir.

(c) There has been no harassment to Shri Reoti Raman, Station Master, Bigga. The delay in finalisation of the disciplinary enquiry is because of certain steps taken by the said employee from time to time in his defence.

SHRI R. L. P. VERMA : This disciplinary action in the Railway Department is going on for the last 10 years and the enquiry is still going on and which may be finalised after his retirement. He has stated in his reply that the delay in finalisation of the disciplinary enquiry is because of certain steps taken by the said employee from time to time in his defence. I do not know the reason for which enquiry is going on for the last 10 years when there is no charge of corruption or misappropriation. A man absent from duty for 10 years should be discharged but there is no such charge in the present case.

Is the Hon. Minister satisfied with this case. I have not received reply to a letter sent to him on 14th April, 1978.

PROF. MADHU DANDAVATE : I should explain details of the case to you since it is going on for the last 10 years. The employee was served a memo on 20th Oct., 1968, regarding major penalty for illegal absence. The employee approached Bikaner Civil Court on 6th July, 1970 when the case was being investigated under Railway Service (Discipline and Appeal Rules) 1968. The Station Master refused to appear before the enquiry committee under the plea that the case is still pending in the court of law. The judgment of the court, which was in favour of the Railway Administration came on 11th September, 1971. Then the employee approached the upper court which also delivered its judgment on 5th May, 1977 against him and is favour of the administration. The date of enquiry was then fixed for 28th July, 1977 but Shri Reoti Raman did not appear. Shri Reoti Raman then sought time for engaging a Defence Counsel. Then he entered into correspondence with the Enquiry Officers which continued for many days. Then, on 10th March, 1977 he requested the Administration to take him back and he was called for vision test on 22nd June, 1977. After taking the vision test he was asked to attend the Refreshers Course starting from 11th July, 1978 at the Zonal Training School because it was necessary for the safety operation to impart refresher course to the Station Master who remained away from the job for ten years. The employee Shri Raman is responsible for all the delay.

SHRI R. L. P. VERMA : The reasons given by the Minister have been prepared by the officers of the Bikaner Railway Division. He approached the court simply because justice was denied to him. Will the Hon. Minister ties the time by which a final decision will be taken.

PROF. MADHU DANDAVATE : The employee requested for suspending the enquiry till the completion of the refresh course. It was, therefore, done on his request and I would like to assure that we will take him back the completion or the refresher course.

SHRI RAM SEWAK HAZARI : I want to know the number of such complaints. Will the Hon. Minister tie same time limit for the disposal of such cases.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

SHRI RAM SEWAK HAZARI : The enquiry should be completed within the prescribed time so that aggrieved party could get the justice. What steps are being taken in this direction.

PROF. MADHU DANDAVATE : The question relates to a particular employee and he is asking a general question. If you permit, I may give a reply.

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

SURVEY WORK ON LALITPUR-KHAJURAHO RAILWAY LINE

*22. SHRI Y. P. SHASTRI : Will the Minister of RAIWAYS be pleased to state :

(a) whether the survey work on the proposed Lalitpur-Khajuraho line (via Satna and Rewa) has been completed;

(b) if so, the progress made so far in the engineering and traffic survey of the line;

(c) whether the survey work will be completed by 31st March, 1979;

(d) the places between Lalitpur and Singrauli where survey offices or centres were set up and the strength of engineers and other staff engaged in the survey work at present; and

(e) whether besides survey work, construction of this railway line from Satna to Rewa will also commence this year in view of imperative need for this line for transportation of material for Ban Sagar Project ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) to (c) The estimate for the survey will be sanctioned shortly and the field work will start after the monsoons. The survey will take about two years to be completed.

(d) Survey offices will be set up after the estimate is sanctioned.

(e) A decision on the construction of the line can be taken only after the survey report becomes available.

SHRI Y. P. SHASTRI : In 1956, the States Re-organisation Commission recommended this railway line on the ground that there was no railway line in this region, but the line has not so far been laid even after 22 years. The Hon. Minister has been kind enough to provide for the survey of this line in this year's budget. It is regretted that necessary sanction for the survey of the line has not been accorded even after 3 months. I would like to know the time when the said sanction will be accorded ? Will the Hon. Minister accord this sanction within 15 days or a month ?

You have stated that the survey work will be completed within 2 years. Our remaining term of office is now 3½ years and when the line will be laid if survey takes two years ? Will the Hon. Minister reduce the period of survey so that survey is completed within a year ? Will the Hon. Minister give an assurance ?

PROF. MADHU DANDAVATE : The estimates will be sanctioned within this month and the survey work will be started in the month of October and the work will be completed within two working seasons. We will take decision for the construction of railway line on the basis of findings of the survey.

SHRI Y. P. SHASTRI : A portion of this railway line from Satna to Beyohari was surveyed in 1973. It is not known as to why this portion is being surveyed again. Will the construction work be started in the portion where survey has been completed ?

I have, in the original question about the need for this line for transportational material and machinery for Bansagar Project.

अध्यक्ष महोदय : आप भाषण दे रहे हैं । कृपा करके प्रश्न पूछे

SHRI Y. P. SHASTRI : I may say whether construction work on the line from Satna to Rewa, where survey work has been completed, will be started keeping in view the needs of Bansagar Project.

PROF. MADHU DANDAVATE : Traffic survey of a branch line was conducted in 1973, which could not prove attractive. It was presumed that there will not be more traffic in this backward region. The Railway Administration had doubts in this actually. It was also considered whether this limited railway line could be extended on the basis of survey from Satna to Rewa and after due consideration it was found that the line will be uneconomic and unremunerative. But thereafter the Railway Administration and several Minister showed enough interest in it. Mr. Bahuguna is one of those Ministers. Every one suggested that if Satna-Rewa rail line is uneconomic, it can be extended further. That is why we have sanctioned Lalitpur-Singrauli rail line via Rewa in the budget.

अध्यक्ष महोदय : यदि छोटे प्रश्न पूछे जायें तथा उनके छोटे उत्तर दिए जाएँ तो हम अधिक प्रश्नों पर चर्चा कर सकते हैं ।

SHRI LAXMI NARAIN NAYAK : Whatever you said about Lalitpur-Singrauli railway line, I welcome that. It is a backward area and it is a long distant line. Will you also try to make adequate allocation so that the construction of this line may be expedited ?

PROF. MADUH DANDAVATE : The amount is fixed by the Planning Commission and the recommendation is made by Railway Ministry. We will make recommendations but ultimately the decision rests with the Planning Commission.

SHRI LAKHAN LAL KAPOOR : The impression about the Railway Minister is that he disposes off the works expeditiously. The previous Government took a lot of time in disposing off any work. Do you also want to follow them. You have said that it will take two years to conduct the survey. I want to know the steps you are taking to complete this work as early as possible so that people of that area may be benefited by this line ?

PROF. MADHU DANDAVATE : The direction of the work is equally important as the speed of the work.

SHRI YAMUNA PRASAD SHASTRI : It is a important question.

MR. SPEAKER : Mr. Shastri you have asked the question. Please sit down.

SHRI YAMUNA PRASAD SHASTRI : Sir..........

अध्यक्ष महोदय : आपने अपने प्रश्न पूछ लिए हैं। आप यहां भाषण नहीं दे सकते। मैं आपको अनुमति नहीं देता । डा० सुशीला नायर

डा० सुशीला नायर : ललितपुर मेरा निर्वाचन क्षेत्र है और मैं जानती हूं कि यह एक बहुत ही पिछड़ा इलाका है। मैं जानना चाहती हूं कि कहीं नई रेल लाइन बिछाने का आधार लाइन का लाभप्रद होना है या नई रेल लाइन का सम्बन्ध केवल किसी क्षेत्र को सुविधाएं प्रदान करने का है? इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहती हूं कि यह परियोजना कितनी जल्दी पूरी हो जायेगी ?

इस क्षेत्र में कुछ ऐसी जगह हैं जहां कुछ रेल लाइनें हैं । मैं जानना चाहती हूं कि क्या माननीय मन्त्रीजी वहां कुछ अधिक गाड़ियों को रोकने की व्यवस्था कर सकते हैं ताकि लोगों को आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो सकें ?

प्रो० मधु दंडवते : माननीय सदस्या ने आरम्भ में ही कह दिया था कि यह एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। कारण यह नहीं है। उनका अगला प्रश्न सही है। जहां तक पिछड़े क्षेत्रों का सम्बन्ध है, मैं सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि रेल बिछाने का आधार केवल यही नहीं है कि लाइन लाभप्रद होनी चाहिए। जहां तक पिछड़े क्षेत्रों का सम्बन्ध है, पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए आधारभूत ढांचा प्रदान करना भी एक आधार होना चाहिए।

जहां तक गाड़ियों को रोकने का सम्बन्ध है, प्रश्न केवल तभी उठेगा जबकि गाड़ी चलना शुरु करेगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न 23 ...... (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : श्री लकप्पा से टकराने में जो मजा आयेगा वह किसी और से नहीं आ सकता। हम उनका सामना करेंगे।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : हमने जीवन भर टकराव का सामना किया है और आज भी हम इससे नहीं घबराते।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 23

चलती हुई रेलगाड़ियों में डकैती

*23. **श्री के० लकप्पा**
श्री दुर्गा चन्द } : क्या रेल मन्त्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान देश भर में चलती हुई रेलगाड़ियों में डाकुओं की गतिविधियों से उत्पन्न गम्भीर स्थिति की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष में किस किस महीने तथा किस किस तिथि को गाड़ियों में डकैती की कितनी घटनायें हुई तथा कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया;

(ग) प्रत्येक डकैती में यात्रियों को अनुमानतः कितनी क्षति हुई तथा सरकार का विचार उनकी किस प्रकार क्षतिपूर्ति करने का है; और

(घ) क्या रेलवे में डकैती की घटनाओं को कम करने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारतीय रेलों पर कुल मिलाकर 1977 की तुलना में इस वर्ष के दौरान चलती गाड़ियों में सशस्त्र लूट-पाट और डकैतियों की घटनाओं में कोई वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन, मई और जून, 1978 के महीने में लूटपाट के 2 और डकैतियों के दो मामले होने के कारण मध्य प्रदेश राज्य में मध्य रेलवे पर लूटपाट और डकैतियों की वारदातों में कुछ वृद्धि हुई है। चालू वर्ष में उत्तर और पूर्व रेलों पर भी लूटपाट की वार-दातों में थोड़ी वृद्धि हुई है।

(ख) गत एक वर्ष में गाड़ियों में लूटपाट की महीने-वार संख्या और तारीख तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में ब्यौरेवार सूचना सम्बन्धित राज्य सरकारों से सत्यापित करवायी जा रही है। फिर भी, 1978 के पहले छः महीनों तथा 1977 के पूरे वर्ष के दौरान डकैतियों और लूटपाट की संख्या नीचे दी गई है :—

रेलवे	डकैतियां		लूट-पाट		जोड़	
	1978	1977	1978	1977	1978	1977
	6 महीने	पूरा वर्ष	6 महीने	पूरा वर्ष	6 महीने	पूरा वर्ष
मध्य	3	3	14	29	17	32
पूर्व	18	23	9	38	27	61
उत्तर	5	6	37	47	42	53
पूर्वोत्तर	1	19	10	48	11	67
पूर्वोत्तर सीमा	—	1	2	4	2	5
दक्षिण	1	—	5	13	6	13
दक्षिण मध्य	1	1	—	7	1	8
दक्षिण पूर्व	2	5	5	11	7	16
पश्चिम .	1	4	—	19	1	23
कुल जोड़ .	32	62	82	216	114	278

(ग) प्रत्येक वारदात में यात्रियों को हुई अनुमानित हानि से सम्बन्धित सूचना सम्बन्धित राज्य सरकारों से इकट्ठी की जा रही है। लेकिन, 1-1-78 से 30-6-78 तक की अवधि के दौरान लूटपाट के कारण यात्रियों को हुई अनुमानित हानि की राशि लगभग 2.65 लाख रुपये है। इस अवधि में लूटपाट के लिए गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या 58 है।

जब तक रेल कर्मचारी ने असबाब बुक न कराया हो और यात्री को रसीद न दे दी गयी हो, गाड़ियों में यात्रियों के सामान की चोरी/लूटपाट/डकैती आदि के लिए उन्हें क्षतिपूर्ति करने के बारे में रेल अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) रेल मंत्री प्रभावित राज्यों, अर्थात् बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, के मुख्य-मंत्रियों के साथ सम्पर्क बनाये हुए हैं और उन्होंने उनसे अनुरोध किया है कि यात्रियों और उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वे कारगर निवारक उपाय करें।

16-6-78 को रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी और यह विनिश्चय किया गया था कि : (1) उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महा-

राष्ट्र की राज्य सरकारें सशस्त्र पहरेदारों की संख्या बढ़ाकर ऐसे अपराधों के विरुद्ध जोरदार अभियान चलायेंगी, (2) यह सुनिश्चित किया जाये कि रात के समय जब कभी खतरे की जंजीर खींची जाये तो पुलिस के सशस्त्र पहरेदारों को तुरन्त सूचना मिल जाये, (3) पुलिस के सशस्त्र पहरेदारों को गाड़ी के मध्य में स्थान दिया जाये ताकि खतरे को देखते ही वे दो दलों में बंट जायें और अपराधियों को पकड़ने के लिए गाड़ी के दोनों ओर उत्तर जायें, (4) पुलिस पहरेदारों को बड़ी शक्तिशाली टार्चें/बड़ी हल्की पिस्तौलें और रोशनी वाले उपकरण दिए जायें, और (5) गार्ड और ब्रेकमैन को शक्तिशाली बत्तियां दी जायें ताकि गाड़ी के दोनों ओर के क्षेत्र में रोशनी की जा सके।

भेद्य खंडों में रात के समय चलने वाली चुनी हुई गाड़ियों में रेल सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र पहरेदारों की व्यवस्था की जा रही है। इससे यात्रा करने वाली जनता के मन में विश्वास जगाने और साथ ही अपराधियों को गाड़ियों में अपराध करने से रोकने में सहायता मिलेगी।

सवारी डिब्बों में निम्नलिखित निवारक उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय रेलों ने एक अभियान चलाया है :—

(1) चल टिकट परीक्षक/डिब्बा परिचर रात के 10.00 बजे और प्रातः 6.00 बजे के बीच गलियारों के दरवाजों को ताला लगा देते हैं।

(2) रात के समय चल टिकट परीक्षक और डिब्बा परिचर सतर्क रहते हैं और घुस-पैठ करने वालों, फेरी वालों और अनधिकृत व्यक्तियों को डिब्बों में घुसने से रोकते हैं।

(3) बिना गलियारेदार गाड़ियों के मामले में गलियारेदार दरवाजे स्थायी रूप से बन्द अथवा निष्प्र-योज्य कर दिए जाते हैं।

श्री के० लकप्पा : यह केवल संसद का अपमान नहीं बल्कि समूचे देश का अपमान है। यहां मंत्री महोदय केवल गलत उत्तर ही नहीं दे रहे हैं बल्कि उन्होंने जानबूझकर उचित उत्तर नहीं दिया है।

प्रश्नों के उत्तर में जो वक्तव्य दिया गया है, उसे मैंने ध्यानपूर्वक देखा है।

प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में उन्होंने कहा है कि गत वर्ष गाड़ियों में डकैतियों की संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी ......

भाग (क) के उत्तर में उन्होंने कहा है कि चालू वर्ष के दौरान उत्तरी तथा पूर्वी रेलवे में होने वाली डकैती भी घटनाओं में थोड़ी वृद्धि हुई है।

उन्होंने जानबूझकर कारण नहीं बताए हैं और कहा है कि डकैती घटनाओं में कोई वृद्धि नहीं हुई है। आज देश में प्रतिदिन 6,000 सवारी गाड़ियां तथा 5,000 माल गाड़ियां चल रही हैं। हम संदेहास्पद बातों के लिए 20,000 रेल सुरक्षा बल कर्मचारियों पर 4 करोड़ रुपये व्यय कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूरा कीजिए।

(व्यवधान)

श्री के० लकप्पा : इसके बाद उन्होंने कहा कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। प्रश्न विशिष्ट है और उन्हें समुचित समय दिया गया था किन्तु वह अभी भी यही कह रहे हैं कि विभिन्न राज्यों से जानकारी एकत्रित की जा रही है। उन्होंने सही स्थिति नहीं बताई है।

अधूरे उत्तर देने की अनुमति नहीं होनी चाहिए और समुचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

श्री के० लकप्पा : वह जानकारी हासिल नहीं कर पाये हैं। पिछले चार महीनों की जानकारी मैं दूंगा। हम ऐसे उत्तर की अपेक्षा नहीं कर रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा आप स्वयं अपने को कठिनाई में डाल रहे हैं। यदि आपको जानकारी का पता है तो वह आपको उन्हें बता देनी चाहिए थी।

श्री के० लकप्पा : देश के विभिन्न भागों में दक्षिणी एक्सप्रेस, जी० टी० एक्सप्रेस, जयंती एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले लोग अपने को सुरक्षित नहीं समझते । वे गाड़ियों से नहीं जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर बोलिए।

श्री के० लकप्पा : वे गाड़ियों से नहीं जा रहे हैं। मुझे यह जानकारी मिली है । क्या यह सही नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर बोलिए।

श्री के० लकप्पा : मैं उनके साथ किसी प्रकार का तर्क नहीं करना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न से सम्बन्धित बात बोलिए। अभी बहुत बड़ी संख्या में प्रश्न पड़े हैं।

(व्यवधान)

श्री के० लकप्पा : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण होता है।

श्री के० लकप्पा : कृपया अनुमति दीजिए, मैं देश के हित में आपसे अपील कर रहा हूं।

गत चार महीनों के दौरान अर्थात जनवरी 1978 से मई 1978 तक घटनाएं निम्न प्रकार से हुई :—

गाड़ियों में कत्ल : (व्यवधान)

डकैतियां . . 45

चोरियां . . 118

अध्यक्ष महादेय : कृपया ध्यान रखिए कि यह प्रश्नकाल है। प्रश्न पर बोलिए।

(व्यवधान)

श्री के० लकप्पा : असक्षम सरकार द्वारा चलाए जाने वाले असक्षम मंत्रालय को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर चोरियां हो रही हैं। रेल दुर्घटनाओं से ही कई लोगों की मृत्यु हो जाती है तथा बहुत सम्पत्ति नष्ट होती है। आज रेल व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्थित हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा अवसर मिलेगा जब आप भाषण दे सकेंगे। यह प्रश्नकाल है।

श्री के० लकप्पा : मैं जानना चाहता हूं कि आप इसमें क्या सुधार कर रहे हैं? सरकार तथा रेल मंत्रालय को..........

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न एक भी नहीं पूछा है। कृपया आप प्रश्न के बारे में बोलिए।

श्री के० लकप्पा : श्रीमान क्या मैंने कोई गैर-संसदीय बात कही है ? यदि मैंने ऐसी कोई बात कही है आप मेरे विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं। मैं एक साधारण प्रश्न पूछ रहा हूं । देशवासियों का गाड़ियों के चलने में से विश्वास हट गया है। यह विश्वास केवल इसलिए नहीं हटा कि गाड़ियों में चोरियां, डकैतियां होती हैं बल्कि रेल प्रशासन की क्षमता भी घट गई है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी रेल प्रशासन में सुधार लाने के लिए क्या करने का विचार कर रहे हैं? मेरा यही प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आप तो भाषण दे रहे हैं। यदि आपने भाषण दिया तो मैं आपकी बातों को रिकार्ड करने से रोक दूंगा। आप प्रश्न पूछिए।

श्री के० लकप्पा : उन्हें उत्तर देने दीजिए।

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमान मैं निवेदन करता हूं..........

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रश्न लम्बा भी हो तो उसका उत्तर संक्षेप में दिया जा सकता है।

प्रो० मधु दंडवते : माननीय सदस्य ने जो मूल प्रश्न पूछा था वह कुछ भिन्न था। गत 5 दिन पूर्व रेल मंत्रालय ने प्रश्न की मुद्रित प्रति प्राप्त की थी तो भाग (ख) कुछ भिन्न था। उल्लेख हाल में हुई चोरियों के

बारे में था। उसके पश्चात प्रश्न बदला गया और पांच दिन पहले हमें भाग (ख) कुछ परिवर्तित रूप में प्राप्त हुआ और उसमें यह पूछा गया था :—

"(ख) गत एक वर्ष में किस किस महीने तथा किस किस तिथि को गाड़ियों में डकैती की कितनी घटनाएं हुई तथा कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।"

प्रो० पी० जी० मावलंकर : प्रश्न किसने बदला? लोक सभा सचिवालय ने या मंत्रालय ने?

प्रो० मधु दंडवते : मैं यही बात कह रहा हूं। मुझे बात स्पष्ट करने दीजिए।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैं माननीय अध्यक्ष से पूछ रहा हूं कि प्रश्न का स्वरूप किसने बदला। किस नियम के अन्तर्गत।

अध्यक्ष महोदय : बहुत से माननीय सदस्यों ने प्रश्नों की सूचना दी है। प्रश्न कार्यालय द्वारा संकलित किया गया। प्रश्न का भाग भी श्री लकप्पा का था और अन्यों ने भी कुछ अन्य बातों का उल्लेख किया। इस प्रश्न को कार्यालय ने संकलित किया यही कारण है कि इसमें परिवर्तन हो गया।

SHRI RAJ NARAIN : Mr. Speaker, kindly listen my point of order......

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई बात प्रश्नकाल से सम्बन्धित है तो आप मेरे कमरे में आकर उस मामले पर मेरे साथ बातचीत करें। प्रश्नकाल के दौरान किसी प्रकार का व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा। मुझे आप से मिलकर हर्ष होगा। व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं है।

SHRI RAJ NARAIN : Leave the point of order aside. I want to know whether the Minister, Secretarial or Ministry can change the form of the question without taking permission of the concerned member?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है।

(व्यवधान)

श्री के० गोपाल : प्रश्न में हेर-फेर कैसे किया जा सकता है?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यह बहुत ही आपत्तिजनक बात है कि प्रश्न में फेर-बदल की गई है। ऐसा कोई नहीं कर सकता।

श्री के० गोपाल : सम्बन्धित सदस्य को पूछे बिना वे प्रश्न में फेर बदल कैसे कर सकते हैं? मैं यही जानना चाहता हूं। मैं श्री राजनारायण से सहमत हूं। . . . . .

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यदि मेरा प्रश्न ठीक है तो किसी को भी उसे बदलने का अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : दुर्भाग्य से यह बात उठ गई है। यह बात प्रश्नकाल के दौरान नहीं उठायी जानी चाहिए थी। निदेश 10 में यह उपबन्ध है कि :—

"जब एक ही या सम्बन्धित विषय पर अनेक सदस्यों से सूचनाएं प्राप्त होती हैं तो अध्यक्ष, यदि उसकी राय में सदस्यों द्वारा पूछी गई सभी महत्वपूर्ण बातों को सम्मिलित करके एक सम्पूर्ण प्रश्न बनाना उचित हो, निदेश दे सकता है कि सभी सूचनाओं को एक सूचना में समेकित कर दिया जाये।"

श्री के० गोपाल : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपकी अनुमति मांगी गई है।

अध्यक्ष महोदय : श्री गोपाल अध्यक्ष द्वारा कतिपय शक्तियां कार्यालय को भी दी जाती हैं। अन्यथा यह स्वाभाविक रूप से असम्भव है।

(व्यवधान)

श्री श्यामनन्दन मिश्र : सदस्य को इस बारे में अवश्य सूचित कर दिया जाना चाहिए था।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : उनके प्रश्न को समुचित ढंग से संशोधित किया जाना चाहिए था। अन्यथा वह अनुपूरक प्रश्न कैसे पूछेंगे? यदि यह नया संशोधन है, उसकी सूचना सदस्य को अवश्य दी जानी चाहिए थी।

अध्यक्ष महोदय : आपने आपत्ति उठाई है? (**व्यवधान**)।

श्री सी० एम० स्टीफन : श्रीमान निदेश इस प्रकार है :—

"जब एक ही या सम्बन्धित विषय पर अनेक सदस्यों से सूचनायें प्राप्त होती हैं तो अध्यक्ष, यदि उसकी राय में सदस्यों द्वारा पूछी गई सभी महत्वपूर्ण बातों को सम्मिलित करके एक सम्पूर्ण प्रश्न बनाना उचित हो, निदेश दे सकता है कि सभी सूचनाओं को एक सूचना में समेकित कर दिया जाये।

परन्तु इस प्रकार समेकित प्रश्न की अवस्था में उन सभी सम्बन्धित सदस्यों के नाम, उनकी सूचनाओं की प्राथमिकता क्रम में प्रश्न के सामने एक कोष्टक में दिखाये जायेंगे।"

बात यह है कि यहां केवल दो नाम दिए जाते हैं। यहां "कई सदस्यों से प्रश्नों की बड़ी संख्या में सूचनायें" शब्दों का प्रयोग किया गया है। क्या दो सदस्यों से बहुत बड़ी संख्या बन जाती है? प्रश्न उसी या सम्बन्धित विषय से हो। यहां चोरियों की अवधि अधिक महत्वपूर्ण है। स्पष्टतया उनके लिए जानकारी एकत्र करना कठिन होगा। यदि एक महीने की अवधि कही जाती तो उनके लिए आंकड़े एकत्र करना संभव होगा। अतः यह संकेत का प्रश्न नहीं है। प्रश्न अवधि के बारे में है। यदि प्रश्नों की सभी सूचनाओं को एक में समेकित करना है तो मंत्रालय के लिए उत्तर देना कठिन हो जायेगा और सदस्य के लिए उत्तर पाना भी कठिन हो जायेगा और अगले प्रश्न व्यर्थ हो जायेंगे। यह निश्चय ही एक अप्रिय प्रक्रिया है। निदेश 10 में कई सदस्यों तथा बड़ी संख्या में प्रश्नों की बात की गई है।

(**व्यवधान**)

श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे : सूचना 21 दिन पूर्व दी गई थी। प्रश्न को समेकित करने में इतना विलम्ब क्यों हुआ? बैलट 21 दिन पूर्व हुआ था।

श्री सौगत राय : 21 दिन पहले वहां दो नाम थे। बाद में पता चला कि उसी पर तथा सम्बन्धित प्रश्न पर कई सदस्यों ने सूचनाएं दी हैं। इसे बाद में समेकित किया गया। 21 दिनों में क्या सचिवालय को सदस्य को सूचित करने का समय नहीं मिला? 21 दिन में हम यह आशा करते हैं कि यह मंत्रालय को चला जायेगा ताकि मंत्री जी यहां उत्तर सहित ठीक समय पर आ सकें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले पर विचार करूंगा। मैं प्रश्न को स्थगित कर दूंगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या मैं आपका ध्यान इस मामले के दो पहलुओं की ओर आकर्षित कर सकता हूं?

ऐसा हो सकता है कि मेरे प्रश्न का कुछ महत्वपूर्ण भाग हटा दिया जाये और सदस्य को यह अवसर ही न दिया जाये कि वह अपने प्रश्न को बदले हुए रूप को देख सके। अतः मेरा अनुरोध है कि सम्बन्धित सदस्य को सूचना अवश्य दी जाये।

दूसरे प्रश्न को मिला देने से उसका अर्थ कुछ और निकल सकता है या ऐसा प्रश्न लग सकता है जिसकी मैंने सूचना ही न दी हो। सम्बन्धित सदस्य को उसकी सूचना जरूर दी जाये वरना लोक सभा सचिवालय ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न को रोक रहा हूं और इस बारे में पता करूंगा।

SHRI RAJ NARAIN : Please remember that it is necessary to raise a point of order.

आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई के लिए गैर-सरकारी व्यापारियों को वैगनों की सप्लाई न किया जाना

*24. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दाल, खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई के लिए गैर-सरकारी व्यापारियों को वैगनों की सप्लाई रोक देने के निर्देश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री जनार्दन पुजारी : अनाज लाने ले जाने के लिए कृषि और सिंचाई मंत्रालय द्वारा और माल डिब्बों की जोरों से मांगे की जा रही है। इसके अलावा 7.30 लाख टन उर्वरकों को ले जाने के लिए भी रेलवे माल डिब्बों की बहुत मांग हो रही है। क्या मंत्रालय और डिब्बों की व्यवस्था करेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय सदस्य ने मूल प्रश्न को व्यापक बना दिया है। आपकी अनुमति से मैं केवल मूल प्रश्न तक सीमित रहूंगा। गैर-सरकारी अनाज व्यापारियों को माल डिब्बे न देने के बारे में मैंने कोई आदेश जारी नहीं किया। हमने कुछ प्राथमिकतायें नियत की हैं। यदि राज्य सरकार का अनाज का मामला है तो 'ख' श्रेणी की प्राथमिकता में रखा जाता है और दालों को 'ग' श्रेणी में रखते हैं। गैर सरकारी व्यापारियों को अनाज के मामले में 'घ' और दालों के मामले में 'ङ' श्रेणियों में रखते हैं। मुझे सभा को बताने में खुशी है कि जहां तक अनाज लाने ले जाने का सम्बन्ध है गैर-सरकारी व्यापारियों को तीन मास के लिए 4.72 लाख टन की व्यवस्था की गई है जो वर्ष भर में 22.88 लाख टन बैठता है। मैं आपको तुलनात्मक आंकड़े देता हूं। वर्ष 1975-76, 1976-77, 1977-78 में क्रमश: 14.88 लाख टन, 21.59 लाख टन, 21.25 लाख टन की व्यवस्था की गई और 1978-79 में अप्रैल से जून के तीन मास के आंकड़े 5.72 लाख टन हैं जिन्हें 4 से गुणा करने पर 22.88 लाख टन आंकड़े मिलते हैं। इससे अधिक व्यवस्था किए जाने की मैं जरूरत अनुभव नहीं करता।

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Just now the Hon. Minister told that he has fixed priority for private trade but is he aware that for getting one wagon one has to pay bribe upto rupees one thousand? Will he be prepared to conduct an enquiry into the matter?

PROF. MADHU DANDAVATE : The Hon. Member should given some specific instance alongwith the proof.

श्री पी० वेंकट सुब्बैया : अनिवार्य वस्तुएं चाहे सरकार द्वारा ले जाई जायें या निजी व्यापारियों द्वारा पर वे राष्ट्र के लिए अत्यन्त जरूरी हैं। उदाहरण के लिए आन्ध्र प्रदेश से फालतु चावल ले जाना होता है और किसानों को उर्वरक पहुंचाने होते हैं। इसलिए क्या मैं आशा करूं कि अनिवार्य वस्तुओं के मामले में सरकारी या गैर-सरकारी के बीच भेद-भाव न करके उन्हें समान प्राथमिकता दी जायेगी ताकि इस मामले में भ्रष्टाचार न पनपे।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं झूठा उत्तर नहीं दूंगा। जहां तक राज्यों द्वारा अनाज लाने ले जाने का प्रश्न है, क्योंकि माल बहुत अधिक होता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाना होता है इसलिए पंजाब, हरियाणा, और उ० प्र० जैसे राज्यों को प्राथमिकता देनी ही पड़ती है। हमें उस अनाज को दक्षिण और पश्चिम में ले जाना होता है। दालों के मामले में हमने अन्यों की तुलना में निजी व्यापारियों को कुछ ऊपर प्राथमिकता दी है। लेकिन सरकार द्वारा अनाज ले जाने और लाने को सदैव ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी क्योंकि वह एक भारी सामाजिक दायित्व है।

एक प्रकार का कदाचार अनाज के व्यापारी और करते हैं कि जब अनाज के मूल्यों में कमी होती है तो वे अपना सारा अनाज हमारे शेडों में रख देते हैं। अत: हमने निश्चय किया है कि यदि वे मूल्यों में वृद्धि कराने के लिए ऐसा कदाचार करते हैं तो हम विलम्बशुल्क बढ़ा देंगे और जमा किए हुए अनाज को नीलाम कर दिया करेंगे।

श्री वी० अरुणाचलम : टूटीकोरन से देश के अन्य भागों में नमक पहुंचाने के लिए रेल के माल डिब्बों की अत्यन्त कमी के कारण नमक उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा है। नमकनिर्माताओं द्वारा बार-बार मांग किए जाने पर भी सरकार डिब्बे देने में झिझक रही है। इस असाधारण बिलम्ब का क्या कारण है? क्या सरकार पर्याप्त संख्या में डिब्बे देने का आश्वासन देगी?

अध्यक्ष महोदय : यह बात प्रश्न से सम्बन्धित नहीं।

महानगरीय परिवहन परियोजना, कलकत्ता

*25. **श्री सौगत राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने जब तक परियोजना के लिए और अधिक धन आवंटित नहीं किया जाता है तब तक कलकत्ता में चितरंजन एवेन्यू के नीचे खुदाई करने के लिए महानगरीय परिवहन परियोजना को अनुमति देने से इन्कार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सौगत राय : मैंने यह प्रश्न इसलिए पूछा है क्योंकि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार कलकत्ता में महानगरीय यातायात परियोजना के बारे में दुविधा में हैं।

इस परियोजना में तीन सैक्शन हैं। पहला टॉलीगंज एसप्लेनेड़ सैक्शन, दूसरा शानबाजार-डम डम सेक्शन और तीसरा चितरंजन एवेन्यू सेक्शन। चितरंजन एवेन्यू सेक्शन पर काम शुरू नहीं हुआ है। एक महीना पहले पश्चिम बंगाल के यातायात मन्त्री ने एक वक्तव्य दिया था कि राज्य सरकार महानगरीय यातायात परियोजना को चितरंजन एवेन्यू के नीचे खुदाई तब तक नहीं करने देगी जब तक और अधिक पैसा नहीं दिया जाता क्योंकि वह बहुत भीड़-भाड़ वाला क्षेत्र है। लेकिन आज खबर छपी है कि राज्य सरकार तो सहमत हो गई है लेकिन पुलिस द्वारा आपत्ति करने के कारण काम शुरू नहीं हुआ है । अब महानगरीय यातायात परियोजना को महाप्रबन्धक ने वक्तव्य दिया है कि यदि चितरंजन एवेन्यू के नीचे खुदाई की अनुमति न दी गई तो 30 करोड़ रुपये की आवंटित राशि सरकार को लौटा दी जायेगी । मुझे यह भी जानकारी मिली है कि परियोजना के लिए नमूने के कोच तैयार करने में भी विलम्ब हुआ है । अतः मैं जानना चाहता हूं कि चितरंजन एवेन्यू सेक्टर में काम के बारे में मंत्री जी को राज्य सरकार से क्या रिपोर्ट मिली है और रेल मंत्रालय की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं पश्चिम बंगाल सरकार को बिल्कुल दोष नहीं देता। उन्होंने केवल यही कहा है कि इस मार्ग पर बहुत भीड़ रहती है अतः यातायात और जनता के हित में पहले कोई वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जाये । जब यह व्यवस्था हो जायेगी तो योजना के काम को तेजी से शुरू किया जा सकेगा। समूची योजना को लम्बित नहीं रखा गया है । हम पश्चिम बंगाल सरकार से सम्पर्क रखे हुए है और शीघ्र ही मामला हल हो जायेगा। इस बारे में कोई विशेष दिक्कत नहीं आयेगी।

मैं पहले ही सभा को बता चुका हूं कि काम दो क्रमों में पूरा होगा। पहले डम-डम से शानबाजार एस्प्लेनेड टॉलीगंज है और दूसरा शानबाजार से चितरंजन एवेन्यू से होकर एसप्लेनेड तक है।

अपने प्रश्न के अन्तिम भाग में उन्होंने भूमि अर्जन के बारे में कुछ दिक्कतों का उल्लेख किया है। पिछले सत्र में मैंने स्वयं एक विधेयक पुरः स्थापित किया था जिससे इस परियोजना को समय पर तैयार करने के लिए भूमि अर्जन करने सम्बन्धी सभी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी।

श्री सौगत राय : मेरा दूसरा प्रश्न एम० टी० पी० के बारे में है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कलकत्ता में सर्कुलर रेल चलाने की मांग की है । रेल मंत्री की इस पर क्या प्रतिक्रिया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल महानगरीय परिवहन परियोजना और चितरंजन एवेन्यू के बारे में है।

श्री सौगत राय : यह प्रश्न भी महानगरीय परियोजना के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा महानगरीय परिवहन परियोजना बनाने से मना करने के बारे में है।

2—279LSS/78

श्री सौगत राय : अब मेरा प्रश्न यह है कि यदि केन्द्रीय सरकार कलकत्ता में सर्कुलर रेल चलाने के सम्बन्ध में राज्य द्वारा की गई मांग को मान लेती है तो क्या रेल मंत्री महानगरीय परिवहन परियोजना की धनराशि इस काम में लगाई जाएगी।

श्री मधुदण्डवते : एक परियोजना के लिए रखी गई धनराशि को दूसरी परियोजना में लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता। एक तरफ तो माननीय सदस्य यह मांग कर रहे हैं कि यह परियोजना शीघ्र पूरी की जाए और दूसरी ओर यह मांग कर रहे हैं कि धनराशि को दूसरी परियोजना में लगाया जाए। हम ऐसा नहीं करेंगे।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती : वस्तुतः महानगरीय परिवहन परियोजना को शीघ्रता से पूरा करने के लिए रेलवे को यातायात की दिशा बदलना होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने कहा है यातायात की दिशा बदलने के लिए सर्कुलर सड़क बनाना महत्वपूर्ण हल होगा। इस पर मंत्री महोदय का क्या उत्तर है।

अध्यक्ष महोदय : यह संगत प्रश्न नहीं है।

श्री चित्त बसु : क्या पश्चिम बंगाल की सरकार ने भारत सरकार को पहले ही परियोजना के लिए नियत राशि की कमी की ओर ध्यान दिलाया था क्योंकि इस परियोजना की लागत राशि 140 करोड़ रुपये से बढ़कर 250 करोड़ रुपये हो गई है। इसमें से 35 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या भारत सरकार पश्चिम बंगाल के इस सुझाव को मान लेगी कि इस परियोजना को 1985-86 तक पूरा करने के लिए अधिक राशि नियत की जाए? कलकत्ता में परिवहन समस्या अत्यन्त विकट है। एक विशेषज्ञ ने कहा था कि यदि कलकत्ता को जीवित रहना है तो उसकी परिवहन प्रणाली को फिर से मजबूत बनाना होगा।

श्री मधु दण्डवते : पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री और वहां की प्रत्येक संस्था ने परियोजना के लिए राशि बढ़ाने की मांग की है। योजना आयोग हर वर्ष आवंटन करता रहा है। हालांकि परियोजना लागत 250 करोड़ रुपये है फिर भी असैनिक इंजीनियरिंग निर्माण लागत 148 करोड़ रुपये होगी। अब तक केवल 35.2 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं और वर्ष 1978-79 के लिए 11.8 करोड़ रुपये के आवंटन किए जायेंगे। अगले बजट सत्र में जब हम योजना आयोग से बात करेंगे तो हमें पता चल सकेगा कि इस परियोजना के लिए आयोग कितना आवंटन कर रहा है।

रेल कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की धमकी

*26. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों ने इस वर्ष अक्तूबर मास में देशव्यापी हड़ताल करने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों की मांगें क्या हैं; और

(ग) रेल कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधुदण्डवते) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

नेशनल फैडेरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन जो इन्टक से सम्बद्ध है, ने अपने से सम्बद्ध यूनियनों से कहा है कि वे श्रमिक हड़ताल के सम्बन्ध में 31-8-78 से पहले गुप्त मतदान करायें तथा उसके सफल संचालन के लिए अन्य प्रबन्ध करें।

उक्त फैडरेशन से सम्बद्ध यूनियनों के सदस्य यदि मतदान में हड़ताल करने के पक्ष में वोट देते हैं तो उन यूनियनों द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत हड़ताल के नोटिस देने होंगे। समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों से पता चलता है कि एन० एफ० आई० आर० के अध्यक्ष ने एक व्यान दिया है जिसमें ये कहा गया है कि हड़ताल अक्तूबर के प्रारम्भ में शुरु होगी, यद्यपि इस बारे में उक्त फैडरेशन सीधे ही कोई सूचना नहीं मिली है।

नेशनल फैडरेशन ग्राफ इंडियन रेलवेमैन द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में उल्लिखित मांगें तथा उन पर टिप्पणी नीचे दी गई है :—

मांग	टिप्पणी
1. सभी रेल कर्मचारियों को बोनम दिया जाये । 2. ग्रावश्यकता पर ग्राधारित वेतन फार्मूला के ग्राधार पर न्यूनतम वेतन की समीक्षा की जानी चाहिए ।	(1) ग्रौर (2) : यह वेतन, ग्राय ग्रौर कीमतों की नीति के प्रश्न के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा है ग्रौर सरकार द्वारा भूतलिंगम ग्रध्ययन दल की रिपोर्ट पर विचार कर लिये जाने के बाद इस बारे में विचार किया जाएगा।
3. महंगाई भत्ते के फार्मूले को इस प्रकार संशोधित किया जाए कि प्रत्येक 6 महीनों के बाद ग्रथवा मूल्य सूचकांक में प्रत्येक 4 प्वाइंट की वृद्धि होने पर, इनमें से जो भी पहले हो, महंगाई भत्ते की दरें निर्धा-की जायें ग्रौर इस फार्मूले का स्वतः ही कार्यान्वियन होना चाहिए ।	(3) ग्रौर (4) : जो ग्राम मुद्दे उठाये गए हैं, उन पर रेल मंत्रालय ग्रकेला कोई विचार नहीं कर सकता क्योंकि ये ऐसे व्यापक मुद्दे हैं जिन पर सरकार को सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बारे में निर्णय लेना होगा ।
272 प्लाइंट के बाद न्यट्रलाइजेशन की घटी दर को फिर से पहले स्वीकृत कर के स्तर पर लाया जाय । 4. जब जीवन यापन की लागत का 12 महीने का सचांक 272 प्वाइंट के ग्रौसत स्तर पर पहुंच जाए तो महंगाई भत्ते को सभी प्रयोजनों के लिए वेतन में मिला दिया जाये ।	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 272 पर महंगाई भत्ते को सेवा निवृत्ति लाभों के लिए वेतन में मिला देने तथा महंगाई भत्ते के फार्मूले की व्याख्या ग्रौर महंगाई भत्ते की किस्त में की गई 1/2 प्रतिशत की कटौती से सम्बन्धित ग्रन्य मामलों के बारे में 23–6–78 की स्थायी समिति कर्म-चारी पक्ष राष्ट्रीय परिषद के साथ विचार-विमर्श हुग्रा था लेकिन समझौता न हो सका । परिणामतः यह तय हुग्रा कि इन मामलों को पंच फैसले के लिए भेजा जाये ।
5. मियाभाय ग्रधिकरण की सभी सिफारिशों को पुर्णतः क्रियान्वित किया जाए ।	5. कार्य घन्टा विनियमों से सम्बन्धित सिफारिशों को छोड़कर ग्रन्य सभी सिफारिशों को, ग्राम तौर पर, क्रियान्वित कर दिया गया है । जहां तक कार्य घन्टा विनियमों सम्बन्धित सिफारिशों का प्रश्न है, उन्हें 1-8-74 स्वी-कार कर लेने के बारे में रेलों को ग्रादेश जारी कर दिए गए हैं ग्रौर इन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है । एन० एफ० ग्राई० ग्रार० के साथ हुई एक बैठक में उक्त फैडेरेशन से यह ग्रनुरोध किया गया है कि वह उन मदों की सूची सरकार को भेजें- जिनका कार्यान्वियन नहीं हुग्रा है ग्रथवा जिनमें ग्रधिकार की सिफारिशों का कार्यान्वियन गलत रीति से हुग्रा है ताकि उन मदों के बारे में जानने के लिए यह जांच की जा सके कि ग्रागे क्या कार्रवाई करना ग्रपेक्षित है ।
प्रारम्भिक ग्रौर ग्रनुपूरक कार्य में लगने वाली ग्रवधि के लिए भुगतान किया जाना चाहिए ।	इस मांग पर पहले विचार किया गया था लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया
मियाभाय ग्रधिकरण की सिफारिशों के ग्रनुसार भारतीय रेल ग्रधिनियम में उपयुक्त संशोधन किए जाने चाहिए	भारतीय रेल ग्रधिनियम को संशोधित करने के बारे में पहले से ही कार्रवाई की जा रही है ग्रौर संसद में संशोधनों को ग्रन्तिम रूप पेश करने से पहले नैशनल फैडरेशन ग्राफ इंडियन रेलवेमैनस के विचारों को ध्यान में रखा जाएगा ।
ग्रौसत निकालने का काम इस समय जहां कहां पाक्षिक ग्राधार पर किया जाता है, साप्ताहिक ग्राधार पर किया जाना चाहिए ।	जहां तक साप्ताहिक ग्राधार पर ग्रौसत निकालने के सिद्धान्त का सम्बन्ध है, वर्तमान ग्रादेश मियाभाय ग्रधिकरण की सिफारिशों के ग्रनुरूप ही है ।

मांग	टिप्पणी
6. नीति के रूप में, रेल कर्मचारी के कम से कम एक पुत्र अथवा पुत्री को रेलवे में नौकरी दी जाये।	6. इस मांग से सम्बन्धित संवैधानिक पहलुओं की जांच की जा रही है।
7. उपभोग में आने वाली आवश्यक वस्तुओं को रेल कर्मचारियों के लिए स्थिर तथा उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था के लिए सभी स्थानों पर आर्थिक सहायता प्राप्त अनाज की दुकानें खोली जानी चाहिए। बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए भी सरकार को कड़े उपाय करने चाहिए।	7. उठाये गए मुद्दों पर अकेले रेल मन्त्रालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि इस बारे में सरकार को केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए निर्णय करना होगा।
8. मई, 1974 की हड़ताल के दौरान अनुपस्थिति की अवधि को ड्यूटी माना जाए और उसके लिए वेतन दिया जाये।	8. सेवा भंग को पहले ही माफ कर दिया गया है। 1-3-78 को यह आदेश जारी कर दिए गए हैं कि अनुपस्थिति की अवधि को देय छुट्टी अथवा जहां पुरे वेतन या आधे वेतन छुट्टी देय न हो वहां बिना वेतन छुट्टी माना जाये। सभी मामलों में यह अवधि वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गिनी जायेगी।
9. मितव्ययता के उद्देश्य से कर्मचारियों की संख्या में कमी नहीं की जानी चाहिए।	9. आधुनिकीकरण जैसी कतिपय स्थितियों के कारण कुछ स्थापनाओं में कर्मचारियों की संख्या में मामूली कमी हो सकती है लेकिन किसी प्रकार की छंटनी किए बगैर ऐसा किया जा रहा है।
10. भारतीय रेलों को एक स्वायत्त निगम का रूप देने के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए और उसकी नीतियों और कार्यक्रमों के निर्धारण में श्रमिकों के प्रभावकारी योगदान की व्यवस्था होनी चाहिए। रेलवे बोर्ड के ढांचे में कोई परिवर्तन करने से पहले एन० एफ० आई० आर० से परामर्श किया जाना चाहिए।	10. भारतीय रेलों को स्वायत्त निगम में परिवर्तित किए जाने के प्रश्न की विगत में जांच की गयी थी और इसे व्यावहारिक या वांछनीय नहीं पाया गया। रेलवे बोर्ड के ढांचे में परिवर्तन के सम्बन्ध में 6 दिसम्बर, 1977 को राज्य सभा में पहले ही उद्घोषणा कर दी गयी है।

उक्त फेडरेशन द्वारा अपनी हाल की बैठक में पास किए गए संकल्पों में यह कहा गया है कि भूतलिगम रिपोर्ट श्रमिक विरोधी होने के कारण वह सरकार और श्रमिकों के बीच बातचीत का आधार नहीं बन सकती और इसलिए सरकार को उसे अस्वीकार कर देना चाहिए तथा बोनस और अन्य मांगों के सम्बन्ध में एन० एफ० आई० आर० स सीधी बातचीत प्रारम्भ कर देनी चाहिए।

इन मांगों के बारे में एन० एफ० आई० आर० के साथ विचार-विमर्श हुआ है तथा सरकार यह आश्वासन देना चाहती है कि वह, जब भी आवश्यक हो, इन मांगों के बारे में आगे बातचीत करने को तैयार है।

SHRI O. P. TYAGI : The demands of federations of Railwaymen are of two types. Their first demand is that the Government should pay bonus to railway employees by treating Railway an industry. Their second demand is that the report of Bhootlingam Committee is anti-labour report. Therefore, they are not prepared to negotiate with Government on the basis of Bhootlingam report. What is the approach of the Government on these two issues ?

PROF MADHU DANDVATE : Written answers have been given in response to some of their demands. Their certain demands have been accepted and implemented too. There are such question regarding which decision is to be taken not only by Railway but also by other departments. I have never stated that we will consider their demands only after adoption of Bhootlingam Report. But I would like to clarify that we have not accepted Bhoot-

lingam Report. We will consider that report. We will take to different trade organisations. Nothing has been said in report about landless people. We will also consider that and talk to other persons. Therefore, I want to assure that if need be we will talk to federations on three or four issues.

SHRI O. P. TYAGI : I wanted to know whether Railway will be treated as industry and bonus will be given to Railway employees as demanded by the Railway federation

PROF. MADHU DANDAVATE : We will have to consider the question whether Railway should be treated as an industry or not. I would like to tell the House that there are different views about Bhootlingam Report. In this report, one opinion has been expressed which says that Railway should be treated as private industrial unit. We will have to take a balanced view on this opinion.

SHRI O. P. TYAGI : My second question is whether Railway Federation had declared that ballot will be held upto 31-8-1978 and they will go on strike with effect from 1st October, 1978 and if so whether Government were tried to negotiate with the office bearers of Federation and if so, the results thereof ?

PROF. MADHU DANDAVATE : I had told in the last session that these questions have been throughly discussed with different federations and trade unionist Members of Parliament. We have not received any notice of ballot. But decision regarding ballot has been taken by the INTUC affiliated federation.

SHRI UGRA SEN : Since last month hon. Minister has been saying that he will call the representatives of federation and question of bonus, grade and other demands will be considered. Bhootlingam Report has been received. It is heartening to note that the report has not been accepted by the Government. It was not worth accepting. I would like to know as to when he will call representatives of All India Railway Men's Federation and consider their demands so as to avoid the situation arising out of the decision to hold ballot and strike ?

PROF. MADHU DANDVATE : These are two different questions. This federation has made classification of artisans and threatened to go on token strike for one day if Award given by Tandon Tribunal is not implemented. We will certainly talk to different associations.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

TEMPORARY EMPLOYEES IN RAILWAY RESTAURANTS

*27. SHRI GOVINDA MUNDA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether in railway restaurants and canteens a large number of employees have been wirking as temporary employees for many years and they are paid their wages as casual labourers;

(b) whether according to Government rules the employees who have been working continuously for more than 3 months should be made permanent;

(c) the total number of such temporary employees who have been working as casual labourers for more than a year; and

(d) if so, the time by which they will be made permanent and if not, the main reasons ?

THE MINISTER FOR RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) to (d). In the catering department of the Railways there are commission bearers and vendors who are not railway employees but are paid commission as a percentage of the sales effected by them. The number of bearers working on commission basis is about 2100 and of vendors about 4000. It has been decided to absorb commission bearers as regular class IV employees in a phased manner based on the length of their service. It is not possible to bring vendors within the scope of this scheme.

भारतीव रेलवे सिब्बंदी नियम पुस्तिका का उल्लंघन करके रेलवे कर्मचारियों का चयन

*29. **श्री दयाराम शाक्यः** क्या **रेल** मन्त्री इंस्पैक्टर ग्राफ वर्क्स ग्रेड-1 के लिए साक्षात्कार के बारे में 21 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3799 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे सिब्बन्दी नियम पुस्तिका के पैरा 216 (घ) का उल्लंघन करके 16 व्यक्तियों (सामान्य) का पैनल बनाने के क्या कारण थे जबकि 56 सामान्य और 4 अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार बुलाये गए थे तथा सम्भावित रिक्त स्थानों की संख्या 20 थी।

(ख) अनुसूचित जातियों के ऐसे तकनीकी दृष्टि से अर्हताप्राप्त उम्मीदवारों का चयन न किए जाने क्या कारण थे जिन्होंनें उस ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य किया था जबकि क्र० संख्या 40, 49 और 51 वाले गैर तकनीकी अर्हताप्राप्त सामान्य उम्मीदवारों को जो 1952, 1955 और 1977 में वर्क मिस्त्री के पदों पर नियुक्त किए गए थे तेजी से पदोन्नति देकर चयन किया गया है,

(ग) गैर तकनीकी अर्हताप्राप्त कनिष्टतम सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की योग्यता पर विचार किए बिना पदों का आरक्षण समाप्त करने का आदेश किसने दिया था, और

(घ) नियम पुस्तिका के उपबन्धों, विभागीय नीति के परिपत्रों, आरक्षण परिपत्रों, आदि का उल्लंघन करके दिए गए इस चयन की परिस्थितियों की क्या वह जांच करायेंगे तथा दोषी अधिकारियों को दण्ड देंगे ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते): (क) 20 निरीक्षकों का एक पैनल तैयार करने के लिए, जिसमें 14 सामान्य, 4 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवार अपेक्षित थे, प्रवरण के क्षेत्र में उपलब्ध केवल 56 सामान्य उम्मीदवारों और 4 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को बुलाया गया था। चूंकि, ग्राह्य कोटियों में अनुसूचित जन-जाति का कोई उम्मीदवार नहीं था, दो रिक्तियों को अनारक्षित कर दिया गया और तदनुसार सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों का कोटा बढ़ाकर 16 कर दिया गया। भारतीय रेल स्थापना नियमावली के प्रावधानों की कोई अवहेलना नहीं हुई है।

(ख) प्रवर में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों ने आवश्यक अर्हक अंक प्राप्त नहीं किए थे। जिन सामान्य उम्मीदवारों का उल्लेख किया गया है उन्होंने अपेक्षित अंक प्राप्त कर लिये थे।

(ग) अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि नियमों और आदेशों का अनुपालन किया गया है।

कम्पनियों द्वारा जमा राशियों का भुगतान न किया जाना

*30. **श्री लखन लाल कपूर**
डा० बापू कालदाते } :क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बढ़ती जा रही ऐसी शिकायतों से निपटने के लिए कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने का है कि गैर सरकारी लिमिटेड कम्पनियां जमा राशियों का भुगतान जमाकर्ताओं की निर्धारित अवधि बीत जाने पर भी नहीं करती हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अब क्या कार्यवाही की गई है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) : भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 में जमाकर्ताओं को जनता द्वारा जमा की पुरा होने पर, वापिस करने के लिए प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों को बाध्य करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तथापि, उचित मामलों में गैर-बैंकिंग, गैर-वित्तीय कम्पनियों और उनके अधिकारियों के विरुद्ध कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क और उसके अन्तर्गत निर्धारित नियमों के उल्लंघनों के लिए अभियोग चलाए गए हैं। उच्चाधिकार समिति, जो अभी कम्पनी अधिनियम, 1956 की समीक्षा कर रही है, अपने सुझाव जल्दी ही प्रस्तुत करने वाली है, जिसमें जमाकर्ताओं के सामने आने वालीं इस कठिनाई के लिए सुझावों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। इस अवधि के मध्य विभाग ने, जमाकर्ताओं के हितों को सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

(क) दिनांक 30 मार्च, 1978 के कम्पनी जमा (संशोधन) नियम के अनुसरण म, गर-बकिंग गर-वित्तीय कम्पनियों को 1 अप्रैल, 1978 से आगे कम्पनी की वित्तीय स्थिति के सारांश के अतिरिक्त जमा लेने के विज्ञापन में निम्नलिखित संकेतों की सूचना का उल्लेख करना है :—

(1) वह राशि जो कम्पनी जमाओं द्वारा बढ़ा सकती है।

(2) कुल जमा धारण

(3) जमा की राशि जो पुन:अदायगी के लिए देय है।

इन विवरणों से इच्छुक जमाकर्ता अपने आपको यह न्याय करने के लिए समर्थ करेगा कि क्या उसको कम्पनी में जमा करना चाहिए।

(ख) उपरोक्त उन्हीं नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक गैर-बैंकिग, गैर-वित्तीय कम्पनी को 1 अप्रैल, 1978 से प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक, अगले 31 मार्च की समाप्ति तक की अवधि में परिपक्क अपने जमाओं का 10 प्रतिशत जमा या निवेश करना अपेक्षित है। 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए जमाओं/निवेशों के लिए समय 30 सितम्बर, 1978 तक बढ़ा दिया गया है।

कोयले पर आधारित पेट्रो काम्पलैक्स स्थापित किया जाना

*31. **श्री राज कृष्णडान :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयले पर आधारित एक पैट्रो-कांम्प्लेक्स स्थापित करने के बारे में सक्रियता से विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री ('श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बम्बई हाई की प्राकृतिक गैस के वितरकों के रूप में अनु सूचित जातियों/जन जातियों के लोगों की नियुक्ति

*32. **श्री भाऊ साहिब थोरट :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बम्बई हाई की प्राकृतिक गैस के वितरकों की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए कुछ प्रतिशत स्थान आरक्षित रखती है और यदि हां तो कितने प्रतिशत; और

(ख) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के वितरकों की नियुक्ति के मामले में प्रतिभूति राशि की शर्त न रखने का है?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : सभी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों को सरकार द्वारा जारी की गयी मार्गदर्शी रूप रेखाओं के अनुसार तरल पैट्रोलियम गैस (खाना पकाने की गैस) जिसमें बम्बई हाई और दक्षिण बसीन क्षेत्रों की सम्बद्ध गैस/प्राकृतिक गैस से प्राप्त होने वाली एल० पी० जी० गैस भी शामिल है, के विपणन के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लोगों को 25 प्रतिशत डिस्ट्रीब्यूटर शिप दी जानी हैं। ऐसे वितरकों से कोई प्रतिभूति राशि नहीं ली जायेगी।

वसूल किए गए 3 लाख टन गेहूं उठाने के लिए हरियाणा को वैगनों की सप्लाई

*33. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य की विभिन्न मंडियों में खुले में पड़े वसूल किए गए 3 लाख टन अधिक गेहूं को उठाने के लिए हरियाणा को लगभग 14000 वैगनों की तत्काल आवश्यकता है,

(ख) यदि हां, तो क्या अपेक्षित वैगन मानसून आरम्भ होने के पूर्व उपलब्ध कर दिए गए थे ताकि गेहूं को बरबाद होने से बचाया जा सके,

(ग) यदि नहीं, तो वर्षा से कितनी हाँनि हुई है, और

(घ) गेहूं को खराब होने से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) से (घ) : हरियाणा से प्रति माह 1.5 लाख टन प्रायोजित खाद्यान्न (अर्थात गेहू और धान) के लदान का लक्ष्य मई 1978 में कृषि एवं सिंचाई मन्त्रालय से परामर्श करके निर्धारित किया गया था। इसके विपरीत, मई और जून 1978 के दौरान वास्तविक संचलन क्रमशः 1.22 और 1.20 लाख टन था। जुलाई में लदान की दर में वृद्धि की गयी है और जुलाई के प्रथम 16 दिनों में लगभग 80,000 लाख टन का लदान किया गया। रेल प्रशासन लदान की अधिकतम सीमा तक बढ़ाने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। हरियाणा में वर्षा के कारण गेहूं को हुई किसी प्रकार की क्षति के सम्बन्ध में इस मन्त्रालय के पास कोई सूचना नहीं है।

रेल दुर्घटनाएं

*34. **श्री मनोरंजन भक्त**
श्री मोहम्मद शफी क़ुरेशी : } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सरकार के शासन काल के दौरान यात्री गाड़ियों और माल गाड़ियों की पृथक-पृथक कुल कितनी और किस-किस तारीख को रेल दुर्घटनायें हुई और इसके क्या कारण हैं,

(ख) कितनी दुर्घटनाओं में तोड़फोड़ किए जाने का सन्देह है अथवा वह सिद्ध हो चकी है,

(ग) मृत, घायल और रोजगार के लिए अक्षम हुए व्यक्तियों की पृथक-पृथक कुल संख्या कितनी है, और

(घ) सम्पत्ति की कुल कितनी हानि हुई और मुआवजे के रूप में कुल कितनी राशि अदा की गई और कितने मामन्ले अनिर्णत पड़े हैं?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) (क) से (घ)

(क) 1977-78, 1976-77 और 1975-76 में अप्रैल से जून तक की अवधि में सवारी गाड़ियों और उन से भिन्न गाड़ियों से सम्बन्धित गाड़ी दुर्घटनाओं का तुलनात्मक वर्णन और उनकी संख्या नीचे दी गयी है :—

महीना	1977-78 (अप्रैल, 77 से जून, 78)			1976-77 (अप्रैल, 76 से जून, 77)			1975-76 (अप्रैल, 75 से जून, 76)		
	सवारी गाड़ियां	माल गाड़ियां	कुल	सवारी गाड़ियां	माल गाड़ियां	कुल	सवारी गाड़ियां	माल गाड़ियां	कुल
अप्रैल	30	43	73	24	57	81	24	58	82
मई	26	47	73	21	44	65	29	65	94
जून	32	43	75	24	44	68	36	57	93
जुलाई	29	44	73	19	51	70	30	51	81
अगस्त	30	58	88	18	45	63	22	70	92
सितम्बर	24	47	71	21	44	65	29	65	94
अक्तूबर	26	36	62	22	40	62	37	64	101
नवम्बर	30	43	73	19	41	60	17	46	63
दिसम्बर	23	50	73	24	46	70	28	51	79
जनवरी	33	50	83	20	39	59	23	37	60
फरवरी	22	39	61	23	34	57	22	39	61
मार्च	18	43	61	29	31	60	24	40	64
अप्रैल	38	38	76	30	43	73	24	57	81
मई	45	50	95	26	47	73	21	44	65
जून	37	51	88	32	43	75	24	44	68
जोड़	443	682	1125	352	649	1001	390	788	1178

अप्रैल, 77 से जून, 78 तक की अवधि में हुई दुर्घटनाओं के कारण नीचे दिए गए हैं :—

कारण	दुर्घटनाओं की संख्या
रेल कर्मचारियों की गलती	554
रेल कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों की गलती	137
उपस्कर की खराबी :	
(1) यांत्रिक	163
(2) रेलपथ	29
(3) बिजली	1
तोड़-फोड़	8
आकस्मिक	100
कारण का पता नहीं चल सका	55
ऐसे कारण जिनका अभी तक अन्तिम रूप से विनिश्चय न हो सका	78

(ख) आठ

(ग) और (घ) : इन दुर्घटनाओं में 394 व्यक्ति मारे गए, 358 को गम्भीर चोटें आयीं और 664 को मामूली चोटें आयीं : गाड़ी दुर्घटनाओं में ग्रस्त व्यक्तियों और उनके आश्रितों को, भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अधीन, क्षतिपुर्ति के रूप में इस अवधि के दौरान 32.98 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। क्षतिपूर्ति सम्बन्धी 316 दावे संबंधित पदेन दावा आयुक्तों/तदर्थ दावा आयुक्तों के न्यायालयों में विचाराधीन हैं और न्यायालय के निर्णय के आधार पर रेल प्रशासनों द्वारा भुगतान किए जायेंगे। ऐसे घायल व्यक्तियों की सख्या जिन्हें अपनी आजीविका अर्जन के अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, दावा कमिशनरों के यहां बकाया पड़े मामलों के निर्णयों पर निर्भर करेगी।

कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अधीन 3,86,170 रु० की राशि का भुगतान किया गया था और इन दुर्घटनाओं में मारे गए रेल कर्मचारियों के 17 मामलों पर विचार किया जा रहा है।

रेल सम्पत्ति को हुई क्षति की लागत का अनुमान लगभग 4,11,34,000/- रुपये लगाया गया है।

CONTRACTORS WITH FIVE CATERING STALLS

*35. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7270 on 18-4-78 regarding number of contractors with five catering stalls and state :

(a) whether the requisite information has since been collected and if so, full details thereof;

(b) whether there are many shortcomings in the present rules and due to this present Government could not fulfil the promise of providing employment to maximum number of persons and if so, whether Government propose to reconsider and bring about revolutionary changes in he existing catering rules and if so, when;

(c) whether Government propose to set up a committee of Members of Parliament on catering licences and contracts which should be fully empowered to allot railway catering and other stalls to maximum number of persons with a view to remove unemployment in the country;

(d) the reasons why some railway officers did not give contracts to Harijans and Adivasis and main reasons why these persons are being deprived of these contracts ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes, Sir. 13 contractors on Indian Railways are holding five or more units of catering/vending contracts, and none of them is a Harijan or Adivasi.

(b) The existing rules for award of catering contracts are based primarily on the recommendations of the Catering Committee appointed in 1954 under the Chairmanship of

the then Dy. Minister of Railways and the Railway Catering & Passenger Amenity Committee appointed in 1967 under the Chairmanship of the then Minister of State for Railways. According to the extant rules no contractor can hold more than six units of contracts on the Railways. This has been done to give job opportunities to more persons in the catering-work on Indian Railways. A Committee of 4 senior Railway Officers is scrutinising the existing rules with regard to award of catering/vending contracts.

(c) No, Sir.

(d) Under the existing rules, Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates get preference in catering/vending contracts. Small catering/vending contracts upto half a unit are allotted to Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates straightaway if they are found capable of doing the work. For catering/vending contracts bigger than half a unit, Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates are given first preference, other things being equal. No case of eligible Harijans or Adivasis being deprived of catring contracts has come to the notice of the government.

भारत पेट्रोलियम निगम द्वारा मैसर्स शिव नारायण खूब चन्द कलकत्ता को एजेंट के रूप में नियुक्ति

*36. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने कलकत्ता में अपने एस० बी० पी० और ऐरोमेक्स जैसे उत्पादों के लिए मैसर्स शिवनारायण खूब चन्द कलकत्ता को बिक्री एजेंट के रूप में नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने अभी तक अपने उत्पादों के लिए कोई वितरक नियुक्त नहीं किए हैं और वह अपने उत्पादों की बिक्री अनेक पार्टियों के माध्यम से करता है ;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त (बिचौलिया) एक मात्र बिक्री प्रणाली को समाप्त करने का है और यदि नहीं तो इस के क्या कारण हैं :

(ङ) क्या सरकार का विचार भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को इस भाव के लिए राजी करने का है कि वह अपने उत्पादों की सप्लाई अन्य पार्टियों के माध्यम से करे जिस से बाजार में उनके उत्पाद स्वास्थ्य प्रतिस्पर्द्धा कर सकें तथा आसानी से उपलब्ध हो सकें।

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री (हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : मैसर्स भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि० (बी० पी० सी० कलकत्ता में डनलप, बाटा, नैशनल रबड़ मैनुफैक्चरिंग कम्पनी आदि जैसे बड़े उपभोक्ताओं की एस० बी० पी० की आवश्यकताओं को सीधी सप्लाई द्वारा पूरा करता है। कम्पनी के पास अपने छोटे उपभोक्ताओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मैसर्स शिवनारायण खूबचन्द और मैसर्स कूयंबरा एजेन्सी नामक दो वितरक हैं। एरोमेक्स के लिए मैसर्स शिवनारायण खूबचन्द बी० पी० सी० एकमात्र वितरक हैं परन्तु इसके द्वारा वितरण की जाने वाली कुल मात्रा प्रतिमास 20 से 25 कि० ली० है। इन वितरकों की नियुक्ति बर्मा शैल दल द्वारा (जोकि एक विदेशी तेल कम्पनी है) सरकार द्वारा उनको 24-1-76 से अधिग्रहण करने से बहुत पहले की गई थी।

(ग) मैसर्स हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच० पी० सी०) अपने विलायकों को (1) मैसर्स गोयेन्का कैमिकल्स इन्डस्ट्रीज और (2) मैसर्स श्री श्याम एजेन्सी कलकत्ता जैसे दो पुनः बेचने वाली कम्पनियों के माध्यम से विपणन करता है। इन पार्टियों के साथ कम्पनी को कोई ठेका सम्बन्धी दायित्व नहीं है और यदि कोई उपभोक्ता इन उत्पादों को नियमित आधार पर टैंक, ट्रकों में काफी मात्रा में ले जाना चाहता है तो वह इन उत्पादों को एच० पी० सी० से सीधे खरीद सकता है। वह एरोमेक्स उत्पाद का विपण नहीं कर रहा है।

(घ), (ङ) और (च) पैट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई के सम्बन्ध में बिचोलियों को समाप्त करने का सरकार की यह आम नीति है। एस० वी० पी० जैसे उत्पादों की सप्लाई बड़े उपभोक्ताओं को, जिन के पास वैध भण्डार लाइसेंस हैं, वी० पी० सी० और एच० पी० सी० द्वारा सीधे की जा रही है। फिर भी दोनों वी० पी० सी० और एच० पी० सी० कम्पनियों वितरकों और पुनः विक्रेताओं द्वारा छोटे उपभोक्ताओं को उत्पादन की सप्लाई करती है। छोटे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वी० पी० सी० द्वारा अतिरिक्त वितरकों की नियुक्ति पर तभी विचार किया जा सकता है यदि उनकी नियुक्ति आर्थिक रूप से न्यायोचित हो।

GAS CONNECTION DURING 1977-78

*37. SHRI MANOHAR LAL : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to lay a statement showing :

(a) the total number of applications received for providing gas connections to people during financial year 1977-78 and upto May, 1978 and number of applications, out of them, received for gas connections on medical grounds;

(b) the total number of persons out of them who have been provided with gas connections and the number of those who have not been provided with gas connections with the main reasons therefor; and

(c) whether Government have any proposal to provide gas connections soon in respect of applications received for gas connections on medical grounds ?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) At present, approximately 10.5 lakh persons are registered and borne on the waiting list with different Liquefied Petroleum Gas distributors in the country. It is not possible to indicate the number of applications received on medical grounds.

(b) During the year 1977-78, the oil companies had released about 1.1 lakh new gas connections. During the current financial year, the oil companies have so far released about 41,000 gas connections between April and June, 1978. No figures are available to indicate as to how many of these releases were made on medical grounds.

(c) No, Sir.

SUVEY OF RAILWAY LINES

*38. SHRI LAXMI NARAIN NAYAK : Will the Minister of Railways be pleased to state : railway lines in the country in respect of which survey has been undertaken ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAY (SHRI SHEO NARAIN) : Since 1970, surveys have been carried out for construction of 75 new railway lines. Surveys for 10 new lines, included in earlier railway budgets, are in progress. Besides, the following surveys for new lines have been included in the budget for 1978-79 :

(1) Budge Budge-Namkhana (West Bengal)
(2) Damohani-Changrabandha (West Bengal)
(3) Barwadih-Karonji (Bihar and Madhya Pradesh)
(4) Khalilabad-Balrampur (Uttar Pradesh)
(5) Konch-Jalaun (Uttar Pradesh)
(6) Lalitpur-Singrauli (Madhya Pradesh & Uttar Pradesh)

कोयले की भारी कमी के कारण यात्री गाड़ियों का रद्द किया जाना

*39. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम**
श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले की भारी कमी के कारण गत दो महीनों के दौरान देश के विभिन्न भागों में अनेक यात्री गाड़ियों को रद्द कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) मई, 1978 के अन्त तक 110 जोड़ी यात्री गाड़ियां पूर्णतः या अंशतः रद्द की गयी थीं। जून, 1978 के अंत में ऐसी गाड़ियों की संख्या 112 जोड़ी गाड़ियां थी।

PRODUCTION AND DEMAND OF L.P. GAS

*40. SHRI AGHAN SINGH THAKUR : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) the present L.P. Gas production capacity of the country;

(b) the comparative figures of domestic consumption and demand thereof; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to meet the demand ?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) The country's present production of Liquefied Petroleum Gas is about 4.2 lakh metric tonnes per annum.

(b) Domestic consumption accounts for roughly 90% of the total consumption of LPG, the remaining quantity being consumed by commercial and industrial customers. As the potential demand for LPG in the country today is far in excess of the availability of the product and as other alternative fuels such as coal, soft coke, charcoal, fire-wood, kerosene, etc; are also being used as domestic fuel, it is not possible to accurately assess the potential demand for LPG in the country.

(c) Though the total potential demand for LPG is higher than the availability, the cylinder refill requirements of the existing customers are being generally met in full. Greater demand satisfication in respect of cooking gas will be possible only from 1980 onwards when substantial increases in availability of this product take place as a result of commissioning of the fractionating units to produce LPG from Bombay High Gas, commissioning of the Mathura Refinery and the secondary processing units at the Koyali Refinery.

DECISION TO AMEND THE REPRESENTATION OF PEOPLES ACT

*201. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have decided to amend the Representation of Peoples Act;

(b) whether duration of disqualification of a candidate for election will be further increased in the even of violation of certain provisions of election laws; and

(c) if so, when this Act will be amended and steps will be taken to check corruption and if it will not be done the reasons therefor ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) : (a) to (c) Various proposals for amendment of the Representation of the People Acts of 1950 and 1951 including the provisions relating to disqualification, are under consideration. As the proposals require careful consideration, it will taken some time before decisions are taken in the matter and necessary amendments in the above Acts are made.

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विदेशों में तेल की खोज

202. **श्री अमर सिंह वी० राठवा**
श्री अहमद एम० पटेल : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को विदेशों में तेल की खोज के लिए इन देशों द्वारा कोई पेशकश की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसकी शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग पहले से ही ईरान, ईराक और तंजानिया में अपना कार्य संचालन कर रहा है। पिछले वर्ष उद्योग मन्त्री श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा सीरिया में की गयी चर्चा के अनुसार उस देश में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को तेल अन्वेषण सम्बन्धी कार्य करने के लिए उत्पादन शेयर वाले ठेके के आधार पर एक पेशकश की गयी थी। ठेके के परिणाम स्वरूप प्राप्त क्षेत्रों की संभावनाओं का मूल्यांकन करने और ठेके की शर्तों पर बातचीत करने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के दल ने सीरिया का दौरा किया। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के दूसरे दल के दौरे के दौरान सीरिया की ओर से उल्लिखित स्थानों के बारे में इकट्ठे किए गए आंकड़ों के आधार पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को इस क्षेत्र में पर्याप्त रूप में तेल मिलने की कोई संभावना दिखायी नहीं दी और इस प्रकार से इस मामले पर आगे कार्यवाही नहीं की गयी।

आपातकाल के दौरान छंटनी किये गये खड़गपुर डिवीजन के नैमित्तिक श्रमिक

203. **श्री सुधीर घोषाल :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 75 से अक्तूबर, 75 तक आपात काल की अवधि के दौरान हल्दिया पौंशकुश रेल सम्पर्क परियोजना (दक्षिण पूर्व रेलवे) खड़गपुर डिवीजन के आठ सौ नैमित्तिक श्रमिक छंटनी किए गए हैं हालांकि उन्होंने लगातार 8 से 10 वर्ष से अधिक समय से उपरोक्त परियोजना में सेवा की है और रेलवे के स्थायी कमचारियों को दी जाने वाली उन्हें सभी सुविधायें (जैसे पदोन्नति, स्थानान्तरण, यात्रा भत्ते, अनिवार्य जमा योजना, मकान किराया, मेडिकल आदि) प्राप्त थीं;

(ख) क्या जनता पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र के अनुसार छंटनी किए गए सभी कर्मचारियों को तत्काल खपाया जाना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इन विपत्तिग्रस्त श्रमिकों की सहायता किस प्रकार करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) रेलों पर निर्माण-कार्य बड़ी संख्या में नैमित्तिक श्रमिक लगाकर किया जाता है। लाइन के खुल जाने के बाद, इस कार्य-दल में से लाइन के अनुरक्षण के लिए केवल थोड़े-से श्रमिकों की जरूरत होती है और इस प्रकार, यद्यपि शेष श्रमिकों को वैकल्पिक नौकरी देने की हर कोशिश की जाती है, फिर भी फालतू नैमित्तिक श्रमिकों को नौकरी से हटाना पड़ता है।

जब निर्माण-कार्य पूरा हो गया और हल्दिया-पांशकुडा लाइन यातायात के लिए खोल दी गयी तो जनवरी 1975 से आगे फालतू नैमित्तिक श्रमिकों को नौकरी से हटा दिया गया।

फालतू आदमियों के लिए वैकल्पिक नौकरी तलाश करने के लिए सरकार द्वारा हर कोशिश की जा रही है। अनुरक्षण से सम्बन्धित नियमित रिक्तियों में 300 व्यक्तियों को खपा लिया गया है। अन्य 180 आदमी दूसरी परियोजना-हल्दिया में एफ० सी० आई० साइडिंग का सम्पर्क कायम करने के काम पर लगा दिए गए हैं। इसके अलावा, नौकरी से हटाये गए 120 वरिष्ठ श्रमिकों को पांशकुडा को छोड़ती हुई कार्ड लाइन के निर्माण पर पुर्नानियोजित कर लिया गया है।

RAILWAY CROSSING FACILITIES ON SURAT-BHUSAVAL RAILWAY LINE AND AT DASVADA

†204. SHRI CHHITUBHAI GAMIT : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the names of the places on Surat-Bhusaval railway line where there are crossings and whether there is railway crossnig facility at all these places;

(b) whether M.D.R. crosses at Dasvada station and whether there is railway crossing facility there; and

(c) if not, the time by which railway crossing facility will be provided at this place and details of the steps taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) In the current Time Table in force from 1-4-78, on the Surat-Bhusaval section train crossings are scheduled at Udhna Jn., Chalthan, Bardoli, Vyara, Ukai Songadh, Khandbara, Nandurbari, Tisi, Virdel Road, Sind Khoda, Nardana and Paldhi. These stations have operational crossing facilities.

(b) No, Dasvada is a flag station.

(c) There is no justification to convert Dasvada to a crossing station at present.

भाप के इंजिनों के स्थान पर डीजल चालित इंजन लगाया जाना

205. **श्री शशांक शेखर सान्याल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बंगलादेश युद्ध के दौरान सियालदेह से लालगोला तक (जो कि पदमा के किनारे पर भारत की सीमा है) हमारा रेल यातायात को डीजल इंजनों की सहायता से तेज गतिवाला बनाया गया था;

(ख) क्या सरकार को पता है कि धीमे पुराने भाप के इंजन जो पूर्व रेलवे में राणाघाट और लालगोला के बीच रेल लाइन पर अब चलते हैं बार-बार मशीनी दोषों के कारण खराब हो जाते हैं जिससे उस सैक्शन पर क्षोभ, हमेशा विलम्ब तथा गड़बड़ी होती है; और

(ग) क्या तुलनात्मक रूप से भाप के इन कम उपयोगी इंजनों के स्थान पर डीजल चालित इंजनों का लगाया जाना सम्भव नहीं है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) राणाघाट-लालगोला खण्ड पर माल गाड़ियों के साथ-साथ यात्री गाड़ियां भी भाप कर्षण से चलायी जाती रही हैं और चलायी जा रही हैं। भाप इंजनों का निष्पादन संतोषजनक रहा है। यातायात की वर्तमान मात्रा से भाप इंजनों के बदले डीजल इंजन लगाने का औचित्य नहीं बनता।

औषधियों का मूल्य

206. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 मार्च, 1978 को सभा पटल पर रखे गए विवरण के अनुसार, चुनी हुई औषधों पर मूल्य नियंत्रण करने का मानदण्ड क्या है तथा औषधों पर से पूरी तरह नियंत्रण न हटाने के क्या कारण हैं जबकि वह अनुभव किया गया है कि चुनी हुई औषधि पर मूल्य नियंत्रण करने से उनके मूल्य बढ़ जायगें;

(ख) चुनी हुई औषधों पर मूल्य नियंत्रण करने से फार्मूलेशनों के मूल्य कैसे बढ़े—इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स, लिमि० द्वारा उत्पादित प्रत्येक उत्पाद का ब्यौरा क्या है तथा इस कम्पनी द्वारा कितनी बल्क कच्ची सामग्री वितरित की गई;

(ग) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र की मदों को 'लीडर प्राडक्ट' निर्धारित करेगी हालांकि उनके मूल्य अधिक हैं; यदि हां, तो ऐसा करने का क्या कारण हैं; और

(घ) क्या ऐसा करने से 'लीडर प्राडक्टों' के चयन में विषमताएं नहीं पैदा होंगी; यदि हां, तो इसके लिए क्या सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) नई औद्योगिक नीति में, जोकि 28 मार्च, 1978 को लोक सभा में प्रस्तुत किए गए विवरण पत्र का एक भाग है, श्रेणी I और II के फार्मूलेशनों के लिए, क्रमशः 40 प्रतिशत और 55 प्रतिशत तथा श्रेणी III के फार्मूलेशनों के लिए 100 प्रतिशत तक के मार्का की परिकल्पना की गई है। श्रेणी IV के फार्मूलेशन मूल्य नियंत्रण से मुक्त होंगे। विभिन्न मार्क-अप की योजना यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि फार्मूलेशनों के निर्माता समग्र रूप से (सभी चारों श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए) जहां यह सुनिश्चित करेंगे कि अनिवार्य फार्मूलेशनों के मूल्य उचित स्तर पर निर्धारित हों वहां उनको उचित लाभ भी प्राप्त हों। फार्मूलेशनों के मूल्यों में मार्का को सुव्यवस्थित करने से एक ओर उपभोक्ता के हितों की रक्षा होगी और दूसरी ओर उद्योग का विकास होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्माता मूल्य नियन्त्रण से बाहर वाले श्रेणी IV के फार्मूलेशनों के निर्णय में अधिक लाभ न कमा लें, निर्माताओं के सम्पूर्ण कार्यकलापों पर लाभ की अधिकतम सीमा की शर्त लगाई जायेगी जैसा कि उक्त विवरण पत्र के पैरा 54 में बताया गया है।

मैसर्स इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल द्वारा उत्पादित बल्क ड्रग्स तथा स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकलस कारपोरेशन आफ इंडिया लि० के माध्यम से आयात वितरित किए गए बल्क ड्रग्स को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ग) और (घ) नई औषध नीति के अनुसार प्रमुख मूल्य ऐसे फार्मूलेशनों के प्रमुख कुशल निर्माताओं की उत्पादन लागत पर आधारित होंगे। यदि सरकारी क्षेत्र के एकक उक्त मानदण्डों को पूरा करते हों तो उनके उत्पादों को भी लीडर मूल्य निकालने के लिए चुना जा सकता है। चूंकि लीडर मूल्य सम्बन्धित फार्मूलेशनों के प्रमुख कुशल निर्माताओं की उत्पादन लागत पर आधारित होंगे। चाहे वे निर्माता किसी भी क्षेत्र के हैं, पैरा (घ) में बताई गई अनियमितताएं होने की सम्भावना नहीं है।

विवरण

क्रम संख्या	बल्क औषध का नाम
1	सल्फागुआनीडाईन
2.	सल्फाडिमीडाईन
3.	डी० ई० सी० सिटेट
4.	बेंजील पेंसिलिन सोडियम
5.	प्रोकेन बेंजील पेंसिलिन
6.	पोटाशियम पेंसिलिन जी (I क्राइस्टल)
7.	पोटाशियम पेंसिलिन जी (स्टेराइल)
8.	स्ट्रैप्टोमाइसीन सल्फेट
9.*	टैट्रासाइक्लीन एच० सी० एल०
10.	आक्सीटैट्रासाइक्लीन एच० सी० एन
11.*	विटामिन बी-1 एच० सी० एल०
12.*	विटामिन बी-1 (मोनो)
13.*	विटामिन बी-1 (एम्पलस जी)
14.*	विटामिन बी-2
15.	फोलिक एसिड
16.	सल्फानिलामाइड
17.	सल्फासिटामाइड सोढ़
18.	अनलज़ीन
19.*	पाइपराजाइन एडीपेट
20.*	पाइपराजाइन फोस्फेट
21.*	पाइपराजाइन साइट्रेट
22.	सोडियम पी० ए० एस०
23.	फेनोवारविटोन
24.	फैनोवारविटोन सोडियम
25.	फेनासिटीन
26.	निकोटिनिक एसिड
27.	निसीटिनामाइड
28.	रिवोफ्लेविन फोस्फेट सोडियम
29.*	मेट्रोविडाज़ौल
30.	निट्रोफुवांटन
31.	फेथेलाइल सल्फाथियाज़ोल
32.	ग्रीसोफुलविन
33.*	एमिडोपाइरीन
34.	सल्फाथेनाज़ोल

*आई० डी० पी० एल० द्वारा वितरित कैनेलाइजड बल्क ड्रग्स

हावड़ा-मद्रास डाकगाड़ी के साथ न्यू बोंगाई गांव से सीधा यात्री डिब्बा जोड़ना

207. **श्री वी० एम० सुधीरन :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू बोंगाई गांव से हावड़ा मद्रास डाकगाड़ी के साथ सीधा यात्री डिब्बा जोड़ने का प्रस्ताव है जिससे केरल के यात्रियों को सुविधा हो सके, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारयण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

औषधि कम्पनियों को कच्चे माल का जारी किया जाना

208. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीकासूल और प्रोटीनेक्स के निर्माण के लिए मैसर्स फाइजर को अपेक्षित सरणीकृत कच्चा माल जारी करने में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि मैं० फाइजर ने दोनों मदों का अपनी लाइसेन्स प्राप्त क्षमताओं से बहुत अधिक उत्पादन किया है और सरणीकृत माल की निकासी को क्यों नहीं नियंत्रित किया गया है ; और

(ग) अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए मैं० एबटस को कच्चे माल की निकासी किस आधार पर बन्द की गई थी, क्या विधि मन्त्रालय से परामर्श किया गया था; मैं० फाइजर, होएट, सेण्डोज आदि के मामले में इसी प्रकार के प्रतिबबध क्यों नहीं लगाये गए, जब कि वे लाइसेंसों की शर्तों का उल्लघन कर रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) मैसर्स फाईजर लि० डीजीटीडी की यूनिट है। 1970-71 से 1972-73 अवधि में डी० जी० टी० डी० यूनिटों (मैसर्स फाईजर को शामिल करते हुए) की 15 प्रतिशत की वार्षिक विकास दर के हिसाब से कच्चे माल की बढ़ी हुई मानक रीलीज की गई थी। 1973-74 से 1976-77 में ही डी० टी० डी० की यूनिटों (फाईजर को मिलाकर) पिछले दो वर्षों में किसी एक वर्ष में अधिकतम खपत की सीमा तक अथवा राज्य औषध नियन्त्रण द्वारा स्वीकृत मात्रा जो भी कम हो के मुताबिक रीलीज की गई थी। 1977-78 के लिए यह निर्णय लिया गया था कि डी० जी० टी० डी० यूनिटों को केनेलाइजर कच्चा माल 1976-77 के स्तर तक अथवा उनकी फार्मूलेशनों की लाइसेन्सीकृत क्षमता के आधार पर जो भी अधिक हो वही दी जायेगी।

इस प्रकार डी० जी० टी० डी० की यूनिटों जिसमें मैसर्स फाइजर लि० शामिल है को केनेलाइज्ड कच्चा माल उनके द्वारा उत्पादित हो रहे प्रत्येक फार्मूलेशन की आवश्यकता के अनुसार नहीं रीलीज किया गया था। कुल रीलीज किए गए विभिन्न केन्लाइज्ड कच्चे माल की मदों में से डी० जी० टी० डी० की यूनिट अपने फार्मूलेशनों के लिए स्वीकृत श्रेणी के फार्मूलेश्नों का ही निर्माण करेगी और विशिष्ट फार्मूलेशन की मात्रा में निर्धारित अवधि के दौरान उत्पादित किए गए फार्मूलेशनों में बाजारी मांग के मुताबिक घटा बढ़ा सकती है । इस विचार से डी० जी० टी० डी० की विभिन्न यूनिटें अपनी लाइसेंसीकृत क्षमताओं से अधिक कई फार्मूलेशनों का निर्माण कर पाई। इस प्रकार की स्कीम में बीकासूल्ज और (प्रोटीनेक्स जैसे प्रत्येक औषध फार्मलेशनों के निर्माण में प्रयोग में लाया जाने वाला केनेलाइड कच्चे माल की रीलीज का प्रतिबन्ध न करने का इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मैसर्स अघोट लेबारट्रीज के बारे में उनके लाइसेन्सीकृत क्षमता तक केन्लाइज्ड कच्चे माल की रीलीज को प्रतिबन्धित करने के आधार तथा मैसर्स हैक्सट को कई केनेलाइजड औषधों की रीलीज को नियमित करने की कार्रवाई का स्वरूप 9-5-78 को लोक सभा में पूछे गए अता०: प्रश्न संख्या 9747 के उत्तर में दी गई है। इन मामलों में विधि मन्त्रालय का परामर्श नहीं लिया गया था । मैसर्स फाइजर, मैसर्स सेण्डोज आदि कम्पनियों द्वारा लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करके लाइसेंसीकृत क्षमता से अधिक उत्पादन करने के मामलों पर 29-3-1978 को लोक सभा पटल पर रखे गए हाथी समिति पर सरकार के निर्णयों सम्बधी विवरण-पत्र में दी गई अनूवर्ती कार्रवाई के मुताबिक कारवाई की जानी है।

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन में कर्मचारियों को पदोन्नति

209. **श्री भगत राम :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन के प्रबन्धकों ने श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के द्वारा पदोन्नति सम्बन्धी नीति निर्धारित किए बिना ही अपनी इच्छा के अनुसार अनेक कर्मचारियों की प्रबन्धकीय केडर में पदोन्नति की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) मैसर्स भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमि० (बी० पी० सी० एल०) ने नवनिर्मित बी० पी० सी० एल० के उन वेतनमानों के अनुलिपिकीय/श्रमिक वर्ग के कर्मचारियों में से सही उम्मीदवारों का चयन करके प्रबंध संवर्ग में अनेक पद भरे हैं, जोकि वेतनमान अनुलिपिकीय कर्मचारियों के मामले में घटिया हैं और जो सरकार द्वारा अधिग्रहण से पूर्व विदेशी कम्पनियों द्वारा लागू किए गए थे। यह चयन कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित नीतियों/प्राविधियों के अनुसरण में गठित वरिष्ठ अधिकारियों की प्रवरण समिति द्वारा उन उम्मीदवारों में से च किया गया था जिन्होंने इसके लिए अपनी सेवाए अर्पित कीं।

नार्वे द्वारा तट दूर खुदाई कार्य में सहायता

210. **श्री फतेह सिंह राव गायकवाड़ :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्वे तट दूर खुदाई कार्य में भारत की सहायता करने के लिए सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते का स्वरूप और सीमा (एक्सटेन्ट) क्या है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) नार्वे सरकार के निमंत्रण पर मैंने 29 मई से 3 जून, 1978 तक नार्वे का दौरा किया। मुख्यतः यह एक सद्भावना यात्रा थी। फिर भी नार्वे के पैट्रोलियम और ऊर्जा मन्त्री तथा उद्योग मन्त्री के साथ अपतटीय विकास कार्यक्रम, अपतटीय टेक्नालाजी, रखरखाव पद्धति तथा सम्बद्ध मामलों पर विचार विमर्श किया गया था। उनके तटीय एवं अपतटीय स्थापनाओं पर अपनी आवयकताओं की प्रासंगकिता का मूल्यांकन करने हेतु भी वहां पर इस अवसर से लाभ उठाया गया था। इन चर्चाओं और अवलोकनों के परिणामस्वरूप बहुत से सहयोगों के क्षेत्र का भी पता चल गया था।

रेलवे स्टेशन पोर्टर्स कोओपरेटिव लेबर कांट्रेक्ट सोसायटी लिमिटेड इलाहाबाद के अन्तर्गत पार्सल पोर्टरों को किये गये भुगतान

211. **डा० महादीपक सिंह शाक्य :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान, महीनेवार और स्टेशनवार, अलग अलग स्टेशन आय से मुरादाबाद डिवीजन के जोन संख्या 1 और 4 के अन्तर्गत पड़ने वाले स्टेशनों पर रेलवे स्टेशन पोर्टर्स कोओपरेटिव लेबर कांट्रेक्ट सोसायटी लिमिटेड, इलाहाबाद के अन्तर्गत कार्य कर रहे पार्सल पोर्टरों को किए गए भुगतान का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्टेशन आय से मजदूरों को भुगतान करने सम्बन्धी यह कार्यवाही डिवीजनल सुपरिटेंडेन्ट ने किन परिस्थितियों में की थी जबकि भुगतान करने सम्बन्धी पूरा दायित्व सोसायटी का है; और

(ग) करार को भंग करने के लिए इस सोसायटी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान, क्षेत्र सं० 1 में काम करने वाले पार्सल पोर्टरों को स्टेशन आमदनी से किए गए भुगतानों का विवरण अनुबन्ध क में दिया गया है। क्षेत्र सं० 4 के सम्बन्ध में स्टेशन आमदनी से कोई भुगतान नहीं किया गया।

3—279 LSS/78

(ख) क्षेत्र सं० 1 में, रेलवे स्टेशन पोर्टर्स को आपरेटिव लेबर कंट्रेक्ट सोसायटी इलाहाबाद द्वारा कर्मकारों को भुगतान न किए जाने के कारण प्रमुख नियोजक के रूप में, वरिष्ठ वाणिज्य अधीक्षक, मुरादाबाद द्वारा ठेका श्रमिक (नियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 के खंड, 21 (4) के प्रावधानों और करार की धारा 19 के अन्तर्गत, यह कार्रवाई की गयी।

सहायक श्रम आयुक्त (ग), बरेली ने भी चन्दौसी के श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान न करने का मामला हाथ में ले लिया था, और प्रमुख नियोजक के रूप में, वरिष्ठ वाणिज्य अधीक्षक, मुरादाबाद से भुगतान करने का अनुरोध किया था।

(ग) इस त्रुटि के लिए, दो बार चेतावनी देने के अलावा, इस सोसायटी को दो बार जुर्माना किया गया है।

विवरण

मुरादाबाद मंडल के क्षेत्र सं० 1 में रेलवे स्टेशन पार्सल पोर्टर्स को आपरेटिव लेबर कांट्रेक्ट सोसायटी लि० के पार्सल पोर्टरों को स्टेशन आमदनी से किए गए भुगतान का विवरण

स्टेशन का नाम	मास जिसके लिए भुगतान किया गया	स्टेशन आमदनी से भुगतान की गयी रकम
बालामऊ	अगस्त, 77	1,705.00
संडीला	जुलाई और अगस्त, 77	1,240.00
हरदोई	,,	2,780.00
रामपुर	,,	2,712.00
चन्दौसी	,,	3,472.00
अमरोहा	,,	2,770.00
गजरोला	,,	3,100.00
बुलन्दशहर	,,	1,488.00
हरदोई	सितम्बर, 77	1,350.00
रामपुर .	अक्तूबर, 77	1,271.00
रामपुर	नवम्बर, 77	1,230.00

मैसर्स फाइजर द्वारा आक्सीटेट्सिविलन का उत्पादन

212. **श्री आर० के० अमीन** : क्या **पेट्रोलियम तथा, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स फाइजर अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से कहीं अधिक आक्सीटेटरसाइक्लिन का उत्पादन कर रहे हैं; फाइजर कम्पनी बिना औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किए आक्सीटेटरासाइक्लिन पर आधारित कितने फार्मूलेशन बना रही है; और

(ख) आई० डी० पी० एल० द्वारा इस कम्पनी को किस आधार पर आक्सीटेटरासाइक्लिन की सप्लाई की जाती थी जब कि इस बात की जानकारी थी कि वे अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से कहीं अधिक उत्पादन कर रहे हैं।

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां। मैसर्स फाइजर ने यह दावा किया है कि आक्सीटेट्रासाइक्लीन पर आधारित सभी फार्मूलेशनों का उत्पादन औद्योगिक लाइसेंस या अनुज्ञा पत्रों के अन्तर्गत किया जा रहा है।

(ख) 1976-77 तक आक्सीट्रेटा साइक्लीन एक प्रतिबन्धित औषध थी और 1977-78 में इसे केनेलाइजड किया गया था। उस वर्ष तक आई० डी० पी० एल० द्वारा इस की रीलीज उनके पास भेजी गई

मांग तक स्वीकृत की जाती थी। अक्तूबर, 1977 तक डी० जी० टी० डी० यूनिटों को केन्लाइजड कच्चा माल दिए जाने की नीति यह थी कि उन्हें गत दो वर्षों की अधिकतम खपत के आधार पर या राजकीय औषध नियंत्रक द्वारा सिफारिश की गई मात्रा इन दोनों जो भी कम हो, वह दी जाती थी । अत: यह सुझाव है कि इस यूनिट ने केन्लाइज्ड कच्चे माल की इतनी मात्रा ली जो जिससे उसकी लाइसेंसीकृत क्षमता से उत्पादन अधिक हुआ था। अक्तूबर, 1978 से लेकर डी० जी० टी० डी० यूनिटों को केन्लाइजड कच्चे माल की रीलीज 1976-77 में उन्हें दी गई मात्रा तक या फार्मूलेशन्स के लिये लाइसेंसीकृत क्षमता के अनुसार जो मात्रा बैठती है इन दोनों में जो भी अधिक हो, वह दी जाती है।

मैसर्स फाइजर को भी आक्सीटेट्रीसाइक्लीन उपरोक्त आधार पर दिया गया था।

HOLIDAY EXPRESS TRAINS

†213. SHRI DHARAMASINH BHAI PATEL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether holiday express trains were run during the Summer season from April to July, 1978 and if so, the reasons for not introducing such trains from Porbandar, the birth place of the Father of the Nation, reverend Mahatma Gandhi, to Jetalsar-Rajkot-Viramgam and from Veraval-Ka-shod-Junagadh-Junagadh-Jetalsar Rajkot-Viramgam, where there is the famous Somnath temple, Gir forest, the only place in the country where there are lions; and

(b) whether such holday express trains will be introduced by Government for the places mentioned in part (a) above when these trains are again introduced in the Summer Season from April to July, 1979 and if so, when declaration to this effect will be made ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) and (b) Yes, during the period 20th April to 20th June this year, 36 Summer Specials were run between Viramgam and Jamnagar via Rajkot. No special trains have been run between Porbandar and Viramgam and Veraval and Viramgam for want of sufficient traffic justification. The question of running special trains between these points during the next Summer Season of 1979 will be duly considered having regard to the traffic offering at that time.

TRANSLATION OF RULES IN HINDI

214. SHRI SURENDRA JHA SUMAN : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) the details, of the rules sent to the Ministry so far for translation into Hindi from its attached and subordinate offices;

(b) the number thereof translated so far as also the number thereof printed; and

(c) the action being taken for translation of the remaining rules ?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) There is no such instance.

(b) and (c) Do not arise.

वैगनों की कमी के कारण गेहूं की ढुलाई में रुकावट

215. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने मई, 1978 के अन्त तक सभी राज्यों में भारतीय रेलों द्वारा कुल कितनी मात्रा में गेहूं की ढुलाई की;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि वैगनों की कमी के कारण गेहूं की ढुलाई में रुकावट पैदा हुई; और

(ग) यदि हां, तो किन राज्यों में गेहूं की ढुलाई में रुकावट पैदा हुई ।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) खाद्यान्नों की ढुलाई का कार्यक्रम भारतीय खाद्य निगम से विचार-विमर्श करके पहले से ही तय कर लिया जाता है और अधिमान्य यातायात

अनुसूची के अन्तर्गत 'बी' श्रेणी के माल की ढुलाई को प्राथमिकता दी जाती है। माल की ढुलाई सन्तोषजनक ढंग से हुई है। जनवरी और मई, 1978 के बीच भारतीय खाद्य निगम के लगभग 23 लाख टन गेहूं की ढुलाई की गयी है।

सरणीकृत बल्क औषधियों के बारे में वितरण नियन्त्रण

216. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरणीकृत बल्क औषधियों के बारे में वितरण नियन्त्रण के बारे में सरकारी नीति का ब्यौरा क्या है और क्या यह सच है कि सरणीकृत बल्क औषधियों के सम्पूर्ण स्वदेशी उत्पादन के बारे में वितरण नियंत्रण अनिवार्य है ;

(ख) यदि हां, तो विटामिन ए, एस्परीन और प्रेडनीसोलोन पर वितरण नियंत्रण क्यों लागू किया गया;

(ग) क्या उपर्युक्त तीन औषधों के निर्माण के लिए विभिन्न एककों को सप्लाई में मतभेद किए जाने के बारे में शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) कैन्लइजड औषधों के स्वदेशी उत्पादन का अनिवार्य रूप से विवरण करने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट नीति नहीं निर्धारित की गई है परन्तु उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम 1951 की धारा 18 (जी) के अन्तर्गत सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी वस्तु या वस्तुओं के वर्ग के लिए सप्लाई विवरण और व्यापार को नियमित करने के लिये आदेश जारी करें, यदि उस वस्तु या वस्तुओं के वर्ग की उचित मूल्यों पर विवरण तथा उपलब्धता के लिए ऐसा करना आवश्यक है। यदि केन्लाइड औषधी के स्वदेशी निर्माता केन्लाइजिंग एजेंसियों के वितरण प्रबन्धों का लाभ उठाना चाहते हैं तो वे अपने आपको सम्बद्ध एजेंसी के साथ पंजीकृत करा के बल्क औषध की वह मात्रा बता सकते हैं जोकि वे उनके द्वारा वितरण के लिये उपलब्ध करेंगे। स्वदेश में उत्पादित विटामिन ए तथा प्रेडनीसीलोन व केन्लाइजिंग एजेंसी यानी स्टेट कैमीकल एण्ड फार्मस्यूटिकल्स लि० द्वारा वितरण नियंत्रण नहीं था। विटामिन (ए) केवल 1977-78 में केन्लाइजड किया गया था जबकि प्रेडनीसीलोन दो वर्षों के लिये यानी 1976-77 और 1977-78 में केन्लाइजड किया गया था। ऐसप्रीन को कभी भी केन्लाइज बल्क औषधी कों सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था।

(ग) स्वदेशी निर्माताओं द्वारा विटामिन (ए) तथा प्रोडनीसीलोन की विभिन्न यूनिटों को सप्लाई में भेद भाव के सम्बन्ध में पिछले वर्ष कोई शिकायत नहीं मिली थी। परन्तु एसप्रीन के सम्बन्ध में अनियमित सप्लाई के लिए देश के विभिन्न भागों के विभिन्न यूनिटों से शिकायतें प्राप्त हुई थीं ;

(घ) यहां उल्लिखित सभी तीनों औषधें 1978-79 की आयात नीति में आयात के लिये प्रतिबन्धित सूची में रखी गई हैं।

आसाम में कुकिंग गैस एजेंसियों का आबंटन

217. **श्री अहमद हुसैन :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के विभिन्न शहरों में कुकिंग गैस एजेंसियों के आवंटन के लिये प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्तियों के नाम हैं ; और

(ख) सरकार का विचार उन्हें शीघ्र ही किस प्रकार की एजेंसी देने का है और आसाम जो उत्पादक राज्य है, में कुकिंग गैस की एजेंसियों को देने के लिये क्या नीति अपनाई जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) असम में गैस कनेक्शन पाने के इच्छुक व्यक्तियों और इंडेन गैस के विभिन्न वितरकों के पास अब प्रतीक्षा सूची में पंजीकृत व्यक्तियों की कुल संख्या लगभग 6,000 है।

गैस एजेंसी के आवंटन के लिये कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है और नयी गैस एजेंसीयां देने के लिये तेल कम्पनियों द्वारा दिये गये विज्ञापन के प्रत्युत्तर में भेजे गये आवेदन पत्रों पर विचार किया जाता है।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान इंडियन आयल कार्पोरेशन का गोहाटी में एक नये गैस वितरक को नियुक्त करने का प्रस्ताव है। एजेंसियां प्रदान करने की वर्तमान नीति के अनुसार अखिल भारतीय आधार पर दी जाने वाली वितरण एजेंसियों की 25 प्रतिशत एजेंसियां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लोगों को, 2 प्रतिशत शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों को और बाकी को वाणिज्यिक महत्व के आधार पर दी जाती हैं। इसमें भी उचित उपभोक्ता सहकारी समितियों और कृषि उद्योग निगम को तरजीह दी जाती है। खाना पकाने की गैस की उपलब्धता में 1980 वर्ष से, जब नये उपभोक्ताओं का महत्वपूर्ण स्तर पर पंजीकरण करना संभव हो सकेगा, पर्याप्त रूप मे वृद्धि होने की आशा है।

पेट्रो रसायन उद्योग में अतिरिक्त क्षमता बनाने हेतु अध्ययन करने के लिए कार्यकारी दल

218. **श्री सतीश लाल सिंधा:** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पैट्रो-रसायन उद्योग में अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता का अध्ययन करने के लिये एक कर्मचारी दल नियुक्त किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त दल के सदस्यों के नाम क्या हैं और अध्ययन दल की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां। कार्यकारी दल का हाल ही में पुर्नगठन किया गया है।

(ख) और (ग) पुनर्गठित कार्यकारी दल की संरचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

दल ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

बिबरण

पेट्रोकेमिकल्स पर पुनर्गठित कार्यकारी दल की संरचना निम्नलिखित संस्थाओं के प्रतिनिधि :

1. ब्यूरो आफ इंडस्ट्रियल कास्टस एण्ड प्राइजेज—अध्यक्ष
2. पैट्रोलियम विभाग—सदस्य सचिव
3. वित्त मंत्रालय
   क. योजनागत वित्त
   ख. आर्थिक कार्य विभाग
   ग. व्यय विभाग
4. विकास आयुक्त, लघु उद्योग
5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
6. महानिदेशक, तकनीकी विकास
7. औद्योगिक विकास विभाग (टेक्सटाइल विंग)
8. रसायन और उर्वरक विभाग
9. वाणिज्य मंत्रालय (अर्थ सलाहकार —श्री वी० केलकर)
10. उद्योग मंत्रालय (अर्थ सलाहकार—श्री विमल जालान)
11. इंडियन पैट्रोकेमिकल्स कार्पो० लिमि० (डा० एस० वरदाराजन, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक)
12. भारत पैट्रोलियम कार्पो० लिमि० (श्री आर० एन० भटनागर, अध्यक्ष)
13. नेशनल कैमिकल लैबोरेटरी, पूना (दा० बी० डी० तिलक, निदेशक)
14. इंडियन आयल कार्पो० (श्री सीं० आर० दासगुप्ता, अध्यक्ष)
15. डेवलपमेंट काउंसिल फार आर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्री
16. फैडरेशन आफ एसोसियेशन आफ स्माल इंडस्ट्रीज आफ इंडिया

17. ग्राल इंडिया प्लास्टिक मैनुफैक्चरर्स एसोसियेशन
18. इंडियन प्लास्टिकस फेडरेशन
19. ग्राल इंडिया सिंथेटिक फाइबर मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन
20. एसोसियेशन ग्राफ मैन-मेड फाइबर इंडस्ट्री

जरूरत पड़ने पर निम्नलिखित को ग्रामंत्रित/सहयोजित किया जा सकता है :
निम्नलिखित संस्थाग्रों के प्रतिनिधि :—

1. सिल्क एण्ड ग्रार्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसियेशन
2. दि प्लास्टिक एण्ड रबर इंस्टीट्यूट
3. ग्रध्यक्ष, इंजीनियर्स इंडिया लिमि०
4. निदेशक, सी० ग्राई० पी० ई० टी०

उत्तर बंगाल में तेल तथा प्राकृतिक गैस ग्रायोग द्वारा भूगर्भीय ग्रौर भू-भौतिकीय सवक्षण

219. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन ग्रौर उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बंगाल में तेल तथा प्राकृतिक गैस ग्रायोग द्वारा भूगर्भीय ग्रौर भूभौतिकीय सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में किये गये कार्य का व्यौरा क्या है ग्रौर यह किन किन तारीखों को किया गया है ग्रौर किन किन वैज्ञानिकों ने यह कार्य किया है ग्रौर तत्संबंधी क्षेत्र कितना है ;

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस ग्रायोग के ग्रधिकारियों द्वारा किये गये सर्वेक्षणों के बाद प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन का व्यौरा क्या है ;

(घ) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस ग्रायोग का प्रस्ताव इस क्षेत्र का पुनः सर्वेक्षण करने का है ; ग्रौर

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) ग्रौर (ग) ग्रपेक्षित सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) इस क्षेत्र में वाणिज्यिक स्तर पर हाइड्रोकार्बंस के पाये जाने की संभावना कम समझी जाती है।

विवरण

(ख) भूगर्भीय सर्वेक्षण

क्षेत्र	तारीख	वैज्ञानिक/पार्टी के मुखिया का नाम
(1) बक्सादौर .	1960-61	डी० एन० बसु, भूगर्भीय वेत्ता
(2) फूटहिल्स क्षेत्र दार्जलिंग जिले में मेची नदी ग्रौर जलधाका के बीच . . .	1961-62	एस० गांगुली, भूगर्भीय वेत्ता
(3) दार्जलिंग जिले में धूम ग्रौर तिन्धारिया के बीच क्षेत्र	1966-67	पी० के० चटर्जी, भूगर्भीय वेत्ता
भू-भौतिकी सर्वेक्षण (भकम्पीय)		
(1) कूच बिहार—ग्रलीपुर दौर	1960-61	एस० लिंग्डोह, वैज्ञानिक
(2) पश्चिम दिनाजपुर जिला . .	1961-62	सी० एल० सिंह, भू भौतिकी वेत्ता

भू-भौतिकी सर्वेक्षण (गुरुत्वाकर्षण-व-चुम्बकीय) :

(1) रायगंज गजोल सम्सी	1961-62	एच० चक्रवर्ती और के० जी० सी० राव, भूभौतिकी वेत्ता
(2) माल्दा क्षेत्र . . .	1963-64	के० जी० सी० राव, भूभौतिकी वेत्ता
(ग) भूगर्भीय रिपोर्ट		
(1) बक्सादौर क्षेत्र में काम की प्रगति रिपोर्ट	1960-61	डी० एन० बसु, भूगर्भीय वेत्ता
(2) दार्जलिंग फुटहिल्स क्षेत्र में काम की प्रगति रिपोर्ट	1961-62	एस० गांगुली, भूगर्भीय वेत्ता
(3) तिन्धारिया और धूम के बीच दार्जलिंग जिले में काम की प्रगति रिपोर्ट	1966-67	पी० के० चटर्जी, भूगर्भीय वेत्ता
भू-भौतिकीय रिपोर्ट (भूकम्पीय)		
(1) पश्चिम बंगाल के कूच बिहार—अलीपुर दौर क्षेत्र में परावर्तन भूकम्पीय सर्वेक्षण पर रिपोर्ट	1960-61	एस० लिंग्डोह, भूभौतिकी वेत्ता
(2) बिहार और उत्तर पश्चिम बंगाल में परावर्तन और बिखण्डन सर्वेक्षण पर रिपोर्ट	1961-62	सी० एल० सिंह, भूभौतिकी वेत्ता
भू-भौतिकीय रिपोर्ट (गुरुत्वाकर्षण-व-चुम्बकीय)		
(1) रायगंज गजोल सम्सी चंचल क्षेत्र में गुरुत्व चुम्बकीय सर्वेक्षण पर रिपोर्ट	1961-62	एच० चक्रवर्ती और के० जी० सी० राव, भूभौतिकी वेत्ता
(2) माल्दा संथाल परगना क्षेत्र में गुरुत्व चुम्बकीय सर्वेक्षण पर रिपोर्ट	1963-64	के० जी० सी० राव, भूभौतिकी वेत्ता

मैसर्स स्मिथ स्टेनस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड का उत्पादन

220. **श्री सरत कार**
श्री सुधीर घोषाल } : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स स्मिथ स्टेनस्ट्रीट एण्ड कम्पनी का राष्ट्रीयकरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीयकरण से पहले के उत्पादन की तुलना में इस समय इस एकक के उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्पादन बढ़ाने और प्रसार कार्यक्रम के लिए अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां। अक्तूबर, 1977 से इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था।

(ख) राष्ट्रीयकरण से पूर्व और राष्ट्रीयकरण के पश्चात उत्पादन का महीने वार विवरण निम्न प्रकार है :—

उत्पादन (लाख रु० में)

अवधि	1976/77	1977/78
नवम्बर	37.36	40.65
दिसम्बर	40.64	43.08
जनवरी	44.11	40.90
फरवरी	41.27	36.61
मार्च	44.29	45.34
अप्रैल	31.32	41.31
मई	40.37	48.27
जून	37.61	55.40
	316.97	351.56

(ग) उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाये गए कदमों में उत्पाद मिश्रण को युक्ति संगत करना नए उत्पादों का आरम्भ तकनीकी में विकास आधुनिक प्रबन्ध तकनीकी को युक्तिसंगत बनाना और लागू करना सम्मिलित है। सरकार ने 75.58 लाख रुपये की लागत पर कम्पनी के संशोधन/विस्तार के कार्यक्रम का मार्च, 1978 में अनुमोदन किया था जिससे कि उत्पादन और बढ़ेगा।

औद्योगिक एककों द्वारा अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग

221. **डा० विजय मंडल**: क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत औद्योगिक एककों द्वारा, किए गए उत्पादन का ब्यौरा क्या है तथा उनके द्वारा उपयोग की गई क्षमता की प्रतिशतता क्या है;

(ख) इन एककों द्वारा, एकक बार, क्षमता के बताने के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) **हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि०**

वर्ष	निर्धारित क्षमता	प्राप्त किया गया उत्पादन (टी०पी०ए०)	क्षमता का उपयोग (टी०पी०ए०)
1975-76 . .	71555	54614	76%
1976-77	71555	55980	78%
1977-78	71555	66465	96%

(ख) और (ग) क्षमता के उपयोग में और सुधार करने के लिए कुछ संयंत्रों की समस्याओं को दूर करने और अन्य अनुसंधान संस्थाओं के सहयोग से अनुसंधान और विकास कार्य सहित अनेक उपाय किए गए हैं। अधिकांश उद्यम एक से अधिक उत्पादों के निर्माण में लगे हुए हैं। इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन शेष औद्योगिक एककों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

उर्वरक एककों का उत्पादन

222. **श्री एम० ए० हनान अल हाज**: क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उर्वरक एककों का गत तीन वर्षों का, वर्षवार एवं एकक-वार उत्पादन एवं क्षमता के उपयोग की प्रतिशतता सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में इन एककों की क्षमता बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में उत्पादन में वृद्धि के बावजूद हल्दिया उर्वरक सन्यन्त्र की क्षमता में वृद्धि नहीं की जायेगी; और

(घ) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) गत तीन वर्षों के दौरान नाइट्रोजन और पी०$_2$ ओ०$_5$ का एकक-बार उत्पादन और क्षमता उपयोग को दर्शाने वाले दो विवरण पत्र क्रमशः अनुबन्ध-I, और 2 II में लगे हुए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी० 2398/78]

(ख) वर्तमान उर्वरक एककों की क्षमता में वृद्धि के प्रस्ताव का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरणपत्र अनुबन्ध पर संलग्न है।

(ग) और (घ) हल्दिया उर्वरक योजना अभी चालू नहीं हुई है। फिलहाल हल्दिया में अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

त्रिपुरा में बारामुरा क्षेत्र में ड्रिलिंग

223. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में बारामुरा क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में गैस के निक्षेप मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या बारामुरा क्षेत्र में आगे ड्रिलिंग का कार्य अभी आरम्भ नहीं किया गया है और यदि हां, तो अनुवर्ती कार्यवाही करने में बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) बारामुरा संरचना में आगामी खुदायी कार्य चल रहा है ताकि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इस संरचना में खोदे गए पहले कुएं में पायी गयी गैस की वाणिज्यिक क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके।

समय-सारणियों का पुनरीक्षण

224. **श्री आर० के० महालगी: क्या रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे तथा पश्चिम रेलवे 1 अक्तूबर, 1978 से अपनी समय सारणियों (उपनगरीय रेलवे गाड़ियों सहित) का पुनरीक्षण कर रहे हैं,

(ख) क्या रेलवे विभागों को गत वर्ष बम्बई तथा थाना जिला जैसे निकटवर्ती क्षेत्रों के जनता के प्रतिनिधियों, संस्थानों तथा आम लोगों से इसके लिये अनेक सुझाव प्राप्त हुए थे,

(ग) यदि हां, तो कितने सुझाव प्राप्त हुए थे,

(घ) क्या रेलवे अधिकारियों का विचार इस बारे में रेल उपभोक्ता संघ के लोक प्रतिनिधियों से परामर्श करने का है, और

(ङ) यदि हां, तो उसके स्वरूप तथा प्रणाली का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां, मध्य रेलवे की उपनगरीय समय सारणी को छोड़कर।

(ख) जी हां

(ग) 235

(घ) और (ङ) : रेलवे समय सारणी में परिवर्तनों के बारे में विभिन्न परामर्श समितियों जैसे क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति, क्षेत्रीय समय सारणी समिति, उपनगरीय रेल उपयोग कर्ता परामर्श समिति आदि के माध्यम से जनता के प्रतिनिधियों से जिनमें यात्री संघ भी शामिल है, परामर्श करना एक सामान्य प्रक्रिया है।

BURNING OF NATURAL GAS PRODUCED IN BOMBAY HIGH

225. **SHRI SUKHENDRA SINGH : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :**

(a) whether it is a fact that the natural gas produced from Bombay High was so far burnt in the Sea itself;

(b) whether gas worth about rupees six lakhs was, thus, being destroyed daily unnecessarily; and

(c) if so, the reasons for not so far making any arrangements to save such a huge national wealth from destruction ?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a), (b) and (c) Phases I and II development of Bombay High aimed at early production of oil and, therefore, a tanker storage with single buoy mooring system for loading and unloading of oil was adopted. The laying of the submarine trunk pipeline for the transport of gas from Bombay High field and North Bassein field to Uran as well as the laying of the transfer line from Uran to Trombay was taken up under Phase-III development of Bombay High. In view of this, till the pipelines had been laid, associated gas produced along with oil had to be flared. The laying of the sub-sea pipelines from Bombay High and North Bassein field to Uran as well as the laying of the transfer lines from Uran to Trombay has been completed recently.

Associated gas started flowing through the pipeline from Bombay High to Trombay from 12th July, 1978. Presently, an average quantity of approximately 0.8 million cubic metres per day of gas would be available. To start with the gas is to be used at the Tata Power Station and the Fertilizer plants in Trombay—approximately 0.6 million cubic metres per day of gas would go to Tata Power Station and approximately 0.2 million cubic metres of gas per day will be supplied to the fertilizer plant of Rashtriya Chemicals and Fertilizers at Trombay.

The value of gas flared till now cannot be specified as its value would vary according to the use to which it is put.

LACK OF AMENITIES IN COACHES ATTACHED TO DELHI-ASSAM-TINSUKIA TRAIN

†226. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that coaches attached with Delhi-Assam-Tinsukia train are without proper electricity, windows and lavatory facilities;

(b) whether it has come to notice of Government that a large number of persons get in the first class compartments of this train unauthorisedly, causing great inconvenience to authorised passengers; and

(c) if the reply to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the remedial measures being taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) No. Recent checks carried out indicate no deficiency of window glasses and lavatory facilities. Coaches attached to Delhi-Assam-Tinsukia train are provided with electrical fittings in working order.

(b) A few cases of entry of unauthorised persons into first class compartments have come to the notice of the Railway Administration.

(c) Steps are taken to evict unauthorised persons from the reserved compartments when such cases come to the notice of the staff, or, are reported to them. When deficiencies in electrical equipment and fitting arise (due to acts of vandalism and thefts), attempts are made to make good the same quickly. This train is escorted by electrical staff for carrying out minor repairs on the spot as and when required. Special drives in this regard are also instituted from time to time in the vulnerable sections.

रेलवे वर्कशापों में प्रशिक्षणार्थियों की भर्ती

227. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम :**

श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर की रेलवे वर्कशापों में प्रशिक्षणार्थियों की भर्तियां स्थगित कर देने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) आपात काल से पहले के दिनों में प्रति वर्ष रेलें 4 से 6 हजार तक अप्रेंटिसों को अप्रेंटिस अधि-नियम 1961 के अधीन प्रशिक्षित किया करती थीं और इन प्रशिक्षित अप्रेंटिसों की काफी बड़ी संख्या को रेलों

में ही समाहित कर लिया जाता था। आपात काल के दौरान इनकी भर्ती काफी बढ़ा दी गयी थी जो रेलों की समाहित करने की क्षमता से बहुत अधिक थी। इससे कई समस्यायें पैदा हो गयीं। इसलिए रेल मन्त्रालय ने श्रम मन्त्रालय, जो कि अप्रेंटिस अधिनियम का संचालन करता है, को सुझाव दिया कि वह रेलों को केवल उतने अप्रेंटिस ही भर्ती करने की अनुमति दें जितने अप्रेंटिसों के लिए प्रशिक्षण पूरा हो जाने पर समाहित हो जाने के पर्याप्त अवसर मौजूद हों। श्रम मन्त्रालय की सहमति प्राप्त होने तक अप्रेंटिसों की सभी भर्ती रोक दी गई थी।

औषध उद्योग में बहुराष्ट्रीय फर्मों की संख्या

228. **श्री के० मायातेवर :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) औषध उद्योग में अपेक्षित इक्विटी पूंजी से अधिक पूंजी वाली कितनी बहुराष्ट्रीय फर्में हैं;

(ख) उनकी इक्विटी पूंजी का अंश कम करने के लिए क्या नीति निर्णीत की गई है; और

(ग) वह नीति किस सीमा तक क्रियान्वित की गई है तथा कितनी फर्मों ने अब तक अपेक्षित पूंजी रखने का पालन नहीं किया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) विदेशी मुद्रा निवनयमन अधिनियम 1973 के अन्तर्गत विदेशी कम्पनियों में विदेशी शेयर का अंश कम्पनी की प्रक्रियाओं के अनुसार अधिकतम 74 प्रतिशत या 51. या 40. पर रखा जा सकता है। नई औषध नीति के अनुसार विदेशी कम्पनियों जो केवल फार्मूलेशन्स या बल्क औषधि या दोनों का निर्माण कर रहे हैं जिसके लिए उच्चकोटि की तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता उन्हें अपनी विदेशी सामय पूंजी अब 44 प्रतिशत पर लानी होगी। शेष कम्पनियों के सम्बन्ध में किस स्तर तक वे विदेशी पूंजी रख सकते हैं इसकी जांच फेरा मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार की जायेगी जैसे यह अन्य उद्योगों में लागू होते हैं। जहां तक फार्मूलेशन का उत्पादन करने वाली कम्पनियों का सम्बंध है वित्त मन्त्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक से यह कहा है कि वे ऐसी कम्पनियों को अपनी विदेशी साम्यपूंजी 40 प्रतिशत तक लाने के लिए आदेश दे।

जो कम्पनियां ऐसी बल्क औषधि का उत्पादन कर रही हैं जिसके लिए उच्चतकनीक की आवश्यकता नहीं है उनका पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसमें रसायन एवं उर्वरक विभाग औद्योगिक विकास तकनीकी विकास और विज्ञान तथा टेक्नोलाजी के सचिव होंगे जिन्हें विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त होगी।

नई औषधि नीति के अनुसार वित्त मन्त्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ने सभी औषध कम्पनियों के फरा मामलों का निपटान करने के लिए आवश्यक आंकड़े मांगे हैं। प्रत्येक विदेशी कम्पनी अपनी विदेशी साम्य पूंजी किस स्तर तक रखेगी उसकी जानकारी केवल तभी प्राप्त होगी जब सरकार उनके फेरा प्रार्थना पत्रों पर अन्तिम निर्णय लेगी।

उपरोक्त को विचार में रखते हुए इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि कितनी विदेशी औषध कम्पनियां आवश्यक विदेशी साम्यपूंजी से अधिक के साथ काम कर रही हैं।

CONSTRUCTION OF MATHURA OIL REFINERY

229. SHRI RAMANAND TIWARY : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) the phase in which construction work of Mathura Oil Refinery is going on at present and the time by which its construction will be completed; and

(b) the quantum of petroleum to be refined after its completion and the names of the areas to which it will be supplied ?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) The overall percentage progress made in the construction of the Mathura Refinery Project as on 30-6-78 is 42%. The project is expected to be completed mechanically by end 1979 and commissioned by April, 1980.

(b) The refinery, after its commissioning, is expected to process 6 MTPA of crude oil. It will supply petroleum products to the north-west area comprising parts of Rajasthan and U.P., Delhi, Punjab Haryana, Himachal Pradesh and Jammu & Kashmir.

एक्सप्रैस/डाक गाड़ी सेवाओं में समय की पाबन्दी की स्थिति खराब होना

230. **श्री दीनेन भट्टाचार्य**
श्री नबाब सिंह चौहान } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि
डा० बलदेव प्रकाश

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष के आरम्भ से एक्सप्रेस/डाक गाड़ियों की सेवाओं में समय की पाबन्दी सम्बन्धी स्थिति उल्लेखनीय रूप से खराब हुई है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इस बारे में स्थिति पर विचार किया गया है, और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) से (घ) जनवरी से जून, 1978 तक की अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय पालन के सम्बन्ध में किए गए विश्लेषण से पता चला है कि मार्च, 1978 तक इन गाड़ियों का समय पालन संतोषजनक रहा जबकि बड़ी लाइन पर समय पालन का प्रतिशत 88.8 और 94.6 के बीच और मीटर लाइन पर 90.0 और 96.7 के बीच रहा। लेकिन, अप्रैल और मई, 1978 के महीनों के दौरान व्यापक स्तर पर खतरे की जंजीर खींचने, हौज पाइप सम्बन्ध विच्छेदन, शरारती तत्वों की गतिविधियों, ग्रीष्म की विकट गर्मी, गर्मियों की भीड़ भाड़ को निकासी के लिए, बड़ी संख्या में स्पेशल गाड़ियां चलाने, जनता/कर्मचारी आन्दोलन, आदि के कारण, समय पालन पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

सभी रेलों पर 1-6-1978 से विशेष समय पालन अभियान चलाया गया है और सभी स्तरों पर, गाड़ियों के परिचालन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। परिहार्य विलम्बों पर तुरन्त कार्रवाई की जाती है और गाड़ियों के परिचालन में सुधार लाने के लिए उपचारात्मक/दंडात्मक कार्रवाई की जाती। इस अभियान के परिणामस्वरूप, जून 1978 मास के दौरान गाड़ियों के समय पालन में सुधार हुआ है और आशा की जाती है कि इसी महीने में अभी और सुधार आयेगा।

FACILITIES PROVIDED IN COACHES OF MEERUT SHUTTLE

†231. SHRI AGHAN SINGH THAKUR : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether he is aware that the coaches provided to Meerut Shuttle train are in the worst condition and there are no proper arrangements for fans, light and water therein;

(b) if so, whether Government will provide better coaches having all these facilities; and

(c) if not, whether Government propose to get these coaches inspected by any special officer and provide proper facilities therein ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) It is not a fact that coaches provided on this service are devoid of amenities and not in a good condition.

(b) Does not arise in view of (a).

(c) These Rakes have been inspected by senior officers lately.

Detailed Statement is also appended.

STATEMENT

(a) The coaches of Meerut Shuttle were inspected by senior officials. A number of deficiencies were found in coach fittings. They had occurred primarily due to acts of vandalism and pilferages by anti-social elements.

(b) Proper arrangements for watering of these coaches exist at both Meerut and New Delhi Stations.

(c) The defects noticed on these coaches have been rectified and deficiencies made good. All coaches running on this service have been recently overhauled/repaired.

(d) The staff have been educated in their responsibility for ensuring adequate supply of water in coaches, and proper maintenance fittings like fans, lights etc. Special drives and surprises checks are being conducted regularly to ensure a high standard of maintenance of these rakes.

कम्पनी अधिनियम तथा एकाधिकार एवं निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम पर विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

232. **श्री सोमनाथ चटर्जी**
श्री चित्त बसु
श्री धर्मवीर वशिष्ठ : **क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायमूर्ति राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता वाली उच्च शक्ति प्राप्त विशेषज्ञ समिति ने जो 1956 के कम्पनी अधिनियम तथा एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम, 1969 का पुनरीक्षण कर रही है, सरकार को अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं तो समिति अपना प्रतिवेदन कब तक दे देगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क), (ख) और (ग) नहीं श्रीमान, जी। न्याय मूर्ति श्री राजेन्द्र सच्चर के नेतृत्व में बनी विशेषज्ञ समिति ने सरकार से दो माह के समय विस्तार क अर्थात् 31 अगस्त, 1978 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये प्रार्थना की है और कथित प्रार्थना विचाराधीन है ।

आरक्षण तथा टिकटों की बिक्री के मामले में जालसाजी

233. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या रेल मंत्री **यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय रेलवे में आरक्षण और टिकटों की बिक्री के मामले में बड़े पैमाने पर व्याप्त जालसाजी की जानकारी है,

(ख) क्या सरकार को पता है कि रेल के बुकिंग कर्मचारियों की सांठ-गांठ के बिना यह जालसाजी सम्भव नहीं है,

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर 'हां' हो तो सरकार ने अपने ही कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करके इस बुराई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है, और

(घ) क्या सरकार ने इस गिरोह का पता लगाने के लिये दिल्ली में हाल ही में कोई अभियान आरम्भ किया है जिसमें बहुत सी गिरफ्तारियां की गई हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) अनधिकृत एजेंटों, टाउटों तथा अन्य असामाजिक तत्वों द्वारा रेल आरक्षणों की चोरबाजारी के मामले रेल प्रशासन के नोटिस में आये हैं।

(ख) यद्यपि, ऐसे मामले भी हो सकते हैं जिनमें बुकिंग कर्मचारी आरक्षित टिकटों की चोर बाजारी में अन्तर्ग्रस्त रहे हों, तथापि टाउट और असामाजिक तत्व फर्जी नामों पर टिकट खरीद लेते हैं और फिर उन टिकटो को इच्छुक यात्रियों के हाथ, बुकिंग कर्मचारी की मिली-भगत के बिना लाभ पर बेच देते हैं।

(ग) जहां कहीं रेलवे कर्मचारी आरक्षण में अनियमितताएं और कदाचारों में अन्तर्ग्रस्त पाये जाते हैं, पूरी तरह जांच-पड़ताल की जाती है और उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध नियमित विभागीय कारवाई की जाती है। ऐसे कर्मचारियों को ऐसी सीटों पर जहां जनता से लेनदेन न होता हो, तैनात किये जाने के प्रश्न पर भी विचार किया जाता है।

(घ) जी हां। पूरे भारत में और दिल्ली क्षेत्र में एक विशेष अभियान चलाया गया है। 15-11-77 से 30-6-1978 तक की अवधि के दौरान 124 रेल कर्मचारी विभिन्न अनियमितताओं/कदाचार में अन्तर्ग्रस्त पाये गये। इसके अलावा, इस अवधि में 28 टाउट और 298 ऐसे व्यक्ति पकड़े गये जो अनारक्षित स्थान को तौलिया आदि बिछाकर घेर लेते थे। उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया है।

फार्मूलेशनों से 'लीडर प्रोडक्ट' का चयन करने का मापदण्ड

234. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 29 मार्च, 1978 को सभा पटल पर रखे गए विवरण के अनुसार श्रेणी एक और श्रेणी दो में फार्मूलेशनों से 'लीडर प्रोडक्ट' का चयन करने का मापदण्ड क्या है;

(ख) यदि इसका मूल्य अधिक है और अन्य अपना मूल्य नहीं बढ़ा रहे हैं तो 'लीडर प्रोडक्ट' निर्धारित करने का औचित्य क्या है; और

(ग) कुछ औषधियों पर से मूल्य सम्बन्धी नियन्त्रण हटाने या उनका मूल्य चयनात्मक बनाने का औचित्य क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) नई मूल्य निर्धारित नीति में यह व्यवस्था की गई है कि I और II श्रेणी के फार्मूलेशनों के मूल्य प्रमुख कार्यकुशल निर्माताओं के समान चिकित्सीय प्रभाव के लीडर प्रोडेक्ट के उत्पादन मिश्रण के आधार पर तय किये जायगे और ये मूल्य उस वर्ग के अन्य फार्मूलेशन निर्माताओं के लिये अधिकतम सीमा होंगे।

(ख) एक वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के लिये I और II श्रेणी के फार्मूलेशन के मूल्य जहां है वहां रोके जायेंगे और लीडर का मूल्य अधिकतम सीमा रहेंगे। जहां किसी एक निर्माता के इन फार्मूलेशन के मूल्य अधिकतम सीमा से कम है तो इसमें किसी वृद्धि की स्वीकृति नहीं दी जायेगी और जहां किसी एक निर्माता के विद्यमान मूल्य अतिकतम सीमा से अधिक है तो ऐसे निर्माताओं को अपने मूल्य लीडर स्तर तक घटाने होंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि इक वर्ष की प्रारम्भिक अवधि में मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं होगी और जहां I और II श्रेणी के फार्मूलेशन के मूल्य लीडर मूल्यों से अधिक है तो उन्हें लीडर मूल्य के स्तर पर लाया जायेगा जिससे इन फार्मूलेशनों के उपभोक्ताओं को मूल्यों में कुछ राहत मिलेगी।

(ग) नई मूल्य निर्धारण नीति में ग्रेडेड मार्का की व्यवस्था की गई है। जबकि I और II श्रेणी के फार्मूलेशनों पर मार्का क्रमशः 40 प्रतिशत और 55 प्रतिशत III श्रेणी के फार्मूलेशनों पर मार्का 100 प्रतिशत तक हो सकता है और श्रेणी IV के फार्मूलेशन पर कोई मूल्य नियन्त्रण नहीं होगा। यह इसलिये किया गया है ताकि श्रेणी I और II के अधिक महत्वपूर्ण फार्मूलेशन्स जन साधारण को उचित मूल्यों पर उपलब्ध हों। इन दो श्रेणियों के लिये मार्का का कम रखा गया है। अपने समस्त कार्य पर निर्माता उचित प्रतिपारित श्रेणी-III और IV के फार्मूलेशन पर अधिक लाभ के द्वारा कर सकते हैं।

पश्चिमी तट पर प्रस्तावित उर्वरक संयंत्र की स्थापना के बारे में अन्तिम निर्णय

235. **श्री एफ० एच० मोहसिन : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी तट पर 500 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्र की स्थापना के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है;

(ख) इसकी स्थापना के लिये किन-किन वैकल्पिक स्थानों के नामों पर विचार किया जा रहा है;

(ग) इन प्रस्तावों, गुण-दोषों, का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस बारे में महाराष्ट्र सरकार का क्या विचार है;

(ङ) वातावरण सम्बन्धी आयोजना और समन्वय के बारे में राष्ट्रीय समिति ने क्या राय व्यक्त की है; और

(च) ठीक स्थान का कब तक अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (च) उचित स्थल का चयन करने के विचार से बम्बई हाई से प्राप्त गैस पर आधारित बड़े पैमाने का एक उर्वरक प्लांट स्थापित करने के लिये विभिन्न संभव स्थलों पर वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के जांच करने के लिये विज्ञान एवं टकनालोजी विभाग ने बी० ए० आर० सी० ट्राम्बे के रसायय समूह के निदेशक डा० ए० के० गान्गुली की अध्यक्षता में वातावरण सम्बन्धी आयोजना एवं समंजन पर राष्ट्रीय समिति का एक कार्यकारी दल नियुक्त किया था । इस कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 1978 में प्रस्तुत की थी जिसमें यह प्रायोजना तारापुर में स्थापित करने के लिये सिफारिश की गई थी परन्तु चूंकि महाराष्ट्र सरकार तारापुर स्थल के पक्ष में नहीं थी इसलिये कार्यकारी दल से बम्बई के दक्षिण में महाराष्ट्र सरकार द्वारा सुझाये गये कुछ अन्य स्थलों में वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करने के लिये पुनः अनुरोध किया था ।

महाराष्ट्र सरकार ने निम्न स्थलों का सुझाव दिया था :—

1. थाल वेशेट
2. असरकुणे
3. सोगांव
4. बडावली
5. दिवी पारंगी

कार्य कारी दल ने अपनी रिपोर्ट 31-5-1978 को प्रस्तुत की थी और उन्होंने असर, सोगांव, बडावली तथा दिवीपारंगी को उर्वरक प्रायोजना के स्थल के लिये अनुचित ठहराया था कार्यकारी दल ने एक बार फिर मंडवा तथा थाल वेशेट की तुलना में तारापुर को उचित स्थल बताया है।

द्वितीय रिपोर्ट को ध्यान पूर्वक जांच करने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने उर्वरक प्रयोजना थाल-वेशेट में स्थापित करने की सिफारिश की है।

कार्यकारी दल की सिफारिशों तथा राज्य सरकार के विचार को ध्यान में रखते हुए सरकार इस प्रायोजना के स्थल के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय ले लेगी।

रेलवे कैरिज वर्क्स, पैरम्बूर में आग

236. **श्री ओ० वी० अलगेशन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे कैरिज वर्क्स, पैराम्बूर दक्षिण रेलवे में 26 मई, 1978 को लगी आग की घटना के क्या कारण हैं, और

(ज) इस दुर्घटना के कारण कितनी हानि हुई।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) आग लगने का कारण एक अथवा अनेक व्यक्तियों द्वारा आगजनी की कार्रवाई था, जैसा कि प्रशासनिक अधिकारियों की समिति ने निष्कर्ष निकाला है, परन्तु उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर किसी की पहचान नहीं हो सकी।

(ख) समिति के मूल्यांकन के अनुसार इस दुर्घटना से लगभग 11,10,465/- रु० की हानि हुई।

पश्चिम बंगाल में खुदाई कार्य के बारे में शिकायतें

237. **श्री चित्त बसु :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन, और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में तेल के लिये खुदाई कार्य के बारे में कार्यकुशलता तोड़फोड़ आदि के बारे में हाल में सरकार को अनेक ज्ञापन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) जी हां।

(ख) मामले की जांच की जा रही है।

दक्षिण को जाने वाली गाड़ियों का लूटा जाना

238. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच महीनों के दौरान दक्षिण की ओर जाने वाली कितनी गाड़ियों को डाकुओं तथा समाज-विरोधी तत्वों द्वारा लूटा गया और इस अवधि में लूट तथा चोरियों की कितनी घटनायें हुई;

(ख) क्या गत मास दक्षिण की ओर जाने वाली गाड़ियों के यात्रियों में इस आतंक के कारण बड़ी संख्या में आरक्षण रद्द किये जाने के समाचार मिले हैं, और

(ग) क्या सरकार को लूटपाट रोकने के लिये दक्षिण की ओर जाने वाली गाड़ियों में सशस्त्र रक्षकों की व्यवस्था के लिये अनुरोध प्राप्त हुए हैं, अथवा सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) पिछले पांच महीनों में दक्षिण को जाने वाली चार यात्री गाड़ियां लूटी गयी थीं, उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. 16-5-78 को 03.30 बजे जब 132 अप जयन्ती जनता एक्सप्रेस महाराष्ट्र राज्य में मध्य रेलवे के नरखेड़ी और नागपुर के बीच चल रही थी, चार अपराधियों ने पिस्तोल दिखाकर 3- टियर के यात्रियों को लूटा था । 1543 रुपये की सम्पत्ति लूटी गयी थी, पुलिस ने चार अपराधियों को गिरफ्तार किया था ।

2. 30-5-78 को 1.30 बजे जब 131 डाउन जयन्ती जनता एक्सप्रेस मध्य प्रदेश में मध्य रेलवे के बुदनी और मिदघाट स्टेशनों के बीच चल रही थी, 3-टियर यान में यात्रा कर रहे कुछ यात्रियों को पिस्तौल दिखाकर उनकी सम्पत्ति लूटी गयी थी जिसका मूल्य 50,000 रुपये बताया गया था, इस मामले में समूची सम्पत्ति बरामद कर ली गयी और सरकारी रेलवे पुलिस, भोपाल ने चार अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है

3. 9-6-78 को 03.30 बजे मध्य प्रदेश में मध्य रेलवे पर सांची के निकट 131 डाउन जयन्ती जनता एक्सप्रैस म 3-टियर यान में 8 से 10 अज्ञात अपराधियों ने तीन यात्रियों का समान लूटा था जिसकी कीमत 6000 रु० बतायी गयी। सरकारी रेलवे पुलिस, भोपाल ने चार अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले म 1000 रु० मूल्य की सम्पत्ति बरामद कर ली है।

4. 12-6-78 को, मध्य प्रदेश में मध्य रेलवें के मोहासा और वीना स्टेशनों के बीच 16 अप जी टी एक्सप्रेस में 3-टियर यान में 5 अपराधियों ने यात्रियों का सामान लूटा जिसकी कीमत 36000 रुपये बतायी जाती है । सरकारी रेलवे पुलिस, भोपाल ने अब तक चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है और 12,000 रुपये मूल्य की सम्पत्ति बरामद कर ली है।

(ख) जी नहीं।

(ग) दक्षिण को जाने वाली सभी प्रभावित गाड़ियों में सशस्त्र पुलिस द्वारा गश्त लगायी जा रही है । दक्षिण को जाने वाली सभी गाड़ियों में सशस्त्र रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी भी तैनात कर दिये गये हैं।

बम्बई हाई की गैस पर आधारित महाराष्ट्र में उर्वरक संयंत्र

239. **श्री अण्णासाहिब गोटखिण्डे :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र राज्य में इस बढ़ती हुई भावना की जानकारी है कि राज्य को बम्बई हाई की गैस पर आधारित प्रस्तावित उर्वरक संयंत्र परियोजना से वंचित रखा जा रहा है;

(ख) क्या राज्य सरकार के विचारों को ध्यान में रखा जा रहा है और उससे उक्त मामले पर निर्णय के लिये सहयोग करने के लिये कहा जा रहा है ;

(ग) क्या राज्य के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े कोंकण क्षेत्र में स्थित कुलावा जिले में उक्त परियोजनायें स्थापित करने के बारे में अन्तिम निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (घ) मूल प्रस्ताव के अनुसार रेवास में बड़े पैमाने का एक उर्वरक प्लांट लगाने का वहां के स्थानीय निवासियों तथा बम्बई के निवासियों जिन्होंने अपने आप को "बम्बई बचाओ समिति" में संगठित किया है कड़ा विरोध किया है। उनके विरोध का प्रमुख कारण यह है कि इससे बम्बई तथा नये बम्बई क्षेत्र में संभवत: प्रदूषण का खतरा बढ़ेगा और किसान भी विस्थापित होंगे। इस बीच प्रस्तावित प्रायोजना का विभिन्न संभव स्थलों पर वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करने के एन० सी० ई० पी० सी० के कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। एन० सी० ई० पी० सी० कार्यकारी दल की सिफारिशें तथा राज्य सरकार के विचार को ध्यान में रख कर प्रायोजना के स्थल के सम्बन्ध में सरकार शीघ्र निर्णय ले लेगी।

INSANITARY CONDITIONS IN HOWRAH STATION

240. SHRI LAXMAN RAO MANKAR : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether insanitary conditions are created at Howrah Station of South Eastern Railway as a result of unloading of fish at this station;

(b) whether arrangements have been made for removing the dirt immediately so that the passengers are not put to inconvenience; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) No.

(b) and (c). Sometimes during summer, due to insufficient ice in the fish baskets or for other reasons fish in decayed condition is received and unloaded. Special measures are taken in order to keep the platform area clean and free from odour. A special squad of safaiwalas is deployed during the summer season. Arrangements are made to dump the decaying fish in selected trenching grounds far off from the Howrah station. A constant watch is kept to maintain proper sanitation and cleanliness in Howrah station area.

सरकारी निदेशकों वाली गैर-सरकारी कम्पनियों का कार्यकरण

241. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कि कुछ गैर सरकारी कम्पनियों के निदेशक मंडलों में सरकारी निदेशकों की नियुक्ति उनके कार्यकरण में सुधार लाने में सहायक सिद्ध हुई है;

(ख) यदि हां तो सरकार ने किन कम्पनियों में अपने निदेशक नियुक्त किये हैं और इन कम्पनियों के कार्यकरण में सुधार लाने में इन निदेशकों का क्या योगदान रहा है ;

(ग) क्या सरकार का और अधिक कम्पनियों में अपने निदेशक नियुक्त करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) कम्पनी के कार्य कलापों को इस प्रकार से संचालित करने, जिससे कि वे इसके किसी सदस्य के लिये उत्पीडनकारी हों, अथवा जिससे कि वे कम्पनी के हितों के या जनहित के विरुद्ध हों, से रोकने के लिये प्राइवेट कम्पनियों में, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 के अन्तर्गत सरकारी मनोनीत नियुक्त किये जाते हैं। 1-1-1973 से निम्नांकित कम्पनियों में सरकारी निदेशक नियुक्त किये गये हैं :—

1. आन्ध्र प्रभा प्राइवेट लि०, विजयवाड़ा
2. बेलापुर शुगर एण्ड अलाईड इन्डस्ट्रीज, लि० बम्बई।
3. त्बर्ड एण्ड कम्पनी लि०, कलकत्ता।
4. ग्रेट ईस्टर्न लि०, कलकत्ता।
5. नासिक देवलाली इलैक्ट्रिक, सप्लाई कं० लि०
6. नेशनल रेयन कारपोरेशन लि०।

7. पूना इलैक्ट्रीकल एण्ड इन्डस्ट्रीयल कम्पनी लि०, बम्बई।
8. श्री चांग देव शुगर मिल्स लि०, बम्बई।
9. श्री सुदर्शन टेडिंग कम्पनी, लि०, कालीकट ।
10. शा वालेस एण्ड कम्पनी लि०, कलकत्ता।
11. स्वदेशी काटन मिल्स, लि०, कानपुर ।
12. त्रिसूर इंडिया, लि०, बम्बई ।
13. अर्बन इम्प्रूवमेंट कम्पनी प्रा० लि०, नई दिल्ली ।
14. डब्ल्यू० एच० ब्राडी एण्ड कम्पनी लि०, बम्बई ।

तथापि, उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाओं/उद्योग (विकास० एवं विनियम) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिग्रहण कर लिये जाने, के परिणाम स्वरूप, ऊपर क्रम संख्या (5), (7), (8), (9) तथा (11) पर वर्णित कम्पनियों के बारे में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 के अन्तर्गत आदेश प्रभावी नहीं हो सके। अन्य कम्पनियों के कार्यकलापों में सरकार के मनोनीत निदेशकों की उपस्थायिकता के अंतर्गत सुधार हुये हैं।

सरकारी निदेशकों द्वारा निर्वाहित भूमिका की बाबत, वे कम्पनी के हितों तथा जनहित के लिये कार्य करते हैं तथा यह सुनिश्चय करते हैं कि वे विचार धारायें जिनके लिये, सरकार ने धारा 408 के अंतर्गत उनको निदेशकों के रूप में नियुक्त किया था, यथा संभव सीमा तक प्राप्त हो जाय।

(ग) तथा (घ): जैसे वे जब भी इस प्रकार के मामले सरकार की सूचना में आने पर, कम्पनी अधिनियम 1956 के उपबन्धों के अनुसार समुचित कार्यवाही की जायेगी।

COMPENSATION CLAIMED FOR LOSS OF GOODS ON RAILWAYS

†242. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the amount paid by the Railways, (Zone-wise) against the claims for loss of goods during the years, 1975-76, 1976-77 and 1977-78;

(b) whether it is a fact that the thefts in the goods trains are made in collusion with the Railway Protection Force;

(c) whether it is possible to set up an administrative machinery to keep a vigil on the Railway Protection Force itself; and

(d) whether responsibility is fixed when a case of claim for compensation is received and if so, the procedure adopted therefor and if not, whether Government will consider the question of fixing such responsibility ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) A statement is attached.

(b) and (c). Adequate checks are carried out by Supervisory Officials. The Vigilance Organisations in the Railways also exercise vigil over erring Railway Protection Force staff. There is, therefore, no need to set-up any other machinery to keep vigil on the Railway Protection Force.

(d) Yes. The staff responsibility is fixed when enquiries reveal negligence or misconduct of the staff resulting in loss or damage to consignments. Appropriate punishment is awarded by the competent authority after proper scrutiny and as per discipline and appeal rules. Deterrent action is taken against the staff found responsible for repeated irregularities.

STATEMENT

(Amount in Lakhs)

Railway	1975-76	1976-77	1977-78
Central	149·31	124·22	133·08
Eastern	382·85	340·05	374·53
Northern	177·08	157·05	195·11
North-Eastern	75·03	53·81	39·96
Northeast-Frontier	153·08	162·02	138·84
Southern	119·04	87·52	76·65
South-Central	96·47	82·59	89·86
South-Eastern	169·30	200·79	224·97
Western	203·19	147·47	150·84
Total	1525·35	1355·52	1423·84

18-7-1978 को लोक सभा में डा० रामजी सिंह द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न 242 के उत्तर के भाग (क) से सम्बन्धित विवरण।

(लाख रुपयों में)

रेलवे	1975-76	1976-77	1977-78
मध्य	149.31	124.22	133.03
पूर्व . .	382.85	340.05	374.58
उत्तर .	177.08	157.05	195.11
पूर्वोत्तर	75.03	53.81	39.96
पूर्वोत्तर सीमा	153.08	162.02	138.84
दक्षिण . .	119.04	87.52	76.65
दक्षिण मध्य . .	96.47	82.59	89.86
दक्षिण पूर्व .	169.30	200.79	224.97
पश्चिम	203.19	147.47	150.84
जोड़	1525.35	1355.52	1423.84

मुख्तारनामा अधिनियम के बारे में विधि आयोग की सिफारिशें

243. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**
श्री जी० एम० बनतवाला } : क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने कुछ समय पूर्व भारत सरकार से सिफारिश की थी कि वर्तमान मुख्तारनामा अधिनियम के स्थान पर नई विधि बनाई जाए और यह सुझाव दिया था कि इस दृष्टि से कि उच्चतम न्यायालय में केवल ऐसी दाण्डिक अपीलें आए जिनके साथ उच्च न्यायालय का यह प्रमाण पत्र हो कि उन मामलों में महत्वपूर्ण विधि-प्रश्न जुड़े हुए हैं, संविधान के अनुच्छेद 134 (1) (ग) का संशोधन किया जाए और उसने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति आयु और पेंशन के संम्बंध में भी सिफारिशें की थीं; और

(ख) क्या सरकार ने अब इन सिफारिशों पर विचार कर लिया है और यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) भारत के विधि आयोग की 68 वीं रिपोर्ट मुख्तारनामा अधिनियम, 1882 के विषय में है। आयोग ने सुझाव दिया है कि कुछ परिवर्तन करके पुराने अधिनियम के स्थान पर एक नया अधिनियम बनाया जाए। इस रिपोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में होने वाली दांडिक अपीलों को निर्बन्धित करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 134 (1) (ग) में संशोधन करने की या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु और पेंशन के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की गई है। संविधान के अनुच्छेद 134(1) (ग) में संशोधन करने और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति आयु और पेंशन के संबंध में विधि आयोग ने अपनी 58वीं रिपोर्ट में जो "उच्चतर न्यायपालिका की संरचना और अधिकारिता" के विषय में है, सिफारिशें की हैं।

(ख) 58वीं रिपोर्ट के संबंध में अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। मुख्तारनामा अधिनियम के संबंध में विधि आयोग ने अपनी 68वीं रिपोर्ट में जो सिफारिशें की है उनके संबंध में कार्यवाही की जा रही है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2399/78]**

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, चंडीगढ़ द्वारा जारी की गई स्मारिकाओं में बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि० द्वारा दिए विज्ञापन।

244. **श्री सुशील कुमार धारा :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1975 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा जारी की गई स्मारिकाओं में विज्ञापन हेतु बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड-पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड जो एक सरकार उपक्रम हैं, द्वारा 10,000/- रु० खर्च किए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह उचित और कानूनी है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) कम्पनी कार्य विभाग से परामर्श कर के इस मामले की जांच की जा रही है।

(ग) कम्पनी कार्य विभाग की सलाह मिलने के बाद इस पर विचार किया जायेगा।

बाराबंकी से समस्तीपुर रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

245. **श्रीमती मोहसिना किदवाई :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाराबंकी में समस्तीपुर रेलवे लाइन को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलने का कार्य जो आरम्भ किया गया था वह पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है; और

(ग) उक्त परियोजना के लिए कितनी राशि मंजूर की गई थी और उक्त कार्य पर इस बीच कितनी राशि व्यय की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) से (ग) समस्तीपुर से बाराबंकी तक आमान-परिवर्तन के कुल काम का 56 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और समूची बकाया परियोजना को वर्ष 1980 तक पूरा करने और चालू किए जाने का कार्यक्रम निश्चित किया गया है। नवीनतम प्राक्कलनों के अनुसार इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 69 करोड़ रुपये है। मार्च, 1978 तक, इस परियोजना पर 39.57 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। आमान-परिवर्तन के इस कार्य को उच्च प्राथमिकता दी गयी है और चालू वर्ष में इसके लिए 12.97 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

LOOTING OF PASSENGERS OF JAYANTI JANATA EXPRESS

†246. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA
DR. LAXMINARAYAN PANDEYA } : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether some dacoits looted passengers in Jayanti Janata Express train near Bhopal on 9th June, 1978;

(b) if so, the total number of passengers whose property was looted indicating the value thereof and the number of passengers injured; and

(c) the action taken by Government against those dacoits ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes.

(b) Six passengers were looted of their belongings and cash alleged to be worth Rs. 6,000/-. Four passengers received minor injuries at the hands of the criminals.

(c) A case was registered by Government Railway Police, Bhopal on Crime No. 447/78 under Section 395 and 307/IPC. The Government Railway Police have arrested 4 criminals in this case and recovered part of the stolen properties worth Rs. 1,000/-.

REINSTATEMENT OF EMPLOYEES REMOVED FROM SERVICE DURING EMERGENCY

†247. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that despite the notification issued by the Ministry and despite the assurance given by him, many employees, who were removed from service during the emergency, have not been reinstated so far; and

(b) if so, their number and the time by which they will be reinstated ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) and (b). All the 24 Railway employees, who were removed/dismissed/ compulsorily retired from service during the Emergency due to their association with the banned organisations or on other political considerations, have been taken back. In the case of those, who were removed/dismissed from service under special powers vested in the competent authority under Rule 14(ii) of Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968, or who were compulsorily retired from service during the Emergency, the assurance given was that their cases would reviewed in order to see if any injustice had been done. As a result of these reviews, out of about 1540 employees removed/dismissed from service, 1208 have been taken back and the balance cannot be taken back as these include, besides cases of un-authorised absence, cases of serious mis-conduct, criminal offences, court cases etc.

CONSTRUCTION OF MANMAD-NARDANA AND NASIK ROAD-BALSAD NEW RAILWAY LINES

†248. SHRI HARI SHANKAR MAHALE : Will the Minister of RAILWAYS pleased to state :

(a) whether the people of Balsad Peth, Nasik Road, Manmad, Malegaon and Nardana have been demanding for a long time the construction of Manmad-Malegaon-Nardana and Nasik Road-Peth-Balsad two railway lines; ..

(b) if so, the details of proposals submitted, so far; and

(c) when these proposals are likely to materialise ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) and (b). Several representations have been received for the construction of Manmad-Nardana and Nasik Road-Valsad railway lines.

(c) It will not be possible to consider the construction of these lines at present due to constraint of resources. The representationists have been advised accordingly.

PRICES OF KEROSENE

249. SHRI RAMJI LAL SUMAN : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether different prices of kerosene oil are prevailing in different parts of the country;

(b) if so, whether Government propose to fix fair price thereof in consultation with State Governments; and

(c) whether he is fulfilling the assurance given by him while presenting the budget of his Ministry in Lok Sabha ?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) Yes Sir. This is due to varying rates of transportation and local charges, sales tax, octroi etc.

(b) Retail prices are, in fact, fixed by State Governments/Union Territory Administrations under the provisions of the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Order 1970, issued under the Essential Commodities Act 1955 (No. 10 of 1955).

(c) A scheme is being worked out in consultation with the State Governments/Union Territory Administrations and the oil companies.

औषधों के मूल्य में कमी

250. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक नया लागत ढांचा तैयार करके दवाओं और आवश्यक औषधियों के मूल्य कम करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके अन्तर्गत की जाने वाली औषधियों की नई पद्धति की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से यह अपील की है कि वे जीवन रक्षक दवाओं एवं आवश्यक औषधियों पर किसी बिक्री कर कम कर दें, और यदि हां, तो कौन से राज्यों ने दवाओं पर बिक्री कर कम कर दिया है अथवा कम करने को सहमत हो गए हैं?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री : (क) और (ख) : नई मूल्य निर्धारण नीति के अधीन श्रेणी I, II और III के अन्तर्गत आने वाले फार्मूलेशनों को ग्रेड मार्का तथा उनकी तुलना में श्रेणी I, II, के फार्मूलेशनों को कम मार्का दिए जाने की व्यवस्था है। श्रेणी 4 के अन्तर्गत आने वाले फार्मूलेशन पर मूल्य नियन्त्रण नहीं होगा। प्रस्तावित सुव्यवस्थाधिकरण से व्यक्तिगत फार्मूलेशन के मूल्यों में परिवर्तन हो सकता है। स्कीम आवश्यक फार्मूलेशन जनता को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराये जाते हैं। तथा उसी समय पूर्ण रूप से निर्माताओं के लिए फार्मूलेशनों का निर्माण अलाभप्रद ढंग से नहीं है, को भी सुनिश्चित करेगी।

(ग) वित्त मन्त्री जी ने 26 मई 1978 को राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को औषध और फार्मूलेशनों पर विक्रय कर तथा चुंगी को शीघ्र से शीघ्र हटाने के लिए कार्रवाई करने के लिए लिखा है। कई राज्य सरकारों द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावों की जांच की जा रही है, तथा अन्यों से उत्तर की प्रतिक्षा है।

कुलाबा जिले, महाराष्ट्र में बम्बई हाई गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना का सुझाव

251. **श्री डी० बी० पाटिल :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने सुझाव दिया है कि महाराष्ट्र में स्थापित किए जाने वाला उर्वरक संन्यन्त्र कुलाबा जिले में स्थापित किया जाना चाहिए;

(ख) क्या यह सच है कि 22 जून, 1978 को एक सर्वसम्मत संकल्प के द्वारा महाराष्ट्र विधान सभा और परिषद ने सिफारिश की है कि यह सन्यन्त्र कुलाबा जिले के स्थापित किया जायेगा और साथ ही इसके लिए स्थल का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त अनुरोध के बारे में भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (हैमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) जी, हां। महाराष्ट्र विधान सभा ने 21-6-78 को सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि बम्बई हाई गैस पर आधारित प्रस्तावित खाद कारखाने को दक्षिण बम्बई में कोलाबा जिले के अलीबाग तालुक में थारु वैसेट पर स्थापित किया जाना चाहिए (न कि रेवास में)। एन० सी० ई० पी० सी० के एक कार्यदल ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है उन्हें यह अनुरोध किया गया था कि वे थाल-वैसेट सहित अनेक संभावित स्थानों पर खाद कारखाना लगाने से वहां के वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करें। कार्यदल की सिफारिशों और महाराष्ट्र सरकार के विचारों को ध्यान में रखते हुए सरकार शीघ्र ही स्थान के बारे में निर्णय करेगी।

CONSTRUCTION OF NEW SHED AT NANDED STATION

252. SHRI KESHAVRAO DHONDGE : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether construction of the other side of the new shed at Nanded railway station in Maharashtra has since been completed;

(b) whether a demand has been made for raising the level of the new platform to the level of other platform as it is at ground level; and

(c) if so, the action taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Presumably, the reference is to the new passenger shelter on the second Platform at Nanded station. A 31 metre long Platform Shelter has already been provided on the Platform No. 2, in the year 1975.

(b) and (c) Platform No. 2 is a rail level platform. There have been demands for raising the level of this platform. A proposal to include the work of raising the level of this platform in Railway's works programme for 1979-80 was placed before the Railway Users Amenities Committee but this was not approved by them.

रेलवे में आरक्षण के मामले में कदाचार

253. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में आरक्षण के मामले में व्याप्त घोर भ्रष्टाचार तथा कदाचार सम्बन्धी शिकायतों की ओर सरकार का ध्यान गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और रेलवे में ऐसी असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) (क) रेलवे आरक्षणों में भ्रष्टाचार एव कदाचार की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

विवरण

(ख) शिकायतें प्राय: निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं :—

(1) आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए गैर-कानूनी रूप से रिश्वत की मांग करना;

(2) प्रतीक्षा-सूची की परवाह किए बिना बारी से पहले आरक्षण करना;

(3) निश्चित आरक्षण होने पर भी यात्रियों को आरक्षण प्रदान न करके तंग करना; तथा

(4) समाज विरोधी तत्वों द्वारा रेल कर्मचारियों के साथ साठ-गांठ करके अथवा अलग से पर टिकटों की बिक्री इत्यादि।

कदाचार का पता लगाने और रेलवे टिकटों की चोर बाजारी रोकने में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) सभी स्टेशनों पर सभी गाड़ियों के लिए अग्रिम आरक्षण की मियाद छ: मास कर दी गयी है ताकि समाज-विरोधी तत्वों द्वारा स्थान न घेरा जा सके और सदाशयी यात्रियों को रेल यात्राओं की अग्रिम योजना बनाने के लिए अपेक्षाकृत अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें।

(2) यातायात की निकासी के लिए महत्वपूर्ण मार्गों पर नयी गाड़ियां चलाकर, वर्तमान गाड़ियों में और अधिक डिब्बे लगाकर, उनके चालन-क्षेत्र बढ़ाकर, सप्ताह में एक बार/दो बार चलने वाली गाड़ियों के फेरों में वृद्धि करके तथा छुट्टी-स्पेशल गाड़ियां चलाकर मांग और आपूर्ति के बीच के अन्तर को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(3) अतिरिक्त यातायात को सम्हालने के लिए अतिरिक्त टिकट खिड़कियां और आरक्षण काउन्टर खोले गए हैं और आरक्षण कार्यालयों का काम करने का समय बढ़ा दिया गया है।

(4) आरक्षण प्रबन्धों को सुचारु बना दिया गया है और महत्वपूर्ण स्थलों पर कड़ा पर्यवेक्षण रखा जाता है।

(5) आरक्षण के मामले में कदाचार में लिप्त समाज विरोधी तत्वों और रेल कर्मचारियों को खोज निकालने के लिए धोखाधड़ी विरोधी दस्तों, सतर्कता संगठन, सरकारी रेलवे पुलिस तथा रेलवे सुरक्षा दल की मदद से जांच-कार्य तेज कर दिए गए हैं। स्थिति में सुधार लाने के लिए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती है। जहां कहीं सम्भव होता है, सी० बी० आई० की मदद भी ली जाती है।

(6) समाज विरोधी तत्वों की भ्रष्ट तथा अनियमित गतिविधियों पर लगातार नजर रखने और उनकी गतिविधियों की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई करने और कारगर कदम उठाने के लिए रेल प्रशासनों को आगाह कर दिया गया है।

(7) पहले महानगरों से शुरु करके बड़े-बड़े बुकिंग कार्यालयों में आरक्षण/बुकिंग क्लर्क और पर्यवेक्षकों के रूप में केवल महिलाओं को रखने के बारे में कार्रवाई की जा रही है।

तात्कालिक प्रभाव के लिए, रेलवे बोर्ड के नियन्त्रण में काम करने वाले निरीक्षकों का एक विशेष दस्ता गठित किया गया है और प्रमुख आरक्षण कार्यालयों और चलती गाड़ियों में जांच करने/छापे मारने का काम तेज करने के लिए एक जोरदार अभियान चलाया गया है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय रेलों को ऐसी हिदायतें भी जारी की गयी हैं कि सतर्कता संगठन और धोखाधड़ी विरोधी दस्ते, सी० बी० आई० और स्थानीय पुलिस की मदद लेकर, जांच करने और छापे मारने के काम को तेज करें। आरक्षण में व्याप्त भ्रष्टाचार और कदाचार को रोकने के लिए चलाया गया विशेष अभियान काफी हद तक कारगर सिद्ध हुआ है क्योंकि टिकट जांच और आरक्षण कर्मचारी समझने लगे हैं कि उनकी गतिविधियों पर निगाह रखी जा रही है।

पुलिस की सहायता से स्टेशन परिसरों से असामाजिक तत्वों के हटा दिए जाने और हस्तान्तरित टिकटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों की जांच करने पर विशेष जोर देने की कार्रवाई दलालों और अनधिकृत यात्रा एजेंटों की गतिविधियों को काफी हद तक रोकने में कारगर सिद्ध हुई है।

OPERATION OF RAILWAY STEAMERS

†255. SHRI RAMDEO SINGH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the number of railway steamers being operated in Ganga River between Mahendru Ghat and Pehleja Ghat on the N. E. Railway;

(b) the expenditure incurred by the Railway Department for their repairs during 1976-77 and 1977-78 and the number of days the steamers were kept under repairs; and

(c) whether there is a steamer of the British period which has no fans and no proper sitting arrangements as a result of which the passengers have to face great inconvenience and the officers have to travel generally by the same steamer; and

(d) if so, whether Government propose to replace this steamer?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Four.

(b) Total expenditure for repair of craft at Mahendrughat and Palazeghat was Rs. 21,14,047/- in 1976-77 and Rs. 16,04,901/- (provisional) in 1977-78. Steamers were under repair for other-than-schedule maintenance for 62 and 76 days respectively in 1976-77 and 1977-78.

(c) There is an old Steamer but it has Fans amenities and suitable sitting arrangements similar to those provided on later steamers purchased in 1950. Passengers do not have to face any special inconvenience in travelling on this steamer.

(d) There is no plan for replacement of this Steamer at present.

LATE RUNNING OF TRAINS ON N.E. RAILWAY

†256. SHRI RAMDHARI SHASTRI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether he is aware that almost all the trains of the N. E. Railway particularly the Vaishali Express, Janata and GL trains have been running late by 5-6 hours during the last two months;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the remedial measures being taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) and (b). The punctuality performance of Mail/Express trains running on B. G. portion of N-E Railway has been satisfactory during the months of May and June, 1978. The performance of M. G. trains was, however, not satisfactory during this period. The performance of M. G. trains was affected due to heavy incidence of alarm chain pulling, disconnection of hose-pipes, snatching of tokens by miscreants, public agitations, signal and telecommunication failure on account of theft of wire, extreme summer heat, loco losses, etc.

(c) In order to improve the running of trains, a special punctuality drive has been launched. Coaching Emergency Cell has been set up on the Railway manned by Officers and Senior Staff on a round-the-clock shift basis and the running of trains is being watched closely. Avoidable detentions are taken up immediately and punitive/preventive steps taken to improve the punctuality of trains. Liaison is being maintained with the concerned State Governments to arrest the incidence of alarm chain pulling and hose-pipe disconnection by miscreants.

WOMEN IN RESERVATION COUNTERS

†257. CHAUDHURY BALBIR SINGH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether in order to root out corruption Government have decided to post women in place of men in reservation counters;

(b) if so, the places where female employees have been posted in place of male employees in reservation counters; and

(c) the steps being taken to post the female employees soon in rest of the places and the time by which female employees will be posted in all the places so as to root out corruption from Railways ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes.

(b) and (c). To begin with, it is proposed to employ women as reservation clerks in the Reservation Offices in the Metropolitan cities. The Railway Administrations concerned are holding selections from serving women employees. Simultaneously action is also being taken to recruit women candidates from the open market. It is expected that the women reservation clerks will be in position at the Reservation counters by 1-10-1978.

ग्रायल इंडिया द्वारा महा नदी बेसिन में तट दूर एकत्र किये गये समुद्री सर्वेक्षण संबंधी ग्रांकड़ों पर कार्य करने के बारे में करार

258. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन ग्रौर उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रायल इंडिया द्वारा महा नदी बेसिन में तट दूर एकत्र किए गए समुद्री सर्वेक्षण सम्बन्धी ग्रांकड़ों पर कार्य करने के बारे में हाल ही में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) करार की शर्तें क्या हैं ग्रौर इसमें भारत को किस सीमा तक लाभ होगा ?

पेट्रोलियम, रसायन ग्रौर उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) ग्रौर (ग) महानदी बेसीन के ग्रपतटीय क्षेत्र के 12,000 वर्ग कि० मी० में ग्रो० ग्राई० एल० द्वारा एकत्रित भूभौतिकीय सागरीय ग्रांकड़ों की समीक्षा करने के लिए सिंगापुर में मैसर्स डिजीकन नीदरलैण्ड बी० पी० के प्रोन्नत संगणक केन्द्र की सेवायें प्राप्त करने के लिए एक करार किया गया है। इस ठेके की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) डिजीकन ग्रायल इंडिया के 3,000 कि० मी० भूकम्पीय सर्वेक्षण के लिए भूकम्पीय ग्रभिलेखा खण्ड का उत्पादन करेगी।

(2) डिजीकन ग्रायल इंडिया लिमि० के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए विस्तृत विशिष्ट मानदण्डों के ग्रनुसार वह उनकी पूर्ण तुष्टि के लिए काम करेगी।

(3) यह कार्य डिजीकन के अनुभवी तथा पूर्ण रूपेण अर्हता प्राप्त कर्मचारियों द्वारा तथा अपेक्षित ध्यान और परिश्रम के साथ किया जायेगा।

(5) आयल इंडिया द्वारा (ओ० आई० एल०) भेजे गए सभी आंकड़ों को डिजीकन गुप्त एवं सुरक्षित रखेगी।

डिजीकन की पेशकश सबसे कम थी और तकनीकी रूप से स्वीकार्य थी। इस ठेके से आयल इंडिया लिमि० इस क्षेत्र में अपने और अधिक अन्वेषण कार्यों को बढ़ा सकेगा।

दिल्ली-आगरा सैक्शन का विद्युतीकरण

259. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या रेल मन्त्री दिल्ली-आगरा रेलमार्ग का विद्युतीकरण करने के बारे में 21 फरवरी 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस मामले में निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि नहीं; तो उस के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) भारतीय रेलों पर बिजली और डीजल कर्षणों की सापेक्षिक प्राथिकता का पुनर्मूल्यांकन करने और भविष्य के लिए विद्युतीकरण का दीर्घावधि कार्यक्रम तैयार करने के लिए दिसम्बर, 1977 में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रेल मन्त्रालय और योजना आयोग में इस समिति की सिफारिशों की जांच कर लिए जाने के उपरान्त ही, दिल्ली-झांसी खंड जो कि दिल्ली-आगरा खंड इसी का एक भाग है, के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किया जायेगा।

कुकिंग गैस का विपणन करने के लिये नये इंजन

260. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इस वर्ष तीन लाख अतिरिक्त ग्राहकों को कुकिंग गैस का विपणन करने के लिए कुछ और नई एजेंसियां बनाने की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और कितने स्थानों पर ये नई एजेंसियां बनाये जाने का विचार है?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) निर्धारित सीमाओं के आधार पर वर्तमान वितरण एजेन्सियों के पुनर्गठन और तीन लाख ग्राहकों को पंजीकृत करने के लिए अतिरिक्त खाना पकाने की गैस के विपणन पर विचार करते हुए देश के विभिन्न भागों में 62 स्थानों पर 87 नई एजेन्सियां खोले जाने का प्रस्ताव है। इन एजेन्सियों को खोलने से संबंधित प्रगति के आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जायेंगे।

COMPARATIVE FIGURES OF PUNCTUALITY OF TRAINS AND ACCIDENTS

†261. SHRI MRITYUNJAY PRASAD : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the comparative statement in respect of observance of punctuality and casual accidents of trains for the period 1st April, 1976 and 30 June, 1977 and 1st April, 1977 to 30th June, 1978 indicating the seriousness, causes and other dates in respect of accidents as well as the remedial measures taken; and

(b) the number of complaints received from passengers about the repairs and maintenance of trains during the period from 1st April, 1978 to 30th June, 1978 as against the number of complaints received during the corresponding period of last year and the nature of complaints received?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

[Placed in Library. See No. L.T. 2400/78]

(b) There have been 81 complaints from the passengers during the period April to June, 1978 as against 92 complaints received during the corresponding period of last year. The complaints pertain to inadequate cleanliness, non-availability of water, malfunctioning of bath room fittings, windows, fans, Air conditioning equipment and non-availability of lights or dim lighting.

रेलगाड़ियों में डकैतियों की रोक-थाम के लिये राज्य सरकारों का दायित्व

262. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने उनके राज्यों में होकर गुजरने वाली चलती रेल गाड़ियों में डकैतियों को रोकने का दायित्व लेने से इनकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

CHAIN PULLING CASES

†263. SHRI RAGHAVJI :Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of alarm chain pulling cases in passengers trains in 1975-76, 1976-77 and 1977-78 separately;

(b) the number of cases each year in which the causes for pulling alarm chains were genuine and the number of cases, out of the remaining ones, in which the amount of fine from alarm chain pullers was realized; and

(c) whether the attention of railway administration has been drawn to gross misuse of alarm chain and if so, the action taken or proposed to be taken in future to check it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) and (b).

Year	Total No. of cases of Alarm chain pulling in passenger trains.	No. of cases in which Alarm chain pulling was justified.	No. of cases in which Alarm chain pulling un-justified.	Amount of fine realized from persons apprehended
1975-76 . . .	162771	5350	157421	Rs. 7469·35
1976-77	68002	4841	63161	Rs. 5848·50
1977-78 . . .	102627	4128	98499	Rs. 10996·00

(c) The following steps have been taken by the Railway Administration to curb this evil :—

1. Posting of plain clothed TTEs and Railway Proteciton Force/Government Railway Police personnel in trains;
2. Conducting surprise checks by anti-alarm chain pulling squads, consisting of TTEs and Railway Protection Force personnel;
3. Surprise ambush checks at places noted for unauthorised chain pulling;
4. Educative campaigns in press, through posters, cinema slides etc. and by announcements on the Public Address System at important stations;
5. Offering of rewards to those apprehending alarm chain pullers;
6. Blanking off of alarm chain apparatus on selected tarins in vulnerable areas.

The drives to combat the menace of unauthorised pulling of alarm chain by anti-social elements have been intensified with the cooperation of local civil and police authorities. Close liaison is being maintained with State Governments to curb the activities of these anti-social elements.

श्रोषधि फार्मूलेशनों के छोटे पैकों के मूल्य निर्धारण के लिये स्वीकृति

264. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यह निर्णय किया है कि सभी औषधी निर्माताओं को उन औषधि फार्मूलेशनों के छोटे पैकों के मूल्य-निर्धारण के लिए भी मंजूरी लेनी चाहिए जो सरकार द्वारा स्वीकृत बड़े पैकों का भाग होते हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी समीक्षा की है कि इस निर्णय को किस सीमा तक क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) केन्द्रीय सरकार ने 12 जून 1978 को प्रेस नोट द्वारा स्पष्ट किया था कि व्यावहारिक कठिनाइयों से बचने के लिए निर्माताओं को फार्मूलेशनों के बड़े पैकों के लिए जिनके लिए उन्होंने पहले ही मूल्य निर्धारण की स्वीकृति ले ली है के अतिरिक्त फुटकर विक्रय के लिए फार्मूलेशनों के न्यूनतम पैकों के मूल्य निर्धारण सम्बन्धी स्वीकृति ले लेनी चाहिए।

(ख) और (ग) : स्पष्टीकरण अभी हाल में जारी किया गया है। स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए कई संख्या में आवेदनपत्रों के लिए न्यूनतम फुटकर पैकों के लिए पहले ही मूल्य निर्धारण स्वीकृतियां जारी की गई हैं न्यूनतम फुटकर पैकों के मूल्य निर्धारण स्वीकृति सम्बन्धी और आवेदनपत्र प्राप्त किए जा रहे हैं।

त्रिवेन्द्रम से तिरुनेलवेली तक बड़ी लाइन

265. **श्रीमती अहिल्य पी० रांगनेकर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम से बरास्ता नगरकोयल तिरुनेलवेली तक नई बड़ी लाइन बिछाने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) यह निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नरायण) : (क) इस परियोजना की पूरी लम्बाई में मिट्टी का काम और पुलों के निर्माण के कार्य में पर्याप्त प्रगति हुई है और यह काम पूरा होने वाला है। तिरुवनन्तपुरम-नागर कोइल खण्ड पर रेल पटरी को जोड़ने का काम भी हाथ में ले लिया गया है और कुल मिलाकर लगभग 60 प्रतिशत काम हो चुका है।

(ख) तिरुवनतपुरम-नागर कोइल-कन्याकुमारी खंड पर निर्माण कार्य मार्च 1979 तक तथा नागर कोइल तिरुनेलवेली खंड अप्रैल, 1980 तक पूरा हो जायेगा बशर्ते पर्याप्त मात्रा में धन सुलभ होता रहे।

हावड़ा-दिल्ली तूफान एक्सप्रेस में सशस्त्र डकैती में रेल अटेन्डेन्ट की मृत्यु

266. **श्री के० प्रधानी;** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कीथम और रुनकुता स्टेशनों के बीच सशस्त्र बदमाशों का मुकाबला करते समय 23 मई, 1978 को हावड़ा-दिल्ली तूफान एक्सप्रेस के प्रथम श्रेणी के डिब्बे के एक अटेन्डेन्ट की हत्या कर दी गई थी और कलक्टर को छुरे से घायल कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यात्रियों तथा रेल कमचारियों की सुरक्षा के लिए इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नरायण) : (क) और (ख) जी हां। उत्तर प्रदेश में मध्य रेलवे के राजा-की-मंडी स्टेशन पर 22-5-1978 को लगभग 14.30 बजे चार व्यक्ति पहले दर्जे के डिब्बे में सवार हुए। चल टिकट परीक्षक और डिब्बा परिचर ने उनसे टिकट मांगे जिसके फलस्वरूप कहा सुनी हो गयी। उन्होंने चल टिकट परीक्षक को छुरा घोंप दिया और डिब्बा परिचर पर गोली चला दी। डिब्बा परिचर की मृत्यु हो गयी और चल टिकट परीक्षक चाकू लगने से घायल हो गया। उसके बाद उन्होंने नौ यात्रियों से 2,500 रु० की कीमत की नकदी आभूषण और व्यक्तिगत सामान की लूट-पाट की थी और उत्तर प्रदेश में मध्य रेलवे के आगरा-मथुरा खंड में कुनकुटा और कीथम स्टेशनों के बीच गाड़ी से उतर गए। उत्तर प्रदेश की सरकारी रेलवे पुलिस ने लोहा मंडी आगरा के निवासी संदिग्ध व्यक्ति ऐनुदीन के घर की तलाशी ली और एक पिस्तौल, एक रिवाल्वर (दोनों देशी) दो पुराने ट्राजिस्टर, टुकड़ों में एक चूड़ी, एक सोने की अंगूठी और दो घड़िया बरामद की थी, उन्होंने ऐनुदीन की रखेल को गिरफ्तार किया था। पुलिस एनुदीन और इस मामले के अन्य फरार अपराधियों की जोर-शोर से ढूंढ़ कर रही है।

सरकारी रेलवे पुलिस इस खंड में सभी रात्रि गाड़ियों में गश्त लगा रही है। (2) रेल सम्पत्ति की चोरी की रोकथाम करने के लिए रात्रि के दौरान इस खंड में गाड़ियों में सशस्त्र रेलवे सुरक्षा दल की भी व्यवस्था की गई है। वे यात्रियों और रेल कर्मचारियों में आत्म विश्वास भी पैदा करेंगे और गाड़ियों में कार्रवाई करने से अपराधियों की रोकथाम करेंगे।

(3) कीथम रेलवे स्टेशन की अचानक जांच पड़ताल करने और गश्त लगाने का काम रेलवे सुरक्षा दल और सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा रात्रि में सयुक्त रूप से किया जा रहा है।

INCLUSION OF RIGHT TO WORK IN CONSTITUTION

†267. SHRI RAM VILAS PASWAN : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government propose to include right to work in the list of fundamental rights given in the Constitution of India;

(b) if so, whether Government propose to provide unemployment allowance to the unemployed; and

(c) if not, whether the age limit for entering Government service will be raised to 55 years ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) : (a) There is no such proposal under the consideration of the Government at this stage.

(b) Does not arise.

(c) No. Sir.

पैट्रोल के साथ अलकोहल मिलाने का प्रस्ताव

268. **श्री बालासाहिब विखेपाटिल** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मोटर वाहनों को चलाने के लिए पैट्रोल के साथ अलकोहल मिलाने की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इससे देश में पैट्रोल की उपभोक्ता कीमत में कितनी कमी होगी?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) और (ख) : पावर अल्कोहल सीमित मात्रा में माटर स्पिरिट (पैट्रोल) के साथ ईंधन के रूप में समुचित ब्लेण्ड के रूप में पैट्रोल इंजिन में उपयोग किया जा सकता है। फिर भी क्योंकि अल्कोहल का पहले से ही सम्भरण भंडार के रूप में कार्बनिक रासायनिक उद्योग में उपयोग किया जा रहा है अतः पैट्रोल के साथ मिलाने के लिए इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने से अल्कोहल आधारित रासायनिक उद्योग को एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा।

DISPOSAL OF INCREASING NUMBER OF CASES IN COUNTRY

†269. SHRI SHARAD YADAV: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the number of cases in the High Courts are increasing;

(b) if so, the steps being taken by Government for their quick disposal;

(c) whether the number of High Court judges is proposed to be increased; and

(d) if not, the intention of Government in this regard and the alternative arrangements to be made to dispose of the increasing number of cases?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is attached.

(c) The Judge strength is being increased in the High Courts in respect of which proposals are received. Since 1-4-1977, the strength has been increased by 20 Judges.

(d) Does not arise.

STATEMENT

(b) The following steps have been taken to speed up the disposal of cases:—

(i) A substantial number of vacancies in the High Courts have been filled up. Initiative has been taken by the Central Government to call for proposals from the State Authorities/Chief Justice and wherever required reminders have been issued to the concerned State Authorities/Chief Justices. During the period from 1st April, 1977 to 15th July, 1978, as many as 66 fresh appointments have been made.

(ii) The Judge strengths have also been increased since 1-4-1977 in the High Court in respect of which proposals were received. This increase has been made in the following High Courts from the dates the posts are filled up:

Name of the High Court	Increased by	
	Pmt.	Addl.
Allahabad	—	6
Madhya Pradesh	—	6
Karnataka	1	3
Himachal Pradesh	—	1
Patna	—	3
Total	1	19

(iii) Letters have been addressed to the Bar Councils and Bar Associations of various States requesting them for cooperation and also for suggestions for speedy disposal of cases.

(iv) The Law Commission have been requested to suggest suitable measures to tackle the general problem of arrears. They are seized of the matter.

पश्चिम बंगाल में नई रेलवे लाइनें

270. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये पश्चिम बंगाल में नई रेलवे लाइनों के निर्माण और विद्यमान लाइनों के विस्तार संबंधी कितने प्रस्ताव उनके मंत्रालय के पास विचाराधीन पड़े हुए हैं ;

(ख) प्रत्येक प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार से पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित 12 नयी रेलवे लाइनों के निर्माण के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से प्रत्येक की वर्तमान स्थिति नीचे दी गयी है :—

1. **हवड़ा-आमता-चम्पा डांगा**—काम प्रगति पर है। इस परियोजना पर अब तक लगभग 90 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं और इसके लिए चालू वित्त वर्ष में 90 लाख रुपये के खर्च की व्यवस्था की गयी है।

2. **हवड़ा-शियाखला**—यह एक अनुमोदित परियोजना है। धन की सीमित मात्रा में उपलब्धता के कारण यह निर्माण कार्य अभी तक शुरु नहीं किया गया है।

3. **कल्याणी से कल्याणी टाउन शिप** : यह परियोजना 1978-79 के बजट में शामिल कर ली गयी है और इस काम को शुरु कर दिया गया है।

4. केनिंग-गोलाबारी

5. लक्ष्मीकान्तपुर-का द्वीप

6. हसनाबाद-हतगाछा (प्रताप दित्यनगर)

7. केनिंग-हतगाछा

8. **सोनापुर-धमखली**—संसाधनों की कमी और यातायात की सीमित सम्भावना को देखते हुए, फिलहाल इन लाइनों का निर्माण शुरु करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

9. **बजबज-नामखाना**—अन्तिम मार्ग-निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है।

10. **बाकुंड़ा-रानीगंज**—इस परियोजना का सर्वेक्षण, जो पश्चिम बंगाल की लागत पर शुरु किया गया था, पूरा कर लिया गया है। परियोजना की ब्यौरेवार रिपोर्टें और अनुमान पश्चिम बंगाल सरकार को भेज दिये गये हैं। इस लाइन के निर्माण के बारे में आगे विचार पश्चिम बंगाल की सरकार की टिप्पणी प्राप्त हो जाने के बाद ही किया जायेगा।

11. **दोमोहानी-चंगरा बंधा**—सर्वेक्षण-कार्य प्रगति पर है।

12. **माल्दा-बालुरघाट**—संसाधनों की कमी और यातायात की सीमित सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए, फिलहाल, इस लाइन का निर्माण शुरु करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बंगलौर में रेलवे के पहिये और एक्सल बनाने वाले संयंत्र के बारे में प्रगति

271. **श्री के० राममूर्ति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर में भारतीय रेलवे के पहिये और एक्सल बनाने वाले संयंत्र की स्थापना के बारे में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इसके लिए कतनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी और इसे किस प्रकार पूरा किया जायेगा ; और

(ग) क्या इस संयंत्र के लिये तकनीकी जानकारी हेतु किसी देश से सहयोग करने की आवश्यकता है और यदि हां, तो किस देश से और कम्पनी का नाम क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) सरकार ने येलहंका (बेंगलूर) में 38.39 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से भारतीय रेलों का पहिया और धुरा संयंत्र स्थापित करने का विनिश्चय किया है। इसके लिए सिविल इंजीनियरी के काम किये जा रहे हैं।

(ख) इसके लिए अपेक्षित कुल विदेशी मुद्रा की राशि अनुमानतः 11.58 करोड़ होगी जिसकी पूर्ति अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण लेकर की जायेगी।

(ग) पहियों के निर्माण की अपेक्षित तकनीकी जानकारी के अन्तरण के लिए संयुक्त राज्य अमरीका की फर्म मैसर्स एमस्टेड इण्डस्ट्रीज इंड० से सहयोग लिया गया है। जहां तक धुरों का सम्बन्ध है, अभी निर्णय लिया जाना है।

कर्नाटक के लिए रेल सेवा आयोग

272. **श्री ए० के० कोत्राशेट्टी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के लिए रेल सेवा आयोग स्थापित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) रेल सेवा में विभिन्न पदों के लिए गत पांच वर्षों के दौरान कर्नाटक से कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं और राज्य में से नियुक्त व्यक्तियों की संख्या का वर्ष-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) रेल सेवा आयोग द्वारा प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या के आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते हैं।

त्रिवेन्द्रम में रेलवे डिवीजन

273. **श्री एम० एन० गोबिन्दन नायर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में रेलवे डिवीजन स्थापित करने के बारे में सरकार ने अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने क्रियान्वयन के लिए कोई निर्माण-कार्य प्रारम्भ किया गया है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण):(क) से (ग) यह विनिश्चय किया गया है कि तिरुवन्तपुरम में मुख्यलय सहित दक्षिण रेलवे की बड़ी लाइन का एक सम्पूर्ण मंडल बनाया जाये। इस निर्णय की घोषणा के बाद, प्रस्तावित नये मंडल में मंगलूर-एर्णाकुलम खंड को शामिल करने के विरोध में उत्तरी मालाबार कोचीन और ओलवक्कोड क्षेत्रों के विभिन्न हितों के लोगों के कई अभ्यावेदन मिले। प्रस्तावित मंडल के घटाये गये किलोमीटरों को ध्यान में रखते हुए, यदि मंगलूर-एर्णाकुलम खंड को निकाल दिया जाता है, तो पहले कदम के रूप में, बाद में यह विनिश्चय किया गया कि तिरुवनन्तपुरम-कन्याकुमारी-तिरुनेलवेली बड़ी लाइन के सम्पूर्ण खंड को केवल एक यातायात मंडल बनाने का औचित्य है, जिसे जल्दी ही सम्पूर्ण मंडल के रूप में विकसित कर दिया जायेगा जबकि इसे छोड़ने के लिए बड़ी लाइन का पर्याप्त औचित्य हो जायेगा। चूंकि इस योजना का अच्छी तरह सामान्य रूप से स्वागत भी नहीं किया गया, केरल के मुख्य मंत्री से अनुरोध किया गया है कि वे उस क्षेत्र के सभी सम्बन्धित लोगों से विचार विमर्श करें ताकि एक स्वीकृत विकल्प ढूंढा जा सके। केरल के मुख्य मंत्री का उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

विदेशी औषध कम्पनी द्वारा नई औषध नीति का अनुसरण

274. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विदेशी औषध कम्पनी ने सरकार द्वारा इस वर्ष घोषित नई औषध नीति का अनुसरण करने के लिये कदम उठाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा उन्होंने क्या कदम उठाये हैं ;

(ग) क्या उन कम्पनियों को जिन्होंने ऐसे कदम ही उठाये हैं देश छोड़ कर चले जाने को कहा गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) जहां तक विदेशी कम्पनियों का सम्बन्ध है, नई औषध नीति द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ (क) अधिक उत्पादन को नियमित करना तथा (ख) विस्तार तथा नये लाइसेंसों के लिये कसौटी सम्बन्धी मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। जहां तक अधिक उत्पादन के नियमित करने का सम्बन्ध है, कम्पनियों को विस्तृत आंकड़े देने के लिये कहा गया है जिसके आधार पर उपयुक्त निर्णय लिये जायेंग। जहां तक लाइसेंस देने का सवाल है, नई नीति में दिये गये निर्णयों को सरकार द्वारा कार्यान्वियन किया जा रहा है

(ग) और (घ) फेरा के उपयुक्त उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, नई औषध नीति के अनुसार निर्णय भी प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के गुण-दोषों के आधार पर लिया जायेगा। औषध और भेषज उद्योग के बारे में, नई औषध नीति में दिये गये निर्णयों में से एक यह है कि विदेशी कम्पनियों जो केवल मात्र फार्मूलेशनों अथवा बल्क औषधों में जिनमें उच्च तकनीकी अथवा दोनों नहीं हैं, का निर्माण कर रही है, को अपनी विदेशी साम्य पूंजी शीघ्र ही 40% तक घटाने को कहा जाना चाहिये केवल मात्र फार्मूलेशन्स निर्माण करने वाली कम्पनियों को पहचाना गया है। तथा अर्थिक मामले के विभाग/रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा उनको निर्देशों के जारी किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। जहां तक बल्क औषध जिनमें उच्च तकनीक नहीं है, के निर्माण करने वाली कम्पनियों के पहचान का सवाल है, इस कार्य को करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, मामले निर्णय तथा प्रत्येक मामले में निणय इस समिति के निष्कर्शों के आधार पर गुण-दोषों के अनुसार लिये जायेंगे ।

निःशुल्क यात्रा करने वाले रक्षा कर्मचारी

275. **श्री पी० राजगोपाल नायडु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा कमचारी रेलगाड़ियों में निःशुल्क यात्रा करते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रक्षा विभाग का सामान रेल गाड़ियों में निःशुल्क ले जाया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो रक्षा विभाग के कर्मचारियों और माल के यातायात के लिये रेलवे को प्रतिवर्ष कितनी राशि देय है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे में आरक्षण करने के बारे में शिकायतों की जांच करने के लिए दल

276. **श्री सी० के० जाफर शारीफ :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में आरक्षण करने के बारे में विशेष शिकायतों की जांच और निरीक्षण करने हेतु सतर्कता निदेशक के मार्ग निर्देशन में कोई विशेष दल बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) और (ख) जी हां, रेलवे बोर्ड कार्यालय में दस निरीक्षकों का एक अस्थायों विशेष दस्ता बनाया गया है। इस दस्ते ने 31-5-1978 से काम करना शुरु कर दिया है और इससे बुकिंग और आरक्षण कार्यालयों तथा चलती गाड़ियों में जांच करने/छापे मारने और साथ ही सीटों/शायिकाओं के आरक्षण में कदाचार/भ्रष्टाचार के बारे में विशिष्ट शिकायतों तथा अन्य प्रकार के कदाचार की जांच करने का काम लिया जाता है ।

दक्षिण जाने वाली रेलगाड़ियों में डकैतियां

277. **श्री के० ए० राजन**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया } : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दक्षिण जाने वाली रेलगाड़ियों में हाल की डकैतियों की घटनाओं की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम और यात्रियों के मन में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में रजय मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) दक्षिण की ओर जाने वाला गाड़ियों में हाल में लूटपाट और डकैती की चार घटनाएं हुई हैं ।

(ख) इन चार घटनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. 16-5-78 को 3-30 बजे जब जयन्ती जनता एक्सप्रेस गाड़ी महाराष्ट्र में मध्य रेलवे के नरखेड और नागपुर स्टेशनों के बीच चल रही थी, 4 बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर तीन टियर यान के यात्रियों से उनका 1,543 रुपये मूल्य का सामान लूट लिया था । अपराधी पकड़ लिये गये हैं ।
2. 30-5-78 को 1.30 बजे, जब जयन्ती जनता एक्सप्रेस गाड़ी मध्य प्रदेश में मध्य रेलवे के बुदनी और मिडघाट के बीच चल रही थी, पिस्तोल और चाकुओं से लैस कुछ बदमाशों ने तीन टियर यान के यात्रियों से उनका 50,000 रुपये मूल्य का सामान लूट लिया था तथा दो व्यक्तियों को घायल भी कर दिया था । इस मामले में लूटी गयी समस्त सम्पत्ति बरामद कर ली गयी है । सरकारी रेलवे पुलिस, भोपाल ने इस मामले में चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है तथा अन्य दो की तलाश कर रही है ।
3. 9-6-78 को लगभग 3.30 बजे, जयन्ती जनता एक्सप्रेस के तीन टियर यान में बदमाश चढ़ गये और मध्य प्रदेश में मध्य रेलवे के सांची स्टेशन के निकट यात्रियों से उनकी 6,000 रुपये मूल्य की सम्पत्ति लूट ली और चार व्यक्तियों को घांयल कर दिया । सरकारी रेलवे पुलिस, भोपाल ने चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और 1,000 रुपये मूल्य की सम्पत्ति बरामद कर ली है ।
4. 12-6-78 को, पांच बदमाश 16 अप जी टी एक्सप्रेस के तीन टियर यान में घुस गये और मध्य प्रदेश में मध्य रेलवे के मोहासा और बीना स्टेशनों के बीच यात्रियों से 36,000 रुपये मूल्य की सम्पत्ति लूट ली । इस घटना में तीन यात्री घायल हो गये । सरकारी रेलवे पुलिस, भोपाल ने चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और

20,000 रुपये मूल्य की चुरायी गयी सम्पत्ति बरामद कर ली है। पुलिस अन्य दो फरार अपराधियों की तलाश कर रही है।

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा तत्काल जांच-पड़ताल किये जाने के परिणामस्वरूप 10 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 71,000 रुपये मूल्य की चुरायी गयी सम्पत्ति बरामद कर ली गयी है।

यात्री जनता को अक्रान्त करने वाले जघन्य अपराधों में वृद्धि से चिन्तित होकर रेल मंत्री ने पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है और उनसे यात्रियों के जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी निरोधक उपाय करने का अनुरोध किया है।

16-6-78 को रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी और यह विनिश्चय किया गया था कि:(1) उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की राज्य सरकारें सशस्त्र पहरेदारों की संख्या बढ़ाकर ऐसे अपराधों के विरुद्ध जोरदार अभियान चलायेंगी, (2) यह सुनिश्चित किया जाये कि रात के समय जब कभी खतरे की जंजीर खींची जाये तो पुलिस सशस्त्र पहरेदारों को तुरन्त सूचना मिल जाये, (3) पुलिस के सशस्त्र पहरेदारों को गाड़ी के मध्य में स्थान दिया जाये ताकि खतरे को देखते ही वे दो दलों में बंट जायें और अपराधियों को पकड़ने के लिए गाड़ी के दोनों ओर उतर जायें, (4) पुलिस पहरेदारों को बड़ी शक्तिशाली टार्चें /बड़ी हल्की पिस्तौलें और रोशनी वाले उपकरण दिये जायें, और (5) गार्ड और ब्रेकमैन को शक्तिशाली बत्तियां दी जायें ताकि गाड़ी के दोनों ओर के क्षेत्र में रोशनी की जा सके।

भेद्य खंडों में रात के समय चलने वाली चुनी हुई गाड़ियों में रेल सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र पहरेदारों की व्यवस्था की जा रही है। इससे यात्रा करने वाली जनता के मन में विश्वास जगाने और साथ ही अपराधियों को गाड़ियों में अपराध करने से रोकने में सहायता मिलेगी।

सवारी डिब्बों में निम्नलिखित निवारक उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय रेलों ने एक अभियान चलाया है :—

(1) चल टिकट परीक्षक/डिब्बा परिचर रात के 10.00 बजे और प्रातः 6.00 बजे के बीच गलियारों के दरवाजों को ताला लगा देते हैं।

(2) रात के समय चल टिकट परीक्षक और डिब्बा परिचर सतर्क रहते हैं और घुस-पैठ करने वालों, फेरी वालों और अनाधिकृत व्यक्तियों को डिब्बों में घुसने से रोकते हैं।

(3) बिना गलियारेदार गाड़ियों के मामले में गलियारेदार दरवाजे स्थायी रूप से बन्द अथवा निष्प्रयोज्य कर दिये जाते हैं।

राज्य पुलिस और रेलों द्वारा किये गये उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप, दक्षिण की ओर जाने वाला गाड़ियों में 12-6-78 के बाद डकैती/लूटपाट की कोई घटना नहीं हुई।

TRAINS CANCELLED DURING MAY AND JUNE, 1978

†278. SHRI VINAYAK PRASAD YADAV: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state the total number of trains cancelled in the country during the last two months i.e. May and June and the names of trains out of them cancelled in each zone in Bihar State and the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): The total (Cumulative) number of trains cancelled on all the Railway during the months of May and June 1978 are 8383. The reasons for the cancellation were limited availability of steam coal, agitation of Carriage and Wagon staff and Loco Staff, public agitation, accidents, rain and storm, miscreants activities, failure of overhead electric equipment and breachers due to floods. The names of trains cancelled in Bihar (Zone-wise) are indicated in the Statement attached.

[*Placed in Library. See No. L.T.* 2401/78]

निर्धनों को नि:शुल्क कानूनी सहायता देने का विधेयक

279. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आर्थिक रूप से निर्धन व्यक्तियों को नि:शुल्क कानूनी सहायता देने का उपबंध करने का विधेयक चालू वर्षाकालीन सत्र में पुर:स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब और उसकी मुख्य बातें एवं मुख्य उपबंध क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) कानूनी सहायता संबंधी उस समिति की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री पी० एन० भगवती और सदस्य न्यायमूर्ति श्री वी० आर० कृष्ण अय्यर हैं। इस लिए इस समय यह यह बताना संभव नहीं है कि विधेयक कब पुर:स्थापित किया जाएगा और उसकी मुख्य बातें तथा मुख्य उपबंध क्या होंगे।

रेल कर्मचारियों को बोनस की अदायगी

280. **श्री समर मुखर्जी**
श्री ए स० आर० दामाणी } : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को भूतलिगम समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के बाद रेल कर्मचारियों को बोनस की अदायगी करने के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ख) यदि कोई निर्णय नहीं किया गया है तो इस लम्बे समय से अनिर्णीत पड़े मामले पर कब विचार किया जायेगा और उसे सन्तोषजनक ढंग से निपटाया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) श्री एस० भूतलिंगम की अध्यक्षता में वेतन, आय और मूल्यों के बारे में गठित अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसकी सरकार द्वारा जांच की जा रही है। अभी सरकार द्वारा उसके बारे में विनिश्चय किया जाना है।

रेलवे में कथित भ्रष्टाचार

281. **श्री के० मालन्ना :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जून, 1978 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि रेलवे में भ्रष्टाचार इतना अधिक हो गया है कि कुछ समय पूर्व एक टिकट परीक्षक ने जनता पार्टी के महासचिव से दक्षिण से दिल्ली आने वाली रेलगाड़ी में उन्हें स्लीपर प्रदान करने के लिये घूस ली;

(ख) क्या यह भी सच है कि टिकट परीक्षक को उनका परिचय मिलने के बाद भी वह घूस लेने से नहीं रुका और रेल मंत्री को इस बारे में शिकायत करने के बाद भी कुछ नहीं किया गया है; और

(ग) क्या यह सच है कि अभी भी बहुत से ऐसे क्लर्क हैं जो द्वितीय श्रेणी के आरक्षण काउंटरों पर कार्य कर रहे है और जो यात्रियों से जिस ट्रेन पर वे जाना चाहते हैं, उसकी सीट अथवा स्लीपर की अत्याधिक जरूरत रखने वाले यात्रियों से धनराशि ऐंठने के लिये विभिन्न तरीके इस्तेमाल करते हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) दक्षिण से दिल्ली को यात्रा करने वाली एक पार्टी की ऐसी कोई भी शिकायत नहीं मिली है। परन्तु, एक चल टिकट परीक्षक के विरुद्ध एक शिकायत मिली है जो कि 24-11-77 को 4 अप फ्रंटीयर मेल में स्थान आवंटित करने के लिए 10 रुपये अतिरिक्त प्रभार के रूप में वसूल कर रहा था। उसके खिलाफ अनुशासन और अपील नियमों के अंतर्गत कारवाई की गयी है।

(ग) टिकटों के आरक्षण से संबधित कदाचार की प्रक्रिया में लगे कुछ कर्मचारियों के बारे में शिकायतें रेल प्रशासन की जानकारी में आयी हैं। उनके कार्यकलापों को खत्म करने के लिए अभियान को सघन बना दिया गया है। दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाती है।

बम्बई हाई से ट्राम्बे तक पाईप लाईन के द्वारा गैस का ले जाया जाना

282. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई से ट्रोम्बे तक पाईप लाईन द्वारा 11 जून, 1978 से, जब पाईप लाईन द्वारा गैस भेजना प्रारम्भ किया गया था, लेकर प्रतिदिन औसतन कितनी गैस पाईप लाइन से भेजी गई है; और

(ख) उक्त गैस को किस प्रकार से और कितनी मात्रा में उपयोग में लाया जा रहा है और उसका वाणिज्यिक मूल्य क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) बम्बई हाई से पाइपलाईन के माध्यम से सबद्ध गैस का प्रवाह 12 जुलाई, 1978 से प्रारम्भ हो गया था। इस समय प्रतिदिन लगभग 0.8 मि० घन मीटर गैस की औसतन मात्रा उपलब्ध होगी। शुरू शुरू में यह गैस टाटा बिजलीघर तथा ट्राम्बे में उर्वरक संयंत्रों के लिए प्रयुक्त की जायेगी। टाटा बिजलीघर को प्रतिदिन लगभग 0.6 मि० घन मी० गैस और ट्राम्बे में राष्ट्रीय रसायन तथा उर्वरक के उर्वरक संयंत्र के लिए प्रतिदिन लगभग 0.2 मि० घन मीटर गैस सप्लाई की जायेगी।

जब सम्बद्ध गैस को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वर्तमान ईंधनों के रूप में प्रयुक्त प्रतिस्थानी मूल्य के आधार पर इसका वाणिज्यिक मूल्य निकाला जाता है।

खोली गई नई रेल लाइनें और तत्सम्बन्धी भावी कार्यक्रम

283. **श्री हितेन्द्र देसाई** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1977 के बाद कितनी और कौन-कौन सी नई रेल लाइनें खोली गई हैं; और

(ख) इस बारे में अगले पांच वर्षों के लिये क्या कार्यक्रम है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) 270 किलोमीटर लम्बी निम्नलिखित रेलवे लाइनों के निर्माण का काम पूरा किया गया है और उन्हें अप्रैल, 1977 से यातायात के लिए खोल दिया गया है :—

1. मोहाना-पानीपत बड़ी लाइन ।
2. शाहदरा-बागपत रोड लाइन (शाहदरा-सहारनपुर बड़ी लाइन का भाग)
3. गुना-मक्सी बड़ी लाइन

इस समय, कुल मिलाकर 1800 किलोमीटर लंबी 23 नयी रेलवे लाइनों के निर्माण का काम चल रहा है। आशा है है हसन-मंगलूर परियोजना और शाहदरा-सहारनपुर लाइन के बागपत से शामली तक के खण्ड का निर्माण कार्य दिसम्बर 1978 तक पूरा हो जायेगा। तिरुवनन्तपुरम तिरुनेलवेली-कन्या कुमारी लाइन के तिरुवन्तपुरम, से नागरकोविल तक के खंड के निर्माण कार्य के लिये मार्च, 1979 तक पूरा कर लिये जाने की आशा है। रोहतक-भिवानी लाइनों के लगभग आधे भाग के निर्माण कार्य के चालू वर्ष में पूरा हो जाने की आशा है। अगले पांच वर्षों के दौरान शेष बची रेल लाइनों के समापन और समारम्भ के संबंध में अभी कोई तारीख निश्चित नहीं की गयी है।

झांसी के निकट जी० टी० एक्सप्रेस के यात्रियों का लूटा जाना

284. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 12 जून, 1978 के इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि झांसी से 133 किलोमीटर दूर जी० टी० एक्सप्रैस को डाकुओं ने लूट लिया था ;

(ख) यदि हां, तो लूटी हुई सम्पत्ति का मूल्य कितना था और कितने यात्री लूटे गये थे; और

(ग) सरकार का ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां। मध्य प्रदेश राज्य में मध्य रेलवे के मोहासा और बीना स्टेशनों के बीच 12-6-78 को 16 अप जी० टी० एक्सप्रेस में एक डकैती का मामला हुआ था।

(ख) अपराधियों द्वारा चार यात्रियों से 36,000 रु० मूल्य की सम्पत्ति लूट ली गयी थी।

(ग) इस मामले में राज्य रेलवे पुलिस/भोपाल मध्य प्रदेश] ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया और 20,000 रु० के मूल्य की चुरायी गयी सम्पत्ति उनसे बरामद की गयी है।

रात के समय इस खंड से गुजरने वाली सभी गाड़ियों में सशस्त्र पुलिस मार्गरक्षियों की व्यवस्था की गयी है।

रेल मंत्री प्रभावित राज्यों, अर्थात् बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, के मुख्यमंत्रियों के साथ सम्पर्क बनाये हुये हैं और उन्होंने उनसे अनुरोध किया है कि यात्रियों और उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वे कारगर निवारक उपाय करें।

16-6-78 को रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी और यह विनिश्चय किया गया था कि : (1) उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की राज्य सरकारें सशस्त्र पहरेदारों की संख्या बढ़ाकर ऐसे अपराधों के विरुद्ध जोरदार अभियान चलायेंगी, (2) यह सुनिश्चित किया जाये कि रात के समय जब कभी खतरे की जंजीर खींची जाये तो पुलिस के सशस्त्र पहरेदारों को तुरन्त सूचना मिल जाये, (3) पुलिस के सशस्त्र पहरेदारों को गाड़ी के मध्य में स्थान दिया जाये ताकि खतरे को देखते ही वे दो दलों में बंट जायें और अपराधियों को पकड़ने के लिए गाड़ी के दोनों ओर उत्तर जायें, (4) पुलिस पहरेदारों को बड़ी शक्तिशाली टार्चें/बड़ी हल्की पिस्तौलें और रोशनी वाले उपकरण दिये जायें, और (5) गार्ड और ब्रेकमैन को शक्तिशाली बत्तियों दी जायें ताकि गाड़ी के दोनों ओर के क्षेत्र में रोशनी की जा सके।

भेद्य खंडों में रात के समय चलने वाली चुनी हुई गाड़ियों में रेल सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र पहरेदारों की व्यवस्था की जा रही है। इससे यात्रा करने वाली जनता के मन में विश्वास जगाने और साथ ही अपराधियों को गाड़ियों में अपराध करने से रोकने में सहायता मिलेगी।

सवारी डिब्बों में निम्नलिखित निवारक उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय रेलों ने एक अभियान चलाया है :—

(1) चल टिकट परीक्षक/डिब्बा परिचर रात के 10.00 बजे और प्रातः 6.00 बजे के बीच गलियारों के दरवाजों को ताला लगा देते हैं।

(2) रात के समय चल टिकट परीक्षक और डिब्बा परिचर सतर्क रहते हैं। और घुसपैठ करने वालों, फेरी वालों और अनधिकृत व्यक्तियों को डिब्बों में घूमने से रोकते हैं।

(3) बिना गलियारेदार गाड़ियों के मामले में गलियारेदार दरवाजे स्थायी रूप से बन्द अथवा निष्प्रयोज्य कर दिये जाते हैं।

गाड़ियों में डकैतियां रोकने के लिये रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल के बीच समन्वय

285. **श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाड़ियों में डकैतियां और अन्य अपराध रोकने के लिये रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल के बीच समन्वय और कर्त्तव्य और दायित्वों की उचित सीमा रखा है; और

(ख) क्या पहले पटरियों पर गश्त लगाने में लगे सुरक्षा दल की सेवाओं का भी इस प्रयोजन के लिये उपयोग किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी हां।

रेल कर्मचारियों की परिलब्धियों में प्रस्तावित वृद्धि

286. **श्री डी० अम्रातः** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल कर्मचारियों की परिलब्धियों में 20 प्रतिशत वृद्धि करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उठाईगीरी तथा चोरियों को रोकने के लिये रेलवे में विद्युतीय सुरक्षा प्रणाली लागू करना

287. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्नत देशों में व्यापक रूप से प्रयोग में लाई जा रही विद्युतीय सुरक्षा प्रणाली भारतीय रेलवे में भी उपयोग में लाई जायेगी ताकि माल की उठाईगीरी तथा चोरी रोकी जा सके जोकि देश में प्रति वर्ष मुआवजे के रूप में अदा की जाने वाली 12 से 15 करोड़ रुपये की अदायगी के लगभग आधे भाग के लिये अकेला सबसे बड़ा कारण है,

(ख) यदि हां, तो रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये यह विद्युतीय प्रणाली कब लागू की जा रही है,

(ग) यदि हां, तो उस पर कितना खर्च होने की संभावना है, और

(घ) रेल सम्पति की सुरक्षा के लिये अन्य किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) से (ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(घ) रेल सम्पत्ति की चौकसी के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(1) कीमती माल ले जाने वाले माल डिब्बों में समुचित ढंग से रिपेट लगाना और ताले लगाना,

(2) चोरियों को सीमित रखने के लिए महत्वपूर्ण यार्डों में माल डिब्बों की सील चैक करना,

(3) कीमती परेषण/खाद्यान्न ले जाने वाली गाड़ियों के साथ भेद्य खंडों में रेलवे सुरक्षा दल के अनुरक्षी तैनात करना,

(4) भेद्य खंडों/स्थानों में गश्त लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी तैनात करना,

(5) महत्वपूर्ण और भेद्य यार्डों में रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कर्मचारियों द्वारा चौबीसो घंटे गश्त लगायी जाना और रखवाली करना,

(6) यानान्तरण स्थलों पर माल उतारने और अन्तरण से पहले सभी माल डिब्बों का रिबटों और सीलों की जांच करना,

(7) महत्वपूर्ण माल गोदाम और प्लेटफार्मों की सुरक्षा दल द्वारा चौकसी,

(8) अपराध आसूचना के आदान-प्रदान के लिए रेलवे सुरक्षा दल और सरकारी रेलवे पुलिस से निकट समन्वय रखा जाना,

(9) चोरी और उठाईगीरी के खिलाफ अखिल भारतीय आधार पर अभियान चलाना,

(10) लोहा, और इस्पात, खाद्यान, चीनी, तिलहनआदि ले जाने वाली मालगाड़ियों के साथ भेद्य खण्डों रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र अनुरक्षी चलाना,

(11) कीमती माल से लदे माल डिब्बों रिबट लगाने के लिए ढिबरियों और काबलों का उपयोग, और

(12) चुनींदा यार्डों में कुत्तों द्वारा गहन गश्त लगाने को उत्प्रेरित करना ।

रेल सम्पति के प्रति अपराधों से निपटने की वर्तमान व्यवस्था को अधिक प्रभावी और फलदायक बनाने के लिए उसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है ।

गर्मी की ऋतु में कोयले की कमी के कारण गाड़ियों का रद्द किया जाना

288. **श्री निहार लास्कर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले की कमी के कारण रेलवे को मई तथा जून के महीनों के दौरान बहुत सी गाड़ियाँ रद्द करनी पड़ी थीं ;

(ख) यदि हां, तो कोयले की कमी के कारण कितनी गाड़ियां रद्द करनी पड़ी थीं;

(ग) क्या रेलवे विभाग गर्मी के मौसम में भीड़ की स्थिति जो मई तथा जून, 1978 में अपनी पराकाष्टा पर थी का मुकाबला करने हेतु आवश्यक कदम उठाने में असफल रहा था ।

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या थे;

(ङ) क्या रेलवे में आरक्षण पाने के लिये लोगों को महीनों तक इन्तजार करना पड़ा था; और

(च) इसके फलस्वरूप रेलवे को कुल कितनी हानि हुई और यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये रेलवे द्वारा क्या कदम उठाये गये ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) 110 जोड़ी सवारी गाड़ियां पूर्णत:/अंशत: मई, 1978 के आस पास और अन्त में रद्द की गयी थी और जून, 1978 में 112 जोड़ी गाड़ियां रद्द की गयी थीं ।

(ग) जी नहीं। गर्मी में यातायात की अतिरिक्त भीड़ भाड़ को सम्हालने के लिये 1000 से अधिक स्पेशल गाड़ियां चलायी गयीं और वर्तमान गाड़ियों में अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाये गये।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

औषधियों के मूल्य कम करने एवं उन पर विक्री कर कम करने का प्रस्ताव

289. **श्री अनन्त दवे** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में राज्य सरकारों से यह प्रस्ताव किया है कि औषधियों के मूल्य कम किए जायें और उन पर बिक्री कर कम लिया जाए;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों के इस बारे में क्या विचार हैं; और

(ग) राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त विचारों के आधार पर सरकार ने क्या नीति तैयार की है?

पेट्रोलिय रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां। वित्त मंत्री ने 26-5-1978 को राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा है कि वे यथासंभव शीघ्र औषधों एवं फार्मूलेशन पर से चुंगी और विक्रय कर हटाने पर विचार करें।

(ख) और (ग) जबकि कुछ राज्य सरकारों ने कहा है कि वे इस विषय की जांच कर रहे हैं अन्य राज्यों से उत्तर प्राप्त होने हैं। इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय राज्य सरकारों को लेना हैं।

एल० पी० गैस की कमी

290. **श्री वसन्त साठे** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घरेलु उद्योग के लिए एल० पी० जी० की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी से कौन-कौन से स्थान प्रभावित हुए हैं; और

(ग) स्थिति से निपटने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) देश में तरल पैट्रोलियम गैस (खाना पकाने की गैस) की वर्तमान मांग पर इस उत्पाद की उपलब्धता से कहीं अधिक है जोकि शोधनशालाओं के वर्तमान उत्पादन पर आधारित है। साधाणतया उपभोक्ताओं की सिलेण्डरों में इस गैस को पुन: भरने संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण रूपेण पूरा किया जा रहा है फिर भी कलकत्ता,नागपुर और कटक कुछ भागों में कुछ अस्थायी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं जिनके लिए अपेक्षित कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

(ग) देश में खाना पकाने की गैस के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार कदम उठा रही है। आशा है कि अगले 2-3 वर्षों में बम्बई हाई गैस से खाना पकाने की गैस की उत्पन्न करने के लिए विखण्डन यूनिट के अपना काम आरम्भ करने और मथुरा शोधनाशाला तथा कोयाली शोधनशाला के माध्यमिक तेल साथ करने वाले एककों के काम आांम्भ करने के परिणाम-स्वरूप इसकी स्थिति में पर्याप्त सुधार हो जाएगा। खाना पकाने की गैस के स्पाइक्ड कूड का भी यथा संभव सीमा तक आयात करने की व्यवस्था की जा रही है

DUTY HOURS OF YARD KHALASIS IN C.N.C.

†291. SHRI GANGADHAR APPA BURANDE : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the hours of duty prescribed for Yard Khalasis in the C.N.C. and the nature of duties they are required to perform; and

(b) whether quantum of work is also prescribed for them while fixing their duty hours, if so, what is that quantum?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

मिट्टी के तेल और एल० पी० जी० के वितरण में एकाधिकार

292. डा० सरोजिनी महिषी : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी के तेल और एल० पी० जी० के वितरण में अब भी एकाधिकार चल रहा है; और

(ख) उन के वितरण के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड को छोड़कर, जिनका खाना पकाने की गैस का वितरण कुछ अनुदान-गृहियों के द्वारा किया जाता है, मिट्टी के तेल और एल० पी० जी० के वितरण में किसी का कोई एकाधिकार नहीं है। तथापि इन अनुदान गृहियों को अधिग्रहण करने से संबधित कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

SETTING UP OF NEW COMPANIES BY MONOPOLISTS

293. SHRI HUKMDEO NARAIN YADAV : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of monopolists who have set up new companies and were granted licences during the period from April, 1977 to June, 1978 indicating the value of such licences; and

(b) the names of the partners of the newly registered companies who are also partners in any such other companies industries of which are lying closed for some reasons?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) : (a) During the period from 1-4-1977 to 30th June, 1978, out of 30 proposals submitted by undertakings registered or regitrable under the MRTP Act, 1969, which were approved under Section 22 of the said Act, 9 proposals for the establishment of new undertakings were proposed to be implemented by setting up of new companies. A statement indicating the estimated project cost of the above 9 proposals is attached. As far as grant of licences is concerned, the same is governed the I (D&R) Act which is administered by the Department of Industrial Development.

(b) In a company registered under the Companies Act, 1956, there are no partners, but there are directors and share-holders. The Department of Company Affairs has not come across any instance of and inter-connected industrial undertaking belonging to Large Houses concerned with the proposals for setting up of new companies referred to in part (a) above, lying closed for some reason or other.

STATEMENT

Statement indicating the project cost of 9 cases.

S. No.	Name of the applicant company.	Estimated Project Cost (Rs. in lakhs)	Proposed name of new company—Wherever indicated by the applicant company.
1	2	3	4
(1)	Chowgule & Co. Pvt. Ltd.	Rs. 240·00	New Company—Name not indicated.
(2)	Garware Nylons Ltd.	Rs. 900·00	Garware Shipping Corpn. Ltd.
(3)	Cable Corporation of India Limited	Rs. 600·00	Brindaban Abrasives Limited.
(4)	Tata Sons Ltd.	Rs. 760·00	Tata Burroughs Limited.

1	2	3	4
(5)	Karamchand Thapar & Bros. (Coal Sales) Ltd.	Rs. 145·00	New Company—Name not indicated.
(6)	B. I. D. Parry (India) Ltd.	Rs. 1401·00	New Company—Name not indicated.
(7)	Ballarpur Industries Ltd.	Rs. 1700·00	Meghalaya Papers Ltd.
(8)	Modipon Ltd.	Rs. 385·00	Modi Foods Ltd.
(9)	Ballarpur Industries Ltd.	Rs. 3200·00	Andhra Pradesh Rayons Ltd.

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में बकाया अनिर्णीत मामले

294. **श्री पी० कानन:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में बकाया अनिर्णित मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) अधिक संतोषजनक स्थिति पर पहुंचने के लिए क्या ठोस कदम और व्यावहारिक कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) : 30 जून, 1978 को उच्चतम न्यायालय में और 31 दिसम्बर, 1977 को उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों की कुल संख्या तथा उनके शीघ्र निपटारे लिए की गई या की जा रही कार्यवाही संलग्न विवरण में बताई गई है।

विवरण

(क) 30 जून, 1978 को उच्चतम न्यायालय में और 31 दिसम्बर, 1977 को उच्च न्यायालयों में लंबित मामले

न्यायालय का नाम	लंबित मामलों की संख्या (नियमित सुनवाई के मामले)
भारत का उच्चतम न्यायालय	14,482
उच्च न्यायालय	
इलाहाबाद	1,32,749
आंध्र प्रदेश	15,887
मुम्बई	52,592
कलकत्ता	72,448
दिल्ली	26,587
गोहाटी	6,548
गुजरात	11,722
हिमाचल प्रदेश	5,019
जम्मू-कश्मीर	4,677
कर्नाटक	36,449
केरल	42,739
मध्य प्रदेश	42,613
मद्रास	51,763
उड़ीसा	6,042
पटना	29,435†
पंजाब और हरियाणा	46,069
राजस्थान	20,558
सिक्किम	21
उच्च न्यायालयों में कुल लम्बित मामले	6,07,918

†केवल मुख्य मामले

(ख) मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की गई है अर्थात् :—

(i) उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 का संशोधन करके 31 दिसम्बर, 1977 से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जिसमें मुख्य न्यायाधिपति सम्मिलित नहीं है) संख्या 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई है । तारीख 1-1-1978 और 22-2-78 को न्यायमूर्ति गोस्वामी और मुख्य न्यायाधिपति एम० एच० बेग जो के सेवा निवृत्त होने से जो स्थान रिक्त हुए थे वे और हाल ही में सजित किए गए दो नए पद भी भर दिए गए हैं।

(ii) उच्च न्यायालयों में काफी रिक्त स्थानों को भर दिया गया है । केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य प्राधिकारियों मुख्य न्यायाधिपतियों से प्रस्ताव मांगने के लिए पहल की गई है और जहां आवश्यक था, सबद्ध राज्य प्राधिकारियों/मुख्य न्यायाधिपतियों को स्मरणपत्र भेजे गए हैं। 1 अप्रैल, 1977 से 15 जुलाई, 1978 तक की अवधि में 66 नई नियुक्तियां की गई हैं।

(iii) उन उच्च न्यायालयों में जिनके संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए थे तारीख 1-4-1977 से न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी गई है । यह वृद्धि निम्नलिखित उच्च न्यायालियों में उन तारीखों से की गई है जिन तारीखों को वे पद भरे जाएंगे :—

उच्च न्यायालय का नाम	वृद्धि	
	स्थायी	अपर
इलाहाबाद	—	6
मध्य प्रदेश	—	6
कर्नाटक . .	1	3
हिमाचल प्रदेश	—	1
पटना	—	3
कुल	1	19

(iv) विभिन्न राज्यों की विधिज्ञ परिषदों और बार एसोसिएशनों को पत्र भेजे गए हैं जिनमें उनसे यह अनुरोध किया गया है कि वे मामलों को शीघ्र निपटाने के कार्य में अपना सहयोग दें और उसके लिए अपने सुझाव भी दें।

(v) विधि आयोग से बकाया मामलों की आम समस्या को सुलझाने के लिए उचित उपाय का सुझाव देने का अनुरोध किया गया है। आयोग एस विषय पर विचार कर रहा है।।

(vi) उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त करके हाल ही में उच्चतम न्यायालय नियमों में संशोधित किया है जिससे कि उच्चतम न्यायालय में मामले शीघ्र निपटाए जाए सकें।

औषधियों के लिये जातीय नाम

295. **श्री पी० एस० रामालिंगम** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाथी समिति की ब्रांड नामों के स्थान पर औषधियों के जातीय नामों का उपयोग करने के सम्बन्ध में सिफारिशें क्या हैं।

(ख) इस बारे में क्या अन्तिम निर्णय लिया गया है ; और

(ग) यह निर्णय किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) औषध और भेषज उद्योग पर समिति (हाथी समिति) की ब्रांड नाम के स्थान पर जातीय नाम देने सम्बन्धी सिफारिशें उनकी रिपोर्ट के अध्याय X में पैरा 22 में दी गई है जिसकी एक प्रतिलिपि लोक सभा पटल पर प्रस्तुत की गई थी।

(ख) ब्रांड नामों के प्रयोग पर औषध और भेषज उपयोग पर समिति (हाथी समिति) की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय 29 मार्च, 1978 को लोक सभा पटल पर रखे गए विवरण पत्र के पैराग्राफ 71.1 से 71.6, 99, 100 तथा 102 में दिए गए हैं।

(ग) इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई शुरू हो गई है।

तमिलनाडु स्थित विद्युत केन्द्रों को कोयले की ढुलाई के लिये वैगनों का आबंटन

296. **श्री सी० एन० विश्वनाथनः** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत केन्द्रों के लिए कोयले की ढुलाई हेतु कितने वैगन आबंटित किए गए ;

(ख) कोयले की सप्लाई समय पर न होने से विद्युत केन्द्रों को किन कारणों से कुप्रभावित होना पड़ा ; और

(ग) कोयले की नियमित तथा निर्बाध रूप से सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) :

(क)	1975-76	38376
	1976-77	62036
	1977-78	61452

(ख) वर्ष 1977-78 और पिछले कुछ महीनों के दौरान दक्षिण भारत के ताप बिजलीघरों को कोयले के संचालन में व्यवधान होने के निम्नलिखित कारण हैं :—

(i) नवम्बर, 1977 में आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के समुद्री किनारों पर भारी तूफान आने के कारण संचलन पूर्णतया अस्त व्यस्त हो गया ; तथा

(ii) अप्रैल, 1978 के मध्य से सिंगरेनी कोयला खानों में महीना लम्बी हड़ताल।

(ग) उपर्युक्त अस्त व्यस्तता के दौरान रेलों ने वैकल्पिक साधनों से, जिसमें बंगाल बिहार कोयला खानें शामिल हैं, तमिलनाडु के ताप बिजलीघर को कोयला पहुंचाने के सभी संभव प्रयास किए। सिंगरेनी कोयला खानों से, जो कि तमिलनाडु ताप बिजली घरों को कोयला सप्लाई का मुख्य स्रोत है, कोयले के लदान को बढ़ाने की व्यवस्था की गयी।

इंजनों को चलाने में ईंधन लागत में बचत करने के बारे में केरल के इंजीनियर द्वारा विकसित नये आविष्कार को रेलवे द्वारा रद्द किया जाना

297. **श्री के० राममूर्ति :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने उस नए आविष्कार को रद्द कर दिया है जिसे केरल के एक इंजीनियर ने विकसित किया था जिससे इंजनों को चलाने में ईंधन लागत में 40 प्रतिशत की बचत होती ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं। इस विषय में मल्लापुरम, केरल के श्री पी० एन० कुनहीरामन से एक पत्र प्राप्त हुआ था। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे प्रस्ताव का ब्यौरा प्रस्तुत करें। अभी तक उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

TICKETLESS PASSENGERS

†298. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the number of ticketless passengers or the number of passengers travelling on wrong tickets has increased during 1977-78 and if so, the total number thereof as also the details of the amount realized from them;

(b) the amount realized from the passengers travelling without booking their luggage and the number of such passengers;

(c) the total number of raids conducted in this regard and the number of persons imprisoned; and

(d) the number of persons prosecuted and the number of persons imprisoned for non-payment of railway fare ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) to (d). To combat the evil of ticketless travel on the Indian Railways,

apart from normal ticket checking arrangements, vigorous ticket checking drives are undertaken. During the year 1977-78, 1,08,854 checks were conducted against ticketless travel on the Indian Railways as against 97,364 during 1976-77. The sustained and continuous efforts made by the railways have resulted in increase in the window earnings from sale of tickets. During 1977-78, 22,86,704 persons were detected travelling without tickets or with improper tickets and a sum of Rs. 3,00,21,873/- was realised from them as railway dues. Besides, railway dues amounting to Rs. 1,24,28,020/- were realised on 17,01,455 cases of unbooked luggage. 3,48,276 persons were prosecuted out of whom 2,53,208 were sent to jail for non-payment of railway dues. A sum of Rs. 16,38,929/- was recovered as judicial fine.

विधिवेत्ता की विधि आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति

299. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग का कोई सदस्य एक प्रख्यात विधिवेत्ता है ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय को इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि विधि आयोग के सदस्यों में एक प्रख्यात विधिवेत्ता भी होना चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो इस मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी हां। विधि आयोग के चारों सदस्य प्रख्यात विधिवेत्ता हैं। यद्यपि उन्हें शिक्षा-क्षेत्र से नहीं लिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदिशा के निकट जयन्ती जनता एक्सप्रेस के यात्रियों का लूटा जाना

300. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में रेलगाड़ियों में चोरियों और लूट पाट की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) जयन्ती जनता एक्सप्रैस के यात्रियों को लूटे जाने की उस घटना का क्या ब्यौरा है, जो हाल में विदिशा के निकट हुई थी ;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकारियों ने यह कहा है कि उनके पास सीमित संख्या में कर्मचारी होने के कारण जनता को संरक्षण दे पाना सम्भव नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने में इस बाधा को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में गाड़ियों में लूटमार की घटनाओं में मामूली वृद्धि हुई है।

(ख) 9-6-78 को मध्य प्रदेश में मध्य रेलवे के विदिशा तथा सांची स्टेशनों के बीच 131 डाउन जयन्ती जनता एक्सप्रैस के 3 टियर डिब्बे में सशस्त्र अपराधियों ने यात्रियों को छुरे मार दिए तथा अन्य 46 यात्रियों से लगभग 6000 रू० के मूल्य की सम्पत्ति लूट ली थी। भोपाल (मध्य प्रदेश) की राजकीय रेलवे पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है तथा उनसे 1000 रु० के मूल्य का चोरी का माल भी बरामद कर लिया है।

(ग) प्रभावित राज्य के भेद्य क्षेत्रों में चलती गाड़ियों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सशस्त्र पुलिस तैनात करने की मांग की है।

(घ) रेल मंत्री प्रभावित राज्यों, अर्थात् बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, के मुख्य मंत्रियों के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं और उन्होंने उनसे अनुरोध किया है कि यात्रियों और उनकी सम्पत्ति की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वे कारगर निवारक उपाय करें।

16-6-1978 को रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी और यह विनिश्चय किया गया था कि : (1) उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की राज्य सरकारें सशस्त्र पहरेदारों की संख्या बढ़ाकर ऐसे अपराधों के विरुद्ध जोरदार अभियान चलायेंगी, (2) यह सुनिश्चित किया जाए कि रात के समय जब कभी खतरे की जंजीर खींची जाए तो पुलिस के सशस्त्र

पहरेदारों को तुरन्त सूचना मिल जाए, (3) पुलिस के सशस्त्र पहरेदारों को गाड़ी के मध्य में स्थान दिया जाए ताकि खतरे को देखते ही वे दो दलों में बंट जाएं और अपराधियों को पकड़ने के लिए गाड़ी के दोनों और उतर जाएं, (4) पुलिस पहरेदारों को बड़ी शक्तिशाली टार्चों/बड़ी हल्की पिस्तोलें और रोशनी वाले उपकरण दिए जाएं, और (5) गार्ड और ब्रेकमैन को शक्तिशाली बत्तियां दी जाएं ताकि गाड़ी के दोनों और के क्षेत्र में रोशनी की जा सके।

भेद्य खंडों में रात के समय चलने वाली चुनी हुई गाड़ियों में रेल सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र पहरेदारों की व्यवस्था की जा रही है। इससे यात्रा करने वाली जनता के मन में विश्वास जगाने और साथ ही अपराधियों को गाड़ियों में अपराध करने से रोकने में सहायता मिलेगी।

सवारी डिब्बों में निम्नलिखित निवारक उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय रेलों ने एक अभियान चलाया है :—

(1) चल टिकट परीक्षक/डिब्बा परिचर रात के 10.00 बजे और प्रातः 6.00 बजे के बीच गलियारों के दरवाजों को ताला लगा देते हैं।

(2) रात के समय चल टिकट परीक्षक और डिब्बा परिचर सतर्क रहते हैं और घुस-पैठ करने वालों, फेरी वालों और अनधिकृत व्यक्तियों को डिब्बों में घुसने से रोकते हैं।

(3) बिना गलियारेदार गाड़ियों के मामले में गलियारेदार दरवाजे स्थायी रूप से बंद अथवा निष्प्रयोज्य कर दिये जाते हैं।

सोडा ऐश की कमी

301. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सोडा ऐश की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां। इस मंत्रालय को सोडा ऐश की सप्लाई के बारे में देश के विभिन्न भागों से कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ख) सोडा ऐश के निर्माताओं के अनुसार कारखाने तक कच्चे माल (कोयला और लवण) के परिवहन और कारखाने से तैयार माल के परिवहन के लिये रेलवे वैगनों की कमी मुख्य कठिनाई है। इस मंत्रालय ने रेलवे वैगनों/टैंकों की पर्याप्त सप्लाई की व्यवस्था करने के लिए रेलवे बोर्ड के साथ पहले ही मामला उठाया हुआ है। इस मंत्रालय ने निर्माताओं से भी यह अनुरोध किया है कि वे जहां संभव हो सोडा राख को रोड द्वारा भेजने की व्यवस्था करें और खरीदकर्ता उस लागत को वहन करने के लिए तैयार हैं।

सोडा राख के औद्योगिक उपभोक्ताओं को शीघ्र राहत देने लिए इस मंत्रालय ने डी के जी टी डी के परामर्श से स्टेट कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लि० को 20,000 टन सोडा राख का आयात करने के लिए टैंडर मंगाने के बारे में लिखा है। 1978-79 की आयात नीति के अनुसार यह मद ओ जी एल पर भी है, जिससे वास्तविक उपभोक्ताओं के लिये अपनी इच्छानुसार इस मद का सीधे ही आयात करना संभव है।

सरकार द्वारा पहले से ही स्वीकृत विस्तार योजनाओं से इस वर्ष के दौरान सोडा राख का अतिरिक्त उत्पादन होने की आशा है।

पिछड़े जिलों में नई कम्पनियां

302. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में देश भर के पिछड़े जिलों में कितनी नई कम्पनियां बनी हैं; और

(ख) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में भी कोई नई कम्पनी बनी है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) कम्पनी रजिस्ट्रारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, अप्रैल 1977 से मार्च, 1978 तक की अवधि के मध्य, देश के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में, 260 नवीन कम्पनियों का पंजीकरण हुआ था, जो वित्तीय संस्थानों से वित्त समनुदान की पात्र हैं।

(ख) कथित अवधि में अन्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के संघ-प्रशासित क्षेत्र में किसी नई कम्पनी का पंजीकरण नहीं हुआ था।

आई० डी० पी० एल० द्वारा औषधियों का वितरण

304. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० डी० पी० एल० को मैट्रानिडाजोल, फथालयल सल्फाथियज़ोल और ग्रिस्वोफुलविन अपने घोषित मूल्यों पर वितरण करने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं जबकि इण्डोमेथासिन के मामले में यह सुविधा नहीं दी गई थी यद्यपि इस औषधि को देश में पहली बार तैयार किया गया था; और

(ख) क्या सरकारी माध्यम से कच्चा माल सप्लाई किए जाने की कोई योजना मंजूर की गई है; यदि हां, तो किस प्राधिकार के अधीन, पहली योजना का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में विभिन्न कम्पनियों को/के लिये सरकारी माध्यम से कच्चे माल की सप्लाई की सिफारिश का अथवा सप्लाई रोके जाने का ब्यौरा क्या है और ऐसा किए जाने के कारण क्या हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) मैट्रानिडाजोल, फथालयल सल्फा-थियाजोल और ग्रिसवोफुलविन के कारण निम्नलिखित हैं : आई० डी० पी० एल० ने मेट्रोनिडाजोल का मूल्य 485 रुपये प्रति किलोग्राम घोषित किया था परन्तु इस औषध का वितरण 460 रुपये प्रति किलोग्राम घोषित किया गया था फथालयल सल्फाथियाजोल के संबंध में आई० डी० पी० एल० द्वारा 173 रुपये प्रति किलोग्राम का मूल्य घोषित किया गया था परन्तु इस औषध का वितरण 129.40 रुपये प्रति किलोग्राम हुआ था। ग्रिस्वोफुलविन के संबंध में आई० डी० पी० एल० द्वारा 4925 रुपये मूल्य प्रति किलोग्राम घोषित किया गया था। परन्तु इसे 1471 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से वितरित किया गया था। इस प्रकार यह देखा जाता है कि इन बल्क औषधों का वितरण आई० डी० पी० एल० के घोषित मूल्यों के अनुसार नहीं किया जा रहा है।

इण्डोमेथासिन के संबंध में मैसर्स मेरमेड केमीकल्स ने इस बल्क औषध का उत्पादन स्वदेशी तौर पर हुआ बताया था तथा इसका मूल्य 1400 रुपये प्रति किलोग्राम घोषित किया था। उन्हें सूचित किया गया था कि उनके द्वारा घोषित मूल्यों से अधिक मूल्य पर वे अपने उत्पादन का विक्रय नहीं कर सकते हैं अर्थात् उनके द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही वे अपने उत्पादों का विक्रय कर सकते हैं।

(ख) 1978-79 की आयात नीति के परिशिष्ट 9 में सम्मिलित की गई केन्लाइज़ड औषधों के लिए आयात एवं वितरण संबंधी मार्गदर्शन सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं और इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि० तथा स्टेट केमीकल्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि० इनका पालन कर रहे हैं। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों को निर्धारित करने का अधिकार 1978-79 की आयात नीति के परिशिष्ट 9 से प्राप्त किया गया है जिसके अनुसार इसमें सम्मि-लित बल्क औषधों का आयात, वितरण तथा मूल्य निर्धारण भारत सरकार के पेट्रो रसायन और उर्वरक मंत्रालय की सम्बद्ध नीति के अनुसार किया जायेगा।

जहां तक विभिन्न कम्पनियों को गत तीन वर्षों में केनलाइज़ड कच्चा माल दिये जाने की सिफारिशों या बन्द करने का संबंध है उनका विवरण लोक सभा में 9-5-78 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 9747 के उत्तर में दिया गया है।

औषध फर्मों को पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना

304. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स ग्लैक्सो फाइजर, में एण्ड बेकर, सिनामाइड और वर्री वैलकम को पंजीकरण पत्रों के अधीन अनेक फार्मूलेशनों की मंजूरी दी गई थी;

(ख) यदि हां तो, इन फार्मूलेशन्स के नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों में प्रत्येक मद के उत्पादन के लिये कितना आयातित अथवा कच्चा माल सप्लाई किया गया और उनका कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) इस कम्पनी द्वारा किन मदों का उत्पादन पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात् आरम्भ किया गया; और

(घ) इन कम्पनियों द्वारा बिना औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किए बनाई जाने वाली मदों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) मैसर्स ग्लैक्सो, मैसर्स फाइजर, मैसर्स में एंड बेकर आदि सहित औषध निर्माता कम्पनियों को दिए गए पंजीकरण पत्रों में पृथक मंदों के नाम नहीं दिए गए हैं। इन कम्पनियों को निर्धारित नियमों के अन्तर्गत पंजीकरण पत्र "औषध एवं भेषजों" के निर्माण के लिए दिए गए थे जो अन्य सूचना मांगी गई है वह तुरन्त उपलब्ध नहीं है। परन्तु नई औषध नीति पर

सरकार के निर्णय के अनुसार औद्योगिक लाइसेंस समेकित करते समय जो कार्रवाई की जायेगी उससे सरकार इस बात की जांच करने में समर्थ होगी कि औषध निर्माता कम्पनियों में कौन सी औषध का उत्पादन पंजीकरण पत्र प्राप्त करने के बाद आरम्भ किया था। और इससे दूसरी मांगी गई सूचना भी उपलब्ध होगी।

मैसर्स ग्लेक्सो, मैसर्स मे एंड बेकर, मैसर्स सिनामिड और मैसर्स वरीज वेलकम द्वारा सरकार के किसी वैध अनुमोदन के बिना फार्मूलेशनों के उत्पादन का कोई उदाहरण सरकार के नोटिस में नहीं आया है।

परन्तु यह देखा गया है कि मैसर्स फाइजर बिना किसी विशिष्ट औद्योगिक लाइसेंस के प्रोटिनेक्स का उत्पादन करते रहे हैं, कम्पनी का यह दावा है कि प्रोटीनहाइड्रोलीसेट के लिये लाइसेंस के अन्तर्गत इसका उत्पादन करने के अधिकारी हैं।

बिहार से त्रिवेन्द्रम तक सीधा यात्री डिब्बा

305. **श्री वी० एम० सुधीरन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई मलयाली एसोसिएशन की ओर से भिलाई से त्रिवेन्द्रम तक सीधा यात्री डिब्बा आरम्भ करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां तो, उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले की जांच की जा रही है और इसे व्यावहारिक तथा औचित्यपूर्ण पाये जाने पर इस संबंध में कार्रवाई की जायेगी।

सरकारी माध्यम से आयात करने वाली एजेंसियों द्वारा औषधियों की सप्लाई

306. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार और एककवार विभिन्न एककों को सरकारी माध्यम से आयात करने वाली एजेंसियों द्वारा सप्लाई किए गए विटामिन ए, टेट्रासाइक्लीन और प्रेडनीसोलोन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि आई० डी० पी० एल० और कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्ज कारपोरेशन आफ इंडिया औषधियों का रिलीज़ करते समय कुछ एककों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं; और

(ग) ऐसे मामले कौन-कौन से हैं जिनमें उन्होंने अग्रिम आवंटन कर दिए हैं और ऐसे मामले कौन-कौन से हैं जिनमें सामान्य आवंटन मना किए गए हैं और ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) यद्यपि विटामिन 'ए' को 1977-78 के दौरान ही सरणीबद्ध किया गया था, फिर भी वास्तविक उपभोक्ताओं में वितरण के लिए स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन आफ लि० द्वारा उसका कोई आयात नहीं किया जा रहा था। अतः स्टेट कैमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० (सी० पी० सी०) द्वारा इस मद की सप्लाई का प्रश्न नहीं उठता।

1976-77 और 1977-78 के दौरान सी० पी० सी० द्वारा प्रेडनीसोलोन का वितरण किया गया था। इस मद को 1978-79 की आयात नीति में सरणीबद्ध मदों की सूची से निकाल दिया गया था। 1976-77 और 1977-78 के दौरान जब प्रेडनीसोलोन सरणीबद्ध सूची में था, तो इसकी सप्लाई वैमथ जोकि इसके स्वदेशी निर्माता ने और सी० पी० सी० जो इसका आयात करते थे, दोनों द्वारा की जाती थी, जिन पार्टियों को वैमथ और सी० पी० सी० द्वारा सप्लाई की गई थी, उनकी सूची और उनको सप्लाई की गई मात्रा के ब्यौरे विवरण पत्र I में दी गई है। कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जिन्होंने सी० पी० सी० से प्रेडनीसोलेन की केवल आयातित सप्लाई प्राप्त की थी, 1976-77 के लिये पार्टीवार ब्यौरे विवरण पत्र II में और 1977-78 के ब्यौरे विवरण-पत्र III में दिये गए हैं।

जहां तक टैट्रासाइक्लीन का सम्बन्ध है, इसके लिये आई० डी० पी० एल० कैनेलाइजिंग एजेंसी है। 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के दौरान आई० डी० पी० एल० द्वारा की गई सप्लाई के पार्टीवार ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ख) जैसा कि 9 मई, 1978 के अतारांकित प्रश्न सं० 9793 के उत्तर में पहले ही बताया गया है कि सी० पी० सी० और आई० डी० पी० एल० ने बताया है कि उन्होंने सरणीबद्ध कच्चे माल की सप्लाई करने में कोई पक्षपात नहीं किया है।

(ग) ग्राहकों की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद सी० पी० सी० और आई० डी० पी० एल० द्वारा उन मदों का अग्रिम आवंटन लिया जाता है जिनका स्टाक अधिक जमा हो। इस अग्रिम आवंटनों को उस तिमाही के सामान्य आवंटन पर कोई प्रभाव डाले बिना, जिस तिमाही में यह अग्रिम आवंटन किया गया था, बाद की तिमाही में उनकी हकदारी के अनुसार समायोजित किया जाता है। अत: ऐसे मामलों में सामान्य आवंटन न किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

[ग्रंथालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल० टी० 2402/78]

मै० वार्नर हिन्दुस्तान लि० को सरणीकृत कच्चे माल का दिया जाना

307. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **पेट्रौलियम, रसायन तथा उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मै० वार्नर हिन्दुस्तान लि० को दिए गए सरणीकृत कच्चे माल का वर्षवार व्यौरा क्या है और ये निकासियां किस आधार पर की गई थीं ;

(ख) उन्हें प्रेडनीसोलोन दिए जाने के क्या कारण हैं, जबकि यह पता है कि उनके पास इसके लिए औद्योगिक लाइसेंस हैं और इस चूक के लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है; और

(ग) 1967, 1972 और 1978 में इस कम्पनी द्वारा निर्मित उत्पादों का व्यौरा क्या है; क्या बाद में शुरू किए गए उत्पादों के लिए उन्होंने औद्योगिक लाइसेंस लिया है और यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) गत तीन वर्षों अर्थात् 1975-76, 1976-77 तथा 1977-78 के दौरान मैसर्स वार्नर हिन्दुस्तान लि० द्वारा रीलीज की गई केन्लाइज्ड बल्क औषधों के विवरण 9-5-78 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 9793 के उत्तर में पहले ही दिए गए हैं। यह कम्पनी डी० जी० टी० डी० की एक यूनिट है।

1975-76 और 1976-77 के दौरान वार्नर हिन्दुस्तान लि० जैसे डी० जी० टी० डी० यूनिटों को उनके पिछले किसी दो वर्षों के अधिकतम खपत तथा राजकीय औषध नियंत्रकों की सिफारिश की गई माला जो भी कम हो, के आधार पर केन्लाइज्ड कच्चे माल की रीजीज दी जाती हैं। 1977-78 के लिए यह निर्णय किया गया था कि डी० जी० टी० डी० यूनिटों को केन्लाइज्ड कच्चा माल उन्हें 1976-77 में दी गई माला या फार्मूलेशनम के लिये लाइसेंसकृत क्षमता के आधार पर जो माला बनती है इनमें जो भी अधिक हो वह दी जाये।

(ख) वार्नर हिन्दुस्तान लि० को प्रेडनीसीलोन दिए जाने के सम्बन्ध में स्थिति 2-5-78 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 8882 के उत्तर में दी गई है। इन परिस्थितियों में किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस कम्पनी द्वारा 1967-1972 और 1978 में उत्पादित की गई औषधों का विवरण एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रखा जायेगा। इस कम्पनी द्वारा यदि उद्योग विकास विनियमन अधिनियम का कोई उल्लंघन किया गया है तो इसका पता केवल तभी चलेगा जब यह विवरण और कम्पनी अपने लाइसेंसों को समेकित करने के लिये आवश्यक विवरण देगी।

सिंथेटिक्स एण्ड कैमीकल्स लिमिटेड के कर्मचारी

308. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंथेटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड ऐसे प्रत्येक कर्मचारी को, जिसे 500 रुपये या इससे अधिक मासिक वेतन या मजूरी मिलती है, वर्षवार कितनी पडोन्नतियाँ और अतिरिक्त वेतन-वृद्धियाँ दी गई; और

(ख) वर्ष 1977 में उक्त कम्पनी के कर्मचारियों की असाधारण पदोन्नति, अतिरिक्त वेतन वृद्धि और परिलब्धियों पर 51 लाख रुपये खर्च करने की क्या आवश्यकता थी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) (क) विभाग के पास कोई सूचना नहीं है, क्योंकि इसे कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत, कम्पनी द्वारा विभाग अथवा कम्पनी रजिस्ट्रार को भेजना अपेक्षित नहीं है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

मैसर्स सिंथैटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड बरेली द्वारा कृत्रिम रबड़ का बट्टे खाते डाला जाना

309. **श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंथैटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा गत तीन वर्षों में वर्षवार कितने कृत्रिम रबड़ को बेकार घोषित किया गया; और

(ख) कम्पनी के रिकार्ड में कृत्रिम रबड़ को बेकार घोषित किए जाने की क्या आवश्यकता थी जबकि यह कोई खराब होने वाली वस्तु नहीं है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) मैसर्स सिंथेटिक एंड कैमिकल्स लि० बरेली ने सूचित किया है कि उनके द्वारा गत तीन वर्षों में कोई सिंथेटिक रबड़ नष्ट नहीं किया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे वर्कशापों तथा लोकोमोटिव्ज एवं व्हील तथा एक्सल संयंत्र का आधुनिकीकरण करने के लिये विश्व बैंक की सहायता

310. **श्री एफ० पी० गायकवाड : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे वर्कशापों तथा लोकोमोटिव्ज एवं व्हील एण्ड एक्सल संयंत्र का आधुनिकीकरण करने की कतिपय परियोजनाओं में धन लगाने के लिए विश्व बैंक से मिलने वाली सहायता को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा 28 मार्च, 1978 को तारांकित प्रश्न संख्या 480 के मंत्री महोदय के उत्तर के संदर्भ में इस विषय पर आगे विचार -विमर्श पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) भारतीय रेल परियोजना के आधुनिकीकरण और अनुरक्षण के लिए 1900 लाख अमरीकी डालरों के कर्ज के संबंध में सरकार और विश्व बैंक के बीच होने वाली वार्ता हाल ही में पूरी हुई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रेलवे कारखानों और पहिया एवं धुरा संयंत्रों का निर्माण भी शामिल है। इस सम्बन्ध में एक या दो महीने में औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने की सम्भावना है ।

इलाहाबाद में पार्सल उतारने/चढ़ाने संबंधी कार्य

311. **डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन राजपत्रित अधिकारियों की एक समिति ने सभी तथ्यों और पेशकशों पर विचार करने के बाद सिफारिश की थी कि इलाहाबाद में पार्सल उतारने/चढ़ाने संबंधी कार्य किसी सहकारी समिति को ठेके पर देने की बजाय विभाग द्वारा ही निपटाया जाना चाहिए अथवा खुले टेंडर आमंत्रित करके दिया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट, इलाहाबाद, द्वारा इन सिफारिशों को न मानने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड से इस मुद्दे पर कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या उत्तर रेलवे प्रमुख यानान्तरण (ट्रांसशिपमेंट) स्थलों के अतिरिक्त स्टेशनों के लिए खुले टेंडर आमंत्रित कर सकता है जैसे कि पूर्व रेलवे में प्रचलित है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में रेलवे बोर्ड द्वारा किया गया और उत्तर रेलवे को भेजा गया निर्णय क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) मंडल अधीक्षक, इलाहाबाद द्वारा सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई थी क्योंकि सम्हलाई का काम विभागीय रूप से करना औचित्य नहीं पाया गया और समझौतों माध्यम से कोआपरेटिव सोसाइटियों को सम्हलाई के ठेके आबंटित करने की नीति को ध्यान में रखते हुए खुले टेंडर आमंत्रित नहीं किए जा सकें।

(ग) रेलवे बोर्ड से एक स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या उन मामलों में टेंडर मंगाये जा सकते हैं जब समझौतों के माध्यम से एक से अधिक पंजीकृत कोआपरेटिव लेबर सोसायटी ने उसी ठेके के आबंटन का दावा किया हो।

(घ) यह विनिश्चय किया गया है जहां किसी विशेष आपरेशन क्षेत्र में कर्मचारियों को एक से अधिक सदाशयी कोआपरेटिव सोसाइटी है, ठेके के आबंटन के लिए, ऐसी समितियों से सीमित टेंडर मांगे जायेंगे।

इलाहाबाद में पार्सल चढ़ाने-उतारने का काम कर रहे श्रमिकों को कम मजूरी दिया जाना

312. **डा० महादीपक सिंह शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद में पार्सल चढ़ाने-उतारने का काम कर रहे श्रमिकों को 1,23,585 रुपए की कम मंजूरी का भुगतान करने के लिए रेलवे स्टेशन पोर्टर्स कोआपरेटिव लेबर कन्ट्रेक्ट सोसाइटी लिमिटेड इलाहाबाद को जिम्मेदार ठहराया गया है;

(ख) क्या उपर्युक्त सोसायटी को डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट, इलाहाबाद ने एक रजिस्टर्ड नोटिस भेजा है जिसमें कम भुगतान की गई राशि की मांग की गई है ;

(ग) क्या अन्य अनुभवी सोसाइटियों ने उक्त ठेके को कम दरों पर लेने के लिए आवेदन पत्र भेजे हैं और इसके साथ-साथ उन्होंने 6.50 रुपए प्रतिदिन की दर से भुगतान करने का वचन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उत्तर रेलवे वर्तमान सोसाइटी का अल्पावधि के लिए ठेका क्यों बढ़ा रही है जबकि अन्य अनियमितताओं के साथ-साथ सोसायटी श्रमिकों को कम भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां। परन्तु 1,23,585 रुपये की राशि अनन्तिम है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) उन स्टेशनों पर जहां सदाशयी कर्मचारियों की एक से अधिक सदाशयी कोआपरेटिव लेबर कन्ट्रेक्ट सोसाइटी है, पार्सल सम्हलाई के ठेके दिये जाने के संबंध में नीति पर आगे विचार किया जा रहा है। इसको देखते हुए रेलवे पोर्टर्स कोआपरेटिव लेबर कान्ट्रेक्ट सोसाइटी लि० इलाहाबाद के पहले वाले ठेके को उन्हे फिर से अल्प अवधियों के लिए बढ़ा दिया गया है।

सरकारी एजेंसी के माध्यम से आयातित कच्चा माल और बल्क औषधियों औषध फर्मों को दिया जाना

313. **श्री आर० के० अमीन** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी एजेंसी के माध्यम से आयातित कच्चा माल किस आधार पर मैसर्स वार्नर हिन्दुस्तान और अलकली एंड कैमिकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमि० और फाइजर लिमि० को दिया गया, और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, अलग अलग उनको दी गई बल्क औषधियों का ब्यौरा क्या है तथा उन फार्मूलेशनों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए वे दी गई तथा उनकी लाइसेंस शुदा क्षमता क्या है?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) सभी तीन कम्पनियां अर्थात् मैसर्स वार्नर हिन्दुस्तान, मैसर्स अल्कली एण्ड केमीकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० और मैसर्स फाइजर लि० डी० जी० टी० डी० की यूनिटें हैं। 1976-77 तक केन्लाइज्ड कच्चा माल डी० जी० टी० डी० की यूनिटों को पिछले दो वर्षों में किसी एक वर्ष की अधिकतम खपत की सीमा तक अथवा राज्य औषध नियंत्रक द्वारा स्वीकृत मात्रा तक जो भी कम हो ; के मुताबिक रीलीज़ की जा रही थी। 1970-71 से 1972-73 तक डी० जी० टी० डी० की यूनिटों को वार्षिक उत्पादन के लिए 15 प्रतिशत व्यवस्था सहित बढ़ी हुई मात्रा के आधार पर कच्चे माल की सप्लाई की गई थी। 1977-78 के लिए यह निर्णय किया गया था कि डी० जी० टी० डी० यूनिटों को केन्लाइज्ड कच्चा माल 1976-77 के स्तर तक था उनकी फार्मूलेशन्स की लाइसेंसीकृत क्षमता के आधार पर जो भी अधिक है दिया जाये।

1978-79 के लिए इन यूनिटों को पहले छ: महीनों के लिए कच्चा माल उनकी प्रत्येक फार्मूलेशन के लिए लाइसेंसीकृत क्षमता के ग्राधार पर ग्रावश्यकता का 50 प्रतिशत दिया जायेगा (जहां पर फार्मूलेशन्स सम्बद्ध ग्रौद्योगिक स्वीकृति में विनिर्दिष्ट है) ग्रौर जहां कोई क्षमता विशिष्ट रूप से नहीं दिखाई गई है वहां 1976-77 में दी गई मात्रा का 50 प्रतिशत दिया जायेगा।

यह स्पष्ट है कि डी० जी० टी० डी० यूनिटों को केन्लाइज्ड कच्चे माल की सप्लाई प्रत्येक फार्मूलेशनस की ग्रावश्यकताग्रों से नहीं जुड़ी हुई थी। उनके द्वारा निर्मित ये फार्मूलेशन्स ऐसे मदों के लिए लाइसेंसीकृत क्षमता के ग्राधार पर तैयार किए गए थे। परन्तु गत तीन वर्षों में मैसर्स वार्नर हिन्दुस्तान लि० तथा मैसर्स फाइजर लि० को रीलीज की गई केन्लाइज़ड वल्क ग्रौषधों की जानकारी (1) 9-5-1978 के लोक सभा में पूछे गए ग्रतारांकित प्रश्न संख्या 9793 ग्रौर (2) 2-5-78 को लोक सभा में पूछे गए ग्रतारांकित प्रश्न संख्या 8887 के उतर में क्रमश: दी गई थी मैसर्स ग्रल्कली एण्ड केमीकल्स कारपोरेशन ग्राफ इण्डिया लि० के बारे में इसी प्रकार का ब्यौरा संलग्न विवरण पत्र में दिया गया है। जून 1978 में जब यह बात सरकार के ध्यान में ग्राई थी कि कम्पनी बिना किसी ग्राई० डी० ग्रार० ऐक्ट 1951 के ग्रन्तर्गत वैद्य लाइसेंस के कुछ फार्मूलेशनस का निर्माण कर रही है तो केन्लाइज़ड कच्चे माल की सप्लाई इस कम्पनी को बंद कर दी गई थी।

विवरण

मैसर्स ग्रल्कली एण्ड केमीकल्स कारपोरेशन ग्रांफ इण्डिया को रीलीज किया गया केन्लाइजड कच्चा माल

(ग्रांकड़े किलोग्राम)

क्रम संख्या	बल्क ग्रौषध का नाम	के दौरान रीलीज़ की गई मात्रा		
		1975-76	1976-77	1977-78
1. सी० पी० सी० मदें				
1.	क्लोरोक्विन सल्फेट	1800	2500	3175
2. ग्राई० डी० पी० एल० मदें				
2.	सल्फाडिमीडाइन	10475	4000	8500
3.	पिप्राजीन एडिपेट	1625	—	—
4.	ग्रिसेग्रोफुलविन	—	—	1615

स्टेट केमिकल्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स कारपोरेशन ग्राफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा ग्रौषधियों का ग्रायात

314. **श्री ग्रार० के० ग्रमीन :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन ग्रौर उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में केमिकल्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स कारपोरेशन द्वारा मूल्यों के बारे में सीधे या एजेंटों के माध्यम से बातचीत करके कितने मामलों में ग्रौषधियों का ग्रायात किया गया ; उन मदों, मूल दरों, तय किए गए मूल्यों, ग्रौर ग्रायातित मात्रा का ब्यौरा क्या है; ग्रौर

(ख) इस बात को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि कैमीकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन के बातचीत करने वाले ग्रधिकारी विदेशी सप्लाई कर्ताग्रों ग्रथवा उनके एजेंटों के साथ मिलकर कोई भ्रष्ट तरीके न ग्रपनाएं।

पेट्रोलियम, रसायन ग्रौर उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) सी० पी० सी० ने बताया है कि गत तीन वर्षों के दौरान उन्होंने लगभग 80 ग्रौषधों ग्रौर रसायनों का व्यापार किया है ग्रौर प्रतिवर्ष प्रति मद की

खरीद औसतन 5 रही है। दूसरे शब्दों में गत तीन वर्षों के दौरान अलग-अलग 1200 मदों की खरीद की गई होगी। जब टेंडर मंगाये जा ते हैं तो प्राय: प्रस्तावों में सुधार करने के लिये बातचीत करना आवश्यक हो जाता है। ऐसे मामलों में सी० पी० सी० द्वारा निम्नलिखित मानदण्ड अपनाये गए हैं :—

(1) बातचीत को बोली देने वालों तक सीमित रखा गया। जिन्होंने उनके आयात टेंडरों के उत्तर में बोलियां दी थीं।

(2) प्रस्ताव के मूल्य और अन्य बातों में सुधार करने के लिए बातचीत आमतौर पर सबसे कम टेंडर भरने वाले के साथ की गई।

(3) सबसे कम टेंडर के अलावा दूसरी पार्टी के साथ समझौता करने का एक मात्र मामला ऋण/ रुपया अदायगी स्रोतों से सप्लाई करने वालों के साथ हुआ। जो कि सरकार के इस विदेश पर किया गया है कि रुपया/ ऋण नीति के उपयोग को अधिकतम किया जाये। ऐसे मामलों में भी रुपया/ ऋण सूत्रों से सप्लायरों की बोली को उनके आयात टैण्डरों के उत्तर में दिये गए सबसे कम प्रस्ताव तक कम करने के प्रयास किए गए। और यदि यह सम्भव नहीं हुआ तो अधिक मूल्य पर खरीद करने के लिये वित्त मंत्रालय (आर्थिक विभाग) की स्वीकृति प्राप्त की गई।

(4) बातचीत के माध्यम से किसी भी पार्टी से जो कि मूल रूप में सबसे कम टेण्डर वाली नहीं थी, खरी करने से पहले सी० पी० सी० के दूसरे उच्च सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति लेनी पड़ती थी जिसको कि ऐसे अधिकार प्राप्त थे।

अत: यह देखा जा सकता है कि ऐसे मामलों में बातचीत उचित मार्ग दर्शनों के अनुरूप किए गए। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि सी० पी० सी० ने गत तीन वर्षों के दौरान लगभग 1200 खरीदने की होती, यह विचार किया गया है कि खरीद के ऐसे मामलों के बारे में जिनके टेण्डरों को स्वीकार करने से पहले बातचीत अपेक्षित हों। उनके बारे में आंकड़े एकत्रित करने और उनका पता लगाने में लगने वाले सम और श्रम को प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं समझा गया है।

(ख) उपरोक्त मानदण्डों के अन्तर्गत्त सभी बातचीन को सी० पी० सी० के विपसन और वित्त प्रभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल द्वारा आमतौर पर किया गया है। प्रभागीय समिति और क्रय समिति जो कि टैण्डर देने के लिये उत्तरदायी हैं, बातचीत करने के लिए प्रभागों के लिये मार्ग दर्शन निर्धारित करते हैं।

रीद पद्धति की समय-समय पर समीक्षा करने के सम्बन्ध में सी० पी० सी० की आम प्रणाली को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक समिति गठित की है। जिसमें मुख्य वित्तीय प्रबन्धक, मुख्य आन्तरिक लेखा परीक्षक और प्रमुख सतर्कता अधिकारी शामिल हैं। जो उक्त पद्धति की समीक्षा करते हुए आवश्यक संशोधनों/ सुधारों की सिफारिश करेगी।

स्टेट केमीकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० द्वारा सारणीकृत बल्क औषधियों को खरीद।

315. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है कि कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स कारपोरेशन द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सारणीकृत बल्क औषधियों की तुलनात्मक उचित मूल्य पर खरीद की जाए; और

(ख) आयात योजना को अनितम रूप दिए जाने के समय से खरीद किए जाने तक की प्रक्रिया क्या है, प्रत्येक स्तर पर सम्बद्ध किए जाने वाले संगठनों/विभाग के नाभ क्या है; यह किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है कि टेंडर प्रणाली और दर सूची आमंत्रित करने की व्यवस्था त्रुटिहीन हो और कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स कारपोरेशन के अधिकारियों द्वारा उसका दुरुपयोग न हो?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) सी० सी० पी० निम्नलिखित उपायों के जरिए अन्तर्देशीय बाजार में प्रतियोगी क्रम को सुनिश्चित करती है:--

(i) क्रय आमतौर पर, स्वीकृत सूची में दिए गए विख्यात और विश्वसनीय निर्माताओं/सप्लायरों को गई आयात सूचना के आधार पर किया जाता है। इस प्रणाली से अन्तर्देशीय सप्लायरों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है और उनको अत्यधिक प्रतियोगी मूल्य निश्चित करने की प्रेरणा मिलती है।

(ii) चालू होने वाले नए एककों के बारे में उपलब्ध सूचना के आधार पर सप्लायरों की सूची का सामयिक पुनरीक्षण करके सप्लाई स्रोतों का विविधीकरण करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जाते हैं।

(iii) प्रस्तावों पर निर्णय करते समय केवल मूल्यों पर ही ध्यान नहीं दिया जाता है अपितु अन्य शर्तों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि सप्लायरों में प्रतियोगिता को सुनिश्चित किया जा सके।

(iv) अधिकांश विख्यात सप्लायर 2/3 से अधिक ऐसे मदों के व्यापार में लगे हुए हैं, जिनकी सी० पी० सी० को आवश्यकता होती है और सी० पी० सी० की इस क्रय क्षमता से निर्माताओं में प्रतियोगिता को प्रेरणा मिलती है।

(v) आयात कार्यक्रम को पूरे वर्ष में विभाजित करते हुए सी० पी० सी० एक ही समय में बाजार मांग के दवाव को कम करने की कोशिश करती है।

(vi) सी० पी० सी० जहां तक हो सके पर्याप्त स्टाक जमा करके कष्टकारी क्रम को रोकने की कोशिश करती है।

(vii) प्रकाशित स्रोतों और सी० पी० सी० के विदेश कार्यालयों तथा विदेशी निर्माताओं के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करके पर्याप्त बाजार सूचना एकक करने के प्रयास किए जाते हैं ताकि सी० पी० सी० द्वारा मांगी गई सूचना के उत्तर में प्राप्त प्रस्तावों की बाजार सूचना के आधार पर जांच की की जा सके और यदि आवश्यक हुआ तो मूल्यों को, बोली/समझौता करके कम किया जा सके, अथवा क्रम को स्थगित करके / दुबारा टेंडर मंगा कर कम किया जा सके।

खरीद पद्धति के विभिन्न स्तर और प्रत्येक स्तर में लगे हुए संगठन निम्न प्रकार हैं:--

(i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये आयात योजनाओं को डी० जी० टी० डी० औषध नियंत्रक आई० डी० पी० एल० और सी० पी० सी० के परामर्श से पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष की तीसरी तिमाही में अन्तिम रूप दिया जाता है।

(ii) वास्तविक उपभोक्ताओं से यह अनुरोध किया जाता है कि वे अपनी आवश्यकताओं को पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा निर्धारित वितरण पद्धति के अनुसार पंजीकृत करायें।

(iii) सलाहकार समिति की बैठकों में, जो कि वर्ष में कम से कम दो बार होती है, आयात योजना की तुलना में सी० पी० सी० के पास पंजीकृत मांग के बारे में उद्योग के विचार प्राप्त किए जाते हैं। उद्योग के प्रमुख संघों के अलावा पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय डी० जी० टी० डी०, औषध सलाहकार (भारत) और आई० डी० पी० एल० को भी इन बैठकों में बुलाया जाता है।

(iv) आयात योजना और उद्योग द्वारा पंजीकृत की गई मांग के आधार पर सी० पी० सी० आयात टेंडर मंगा कर बाजार में प्रवेश करती है। आई० डी० पी० एल० के वितरण क्षेत्र में आने वाले मदों को छोड़ कर अन्य मदों के विपणन के बारे में सी० पी० सी० द्वारा वास्तविक उपभोक्ताओं के डिलीवरी कार्यक्रम और उपलब्ध बाजार सूचना के आधार पर निर्णय किया जाता है।

(v) टेंडरों के उत्तर में प्राप्त प्रस्तावों को एक समिति की उपस्थिति में खोला जाता है जिसमें सी० पी० सी० के विपणन प्रभाग, वित्त प्रभाग और प्रबन्ध प्रभाग के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

(vi) टेंडरों पर सबसे पहले उक्त प्रभागीय समिति के स्तर पर विचार किया जाता है और उसके पश्चात् प्रभागीय समिति की सिफारिशों की एक क्रय समिति द्वारा जांच की जाती है जिसमें सी० पी० सी० के प्रभागीय प्रधान और मुख्य वित्तीय प्रबन्ध शामिल होते हैं। सामान्य नियम के अनुसार क्रय समिति 75 लाख रुपये के कम मूल्य के टेंडर प्रदान करती है और इस मूल्य से अधिक के टेंडर अथवा किसी ऐसे क्रय के लिये, जिसमें साधारण पद्धति के कुछ अन्तर हो, सी० पी० सी० के उच्च सक्षम प्राधिकारी की अनुमति ली जाती है जिसको ऐसा अधिकार दिया गया हो।

सी० पी० सी० ने एक समिति का गठन किया है जिसमें मुख्य वित्तीय प्रबन्धक, मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक और मुख्य सतर्कता अधिकारी शामिल हैं और यह समिति विद्यमान पद्धति की जांच करेगी तथा जहां आवश्यक हो सुधार करने के लिए सुझाव देगी। क्रय पद्धति में समय-समय पर सुधार लाने के लिए उसकी समीक्षा करने के सम्बन्ध में सी० पी० सी० की आय प्रणाली को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है।

DEMAND OF COOKING GAS CONNECTIONS STATE-WISE

316. SHRI DHARMASINBHAI PATEL : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) the number of families, State-wise, provided cooking gas connections during 1976-77 and 1977-78 and the target set for 1978-79;

(b) the number of families State-wise, provided cooking gas connections during 1978-79 todate;

(c) the names of companies which supply the gas, State-wise;

(d) the number of demands for gas connections pending of at present, State-wise;

(c) when these applicants are likely to get the connections whether any scheme has been formulated therefor; if so, the details and if not, the reasons therefor; and

(f) when and how a concrete programme will be chalked out for the supply of gas connections to the people ?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a), (b), (c) and (d). A list showing State-wise the number of families provided with cooking gas connections during the year 1976-77 and 1977-78, and the names of oil companies which supply gas is given in the Statement. Information in regard to the number of families provided with cooking gas connections during the year 1978-79 and the number of applicants waiting for gas connections is being collected and will be laid on the Table of the Sabha. During the year 1978-79, the oil companies propose to issue 3 lakh new connections. The exact details, State-wise in this regard have not yet been fully worked out.

(e) and (f). At present, the demand for cooking gas in the country is far in excess of its availability. The availability of gas is expected to improve by 1980 by the commissioning of :

(i) the facilities for separation of cooking gas from the Bombay High Associated Gas;

(ii) the Mathura Refinery;

(iii) the Coker Unit of Bongaigaon Refinery; and

(iv) the secondary processing facilities at Koyali Refinery.

From 1980 onwards it will be possible to grant cooking gas connections on a signficant scale.

STATEMENT

List Showing State-wise (i) the number of families provided with cooking gas connections during 1976-77 and 1977-78 and (ii) names of oil companies which supply cooking gas.

Name of State/Union Territory	Number of families provided with cooking gas connections.		£Names of oil companies marketing cooking gas		
	1976-77	1977-78			
Goa	310	—	BPC	—	HPC
Maharashtra	26,133	6,333	BPC	*IOC	HPC
Karnataka	9,360	2,745	BPC	IOC	HPC
Andhra Pradesh	9,183	3,506	BPC	IOC	HPC
Gujarat	17,338	3,086	BPC	IOC	HPC
Punjab	4,015	1,978	—	IOC	HPC
Jammu & Kashmir	2,120	372	—	—	HPC
Madhya Pradesh	11,422	4,627	BPC	IOC	HPC
Assam	9,188	5,441	—	IOC	—
Bihar	20,119	18,900	—	IOC	HPC
Chandigarh	1,562	1,366	—	IOC	HPC
Delhi	14,968	6,014	BPC	IOC	HPC
Haryana	7,796	2,345	—	IOC	—
Himachal Pradesh	246	84	—	IOC	—
Kerala	6,482	1,261	—	IOC	—
Manipur	769	341	—	IOC	—
Meghalaya	1,424	645	—	IOC	—
Mizoram	783	348	—	IOC	—
Nagaland	570	1,165	—	IOC	—
Orissa	3,958	8,210	—	IOC	HPC
Pondicherry	728	156	—	IOC	—
Rajasthan	4,540	1,367	—	IOC	HPC
Sikkim	567	582	—	IOC	—
Tamil Nadu	24,213	4,214	—	IOC	HPC
Tripura	626	441	—	IOC	—
Uttar Pradesh	32,734	10,359	—	IOC	—
West Bengal	24,123	24,793	—	IOC	HPC
Total	2,35,277	1,10,679			

£ IOC stands for Indian Oil Corporation ; BPC for Bharat Petroleum Corporation; and HPC for Hindustan Petroleum Corporation

* Gas supplied only to industrial consumers in bulk.

LEVEL CROSSING OF KESHOD

†317. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether great difficulties are faced in the movement of traffic because schools, housing societies, oil mills, airport and the road leading to many villages are on the eastern side of a level crossing of Keshod city on Jetolser-Veraval railway line in Junagadh district in Saurashtra region in Gujarat;

(b) if so, whether Government propose to construct an over-bridge or under-bridge in place of this level crossing of Keshod;

(c) if so, when and the details thereof; and if not, the reasons therefor; and

(d) whether Government have received any request in regard to construction of over-bridge or under-bridge there and if so, from whom and when these requests have been received and the action so far or proposed to be taken by Government thereon and when such action is proposed to be taken together with the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE FOR RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) The Railway is not aware of any difficulties. Certain amount of detention to road traffic at the manned level crossing is, however, unavoidable.

(b) & (c). Proposals for the construction of road over/under-bridge in replacement of busy level crossings have to be sponsored by the State Government/Road Authority, who have also to give an undertaking to bear broadly 50% of the cost, as per extent rules. No request has so far been received from the State Govt./Local Authorities for the construction of a road over/under-bridge at Keshod.

(d) Requests have been received from the following for the construction of road over/under-bridge at Keshod. The patries were asked to move the State Government for sponsoring the proposal :

(i) The President, Taluka Panchayat, Keshod, in April, 1966.

(ii) The workers of Keshod Taluka, Junagadh, District in 1970.

(iii) Shri N. R. Vekaria, Member Parliament, in May, 1972.

(iv) Shri Kumbhani Karamshi Amba, Member Nagar Panchayat, Keshod, in April 1972.

पर लागत की 50 प्रतिशत रकम वहन करने का वचन भी देना होता है, राज्य सरकार/स्थानिय प्रधिकारियों से केशोद पर ऊपरी सडक/निचले सडक पुल के निर्माण के लिए अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नही हुआ है।

(घ) केशोद में उपरी सडक/निचले सडक पुल के निर्माण के लिए निम्नलिखित से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। पार्टियों को कहा गया था की वे राज्य सरकार से प्रस्ताव प्रायोजित करायें।

(I) अध्यक्ष तालुक पंचायत, केशोद से अप्रैल, 1966 में।

(II) केशोद तालुक जिला जुना गढ के कामगारों से अप्रैल, 1970 में

(III) श्री एन आर वेकारिया, संसद सदस्य से मई, 1972 में,

(IV) श्री कुम्भानी रमशी अम्बा, सदस्य नगर पंचायत, केशोद से अप्रैल, 1972 में।

VACANT RAILWAY LAND IN JAMNAGAR

318. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the land on the Jamnagar broad gauge railway line in the Saurashtra region of Maharashtra town where the rails have been dug out is still lying vacant and open; if so, when and why the rails were dug out thereby rendering the land vacant;

(b) whether it is a fact that this vacant land has been demanded by the Jamnagar Municipality, if so, when and the nature of the demand;

(c) when and how this vacant land in the Jamnagar city will be handed over to the Municipality; and

(d) the reasons for not handing over this vacant land to the Jamnagar Municipality so far and by what time and in what manner will this be handed over ot the Jamnagar Municipality ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a), (b), (c) & (d) amnagar-Bidi Railway line was realised and its take-off point was shifted from Jamnagar to Hapa. About 2.2 km. of track which had become redundant as a result of this realignment was dismantled in October, 1977.

In May, 1978 an oral request was received from Jamnagar Municipality for the transfer of this railway land to them, but no written request has so far been received. The land can be relinquished to the municipality if the State Government has no objection for the same and the municipality is agreeable to pay its current market value to the Railway.

MANUFACTURE OF RAILWAY COACHES

319. SHRI SURENDRA JHA SUMAN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of broad gauge, metre gauge and narrow gauge railway coaches manufactured in the country during the past five years; and

(b) how many of them are having Indian style lavatories and how many European style ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS : (SHRI SHEO NARAIN) : (a) The total number of Broad gauge, Metre Gauga and Narrow Gauge coaches manufactured during the last five years (i.e. 1973-74, 1974-75, 1975-76, 1976-77 and 1977-78) in the three production units (Integral Coach Factory, Madras, Bharat Earth Movers, Bangalore and M/s. Jessoph & Co. Calcutta) are as under :

Type	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	Total
Broad Gauge	1070	822	683	605	714	3894
Metre Gauge	117	187	223	279	183	989
Narrow Gauge	—	—	—	—	—	—

(b). The break-up of coaches produced, year-wise with Indian, European and Combined style lavatories and without lavatories, is as under :

Type/Year.	With Indian Type lavatories.	With European type Lavatories.	With Combined Indian & European type lavatories.	Without lavatory. *	Total.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Broad Gauge :					
1973-74	689	71	184	126	1070
1974-75	430	95	137	160	822
1975-76	521	9	50	103	683
1976-77	283	60	173	89	605
1977-78	357	1	257	99	714
Total	2280	236	801	577	3894
Metre Gauge :					
1973-74	117	—	—	—	115
1974-75	139	—	—	48	187
1975-76	223	—	—	—	223
1976-77	150	41	88	—	279
1977-78	92	—	73	18	183
Total	721	41	161	66	989
Narrow Gauge			NIL		

*These coaches are used for Suburban traffic and have no lavatories.

तेल के मूल्यों में वृद्धि

320. **श्री माधवराम सिंधिया** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1978 के दौरान जेनेवा में आयोजित पैट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के संगठन की नियमित बैठक में तेल मूल्यों में वृद्धि करने के लिए सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका हमारे देश में मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जेनेवा में जून, 1978 के दौरान तेल निर्यातक देशों के संगठन की अनुसचिवालीय बैठक में ओ० पी० ई० सी० सदस्य राज्यों ने 1978 वर्ष के अन्त तक कच्चे तेल के मूल्यों को वर्तमान स्तर पर स्थिर रखे जाने का निर्णय लिया ।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता ।

CATERING CONTRACTS GIVEN TO SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

321. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 23 on 21st February, 1978 regarding catering contracts given to Scheduled Castes and Scheduled Tribes; whether the requisite information relating to parts (b), (c) and (d) of the question has since been collected and if so, the details thereof and if not, the time likely to be taken further?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : The information has since been received and is under scrutiny and compilation. This will be furnished within this month.

CATERING CONTRACTS GIVEN IN EASTERN RAILWAY

322. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Wil lthe Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of big and small catering contracts given in each Division on the Eastern Railway during the last one year;

(b) whether 10 per cent contracts of catering and other stalls have been given to the persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the rules and if not. the reasons therefor:

(c) the number, names and addresses of the persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes who have been given small and big contracts at present in all the Divisions on the Eastern Railway; and

(d) the number of small and big contractors whose contracts have been renewed three or four times?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

GAS AGENCIES IN DIFFERENT STATES

323. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2780 regarding number of SC/ST having gas and Petrol pump agencies on the 14th March, 1978 and state :

(a) the number of such gas agencies in different States having more than 500 connections and the names of such agents of Indian Oil, Burmah Shell and Esso companies;

(b) whether in Bombay, Calcutta, Delhi, Madras, Ahmedabad, Kanpur etc. several agencies have been obtained in the names of different members of one family; if so, their names and whether it is a fact that these agents charges more money than prescribed for the gas connections or additional cylinder; and

(c) whether, in order to remove unemployment Government have formulated any policy of providing more agencies to Harijans, Adivasis and educated unemployed persons and if so, the outlines thereof?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) The required information is given in the Statement-I enclosed.

(b) The required information is given in the Statement-II enclosed. No complaint of charging more money by these distributors, other than the prescribed amount for gas connections or additional cylinder, has come to notice.

(c) According to the guidelines issued by Government to all the public sector oil companies, the award of agencies for retail outlets, LPG, SKO/LDO is to be made as under :—

(i) 25% for persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons;

(ii) 2% for physically handicapped persons; and

(iii) the balance on commercial consideration preference being given to genuine Consumer Co-operative Societies and Agro Industries Corporations.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 2403/78]

अलीगढ़ दिल्ली जनता एक्सप्रेस में अस्वच्छता

324. **श्री ए० एस० सोमानी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलीगढ़ से दिल्ली के बीच चलने वाली जनता एक्सप्रेस में, जो पैसेन्जर गाड़ी की तरह प्रत्येक स्टेशन पर रुकती है और जिसके लिए एक्सप्रेस गाड़ी का किराया वसूल किया जाता है, समूचित सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अम्बाला–फरुखाबाद बरास्ता अलीगढ़ का डिब्बा गन्दा है, पंखे काम नहीं करते, स्विचों की व्यवस्था नहीं है और पानी की टंकी में पानी की व्यवस्था नहीं है, आदि; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 39 अप जनता एक्सप्रैस अन्य सवारी गाड़ियों की तरह अलीगढ़ और दिल्ली के बीच के प्रत्येक स्टेशन पर नहीं ठहरती है। अतः एक्सप्रैस गाड़ी का किराया लिया जाता है।

(ख) 39 अप/40 डाउन जनता एक्सप्रैस गाड़ी में फरुखाबाद के लिए कोई स्लिपर कोच नहीं जोड़ा जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

15-20 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों को स्थायी करना

325. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या रेल मंत्री 15–20 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों को स्थायी न करने के बारे में दिनांक 11 अप्रैल, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6383 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से साक्षात्कार के द्वारा भर्ती किए गए लगभग 1000 सहायक अधिकारियों की सेवा शर्तों पर कुप्रभाव पड़ा है क्योंकि स्थायी करने के संबंध उनके साथ गंभीर रूप से भेदभाव किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ग के अधिकारियों के हितों की रक्षा के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 11-4-78 को अतारांकित प्रश्न 6383 का जो उत्तर दिया गया था उस में रेल कर्मचारियों की पुष्टि और वरिष्ठता के संबंध में आम स्थिति स्पष्ट की गई थी। अब जो प्रश्न पूछा गया है उसका संबंध अस्थायी सहायक अधिकारियों से है जिन्हें अवर्गीकृत के रूप में अर्थात् न श्रेणी I में और न ही श्रेणी II में भर्ती किया गया था यद्यपि उन्हें कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों पर

लागू होने वाला वेतनमान दिया गया था। उन्हें नियुक्ति, पुष्टि और वरिष्ठता की विशेष शर्तों के अधीन रेलों पर नियुक्त किया गया था। ये शर्तें उनकी नियुक्ति की पेशकश में स्पष्ट रूप से बतायी गई थीं और उन्होंने इन्हें स्वीकार भी कर लिया था। श्रेणी I में उनकी पुष्टि इन्हीं शर्तों के अनुसार की जाती है। नियुक्ति की उक्त शर्तों के अनुसार उनकी वरिष्ठता श्रेणी I में उनकी पुष्टि होने की तारीख से गिनी जानी थी। लेकिन सरकार ने यह विनिश्चय किया था कि विशेष मामले के रूप में उन्हें वरिष्ठता में अधिकतम पांच वर्षों का लाभ दिया जाये। अतः कोई भेद भाव नहीं बरता गया।

(ख) अब सरकार ने विनिश्चय किया है कि शेष 190 अस्थायी अधिकारियों को पुष्टि के लिए निश्चित रिक्तियों के वार्षिक कोटे में अगले कुछ वर्षों की अवधि के अन्दर पुष्ट करने की बजाय अपेक्षित संख्या में अधिसंख्य पदों का सृजन करके इन सभी को 1978 के दौरान स्थायी कर दिया जाये।

रेलवे प्लेट फार्म

326. **श्री अहमद हुसैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तथा विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र और पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्लेटफार्मों की स्थिति सुधारने हेतु तथा क्या मापदंड अपनाया जा रहा है अपनाने का विचार है ;

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में किन प्लेटफार्मों का आगामी तीन वर्षों में सुधार करना निश्चित किया गया है तथा इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक मामले में आवंटित धन अथवा आबंटित किए जाने वाले धन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्लेटफार्मों की स्थिति सुधारने हेतु स्वीकृति लेने अथवा पूर्वोत्तर परिषद् द्वारा प्राथमिकता निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में पूर्वोत्तर परिषद् योजना आयोग तथा रेलवे बोर्ड के समक्ष विचाराधीन मामलों का ब्यौरा क्या है तथा किस किस्म का सुधार करने का सुझाव दिया गया है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) भारतीय रेलों के सभी स्टेशनों पर समुचित सतह वाले प्लेटफार्मों की व्यवस्था कर दी गई है। प्लेटफार्म की लम्बाई बढ़ाना, उनकी सतह ऊंची करना, भराई आदि सुधार से संबंधित काम रेल प्रशासनों द्वारा क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता सुविधा समिति जिसमें जनता के प्रतिनिधि भी होते हैं, की सिफारिश पर किए जाते हैं। वे ही स्टेशन का तुलनात्मक महत्व, यात्री यातायात की मात्रा, गाड़ियों की संख्या, धन की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए ऐसी बातों की प्राथमिकता निर्धारित करते हैं।

यात्रियों की सुविधाओं के कामों के लिए निधि रेलवे वार आबंटित की जाती है न कि क्षेत्रवार। इस प्रकार, राज्य/क्षेत्रवार सूचना अलग से उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसे कामों के लिए संसद के अनुमोदन से बजट का आबंटन सालाना किया जाता है। इसलिए अगले तीन वर्षों के लिए सूचना नहीं दी जा सकती है।

बम्बई हाई से प्राप्त गैस का उपयोग

327. **श्री के० लकप्पा** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि बम्बई हाई से प्राप्त तेल और गैस को मुख्य भूमि तक लाने के लिये पाइप लाइन बिछा दी गई है तथापि गैस के अभीष्ट उपयोग के लिये कोई ठोस योजनायें तैयार नहीं की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उर्वरकों तथा पेट्रो-रसायनों के लिये उत्पादन-सामग्री के रूप में उपयोग में लाये जाने हेतु पाइप द्वारा आ रही प्राकृतिक गैस के मूल्यवान तत्वों को पृथक करने के लिए मुख्य भूमि में प्रभाजक संयंत्र लगाने जैसी योजनाओं पर अभी तक विचार न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) पाइप लाइन द्वारा आ रही गैस को तत्काल किस उपयोग में लाने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख), (ग) और (घ) बम्बई हाई से उरान तक तेल तथा गैस लाने ले जाने के लिए अन्तः सागरीय ट्रंक पाइपलाइनों को बिछाने तथा उरान से ट्राम्बे तक स्थानान्तरण पाइपलाइनों को बिछाने का काम पूरा हो गया है। तेल तथा गैस का प्रवाह इन पाइप लाइनों से आरम्भ कर दिया गया है।

सरकार का ध्यान बम्बई हाई गैस के अधिकतम उपयोग किए जाने से संबंधित प्रश्न पर लगा हुआ है। बम्बई हाई, बसीन उत्तर तथा बसीन दक्षिण से उत्पन्न होने वाली अपतटीय गैस की उपयोगिता का अध्ययन करने के लिए एक कार्यकारी दल गुजरात के लिए और दूसरा कार्यकारी दल महाराष्ट्र के लिए दो कार्यकारी दलों का गठन किया गया था। मोटे तौर पर उनकी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ महाराष्ट्र के लिए दो और गुजरात के लिए दो कुल 4 उर्वरक परियोजनाओं का गठन सम्मिलित है।

महाराष्ट्र में वर्तमान एककों के लिए उर्वरक संभरण के लिए गैस का प्रयोग करना और बिजली घरों को इसे सप्लाई करना मुख्यतः लघुकालीन प्रस्ताव हैं।

अन्ततोगत्वा दीर्घकालीन गैस को विखंडित किया जायेगा गुजरात और महाराष्ट्र में प्रस्तावित उर्वरक संयंत्रों के लिए लीन गैस को प्रारंभिक तौर पर उर्वरक संभरण भंडार के रूप में प्रयोग किया जायेगा। पेट्रो–रसायन संभरण भंडार के रूप में इसके प्रयोग की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है।

हाल ही में यह निर्णय किया गया है कि हिमजेनिक प्रणाली पर आधारित प्रतिदिन 4 मिलियन घन मी० की क्षमता वाले तथा संबद्ध तथा गैर-संबद्ध गैस के मिश्रण को 50:50 की दर से विखंडन करने वाले नमूने सहित एक प्रभाजन संयंत्र को उरान में स्थापित किया जाए।

शुरू-शुरू में इस गैस को टाटा बिजली घर और ट्राबे में उर्वरक संयंत्रों में प्रयोग किया जायेगा।

दक्षिण की ओर जाने वाली गाड़ियों में चोरियों एवं डकैतियों की घटनायें

328. **श्री के० लकप्पा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें लम्बी दूरी की अनेक गाड़ियों में, विशेष रूप से दक्षिण की ओर जाने वाली गाड़ियों में, रात्रि में होने वाली हाल की चोरियों तथा डकैतियों की सूचना भी है;

(ख) क्या यह सच है कि जान एवं माल के खतरे से बचाने के लिए अनेक यात्रियों ने उन गाड़ियों में सीटों का आरक्षण रद्द कर दिया है;

(ग) भविष्य में गाड़ियों में डाकाजनी, गाड़ियों को रोकने की घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए क्या उपाय सोचे गये हैं; और

(घ) क्या लम्बी दूरी की गाड़ियों में और शक वाले इलाकों में रात के समय सशस्त्र रक्षक नियुक्त करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां। मध्य रेलवे पर दक्षिण की ओर जाने वाली गाड़ियों में डकैतियों और लूट-पाट की चार घटनायें हुई हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) रेल मंत्री ने प्रभावित राज्यों अर्थात् बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्य-मंत्रियों के साथ बातचीत की है और उनसे अनुरोध किया है कि यात्रियों और उनके जान-माल की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वे कारगर निवारक कदम उठायें।

16-6-78 को रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गयी थी और यह विनिश्चय किया गया था कि —(1) उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की राज्य सरकारें अधिक संख्या में सशस्त्र अनुरक्षियों की व्यवस्था करके इस प्रकार के अपराधों के विरुद्ध एक जोरदार अभियान चलायें (2) जब कभी खतरे की जंजीर खींची जाये तो उसके बारे में सशस्त्र

पुलिस अनुरक्षियों को सूचना देने की तात्कालिक व्यवस्था हो, (3) सशस्त्र पुलिस अनुरक्षियों को गाड़ी के बीच में तैनात करने की व्यवस्था हो जिससे खतरा होने पर वे दो दलों बंट जायें और अपराधियों को पकड़ने के लिये गाड़ी के दोनों ओर उतर जायें, (4) पुलिस अनुरक्षियों को शक्तिशाली टार्च/हल्की पिस्तौलें और भभूकों (प्रकाश गोलों) से सज्जित किया जाये और (5) गाड़ी के दोनों ओर के क्षेत्र को प्रकाशित करने के लिए गार्ड और ब्रेकमैन के पास शक्तिशाली बत्तियों की व्यवस्था की जाये।

रेल सम्पत्ति की हिफाजत के लिए भेद्य खंडों में चलने वाली कुछ खास-खास गाड़ियों में रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है। इससे यात्रियों में विश्वास की भावना पैदा करने में भी सहायता मिलेगी और अपराधी गाड़ियों में वारदातें करने से भी बाज आयेंगे।

सवारी डिब्बों में निम्नलिखित निवारक उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय रेलों ने एक अभियान चलाया है :—

(1) चल टिकट परीक्षक/डिब्बा परिचर रात के 10.00 बजे और प्रातः 6.00 बजे के बीच गलियारों के दरवाजों को ताला लगा देते हैं।

(2) रात के समय चल टिकट परीक्षक और डिब्बा परिचर सतर्क रहते हैं और घुसपैठ करने वलों, फेरी वालों और अनधिकृत व्यक्तियों को डिब्बों में घुसने से रोकते हैं।

(3) बिना गलियारेदार गाड़ियों के मामले में गलियारेदार दरवाजे स्थायी रूप से बन्द अथवा निष्प्रयोज्य कर दिये जाते हैं।

रेलवे तथा राज्य सरकारों द्वारा उठाये गये उपर्युक्त कदमों के फलस्वरूप 12-6-78 के पश्चात् दक्षिण की-ओर जाने वाली गाड़ियों में लूटमार अथवा डकैती की कोई घटना नहीं हुई है।

(घ) भेद्य क्षेत्रों में लम्बी दूरी की गाड़ियों में रात्रि में राज्य सरकारों द्वारा सशस्त्र दस्तों की व्यवस्था की गयी है। भेद्य क्षेत्रों में रेल सम्पत्ति की रक्षा के लिए कुछ चुनी हुई गाड़ियों में रात्रि में रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कर्मचारियों के दस्ते भी नियुक्त किये गये हैं। इससे यात्रियों में विश्वास की भावना पैदा करने में सहायता मिलेगी तथा अपराधी भी गाड़ियों में वारदातें करने से बाज आ जायेंगे।

राजधानी में रेलवे आरक्षण में कदाचार

329. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में रेलवे आरक्षण में चोर बाजारी और कदाचार पुनः होने लग गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) अनाधिकृत एजेंटों, दलालों और अन्य समाज-विरोधी तत्वों द्वारा रेलवे आरक्षणों में भ्रष्टाचार तथा कदाचार के कुछ मामले रेल प्रशासन के ध्यान में आये हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कदाचार का पता लगाने और रेलवे टिकटों की चोर बाजारी रोकने के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) सभी स्टेशनों पर सभी गाड़ियों के लिए अग्रिम आरक्षण की मियाद छः मास कर दी गई है ताकि समाज-विरोधी तत्वों द्वारा स्थान न घेरा जा सके और सदाशयी यात्रियों को रेल यात्राओं की अग्रिम योजना बनाने के लिए अपेक्षाकृत अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें।

(2) यातायात की निकासी के लिए महत्वपूर्ण मार्गों पर नयी गाड़ियां चलाकर, वर्तमान गाड़ियों में और अधिक डिब्बे लगाकर, उनके चालन क्षेत्र बढ़ाकर, सप्ताह में एक बार/दो बार चलने वाली

गाड़ियों के फेरों में वृद्धि करने तथा छुट्टी-स्पेशल गाड़ियाँ चलाकर मांग और आपूर्ति के बीच के अन्तर को कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) अतिरिक्त यातायात को सम्हालने के लिए अतिरिक्त टिकट खिड़कियां और आरक्षण काउंटर खोले गये हैं और आरक्षण कार्यालयों का काम करने का समय बढ़ा दिया गया है।

(4) आरक्षण प्रबन्धों को सुचारु बना दिया गया है और महत्वपूर्ण स्थलों पर कड़ा पर्यवेक्षण रखा जाता है।

(5) आरक्षण के मामले में कदाचार में लिप्त समाज विरोधी तत्वों और रेल कर्मचारियों को खोज निकालने के लिए धोखाधड़ी विरोधी दस्तों, सतर्कता संगठन, सरकारी रेलवे पुलिस तथा रेलवे सुरक्षा दल की मदद से जांच कार्य तेज कर दिये गये हैं। स्थिति में सुधार लाने के लिए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाई की जाती है। जहां कहीं सम्भव होता है, सी० बी० आई० की मदद भी ली जाती है।

(6) समाज विरोधी तत्वों की भ्रष्ट तथा अनियमित गतिविधियों पर लगातार नजर रखने और उनकी गतिविधियों की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई करने और कारगर कदम उठाने के लिए रेल प्रशासनों को आगाह कर दिया गया है।

(7) पहले महानगरों से शुरू करके बड़े-बड़े बुकिंग कार्यालयों में आरक्षण/बुकिंग क्लर्कों और पर्यवेक्षकों के रूप में केवल महिलाओं को रखने के बारे में कार्रवाई की जा रही है।

2. उपर्युक्त उपाय किये जाने के बावजूद, रेल मंत्रालय को आरक्षण में भ्रष्टाचार और कदाचार के बारे में लगातार शिकायतें मिलती रही हैं। इसलिए तात्कालिक प्रभाव के लिए, रेलवे बोर्ड के नियंत्रण में काम करने वाले निरीक्षकों का एक विशेष दस्ता गठित किया गया है और प्रमुख आरक्षण कार्यालयों और चलती गाड़ियों में जांच करने/छापे मारने का काम तेज करने के लिए एक जोरदार अभियान चलाया गया है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय रेलों को ऐसी हिदायतें भी जारी की गई हैं कि सतर्कता संगठन और धोखाधड़ी विरोधी दस्ते, सी० बी० आई० और स्थानीय पुलिस की मदद लेकर, जांच करने और छापे मारने के काम को तेज करें। आरक्षण में व्याप्त भ्रष्टाचार और कदाचार को रोकने के लिए चलाया गया विशेष अभियान काफी हद तक कारगर सिद्ध हुआ है क्योंकि टिकट जांच और आरक्षण कर्मचारी समझने लगे हैं कि उनकी गतिविधियों पर निगाह रखी जा रही है।

3. पुलिस की सहायता से स्टेशन परिसरों से असामाजिक तत्वों के हटा दिये जाने और हस्तान्तरित टिकटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों की जांच करने पर विशेष जोर देने की कार्रवाई दलालों और अनधिकृत यात्रा एजेंटों की गतिविधियों को काफी हद तक रोकने में कारगर सिद्ध हुई है।

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री की विदेश यात्रा

330. **श्री जनार्दन पुजारी**
श्री डी० अमात : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने मई-जून, 1978 के दौरान नार्वे, लन्दन और दुबाई की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का क्या परिणाम निकला ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) दुबाई का दौरा मुख्यत: वामर लारी कंपनी द्वारा वहां स्थापित कन्टेनर फैक्टरी का दुबाई के शासक महामहिम द्वारा उदघाटन से संबंधित थी। यह कंपनी इस पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अन्तर्गत सावजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इस अवसर का संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और दुबाई के शासक तथा संयुक्त अरब अमीरात के उद्योग और वित मंत्री के साथ दोनों देशों के बीच और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करने के लिए उपयोग किया गया था।

नार्वे का दौरा नार्वे मंत्री के निमंत्रण पर किया गया था। नार्वे के पेट्रोलियम एवं ऊर्जा मंत्री और उद्योग मंत्री के साथ अपतटीय विकास कार्यक्रम, उपतटीय टेक्नालोजी, रखरखाव पद्धति से संबंधित मामलों और संबद्ध समस्याओं पर भी विचार

किया गया था। उनके तटीय एवं अपतटीय संसाधनों पर अपनी आवश्यकताओं की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करने के लिये भी इस अवसर का प्रयोग किया गया था। इन चर्चाओं और विचार विमर्श के परिणामस्वरूप बहुत से अन्य सहयोगी क्षेत्रों का भी पता चल गया था।

लन्दन सामान उतारने-चढ़ाने का एक केन्द्र था। फिर भी सभी ऐसे निलंबित मामलों की समीक्षा करने के अवसर का सदुपयोग किया गया जिन पर उच्च आयुक्त द्वारा कार्यवाही की जानी है।

कलकत्ता में एम० टी० पी० के चल स्टाक के संबंध में अन्तिम निर्णय में विलम्ब

331. **श्री सौगत राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में एम० टी० पी० के लिए चल स्टाक के संबंध में अन्तिम निर्णय करने में विलम्ब हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह विलम्ब दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

"लीडर प्रोडक्ट का अर्थ"

332. **श्री गोविन्द मुण्डा :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 मार्च, 1978 को सभा पटल पर रखे गये विवरण में उल्लिखित प्रत्येक फार्मूलेशन के अधिघोषित मूल्य से "लीडर प्रोडक्ट" का अर्थ पहचाना जायेगा ; और

(ख) "लीडर प्रोडक्ट" का चयन निर्माताओं से परामर्श करके निश्चित किये जाने के क्या कारण हैं ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) ऐसा प्रतीत होता है इस प्रश्न का संकेत 29 मार्च, 1978 को लोक सभा पटल पर रखे गये विवरण पत्र के पैरा 52 की ओर है जोकि पुनः प्रस्तुत किय गया है।

"52. जहां तक तीसरी श्रेणी का संबंध है प्रत्येक निर्माता के लिए अलग-अलग मूल्य निर्धारण किया जायेगा जैसा कि अब तक किया जाता था। परन्तु जहां कहीं संभव होगा सामान्य गठन के आधार पर यहां भी "लीडर प्रोडक्ट" का पता लगाया जायेगा और ऐसे फार्मूलेशन्स के लिए मूल्य अधिसूचित किये जाएंगे जो कि सम्बद्ध निर्माता अपने विकल्प अनुसार सरकार को सूचना दे कर अपना सकते हैं। इस श्रेणी के लिए अधिकतम मार्क-अप 100 प्रतिशत तक होगा और निर्माता इस अधिकतम सीमा तक अपना मार्क-अप चुनने के लिए मुक्त होंगे"।

नई नीति में यह व्यवस्था की गई है कि I और II श्रेणी के उत्पादों जिन पर मार्क-अप क्रमशः 40 प्रतिशत और 55 प्रतिशत होगा। लीड मूल्य ऐसी फार्मूलेशनों के प्रमुख कार्यकुशल निर्माताओं की उत्पादन लागत आधार पर तय किये जायेंगे। ऐसे मूल्य समय समय पर सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किये जायेंगे। तीसरी श्रेणी के फार्मूलेशनों के लिए प्रत्येक निर्माता के लिए मूल्य निर्धारण अलग-अलग से किया जायेगा और 100 प्रतिशत से अधिक मार्क-अप नहीं दिया जायेगा। यद्यपि तीसरी श्रेणी के फार्मूलेशनों के लिए यह सामान्य प्रणाली होगी परन्तु जहां कहीं संभव होगा सामान्य गठन के आधार पर इन फार्मूलेशनों के लिए लीडर मूल्य अधिसूचित किये जायेंगे। इन मूल्यों को सम्बद्ध निर्माता सरकार को सूचित करके अपना सकते हैं। परन्तु श्रेणी III के फार्मूलेशनों के लिए ऐसे लीडर मूल्य को अपनाना निर्माताओं के लिये अनिवाय नहीं होगा क्योंकि (क) इस श्रेणी में लीडर मूल्यों का पता लगाना सदा संभव नहीं होगा और (ख) काम्पोजिट मार्क-अप संरचना में निर्माताओं को यह स्वेच्छा दी गई है कि वे 100 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अन्दर कोई भी मार्क-अप चुन सकते हैं।

छोटे पैमाने के निर्माताओं से "लीडर प्रोडक्ट" का चयन करना

333. **श्री गोविन्द मुण्डा :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 मार्च, 1978 को सभा पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार छोटे पैमाने के निर्माताओं के उत्पादन में से एक "लीडर प्रोडक्ट" का चयन किया जा सकता है ;

(ख) "लीडर प्राडक्ट" की मान्यता का ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार "लीडर प्राडक्ट" का चयन किस प्रकार करने का है, और श्रेणी-वार पर कोई नियंत्रण क्यों नहीं है; तथा ये उत्पादन उपयोगी तथा आवश्यक नहीं है; क्या नियंत्रण के अभाव में विदेशी फर्मों को खुली छूट नहीं मिल जाएगी; और यदि हां, तो उन्हें मूल्य नियंत्रण की परिधि में न लाने के क्या कारण हैं;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) से (ग) नई नीति के अनुसार लीडर मूल्य ऐसे फार्मूलेशन के प्रमुख कार्यकुशल निर्माताओं की उत्पादन लागत पर आधारित हैं। यदि कोई छोटे पैमाने का अपने उत्पाद के लिए उपरोक्त मानदण्डों को प्राप्त करता है तो इसे उसे भी लीडर मूल्य का निर्धारण करने के लिए चुना जा सकता है ।

नई मूल्य निर्धारण नीति में I और II श्रेणी के फार्मूलेशनों के लिए क्रमशः 40 प्रतिशत और 55 प्रतिशत तथा III श्रेणी के फार्मूलेशन के लिए 100 प्रतिशत मार्का देने की व्यवस्था की गई है । श्रेणी IV के फार्मूलेशन मूल्य नियंत्रण से मुक्त हैं । अलग-अलग मार्का का परिकल्प इसलिए किया गया है कि निर्माता चारों श्रेणियों के फार्मूलेशनों पर समस्त आधार पर उचित प्रतिप्राप्ति प्राप्त कर सकें और साथ ही आवश्यक फार्मूलेशन के मूल्य उचित स्तर पर रोके जाएं । यह संभव है कि चौथी श्रेणी में दिये गये उत्पादों में से कुछ उत्पाद उपयोगी और आवश्यक हो सकते हैं । परन्तु समस्त परियोजना के संदर्भ में यह श्रेणी उद्योग के सभी क्षेत्रों के लिए यानि विदेशी क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र में मूल्य नियंत्रण से मुक्त होगी । निर्माता बहुत अधिक लाभ न कमा सके, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए निर्माता की समस्त प्रक्रिया लाभदायकता की अधिकतम सीमा निश्चित की गई है जैसा कि विवरण पत्र के पैरा 54 में दिया गया है ।

भोपाल और आगरा के बीच जयन्ती जनता एक्सप्रैस में लूट मार की घटनायें

334. **श्री वयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भोपाल और आगरा के बीच जयन्ती जनता एक्सप्रेस में लूटमार और डकैती की घटनाओं का एक नियमित सिलसिला बन गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) जयन्ती जनता एक्सप्रेस में 30-5-78 और 9-6-78 को क्रमशः बुदनी और मिडघाट के बीच और सांची के पास डकैती की दो घटनाएं हुई ।

(ख) मध्य प्रदेश की सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा तुरन्त की गयी कार्रवाई के परिणामस्वरूप छः अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और चुरायी गयी सम्पत्ति का अधिकांश भाग बरामद कर लिया गया है । इस खण्ड पर गाड़ियों में चोरियों की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा विशेष कदम उठाये गये हैं । प्रभावित खंडों से, रात के दौरान गुजरने वाली सभी गाड़ियों में सशस्त्र पुलिस आरक्षियों की व्यवस्था की गयी है ।

यात्री जनता को प्रभावित करने वाले घोर अपराधों में वृद्धि से चिन्तित हो कर, रेल मंत्री ने पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों का ध्यान इस ओर दिलाया है और उनकी प्रतिक्रिया उत्साहजनक है । 16-6-78 को रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी और यह विनिश्चय किया गया था कि (1) उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की राज्य सरकारें शस्त्र पहरेदारों की संख्या बढ़ाकर ऐसे अपराधों के विरुद्ध जोरदार अभियान चलायेंगी, (2) यह सुनिश्चित किया जाये कि रात के समय जब कभी खतरे की जंजीर खींची जाये तो पुलिस के सशस्त्र पहरेदारों को तुरन्त सूचना मिल जाये, (3) पुलिस के सशस्त्र पहरेदारों को गाड़ी के मध्य में स्थान दिया जाये ताकि खतरे को देखते ही वे दो दलों में बंट जायें और अपराधियों को पकड़ने के लिए गाड़ी के दोनों ओर उतर जायें, (4) पुलिस पहरेदारों को बड़ी शक्तिशाली टार्चें/बड़ी हल्की पिस्तोलें और रोशनी वाले उपकरण दिये जायें, और (5) गार्ड और ब्रेकमैन को शक्तिशाली बत्तियां दी जायें ताकि गाड़ी के दोनों ओर के क्षेत्र में रोशनी की जा सके ।

भेद्य खंडों में रात के समय चलने वाली चुनी हुई गाड़ियों में रेल सम्पत्ति की रक्षा करने के लिये रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र पहरेदारों की व्यवस्था की जा रही है । इससे यात्रा करने वाली जनता के मन में विश्वास जगाने और साथ ही अपराधियों को गाड़ियों में अपराध करने से रोकने में सहायता मिलेगी ।

7—279 LSS/78

सवारी डिब्बों में निम्नलिखित निवारक उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय रेलों ने एक अभियान चलाया है :—

1. चल टिकट परीक्षक/डिब्बा परिचर रात के 10.00 बजे और प्रात: 6.00 बजे के बीच गलियारों के दरवाजों को ताला लगा देते हैं ।
2. रात के समय चल टिकट परीक्षक और डिब्बा परिचर सतर्क रहते हैं और घुसपैठ करने वालों, फेरी वालों और अनधिकृत व्यक्तियों को डिब्बों में घुसने से रोकते हैं ।
3. बिना गलियारेदार गाड़ियों के मामले में गलियारेदार दरवाजे स्थायी रूप से बंद अथवा निष्प्रयोज्य कर दिये जाते हैं ।

रेल अधिकारियों पर चलाये गये 35 मामलों का ब्यौरा

335. **श्री दया राम शाक्य :** क्या **रेल** मंत्री अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में 4 अप्रैल, 78 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5489 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिकारियों पर चलाये गये 35 मामलों तथा उनका शीघ्र निपटारा न होने के कारणों का वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन अधिकारियों के सेवानिवृत्त हो जाने तक इन मामलों को लटकाये रखा जाता है ताकि उनके विरुद्ध वस्तुत: कोई कड़ी कार्यवाही न हो सके; और

(ग) 55 वर्ष से अधिक आयु वाले ऐसे अधिकारियों को उनके सेवाकाल में वृद्धि क्यों दी गई जिनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध हो गये थे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) वर्तमान नियमों के अन्तर्गत रेल कर्मचारी 58 वर्ष की आयु जो कि सेवा निवृत्ति की निर्धारित आयु है, प्राप्त करने पर अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त कर दिये जाते हैं, इनमें अधिकारी भी शामिल हैं ।

विवरण

ऐसे मामलों के वर्षा-वार ब्यौरे जो जांच पड़ताल/अनुशासन और अपील नियमों की कार्रवाई के अन्तर्गत आते थे नीचे दिये गये हैं :—

वर्ष	मामलों की कुल संख्या (31-12-77 को)	ऐसे मामलों की संख्या जिन्हें अन्तिम रूप दिया जा चुका है	ऐसे मामलों की संख्या जिन्हें अभी अंतिम रूप दिया जाना है	अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण
1973 . .	1	—	1	एक अन्य मामले में सम्बन्धित रिकार्ड न्यायालय के अधिकार में था ।
1975	3	2	1	यह मामला न्यायालय के विचाराधीन था ।
1976 .	6	2	4	जांच पड़ताल के साथ-साथ अनुशासन और अपील की कार्रवाइयों के इस मामले में एक निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जानी है जिसमें विभिन्न स्तरों पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ विचार-विमर्श भी शामिल है ।
1977 .	20	7	13	
1978 .	5	1	4	
जोड़ . . .	35	12	23	

रेलवे सुरक्षा बल संगठन को जोनल रेलवे में सुविधाएं.

336. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोनल रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल के मान्यता प्राप्त संगठन को दी गई सुविधाएं संगठन के सुचारू कार्य-करण के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं ;

(ख) क्या इस संगठन ने अपने सुचारु कार्यकरण के लिए अन्य मान्यता प्राप्त संगठनों के समान अधिक सुविधा की निरन्तर मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और अन्य मान्यता प्राप्त संगठनों के समान सुविधाएं इसे क्यों उपलब्ध नहीं की जा रही हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) इन सुविधाओं को प्रारम्भिक स्तर पर पर्याप्त समझा गया था। इन सुविधाओं में और अधिक विस्तार करने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

(ख) (और (ग) जी हां, ये एसोसियेशनें रेलों पर अन्य मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों को प्राप्त सुविधाओं को समकक्ष सुविधाओं की मांग करती रही हैं । हाल ही में इस मंत्रालय को रेलवे सुरक्षा बल एसोसिएशन द्वारा प्रेषित एक मांग-पत्र प्राप्त हुआ है जिसपर इस मंत्रालय में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । इन कर्मचारियों के काम की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं के विशेष दृष्टिकोण से इस एसोसियेशन को अन्य यूनियनों के समकक्ष रखना वांछनीय नहीं समझा जाता ।

रेलवे बोर्ड के अनुरक्षण पर व्यय

337. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे बोर्ड के अनुरक्षण पर कितना व्यय हुआ;

(ख) बोर्ड में सदस्य स्तर तक कर्मचारियों/अधिकारियों के सभी वर्गों में कितने पद कम किए गए अथवा नए बनाए गए; और

(ग) क्या बोर्ड में सभी स्तरों पर चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों और प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की संख्या के संबंध में कोई मानदंड है ।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नराराण) : (क) रेलवे बोर्ड पर पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 11.64 करोड़ रुपये खर्च हुए ।

(ख) इस अवधि के दौरान कम किये गये पदों की संख्या 192 तथा सृजित किये गये पदों की संख्या 168 थी ।

(ग) तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन किया जाता है ।

प्रथम श्रेणी के पद कार्य-भार ड्यूटी के स्वरूप तथा उत्तरदायित्वों के आधार पर विनियमित किये जाते हैं ।

जंजीर खींचने की घटनाओं को रोकने के लिये कदम

338. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या रेल मंत्री जंजीर खींचने की घटनाओं के बारे में 11 अप्रैल, 78 के अतारांकित प्रश्न सं० 6494 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए तथा ऐसी सभी प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन अपने सुरक्षा बल के कर्मचारी तथा सरकार रेलवे पुलिस के सिपाही तैनात करती है ।

(ख) यदि हां, तो फिर भी जंजीर खींचने की इतनी घटनाएं क्यों हुई हैं और इसके फलस्वरूप वित्तीय दृष्टि से कितने मूल्य का समय नष्ट हुआ; और

(ग) उपरोक्त प्रश्न के (ख) भाग में दिए गए उत्तर के संदर्भ में विभिन्न चैकिंगों पर कितनी राशि खर्च की गई;

(घ) इस खतरे को रोकने के लिए और इसमें लगी मशीनरी को और मजबूत बनाने के लिए उनका मंत्रालय किन ठोस कारगर और लाभकारी उपायों पर विचार कर रहा है; और

(ङ) इस समस्या का समाधान करने के लिए रेल विभाग ग्राम स्थलों का पता क्यों नहीं लगाता और कारगर कार्य-वाही क्यों नहीं करता ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ङ) यात्रियों की सुरक्षा के लिए कासगंज-अछनेरा खंड पर चलने वाली सभी रात्रि गाड़ियों के साथ सरकारी रेलवे पुलिस के सिपाही चलते हैं ।

रेल प्रशासन द्वारा उन प्रभावित स्थानों की जानकारी प्राप्त कर ली गयी है जहां जंजीर खींचने की घटनाएं आम तौर पर होती रहती हैं । इस बुराई को समाप्त करने के लिए स्थानीय लोगों तथा पुलिस के सहयोग से प्रभावी कदम उठाये गये हैं । रेलवे पुलिस ने इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से भी विचार विमर्श किया है ।

जंजीर खींचने की घटनाओं को रोकने के लिए नियुक्त किये गये कर्मचारियों पर होने वाले व्यय तथा नष्ट होने वाले परिचालन समय के बारे में अलग से कोई विवरण नहीं रखा जाता क्योंकि केवल इस कार्य के लिए अलग से कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं की जाती ।

जंजीर खींचने की इस बुराई को समाप्त करने के अभियानों को और तेज कर दिया गया है ।

बम्बई हाई गैस से गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र

339. **श्री लखनलाल कपूर :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई हाई की गैस से गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के बारे में अन्तिम रूप से कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो रेवास में ऐसा संयंत्र लगाने में क्या कठिनाईयां हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) मूल प्रस्ताव के अनुसार रेवास में बड़े पैमाने का एक उर्वरक प्लांट लगाने का वहां के स्थानीय निवासियों तथा बम्बई के निवासियों जिन्होंने अपने आप को "बम्बई बचाओ समिति" में संगठित किया है कड़ा विरोध किया है । उनके विरोध का प्रमुख कारण यह है कि इससे बम्बई तथा नये बम्बई क्षेत्र में संभवतः प्रदूषण का खतरा बढ़ेगा और किसान भी विस्थापित होंगे । इस बीच प्रस्तावित प्रायोजना का विभिन्न संभव स्थलों पर वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करने के एन० सी० ई० पी० सी० के कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है । एन० सी० ई० पी०सी० कार्यकारी दल की सिफारिशें तथा राज्य सरकार के विचार को ध्यान में रख कर प्रायोजना के स्थल के सम्बन्ध में सरकार शीघ्र निर्णय ले लेगी ।

बिहार में नये उर्वरक संयंत्र

340. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरक संयंत्रों के स्थापना-स्थलों के बारे में कोई मार्गदर्शी निर्देश निर्धारित किए हैं ;

(ख) क्या इस संबंध में पिछड़े क्षेत्रों के किसानों की आवश्यकताओं पर भी विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या बिहार से पिछड़े क्षेत्रों में कोई नए उर्वरक संयंत्र लगाए जाने की आशा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) खाद कारखाना लगाने के लिये तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से विचार किया जाता है जिससे अन्य बातों के साथ संभरण सामग्री की उपलब्धता, इनफ्रास्ट्रेक्चर की सुविधाओं की उपलब्धता, बाजार की सुगमता, और प्रायोजना के किफायती बाजार क्षेत्र में उर्वरकों की मांग जैसे पहलू भी शामिल हैं ।

तथापि यह उल्लेख किया जाता है कि सम्पूर्ण देश को उर्वरकों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन अर्धवार्षिक क्षेत्रीय सम्मेलनों में किया जाता है जो प्रतिवर्ष सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों और निर्माताओं के प्रतिनिधियों के साथ बुलाये जाते हैं । इन सम्मेलनों के बाद बनाई गई सप्लाई योजना के अनुसार उर्वरकों की सप्लाई की जाती है और आवश्यक जिंस अधिनियम के अन्तर्गत आदेश जारी किये जाते हैं जिनमें निर्माताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उर्वरकों की विशिष्ट मात्रा को निर्धारित राज्यों को वितरित करें । अतः यह सुनिश्चित किया जाता है कि सम्पूर्ण देश के किसानों की उर्वरकों की मांग को पूर्ण रूप से समय पर पूरा किया जाये इससे इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है कि किसी विशेष क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है अथवा नहीं ।

(ग) फिलहाल बिहार में कोई खाद कारखाना लगाने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है, तथापि मैसर्स बिहार कास्टिक एंड कैमिकल्स लि० को रेहाला, बिहार में उनके कास्टिक सोडा प्लांट में एक सहउत्पाद के रूप में अमोनिया क्लोराइड का उत्पादन करने के लिये एक आशय पत्र जारी किया गया है ।

निजी व्यापारियों के वैगनों का आबंटन

341. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यमाल, खाद्य तेल आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को लाने-ले जाने हेतु निजी व्यापारियों को वैगनों का आबंटन सुनिश्चित करने के लिए सरकार से अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) प्रवर्तमान नियमों के अधीन, मालडिब्बों का आवंटन प्राथमिकता और पंजीकरण की वरिष्ठता के अनुसार किया जाता है और रेल प्रशासनों द्वारा इस नियम का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है। निजी व्यापार के प्रति माल-डिब्बों का आबंटन उसकी प्राथमिकता के श्रेणी में अपनी बारी पर होता है । माल-डिब्बों की कमी से सम्बन्धित शिकायतों पर उनके गुणावगुण के आधार पर कारवाई की जाती है और, जहां आवश्यक होता है, विशेष सहायता दी जाती है ।

मध्य रेलवे में रेलगाड़ियों में डकैती

342. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि मध्य रेलवे में झांसी, बीना और भोपाल मार्ग पर एक पखवाड़े में तीन रेलगाड़ियों में डकैती पड़ी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार रेलगाड़ियों में डकैती को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) जी हां ।

(ख) (1) 30-5-78 को लगभग 01.30 बजे जब जयन्ती जनता एक्सप्रेस गाड़ी मध्य प्रदेश में मध्य रेलवे पर बुदानी और मिडघाट के बीच चल रही थी, तो कुछ अपराधी जिनके पास पिस्तौलें और चाकू थे, 3-टियर शयनयान में घुस आये और उन्होंने 1600 रुपये की नगदी और यात्रियों की सम्पत्ति लूट ली ।

(2) 9-6-78 को लगभग 03.30 बजे, कुछ अपराधी जयन्ती जनता एक्सप्रेस के दूसरे दर्जे के 3-टियर वाले शयनयान में चढ़ गये और मध्य प्रदेश में मध्य रेलवे के भोपाल बीना खंड पर सांची के पास 3 यात्रियों को लूट लिया ।

(3) 12-6-78 को 5 अपराधी 16 अप जी० टी० एक्सप्रेस गाड़ी के 3-टियर शयनयान में घुस गये और मध्य प्रदेश में मध्य रेलवे के झांसी बीना खंड पर मोहासा और बीना के बीच यात्रियों को लूट लिया ।

(ग) मध्य प्रदेश की सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा तात्कालिक जांच पड़ताल के परिणाम स्वरुप इन मामलों में 6 अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए । 50,000 रु० मूल्य की चुराई गई सम्पति बरामद कर ली गई है ।

यात्रा करने वाली जनता को प्रभावित करने वाले जघन्य अपराधों में वृद्धि से चिन्तित होकर रेल मंत्री जी ने पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का ध्यान पहले ही आकर्षित किया था और उनका उत्तर उत्साहवर्धक था। 16-6-78 को रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गयी थी और यह विनिश्चय किया गया था कि : (1) उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के भागों की राज्य सरकारें अधिक संख्या में सशस्त्र अनुरक्षियों की व्यवस्था करके इस प्रकार अपराधों के विरुद्ध एक जोरदार अभियान चलायें, (2) जब कभी खतरे की जंजीर खींची जाये तो उसके बारे में सशस्त्र पुलिस अनुरक्षियों को सूचना देने की तात्कालिक व्यवस्था हो, (3) सशस्त्र

पुलिस अनुरक्षियों को गाड़ी के बीच में तैनात करने की व्यवस्था हो, (4) पुलिस अनुरक्षियों को शक्तिशाली टार्चें/हल्की पिस्तौलें और भभूकों (प्रकाश गोलों) से सज्जित किया जाय। रेल सम्पत्ति की हिफाजत के लिए रात में भेद्य खंडों में चलने वाली कुछ खास खास गाड़ियों में रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है। इससे यात्रियों में विश्वास की भावना पैदा करने में भी सहायता मिलेगी और अपराधी गाड़ियों में वारदातें करने से भी दूर रहेंगे।

मध्य रेलवे में चोरी, क्षति आदि के कारण दिया गया मुआवजा

343. **श्री भाऊ साहिब थोरट** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे में गत तीन वर्षों में समान की चोरी, क्षति आदि के कारण ग्राहकों को कुल कितना मुआवजा दिया गया;

(ख) इन चोरियों के क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) 1975-76 से अब तक के तीन वर्षों के दौरान मध्य रेलवे ने माल की हानि, क्षति आदि की क्षतिपूर्ति के रूप में क्रमशः 1.49 करोड़, 1.24 करोड़ और 1.33 करोड़ रुपयों का भुगतान किया।

(ख) इन दावों के प्रमुख कारण चोरी, उठाईगीरी, टूट-फुट, भींगने या परिवहन में देरी या दुर्घटनाओं के कारण क्षति, पारेषणों का बदल जाना जालसाजी आदि है।

(ग) इस प्रकार की हानि को रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(1) भेद्य खंडों में लोहा और इस्पात, खाद्यान्न, चीनी, तिलहन आदि ले जाने वाली माल गाड़ियों का रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कार्मिकों द्वारा मार्ग रक्षा करना।

(2) भेद्य यार्डों में रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कार्मिकों द्वारा गश्त लगाना।

(3) अपराध आसूचना एकत्रित करना और रेलों की अपराध आसूचना के कर्मचारियों के साथ साथ रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय अपराध ब्यूरो के कर्मचारियों द्वारा अपराधियों तथा चोरी का सामान लेने वालों का पता लगाने के उद्देश्य से अचानक छापे मारना।

(4) पारेषणों के खोने और क्षतिग्रस्त होने की घटनाओं की रोकथाम की दिशा में और अधिक जागरूक रहने की भावना उत्पन्न करने के लिए कर्मचारियों का मार्ग दर्शन करना एवं उन्हें शिक्षित करना।

(5) चीनी, अनाज, दालें, तिलहन, आदि के पारेक्षणों से लदे पूरे माल डिब्बों के दरवाजों पर सुरक्षा की दृष्टि से निभार की व्यवस्था पर जोर देना।

(6) परेषणों को खोये जाने से रोकने के लिए उन पर भली प्रकार निशान लगाना पता लिखना और लेबल लगाना।

(7) माल डिब्बों की भली भांति अनुरक्षण करना ताकि माल डिब्बों के खराब होने की घटनाओं, जिनके परिणामस्वरूप उन्हें रुके रहना पड़ता है और उनका स्थानान्तरण करना पड़ता है में कमी हो तथा दरवाजों और सुराखों से भीगने तथा टिकिया चोरी से होने वाली क्षति को कम किया जा सके।

(8) जिन माल डिब्बों में मूल्यवान सामान लदा हो उनमें रिवट लगाने के लिए ढिब्री और काबल्ले का उपयोग करना।

(9) खराब माल डिब्बों का संचरण कम करने के लिए मरम्मत लाइनों, यार्डों और माल गोदामों में माल डिब्बों के पेनल कट में पैबन्द लगाना।

(10) बरसात के मौसम में सामान गीला होकर क्षतिग्रस्त होने न पाये, इसे रोकने के लिए विशेष एहतियात बरतना।

(11) लदान और उतराई के दौरान पैकेजों का भली भांति पर्यवेक्षण और सावधानीपूर्वक मिलान करना।

(12) आमान परिवर्तन यानान्तरण स्थलों और पुनर्पैकिंग स्थलों पर पर्यवेक्षण के काम को तेज करना; और

(13) कर्मचारियों का उत्तरदायित्व शीघ्र नियत करना।

मध्य रेलवे में नैमित्तिक श्रमिक

344. **श्री भाऊ साहिब थोरट** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे में इस समय प्रत्येक डिवीजन में कुल कितने नैमित्तिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं तथा कब से;

(ख) क्या इन नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित किया जाएगा; और

(ग) इन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के श्रमिकों की क्या प्रतिशतता है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) मध्य रेलवे के विभिन्न मंडलों में 31-3-78 को कार्यरत नैमित्तिक श्रमिकों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

मंडल	संख्या
बम्बई	8,479
भुसावल	6,176
झाँसी	9,245
जबलपुर	5,109
नागपुर	2,319
शोलापुर	1,663

इनमें से 2 दस वर्ष से अधिक, 568 पांच वर्ष से अधिक, 2,855 तीन वर्ष से अधिक, 1,597 चार माह से अधिक और 27,969 चार माह से कम समय से कार्यरत हैं।

(ख) इन नैमित्तिक श्रमिकों को जांच समिति द्वारा उपयुक्त ठहराये जाने पर, जब कभी रिक्तियां होती हैं, नियमित आधार पर समाहित करने पर विचार किया जायेगा।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उपनगरीय रेलगाड़ियों के दोषपूर्ण रेकों के बारे में विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन पर हिंसात्मक घटनायें

345. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने मई, 1978 के अन्तिम सप्ताह में विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन पर उपनगरीय रेल गाड़ियों के दोषपूर्ण रेकों के बारे में झगड़ा हो जाने पर हिंसा पर उतारू दैनिक यात्रियों पर नियंत्रण रखने के लिए उन पर अश्रुगैस छोड़ी तथा लाठी चार्ज किया :

(ख) यदि हां, तो दोनों ओर कितने हताहत हुए तथा कितनी गिरफ्तारियां हुई; और

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 26-5-78 को विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन पर हिसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का एक गोला इस्तेमाल किया था। पुलिस द्वारा कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया।

(ख) आंसू गैस के गोले के द्वारा कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ लेकिन हाथापाई के दौरान 3 रेल कर्मचारियों, 11 दैनिक यात्रियों और पुलिस के 2 सिपाहियों को चोटें आयी सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा 9 बाहरी व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे।

(ग) ऐसी घटनाओं की रोक थाम के लिए भेद्य स्थलों पर रेलवे सुरक्षा दल और पुलिस के प्रहार-दल को तैनात किया गया है। दैनिक यात्रियों को असुविधा न हो इसके लिए क्षतिग्रस्त रैकों को मरम्मत करने की कार्रवाई तुरन्त की गयी है।

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन, कलकत्ता का डिपो

346. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन, कलकत्ता ने कलकत्ता के मैसर्स शिव नारायण खूब चन्द को 49 कैनाल ईस्ट रोड, कलकत्ता स्थित अपना डिपू किराये पर दिया है;

(ख) यदि हां, तो यह डिपू किराए पर कब दिया गया था तथा उसकी शर्तें क्या हैं;

(ग) कारपोरेशन को 30 जून, 1978 तक किराये के रूप में कुल कितनी राशि दी गई; और

(घ) क्या सरकार का विचार मैसर्स शिवनारायण खूब चन्द से इस डिपू को खाली कराने का है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1970 के मध्य में करार किया गया था लेकिन वर्ष 1972 के मध्य से क्रियान्वित किया गया। जुलाई 1972 से सितम्बर 1976 तक रु० 3625/- तिमाही की दर से दी गई किराये की राशि रु० 14,500/- वार्षिक थी। अक्तूबर, 1976 से प्रति तिमाही इसको रु० 4632.68 तक बढ़ा दी गई है।

(ग) रु० 94,053.76।

(घ) इस मामले पर निर्णय लेना कम्पनी का काम है।

TEMPORARY CLASS IV EMPLOYEES IN RAILWAY RESTAURANTS

†347. SHRI MANOHAR LAL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Class IV employees working in railway restaurants and canteens are kept temporary for a period of more than 2 years;

(b) if so, whether it is also a fact that they are kept temporary even after rendering service of more than 10 years and are paid salary of daily wages workers; and

(c) if so, whether Government have any proposal in regard to confirmation of class IV railway employees soon and if so, the details thereof, and if not, the main reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) & (b). In the catering department of the Railways in addition to bearers in regular scales of pay, there are commission bearers who are not railway employees but are paid commission as a percentage of the sales effected by them.

(c) A decision has recently been taken that commission bearers will be absorbed in regular Class IV Railway scales in a phased manner in the order of their seniority.

IRREGULAR RUNNING OF TRAINS DUE TO COAL SHORTAGE

348. SHRI MRITUNJAY PRASAD: Will thee Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) how far this report is correct that due to coal shortage several trains of different railways were cancelled and/or operated irregularly after the 1st April, 1978 and of those which have not been restored and full details in this regard; and

(b) the reasons for shortage in coal supply and measures taken and proposed to be taken to remove shortage?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) It is a fact that due to shortage of coal some passenger trains had to be fully or partially cancelled from May 1978 onwards only. A statement showing the details is attached.

(b) Shortage was primarily due to low offers of steam coal by collieries in Bengal & Bihar coalfields. There was also a setback in coal loading in April/May 1978 on account of strike in Singareni Collieries and staff agitations on Eastern Railway.

Close liaison is maintained with the Coal Producing Authorities to step up steam coal offers by collieries to meet the requirements of the Railways.

STATEMENT

RAILWAY	Number of trains cancelled fully/partially around the end of	
	May 1978	June 1978
CENTRAL	Nil.	Nil.
EASTERN	Nil.	Nil.
NORTHERN	32	10
NORTH EASTERN	26	Nil.
NORTHEAST FRONTIER	Nil	Nil.
SOUTHERN	20	53
SOUTH CENTRAL	22	30
SOUTH EASTERN	10	Nil.
WESTERN	Nil.	19

PRODUCTION OF PETROLEUM

349. SHRI RAMANAND TIWARY
SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) the total production of petroleum in the country during the past three years; (year-wise, place-wise);

(b) the quantity of crude oil imported during the same period and the amount of foreign exchange spent thereon;

(c) the crude oil production expected in the country in the current year;

(d) the quantity proposed to be imported country-wise; and

(e) the details of the programme to make the country self-sufficient in this regard ?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) and (b). The information is given in the statement attached.

(c) During the current year, the production is expected to be about 12.68 million tonnes.

(d) A quantity of approximately 15 million tonnes is expected to be imported during 1978-79. The following import arrangements have already been made for crude imports during 1978.

Country	Quantity in M. T.
Iran	5·25
Iraq	3
U. A. E.	1
Saudi Arabia	2·5
U.S.S.R.	1·5
Spot purchase	0·55
Total	13·80

(e) Efforts to find additional sources of oil, both on-shore and off-shore, are being stepped up. It is not possible to state when India would become self-sufficient in Petroleum.

STATEMENT

'000' Tonnes

Crude Oil Production	1975	1976	1977
Assam	4,189	4,267	4,510
Gujarat	4,094	4,164	4,237
Off-Shore	Nil.	228	1,438
TOTAL .	8,283	8,659	10,185
Crude Oil Imports			
Qty. (Mn. Tonnes) . .	13·7	14·0	14·8
C.i.f. value (Rs. crores) . . .	979·20	1143·69	1284·46

MANUFACTURE OF WAGONS

†350. SHRI RAMANAND TIWARY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of wagons and coaches manufactured in the country during the last three years; year-wise;

(b) country-wise number of wagons and coaches exported and the amount of foreign exchange earned thereby; and

(c) the action taken or proposed to be taken by Government to increase the production of wagons and coaches.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN)

Year	Wagons (in terms of four wheeler units)	Coaches (Nos.)
1975-76	12176	1005
1976-77	11982	1021
1977-78	12167	1020

(The above production is against Railway Orders)

(b) The country-wise number of wagons and coaches exported during the last three years and the approximate foreign exchange earned thereby were as under :

		WAGONS	
Year	Country	No. of wagons	Approx. foreign exchange earned (in lakhs of Rs.)
1975-76 .	East Africa	52	
	Yugoslavia	662	1193
	Malaysia	64	
	Bangladesh	120	
		898	
1976-77	Yugoslavia	342	
	Malaysia	46	
	Bangladesh	380	935
	Iran	23	
		791	
1977-78 .	Iran	71	
	Tanzania	30	159
		101	
		1790	2287

CASES PENDING IN HIGH COURTS

†351. SHRI RAMANAND TIWARY
SHRI RAMDEO SINGH : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of cases pending in each of the various High Courts in the country as on 30th June, 1978; and

(b) the action taken or proposed to be taken by Government for expeditious disposal of these cases ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) : (a) and (b). Information as on 30th June, 1978 is not available. The total number of cases pending in the different High Courts on 31st December, 1977 as well as the steps taken or being taken for expeditious disposal thereof are given in the statement attached.

Number of Cases pending in the High Courts on 31st December, 1977

Name of the High Courts	No. of cases pending as on 31-12-1977
Allahabad	1,32,749
Andhra Pradesh	15,887
Bombay	52,592
Calcutta	72,448
Delhi	26,587
Gauhati	6,548
Gujarat	11,722
Himachal Pradesh	5,019
Jammu & Kashmir	4,677
Karnataka	36,449
Kerala	42,739
Madhya Pradesh	46,613
Madras	51,763
Orissa	6,042
Patna	29,435*
Punjab & Haryana	46,069
Rajasthan	20,558
Sikkim	21
Total pendency in High Courts	6,07,918

*Main cases only.

(b) The following steps have been taken to speed up the disposal of cases :—

(i) A substantial number of vacancies in the High Courts have been filled up. Initiative has been taken by the Central Government to call for proposals from the State Authorities/Chief Justices and wherever required reminders have been issued to the concerned State Authorities/Justices. During the period from 1st April, 1977 to 15th July, 1978, as many as 66 fresh appointments have been made.

(ii) The Judge strengths have also been increased since 1-4-1977 in the High Courts in respect of which proposals were received. This increase has been made in the following High Courts from the dates the posts are filled up :—

Name of the High Court	Increased by	
	Pmt.	Addl.
Allahabad	—	6
Madhya Pradesh	—	6
Karnataka	1	3
Himachal Pradesh	—	1
Patna	—	3
Total	1	19

(iii) Letters have been addressed to the Bar Councils and Bar Associations of various States requesting them for cooperation and also for suggestions for speedy disposal of cases.

(iv) The Law Commission have been requested to suggest suitable measures to tackle the general problem of arrears. They are seized of the matter.

आरक्षण के मामले में गड़बड़ी

352. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ रेलवे कर्मचारियों का आरक्षण के मामले में हो रही गड़बड़ी में हाथ है; और

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष में कितने व्यक्ति इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये और उनके पदनाम क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) आरक्षण के सम्बन्ध में अनियमितताओं का पता लगाने के उद्देश्य से रेल प्रशासन समय समय पर निवारक उपाय करते रहे हैं। हाल ही में, रेलवे बोर्ड में एक विशेष सक्वैड गठित किया गया है। कदाचार और अनियमितताओं के बहुत से मामले नोटिस में आये हैं और सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें अन्तर्ग्रस्त शामिल कुछ अधिकारियों को निलम्बित भी किया गया है। लेकिन, किसी संगठित आरक्षण षडयंत्र जिसमें रेलवे कर्मचारी भी शामिल हों, का पता नहीं चला है।

(ख) कोई नहीं।

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन, दिल्ली के स्टाफ मैनेजर तथा वित्त मैनेजर

353. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन, दिल्ली के वर्तमान स्टाफ मैनेजर तथा वित्त मैनेजर गत 20 वर्षों से एक ही स्थिति में एवं एक ही नगर में नियुक्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) मैसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के दिल्ली स्थित कार्यालय में स्टाफ प्रबन्धक और वित्त प्रबन्धक का कोई पद नहीं है, परन्तु गत 20 वर्षों से दिल्ली में कर्मचारी संपर्क प्रबन्धक और क्षेत्रीय लेखाकार के पदाधिकारी काम कर रहे हैं। इस अवधि के दौरान उन्होंने भिन्न-भिन्न पदों पर काम किया है और उन्होंने निम्न स्तर के पद से अपने वर्तमान पद तक पदोन्नति की है। वर्तमान कर्मचारी संपर्क प्रबन्धक की इस पद पर नियुक्ति दिनांक 1-7-75 को और क्षेत्रीय लेखाकार की नियुक्ति दिनांक 1-8-71 को की गई थी।

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन, दिल्ली की यूनियन की मांगे

354. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन, दिल्ली के प्रबंधक यूनियन द्वारा मार्च, 1977 में प्रस्तुत मांग पत्र पर बात चीत करने को भी तत्पर नहीं हैं ?

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या प्रबन्धकों का यह रवैया औद्योगिक शांति बनाए रखने में सहायक होगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) और (ग) : यह कम्पनी की कोशिश रही कि वह यूनियनों के साथ दीर्घकालीन समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बात-चीत शुरू करें जहां ऐसे समझौते भूत पूर्व वर्मा शैल ग्रुप (एक विदेशी तेल कम्पनी) के साथ दिनांक 24-1-76 को सरकार

द्वारा अधिग्रहण किए जाने से पहले गये थे, समाप्त हो गये। कम्पनी को इस बात का पहले से ही पता है और इस समय वह दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में यूनियनों के साथ बात-चीत आरम्भ करने के लिए सभी संबंधित व्यक्तियों से परामर्श लेकर उचित मार्गदर्शी रूप-रेखायें तैयार कर रही है।

निर्वाचन संबंधी सुधारों पर विधेयक

355. **श्री फतेह सिंह राव गायकवाड़ :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्वाचन संबंधी सुधारों, दोषी विधायकों को वापस बुलाने के अधिकार तथा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के बारे में कोई व्यापक विधेयक पेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित विधेयक का प्रारूप तैयार किया जा रहा है;

(ग) क्या प्ररूप विधयक जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो प्रारूप विधेयक के कब प्रकाशित किए जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (घ) तक : सरकार निर्वाचन संबंधी सुधारों के बारे में विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर रही है, जिनके अन्तर्गत पथभ्रष्ट विधायकों को वापस बुलाने के अधिकार और मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने से संबंधित प्रस्ताव भी हैं। इन प्रस्तावों पर सावधानीपूर्वक विचार करना होगा, इसलिए इन पर विनिश्चय किए जाने और संसद में आवश्यक विधेयक प्रस्तुत करने में कुछ और समय लगेगा।

गुजरात स्थित उर्वरक संयंत्रों के लिए बम्बई हाई से प्राप्त गैस का नियतन

356. **श्री फतेह सिंह राव गायकवाड़ :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई स्ट्रचर से प्राप्त होने वाली गैस के अधिकाधिक उपयोग के संबंध में सिफारिशें करने हेतु गस्ति अध्ययन-दल ने गुजरात राज्य के दो बड़े उर्वरक संयंत्रों के लिए उक्त गैस का नियतन करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि **हां**, तो क्या सरकार ने इन दोनों संयंत्रों के स्थानों के प्रश्न पर निर्णय कर लिया है;

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बध में निर्णय कब तक किये जाने की आशा है ;

(घ) ये संयंत्र कब तक अपना उत्पादन आरम्भ कर देंगे;

(ङ) क्या ये संयंत्र बसेन ट्रेक्चर से कच्चे माल के रूप में इस गैस को उपयोग पर अधारित हैं; और

(च) क्या नर्मदा घाटी उर्वरक संयंत्र को गैस का आबंटन किये जाने की आशा है

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (च) कार्यदल ने गुजरात राज्य में किसी आम स्थान पर बम्बई हाई और बसीन संरचना से प्राप्त गैस पर आधारित बड़े आकार के दो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की सिफारिस की है। सरकार ने एन० सी० ई० पी० सी० से अनुरोध किया है कि वे पांच संभावित स्थानों पर खाद कारखाना लगाने से वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करें। एन० सी० इ० पी० सी० की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार इन दो संयंत्रों के स्थान के बारे में निर्णय लेगी। स्वीकृति प्रदान होने के बाद 39 महीनों की अवधि के दौरान इन संयंत्रों द्वारा परीक्षण उत्पादन आरम्भ कर देने की आशा है। जी० एन० एफ० सी० का संयंत्र ईंधन तेल पर आधारित है और इसको गैस आबंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेलवे में कमीशन प्राप्त करने वाले बैरे

357. **श्री वी० एम० सुधीरन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के अधीन कमीशन प्राप्त करने वाले बैरों की संख्या का जोनवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से कितने बैरे स्थायी हैं;

(ग) क्या कमीशन प्राप्त करने वाले बैरों की यूनियन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) विभागीय खान पान इकाइयों द्वारा कमीशन के आधार पर रखे गये बेयरों को क्षेत्र वार संख्या नीचे दी गयी है :—

रेलवे	कमीशन के आधार पर काम करने वाले बेयरों की संख्या	
	स्थैतिक इकाइयां	चल इकाइयां
मध्य	137	116
पूर्व	333	135
उत्तर	193	24
पूर्वोत्तर	114	14
पूर्वोत्तर सीमा .	2	--
दक्षिण	38	444
दक्षिण मध्य	28	68
दक्षिण पूर्व	180	140
पश्चिम	63	111

(ख) कमीशन के आधार पर काम करने वाले बेयरे रेल कर्मचारी नहीं होते हैं और उनमें से कोई भी स्थायी नहीं है।

(ग), (घ) और (ङ) कमीशन के आधार पर काम करने वाले बेयरों की कोटि को समाप्त करने का विनिश्चय किया गया है और उनकी सेवा अवधि के अनुसार एक चरणबद्ध कार्यक्रम के आधार पर उन्हें नियमित रेल कर्मचारियों के रूप में समाहित किया जा रहा है।

"लीडरप्रोडक्टस" के चयन के बारे में हाथी समिति की सिफारिशों और 29 मार्च, 1978 को सभा पटल पर रखे गये विवरण में अन्तर

358. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "लीडर प्रोडक्ट्स" के चयन के बारे में हाथी समिति की सिफारिशों और 29 मार्च, 1978 को सभा पटल पर रखे गए विवरण में क्या अन्तर है;

(ख) क्या औषध निर्माता एसोसिएशनों ने इस संयंत्र में कोई सुझाव दिए हैं; क्या मूल्यों के बारे में निर्णय लेने में लीडर प्रोडक्ट्स भ्रम पैदा कर रहे हैं, चुनींदा उत्पादों के मूल्य निर्धारित करने के क्या सिद्धान्त होंगे; क्या "लीडर प्रोडक्ट्स" के मूल्य निर्धारित करने हेतु सिद्धान्तों के रूप में कोई कार्य निर्देशक सिद्धान्त बनाए जाते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) अन्तर का पता लगाने के लिए 8 मई, 1978 को लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत किये/की गई औषध और भेषज उद्योग समिति की रिपोर्ट के अध्ययन VII, के पैरा 38, 40 और 41 तथा उक्त रिपोर्ट पर 28 मार्च 1978 को लोक सभा पटल पर

प्रस्तुत किये गये सरकार के निर्णयों से संबंधित विवरण पत्र के पैरा 51, 52, 53, 54, 55 और 56 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ख) और (ग) नई औषध मूल्य नीति पर कुछ एसोसिएशनों से सुझाव के ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। नई नीति के अनुसार लीडर मूल्यों को फार्मूलेशनों के प्रमुख कुशल निर्माताओं की उत्पादन लागत पर आधारित किया जायेगा। नई मूल्य नीति में परिकल्पित लीडर उत्पाद के बारे में कोई भ्रम नहीं है।

विदेशी औषध कम्पनियों के बारे में नई औषध नीति का स्पष्टीकरण

359. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 29 मार्च, 1978 को सभा पटल पर रखे गये विवरण के पैरा 28 का विस्तृत पाठ क्या है;

(ख) विदेशी फर्मों के 1 : 10 तथा 1 : 2 बल्क औषधी तथा फार्म्यूलेशनों को तथा 1 : 5 और 50 प्रतिशत बल्क उत्पादन के बीच क्या अन्तर है; और

(ग) क्या पैरा 25, 27 (1) (2) और (3) में कोई आपसी विरोधाभास है, यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) समस्त औषध नीति का स्पष्टीकरण करते हुए एक प्रेस नोट शीघ्र जारी करने का प्रस्ताव है?

(ख) नई औषध नीति के अनुसार विदेशी औषध कम्पनियों को फार्मूलेशन्स के लिए तब तक लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे जब तक वे उच्च तकनीकी वाले बल्क औषधें का मूल्य स्तर से उत्पादन उनके (फार्मूलेशनों) साथ नहीं करते। इस पर यह शर्त होगी कि ऐसी बल्क औषध के उत्पादन का 50 प्रतिशत वे असम्बद्ध फार्मूलेशन निर्माताओं के देंगे और यह भी शर्त है कि अपने उत्पादन में से बल्क औषध की खपत का सभी साधनों से फार्मूलेशनों का समस्त अनुपात 1 : 5 होगा जबकि भारतीय औषध कम्पनियों को अपने बल्क औषध के उत्पादन के दस गुणा फार्मूलेशनों के लिए लाइसेंस दिया जायेगा और आयातित बल्क औषधों पर आधारित फार्मूलेशनों के लिए अनुज्ञा तभी दी जायेगी जब स्वदेशी बल्क औषध तथा आयातित केन्लाइज्ड बल्क औषध के बीच 2 : 1 का अनुपात बनाया रखा जाए।

(ग) विवरण पत्र के पैरा 25, 27.1, 72.2 और 27.3 के बीच कोई प्रतिविरोध नहीं है जो कि विवरण का पैरा 25 विदेशी औषध कम्पनियों की भविष्य में लाइसेंस दिये जाने से सम्बन्धित है जबकि पैरा 27.1 और 27.2 का सम्बन्ध औषध एवं भेषज उद्योग पर हाथी समिति की रिपोर्ट में दी गई उस सिफारिश से है जो औषध कम्पनियों को दिये गये अनुज्ञा-पत्रों तथा सी० ओ० बी० लाइसेंसों को नियमित करने से सम्बन्धित है और पैरा 27.3 में लाइसेंसीकृत क्षमता या सी० ओ० बी० लाइसेंस अनुज्ञापत्रों आदि पर आधारित क्षमता से अधिक उत्पादन को नियमित करने के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय दिया हुआ है।

औषध मूल्य नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के अन्तर्गत मूल्य नियंत्रण से औषधियों को छूट

360. **श्री मोतीबाई आर० चौधरी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान औषध मूल्य नियंत्रण आदेश के किन प्रावधानों के अन्तर्गत औषधियां और फार्मूलेशनों के कुछ वर्गों को मूल्य नियन्त्रण से छूट दी जायेगी और 29 मार्च 1978 को सभा पटल पर रखे गये विवरण में इस सिफारिश के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सिफारिश हाथी समिति के प्रतिवेदन पर आधारित हैं;

(ग) बल्क औषधियों और फार्मूलेशनों के मूल्य नियंत्रण हटाने के क्या कारण हैं;

(घ) वितरण एजेंसियों द्वारा समान औषधियों को चढ़ाने/उतारने के लिए विभिन्न कम्पनियों को अलग-अलग मार्क देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय हित में औषध मूल्य नियंत्रण आदेश को वापस लेने का है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) : औषधों के मूल्य इस समय औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियंत्रित किये जाते हैं। इस आदेश में किसी भी श्रेणी के बल्क ड्रग्ज और फार्मूलेशनों के लिये मूल्य नियंत्रण से छूट की व्यवस्था नहीं की गई है। तथापि जिन लघु उद्योग एककों की वार्षिक बिक्री 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है उनको अपने फार्मूलेशनों के लिये मूल्य स्वीकृति प्राप्त करने से छूट दी गई है।

नई मूल्य निर्धारण नीति के अन्तर्गत जो कि 28 मार्च 1978 को सभा पटल पर प्रस्तुत किये गये विवरण पत्र का एक भाग है, जहां श्रेणी IV के अन्तर्गत आने वाले फार्मूलेशनों को मूल्य नियंत्रण से छूट दी गई है, वहां श्रेणी I, II और III के फार्मूलेशनों के लिये ग्रेडेड मार्का की व्यवस्था की गई है। और इसकी तुलना में श्रेणी I और II के फार्मूलेशनों के लिये कम मार्का की व्यवस्था की गई है। आम जनता के अनिवार्य फार्मूलेशन कम मूल्य पर उपलब्ध करने और सम्पूर्ण फार्मूलेशन निर्माण को अलाभप्रद न बनाने की दृष्टि से ऐसा किया गया है।

(घ) वर्तमान औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत विभिन्न कम्पनियों को एक ही फार्मूलेशन के लिये अलग-अलग मार्का निम्न कारणों से दिये गये हैं :—

(i) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के अन्तर्गत उक्त आदेश के लागू होने की तिथि को प्रचलित फार्मूलेशनों के मूल्यों को मान्यता दी गई थी और इन मूल्यों में एक ही फार्मूलेशन के लिए अलग-अलग मर्का शामिल थे।

(ii) डी० पी० सी० ओ० 1970 के पैरा 7 में एक ही फार्मूलेशन के लिये अलग-अलग मार्का की व्यवस्था है। इस पैरा के संबंधित उद्धरण नीचे दिये गये हैं।

"(i) इस आदेश के लागू होने से पहले और बाद में चालू किये गये सभी फार्मूलेशनों के मामले में 75 से अधिक नहीं, किन्तु जो निम्नलिखित श्रेणी में नहीं आते हैं :—

(क) उपयुक्त उत्पाद विकास कार्य के परिणामस्वरूप उत्पादन तकनीकी को अपना कर विकसित किये गये नये फार्मूलेशनों जिनसे उनकी भेषजी मूल्य बढ़ाया गया हो।

(ख) भारत में किये गये मूल अनुसंधान के परिणामस्वरूप सक्रिय तत्व वाले नये औषध-युक्त नये फार्मूलेशन।

(ii) उपयुक्त विकास कार्य के परिणामस्वरूप जिससे उनका भेषजी मूल्य बढ़ाया गया है उत्पादन तकनीकी को अपनाकर विकसित किये गये फार्मूलेशनों के मामले में 100 से अधिक नहीं।

(iii) भारत में मूल अनुसंधान के परिणामस्वरूप चालू किये गये सक्रिय तत्व के रूप से एक नये औषध-युक्त नये फार्मूलेशनों के मामले में 150 से अधिक नहीं।

बशर्ते कि उपरोक्त अनुच्छेद (II) के अन्तर्गत आने वाले फार्मूलेशन प्रचलित करने की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् 75 तक घटा दिया जाय। कुछ विशेष मामलों में इस अवधि को उक्त नये फार्मूलेशन को चालू करने की तारीख से 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और ऐसा करने के लिये लिखित रूप में कारण बताये जायेंगे।

बशर्ते कि उपरोक्त अनुच्छेद (III) के अन्तर्गत आने वाले फार्मूलेशनों के मामले में मार्का को नये फार्मूलेशन चालू करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के पश्चात् 75 तक घटा दिया जाये।"

स्टेट केमीकल्स एंड फार्मेस्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि०/आ० एल० द्वारा वितरित केन्लाइज्ड बल्क ड्रग्ज के मूल्यों की निर्धारित करते समय प्रचलित मूल्यों पर कम से कम परिवर्तन का प्रभाव डालने के प्रयास किए जाते हैं जिससे फार्मूलेशन के मूल्य जोकि बल्क औषध मूल्यों पर आधारित होते हैं पर बार-बार परिवर्तन का प्रभाव न हो तथा फार्मूलेशन के मूल्यों में स्थिरता प्राप्त की जा सके।' इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर कि सरकार द्वारा केन्लाइज्ड बल्क ड्रग्ज के लिये निर्धारित मूल्यों से कई मामलों में कम वसूलियों तथा कई अन्यों में अधिक वसूलियां हो सकती हैं। उसी वर्ष अथवा बाद के वर्ष के दौरान मूल्यों को निर्धारित करते समय प्रोसेस में उत्पन्न होने वाले ऐसे अधिशेषों का समयोजना करने की एक प्रणाली रही है।

(ङ) जी नहीं।

खड़गपुर में नैमित्तिक श्रमिकों की भर्ती

361. **श्री सुधीर घोषाल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खड़गपुर वर्कशाप और खड़गपुर डिवीजन में चतुर्थ श्रेणी और नैमित्तिक श्रमिकों की भर्ती के बारे में दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा अपनाई गई नीति क्या है;

(ख) खड़गपुर वर्कशाप और खड़गपुर डिवीजन में गत चार वर्षों के दौरान कितने नैमित्तिक श्रमिक और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भर्ती किये गये हैं; और

(ग) इनमें से कितने खड़गपुर रोजगार कार्यालय के माध्यम से लिये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

DERAILMENT OF 238 DOWN DANAPUR-HOWRAH FAST PASSENGER TRAIN

†362. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether several persons were killed and injured where the bogies of 238 Down Danapur-Howrah Fast passenger train were derailed on 28th May, 1978 between Barad and Pandatak on Eastern Railway;

(b) whether the train had derailed at two o'clock and only engine and one bogey remained on rails; and

(c) if so, the amount of compensation disbursed and when the officers guilty will be punished and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) The derailment of 328 Down passenger train occurred between Athmalgola and Barh stations. In this accident 10 persons were killed, 7 sustained grevious injuries and 19 simple injuries.

(b) Yes.

(c) While an *ex-gratia* payment of Rs. 10,750 was made in respect of 22 persons involved in this accident, to enable them to meet incidental expenses, the Claims for compensation when received from the next of kin of dead or the injured passengers will be decided by the *ex-officio* Claims Commissioner and payments made by the Railway Administration on the basis of the verdict of the Court.

This accident has been inquired into by the Additional Commissioner of Railway Safety, Eastern Circle, Calcutta. According to this preliminary report, he has not been able to come to any definite conclusion in regard to the cause of the accident so far. On receipt of his final report, suitable action will be taken against the defaulting staff, if any.

रेलवे के पूंजीगत ढांचे का अध्ययन

363. **श्री चित्त बसु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे के पूंजीगत ढांचे का अध्ययन करने के लिए एक पेनल की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो क्या पेनल ने अब तक कोई सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो सिफारिशों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख), (ग) और (घ) विशेषज्ञ दल की सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

8—279 LSS/78

विभिन्न राज्यों में औषधि एकक

364. **श्री चित्त बसु**
श्री एस० जी० मुरुगय्यन } : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० और हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स ने विभिन्न राज्यों में संयुक्त क्षेत्र में औषधि एककों की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की विचाराधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनमें से प्रत्येक परियोजना इस समय किस चरण में है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एच० ए० एल० के लिए संयुक्त उद्यम वाली परियोजनायें कर्नाटक और महाराष्ट्र में तथा आई० डी० पी० एल० के लिए राजस्थान में विचाराधीन हैं। अन्तिम निर्णय शीघ्र लिये जाने की आशा है।

रसायन एवं उर्वरक उद्योग के विकास के लिए समिति

365. **श्री चित्त बसु :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रसायन एवं उर्वरक उद्योग के विकास के लिए 22 सदस्यों के बारे में दिनांक 9 मई, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9636 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि समिति के कार्यों में कितनी प्रगति हुई है और अब तक क्या ठोस परिणाम प्राप्त हुए हैं?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : यह आशा है कि गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन पूरा होते ही समिति की बैठक बुलाई जायेगी।

रेलवे में भ्रष्टाचार

366. **श्री सरत कार :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में भ्रष्टाचार दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है;

(ख) क्या हाल ही में एक टिकट परीक्षक ने दक्षिण भारत से दिल्ली के लिए किसी गाड़ी में शायिका दिलाने के लिए जनता पार्टी के महासचिव से रिश्वत ली थी जैसा कि 21 जून, 78 के इंडियन एक्सप्रेस में समाचार छपा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उत्तर रेलवे के मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी श्री एल० एस० उज्जवल ने उक्त समाचार पत्र के संवाददाता को यह मामला बताते समय माना है कि कुल कर्मचारियों में से कम से कम 15 प्रतिशत कर्मचारी भ्रष्ट हैं; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे में लोगों से रिश्वत लेने की प्रथा समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रमुख मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में आरक्षण टिकटों के सम्बन्ध में कदाचार के मामले समय समय पर रेल प्रशासन के नोटिस में आये हैं।

(ख) दक्षिण से दिल्ली को आने वाले किसी व्यक्ति से ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। लेकिन 24-11-77 को दिल्ली से जाने वाले 4 अप फ्रंटियर मेल में स्थान आबंटित करने के लिए एक चल टिकट परीक्षक द्वारा 10 रुपये अधिक लेने की एक शिकायत मिली थी। उसके खिलाफ अनुशासन और अपील नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ग) जी नहीं। श्री एल० एस० उज्जवल, मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी, उत्तर रेलवे ने इसका खण्डन किया है जो 27-6-78 के इंडियन एक्सप्रेस में छपा है।

(घ) सतर्कता संगठन, विभागीय अधिकारियों तथा पर्यवेक्षण कर्मचारियों के द्वारा नियमित रूप से निरोधक जांच की जाती है। कदाचार के बारे में की गयी विशिष्ट शिकायतों की जांच पड़ताल की जाती है तथा अपचारी

कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनिक कारंवाई की जाती है। रेल टिकटों की बिक्री और आरक्षण में कदाचार को समाप्त करने के उद्देश्य से छापे मारने के काम को तेज करने के लिए रेल मंत्रालय में भी एक विशेष दस्ता बनाया गया है।

पेट्रोलियम की बचत के लिए अशोधित तेल के उत्पादन की योजना का पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव

267. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेट्रोलियम की बचत करने के उद्देश्य से तेल के उत्पादन की अपनी पहली संयंत्र परियोजना को पुनरीक्षित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) अगले पांच वर्षों में पेट्रोलियम का कितना उत्पादन होगा तथा उसकी मांग कितनी होगी; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक देश से कितनी मात्रा में अशोधित तेल का आयात किया गया तथा उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) और (ख) कार्यकारी दल ने जिसका तेल स्रोतों के संरक्षण का अध्ययन करने के लिए गठन किया गया था अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, यदि आवश्यक हुआ तो इस कार्यकारी दल की रिपोर्ट प्रात होने पर कच्चे तेल की उत्पादन योजना का पुनरीक्षण किया जायेगा।

(ग) अशोधित तेल का उत्पादन 1978–79 वर्ष में 12.68 मि० मी० टन से 1982–83 वर्ष में 18 मि० मी० टन बढ़ने की आशा है। इसी अवधि के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 28.01 मि० मी० टन से 36.32 मि० मी० टन तक बढ़ने की आशा है

(घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

कच्चे तेल का आयात

मात्रा : मी० टनों में सी० आई० एफ० मूल्य रुपये करोड़

देश	1975		1976*		1977*	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
ईरान . .	5.8	407.22	5.6	447.50	6.7	581.78
ईराक . .	2.8	211.83	3.1	267.12	3.0	271.14
सऊदी अरब . .	4.1	280.46	4.3	344.59	2.9	239.94
सं० अ० अमीरात (अबूधबी) .	1.0	79.69	1.0	84.48	0.9	87.43
सोवियत रूस . .	—	—	—		1.0	81.45
मिश्र . .			—	—	0.3	22.72
कुल . .	13.7	979.20	14.0	1143.69	14.8	1284.46

*अस्थायी

गाड़ियों के लिए सुरक्षा उपायों का प्रबन्ध करने के बारे में राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाएं

368. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों ने लम्बी दूरी की रेल गाड़ियों के लिए सुरक्षा उपाय करने के बारे में रेल मंत्री की अपील के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाया है; और

(ख) यदि हां, तो लम्बी दूरी की गाड़ियों के लिए सुरक्षा उपायों के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एशिया पार (ट्रांस एसियन) रेल व्यवस्था

369. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशिया तथा प्रशांत महासागरीय देशों के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग ने एशिया पार रेल व्यवस्था की परियोजना तैयार की है जिसका भारत सहित इस क्षेत्र के सभी विकासशील देशों ने समर्थन किया है :

(ख) क्या रेलवे प्रशासन ने इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना की क्रियान्वित की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) एशिया तथा प्रशांत महासागर के देशों के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा प्रायोजित एशिया पार रेल परियोजना का भारत ने समय-समय पर समर्थन किया है और इस परियोजना के कार्यान्वियन के लिए इस क्षेत्र के दूसरे देशों ने अपने-अपने जो कार्यक्रम बनाये हैं उनके साथ सहयोग दिया है।

भारत की वर्तमान रेल प्रणाली में इस तरह के अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन प्रबन्धों के लिए सुविधाओं की पहले से ही व्यवस्था है लेकिन दूसरे देशों में ऐसी कड़िया लुप्त हैं।

इस परियोजना के कार्यान्वियन के लिए अब तक जो कदम उठाये गये हैं उनमें इन लुप्त कड़ियों के स्थलीय सर्वेक्षण, रेलों के आमान में अन्तर के कारण होने वाले यानांतरणों जैसी तकनीकी समस्याओं के अध्ययन, इस परियोजना के मार्ग में पड़ने वाले विभिन्न देशों में इस्तेमाल में आने वाले चल स्टाक के कप्लरों और ब्रेकों की अलग-अलग प्रणालियों से उत्पन्न होने वाली समस्याएं शामिल हैं।

धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में रसोई गैस के लिए विपणन योजना

370. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री हिमाचल प्रदेश में रसोई-गैस की सुविधाओं के बारे में 25 अप्रैल, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6961 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (रसोई गैस) का विपणन शुरू करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) धर्मशाला में उक्त विपणन योजना कब तक लागू कर दी जायेगी; और

(ग) प्रत्येक राज्य में उन शहरों के नाम क्या हैं जहां गत दो वर्षों के दौरान वर्षवार, रसोई गैस के लिए विपणन सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन ने धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को वितरण एजेंसी देने के लिए विज्ञापन दिया था। अप्रैल, 1978 के मध्य में प्रवरण समिति द्वारा उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया था। प्रवरण समिति ने डीलरशिप देने के लिए किसी भी उम्मीदवार को उपयुक्त नहीं पाया अतः डीलरशिप प्रदान करने के लिए पुनः विज्ञापन देने का निश्चय किया गया। डीलर की नियुक्ति के पश्चात् वितरण एजेंसी को खोलने के लिए उम्मीदवार को गोदाम/शो रूम सुविधा आदि की व्यवस्था करने में लगभग 4 महीने का समय लग जाता है।

(ग) इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा वर्ष 1976—77 और वर्ष 1977—78 के दौरान जिन शहरों में पहली बार इंडेन का वितरण आरम्भ किया गया है उनकी राज्यवार सूची अनुबन्ध में दी गई है। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड नामक अन्य दो तेल कम्पनियों ने इन दो वर्षों के दौरान खाना पकाने की गैस के लिए किसी नये बाजार में प्रवेश नहीं किया है।

विवरण

उन नगरों की राज्यवार सूची जिनमें 1976—77 और 1977—78 के दौरान इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा कुकिंग गैस की विपणन आरम्भ किया गया।

1976-77	
आन्ध्र प्रदेश	नेलोर
बिहार	बेगुसराय, हजारी बाग, मोती हारी, और बिहार शरीफ
गुजरात	सवर कुंडला, अमरेली, और मीठापुर
हरियाणा	यमुना नगर
मिजोरम	ऐजवल
नागालैंड	दीमापुर
उड़ीसा	कटक
तमिलनाडु	तिरुवन्नामलाई, अर्णी
उत्तर प्रदेश	नैनीताल, और फरुखाबाद
पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग और हुगली
1977—78	
असम	सिवसागर
गुजरात	कैम्बे
मध्य प्रदेश	विलासपुर
नागालैण्ड	कोहिमा
उड़ीसा	संबलपुर, वरहमपुर, पुरी और बालासोर
पश्चिम बंगाल	हल्दिया और चन्दर नगर

एकाधिकार तथा निर्बन्धनात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग में एक सदस्य की नियुक्ति

371. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक प्रक्रियाएं आयोग में रिक्त स्थान पर नियुक्त कर दी गई हैं;

(ख) एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक प्रक्रियाएं अधिनियम के अन्तर्गत इस आयोग में एक सदस्य की नियुक्ति करने में इतने अधिक विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं कि एक सुविख्यात, ईमानदार, प्रतिभावान तथा अनुभवी व्यक्ति ही सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाए?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) तथा (ग) एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, की धारा 5 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग के सदस्य के लिए योग्यता, सत्यनिष्ठता तथा सुस्थिति का व्यक्ति होना अपेक्षित है, जिसे अर्थशास्त्र, कानून, वाणिज्य, लेखांकन, उद्योग, जनकार्य या प्रशासन का पर्याप्त ज्ञान या अनुभव हो, अथवा उसने इनसे सम्बन्धित समस्याओं के संव्यवहार में क्षमता का प्रदर्शन किया हो। पुनः, कथित अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के अनुसार, यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि आयोग के सदस्य के पद पर चयन किये गये व्यक्ति के कोई ऐसे वित्तीय अथवा अन्य हित नहीं हों, अथवा भविष्य

में भी नहीं होने चाहिए, जिसके कारण उसके एक सदस्य के रूप में कार्य करने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो। उपरोक्त अपेक्षाओं की संतुष्टि करने वाले उपयुक्त व्यक्ति का चयन एक अधिक समय उपयोगी प्रक्रिया है तथा इस प्रकार के व्यक्ति को चयन करने के प्रयत्न, प्रगति पर हैं।

रेल वैगनों द्वारा कोयले की ढुलाई

372. **श्री अमर सिंह बी० राठव**
श्री अहमद एम० पटेल } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल बैगनों के उपलब्ध न होने के परिणामस्वरूप अधिकतर राज्यों को अपने-अपने राज्य में कोयले की कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने समस्या को हल करने के लिए अधिक वैगन उपलब्ध करने के बारे में क्या कदम उठाये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्यों मंत्री (श्री शिव नारायण) : कुछ (क) राज्यों में कुछ किस्म के कोयले की कमी है।

(ख) कोयले का लदान बढ़ाने के लिए रेलों द्वारा हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है जिसमें अतिरिक्त माल डिब्बों की खरीद, गर्मि में चलायी गयी स्पैशलों से मुक्त हुए इंजनों और रेलवे के उत्पादन कारखानों से निकले नये इंजनों का उपयोग, थोक उपभोक्ताओं के लिए बन्द परिपथ का संचलन तथा कोयला रेक के संचलनों को विशेष तौर पर मानीटर करना शामिल है। कोल इंडिया लिमिटेड और ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) के साथ समन्वय को मजबूत किया गया है तथा कोयले के लदान-स्थलों के पुनर्गठन की प्रगति को भी तेज किया गया है। कोयले के संचलन में मई, 1978 की अपेक्षा जून और जुलाई में कुछ सुधार करना सम्भव हो सका है।

नई औषध नीति

373. **श्री आर० के० अमीन** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 प्रतिशत से अधिक साम्य पूंजी वाली विदेशी फर्मों द्वारा गत तीन वर्षों में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम अनुसूची की व्याख्या II के अन्तर्गत अनुमति पत्रों/सी० ओ० बी० लाइसेंसों/पंजीकरण प्रमाणपत्रों औद्योगिक लाइसेंसों के अन्तर्गत बनी बल्क औषधियों और अधिसूचना सं० 3/3 (65) : 69 के अन्तर्गत बने फार्मूलेशनों को देखते हुए औषधि नीति सम्बन्धी यदि कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी फर्मों के नाम क्या हैं तथा गत तीन वर्षों में किन किन फार्मूलेशनों तथा बल्क औषधियों का निर्माण हुआ; और

(ग) निजी विदेशी पूंजी निवेश अथवा लघु क्षेत्र और मध्यम क्षेत्र के भारतीय निवेश के लिए नई औषध नीति किस प्रकार प्रेरणादायक है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) नई औद्योगिक नीति के बारे में कोई आन्तरिक मार्गदर्शन नहीं बनाए गए हैं; तथापि एक प्रैस नोट शीघ्र ही जारी करने का प्रस्ताव है जिसमें आवश्यकतानुसार नीति की व्याख्या की जाएगी।

(ख) 40 प्रतिशत से अधिक सीधी विदेशी साम्य पूंजी वाली कम्पनियों को विदेशी कम्पनी माना जाता है। इस समय 40 प्रतिशत से अधिक सीधी विदेशी साम्यपूंजी वाली 39 विदेशी कम्पनियां हैं ऐसी औषध कम्पनियों के नाम और उनके कार्य-कलापों को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ग) नई औषध नीति के अनुसार उच्च प्रौद्योगिकी वाले बल्क ड्रग्स के क्षेत्र में फेरा 1973 के प्रावधानों की शर्त पर विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है। जिस फार्मूलेशनों के उत्पादन के साथ-साथ उच्च प्रौद्योगिकी वाले बल्क ड्रग्स का उत्पादन न किया जाय उनके उत्पादन के लिए विदेशी क्षेत्र के एककों को अनुमति नहीं दी जाती है, जबकि भारतीय क्षेत्र के एककों को एक प्रोत्साहन यह मिलता है कि उनको अपने बल्क ड्रग्स के

उत्पादन के 10 गुणा मूल्य तक फार्मूलेशनों के लिए लाइसेंस दिये जाते हैं। इसके अलावा कुछ बल्क ड्रग्स को केवल मात्र भारतीय एककों द्वारा उत्पादन के लिए आरक्षित किया गया है।

लघु क्षेत्र के एककों को लाइसेंस से छूट दी गई है और कुछ मदों को इसी क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित किया गया है। यह भी आशा है कि संगठित क्षेत्र से सम्बन्धित शर्तों से एस० एस० आई० एककों को भी लाभ होगा जिसके अन्तर्गत वे 30 से 50 प्रतिशत बल्क ड्रग्स को गैर-सम्बद्ध फार्मूलेटर्स को देते हैं।

विवरण

क्रम संख्या	विदेशी कम्पनी का नाम	क्रम संख्या	विदेशी कम्पनी का नाम
*1.	एबौट लैबो० (I) लिमिटेड	21.	वैयथ लैबो० लि०
2.	बीकाम (I) प्राइवेट लिमिटेड	22.	सीबा गिनी आफ इण्डिया लि०
3.	ब्राट बैल्कम एण्ड कं० (I) प्राइवेट लि०	23.	सिना मिड इण्डिया लि०
*4.	सी० ई० फुलफोर्ड (I) प्राइवेट लि०	24.	द अल्कली एण्ड कैमिकल कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०
**5.	कौपर लैबो०		
*6.	जी० डब्ल्यू० कारनरिक कं० (एशिया)	25.	ई० मेरक (I) प्राइवेट लि०
**7.	मे एण्ड बेकर (इण्डिया) लि०	26.	मेरक शारप एण्ड डोह्मे आफ इण्डिया लि०
**8.	वैयथ (इण्डिया) लि०	27.	सैण्डोज़ (I) लि०
**9.	ग्रोव प्रोडक्ट्स लि०	28.	दि बूट्स कं० (I) लि०
**10.	जौन वैयथ ब्रास ब्राइवेट लि०	29.	रिचर्डसन हिन्दुस्तान लि०
11.	मे एण्ड बेकर लि०	30.	बेयर (I) लिमिटेड
*12.	निकोलस चह इण्डिया लि०	31.	हाचेस्ट फार्मास्यूटिकल्स
*13.	स्मिथ कलाइन एण्ड फ्रेंच (I) लि०	32.	बारनर हिन्दुस्तान लि०
14.	रोश प्रोडक्ट्स लि०	33.	विफन्स (I) लि०
15.	इण्डियन स्केयरिंग लि०	*34.	कारटर वैलेज लि०
16.	पारके डेविस (I) लि०	35.	ओरमेनान (इण्डिया) लि०
*17.	एंग्लो फ्रेंच ड्रग कम्पनी (ईस्टर्न लि०)	36.	यूनी सैंकिओ लि०
18.	ग्लैक्सो लैबो० (I) लि०	37.	सिम्बिओटिक्स लि०
***19.	जौनसन एण्ड जौनसन लि०	38.	सुहरिद गिगी लि०
20.	फिज़र लि०	39.	जेओफरी मैनर्स कं० लि०

*केवल ड्रग फार्मूलेशनों का निर्माण करते हैं।

**कोई निर्माण कार्य नहीं करते।

***केवल सर्जन की अपेक्षित वस्तुओं का निर्माण करते हैं।

शेष कम्पनियां फार्मूलेशन्स तथा मध्यवर्ती पदार्थ/बल्क ड्रग्स का निर्माण करती हैं।

मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड

374. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ए० एम० ओ० सी० ओ० नामक अमरीकी कम्पनी ने जिसके पास मद्रास फर्टिलाइजर्स लि० के 24.5 प्रतिशत शेयर हैं उर्वरक मूल्य निर्धारण प्रणाली के बारे में मराठे पैनल की सिफारिश की क्रियान्विति का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार उक्त अमरीकी कम्पनी के शेयरों को अपने अधिकार में लेने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) मैसर्स ए० एम० ओ० सी० ओ० द्वारा विचार व्यक्त किया गया है कि मद्रास फर्टिलाइजर्स लि० द्वारा उपादित यूरिया के लिए धारण मूल्य पर्याप्त नहीं है। उनके साथ मामले पर विचार विमर्श हो रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलों में तोड़-फोड़ के मामलों से सम्बद्ध व्यक्तियों की गिरफ्तारी

375. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**
श्री जी० एम० बनतवाला } : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में रेलों में तोड़-फोड़ के मामलों में अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या भारत सरकार ने राजनीतिक सम्बद्धता यदि कोई हो, का पता लगाने के लिए कोई जांच-पड़ताल की है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) अकोला जिले में, मध्य रेलवे के माना और मुर्तिजापुर रेलवे स्टेशनों के बीच तोड़-फोड़ के एक मामले में अब तक बीस (20) व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके नाम इस प्रकार हैं :—(1) शालिग राम शेषराव किरदक, (2) महादेव सम्पत किरदक, (3) शंकर देवराव किरदक, (4) पुंडलीक बलवन्त वानखेडे, (5) शालिगराम यशवन्त किरदक, (6) वासुदेव हरिमन किरदक, (7) विट्ठल भगवान रावत, (8) सोहबराव सोनाजी किरदक, (9) देवीदास यशवन्त किरदक, (10) रामदास यशवन्त किरदक, (11) भीमराव बिसन किरदक, (12) बराकू गोटया गावडे, (13) मधुकर चिन्दुजी शिंदे, (14) महादेव देव राव किरदक, (15) सुदाम पुंजागी किरदक, (16) सोमा श्रवण अनाभीरा, (17) अर्जुन नाथू अनाभोरो, (18) विश्राम नाथू अनाभोरे, (19) यशवन्त होनाजी तापडे और अरकम चन्द्र-भान धोकने। ये सभी महाराष्ट्र राज्य के अकोला जिले के निवासी हैं।

(ख) और (ग) जांच के दौरान किसी उग्र सम्प्रदाय का षड्यन्त्र या सहयोग प्रमाणित नहीं हुआ है।

वाराणसी और भटनी के बीच रेलवे लाइन का बदला जाना

376. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी और भटनी के बीच रेलवे लाइन के बदलने का कार्य इस बीच शुरू हो गया है; यदि नहीं, तो इसके कब तक शुरू हो जाने की संभावना है;

(ख) इस परियोजना के लिए कितनी राशि मंजूर की गई थी; और

(ग) क्या पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने की दृष्टि से वहां पर किये जा रहे ऐसे निर्माण-कार्य को प्राथमिकता दी जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) वाराणसी-भटनी लाइन के आमान परिवर्तन का काम बजट में शामिल कर लिया गया है। इस पर 13.91 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इस परियोजना का काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है।

(ग) वर्तमान योजना के अनुसार प्रस्ताव यह है कि जिन परियोजनाओं को अभी शुरू नहीं किया गया उन पर काम शुरू करने से पहले जिन चौदह योजनाओं पर काम चल रहा है उनमें से कुछ पर सारा ध्यान केन्द्रित किया जाए और उन्हें पूरा कर लिया जाय। इस नीति के अन्तर्गत जिन परियोजनाओं पर पहले से ही काम हो रहा है उनके पूरा हो जाने के बाद वाराणसी भटनी परियोजना को शुरू करने का प्रस्ताव है।

FIRE IN COMPARTMENTS OF 51 UP SEALDAH EXPRESS

†377. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the causes of fire in engine and compartments of 51 Up Sealdah Express on 20th May, 1978;

(b) whether departmental persons have been found guilty therefor; and

(c) if so, the action taken against the persons found guilty and the details of the loss of life and property as a result thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) In this case the fire was confined to the engine and none of the passenger coaches was affected. According to the finding of the inquiry committee the fire started due to breakage of copper bar between high voltage tap changer contactor and contact rails which caused heavy arcing inside the tap changer and ignition of oil from the tap changer.

(b) and (c). It was a case of fatigue failure of copper bar and no railway staff was held responsible. There was no loss of life. The cost of damage to the engine has been estimated at approximately rupees three lakhs.

TRAINS CANCELLED IN JUNE, 1978 FOR SHORTAGE OF COAL

378. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some trains had to be cancelled in June, 1978 last due to the shortage of coal;

(b) whether Government have found out any alternative for running trains in order to remove the inconvenience caused to the common man;

(c) whether Government will make arrangements for operating the cancelled trains by diesel engines in place of by coal; and

(d) if so, the details of the position available so far ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes.

(b) & (c) Trains are cancelled only when it is unavoidable. Such cancellations are confined to relatively unimportant sections without affecting the movement of workers, commuters, people attending courts etc. and where alternative services are available. There is no alternative since the present fleet of diesel locos is put to optimum use and there is very little scope for running the cancelled trains with diesel engins. However, early action will be taken to restore these train services as the availability of loco coal improves.

(d) Does not arise.

BLACKMARKETING IN RAILWAY RESERVATION TICKETS

†379. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of persons apprehended on charge of blackmarketing of reservation tickets at New Delhi/Delhi Stations during May to July, 1978;

(b) the legal action taken against them; and

(c) the steps being taken by government to check this mismanagement in future ?

THE MINISTER OF STATE FOR RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) and (b) 326 persons have been apprehended during the period 15-11-1977 to 30-6-1978 for

cornering unreserved accommodation. As the month of July is still running, the information for May to July, 1978 will be furnished later. Under the present Law sale of reserved tickets by unauthorised persons is not a cognizable offence.

(c) A statement is attached.

STATEMENT

The following steps have been taken to detect malpractices and curb blackmarketing in railway tickets :—

(i) The time-limit for advance reservation has been made six months at all stations by all trains, to avoid blocking of accommodation by anti-social elements and providing a wider choice to bona fide passengers for planning rail journeys inadvance.

(ii) Efforts have been made to reduce the gap between the demand and supply by introducing new trains, extending their runs, increasing the frequency of weekly/biweekly trains and running holiday specials on important routes to clear the traffic.

(iii) Additional booking windows and reservation counters are opened and the working hours of reservation offices extended to cater to additional traffic.

(iv) Reservation arrangements have been streamlined and strict supervision is maintained at important points.

(v) Checks have been intensified with the help of anti-fraud squads, Vigilance Organisation, Government Railway Police and Railway Protection Force to detect anti-social elements and Railway staff indulging in malpractices regarding reservation. Strict action is taken against the defaulters to improve matters. CBI's assistance is also sought wherever possible.

(vi) Railways have been alerted to keep a constant vigil on the corrupt and irregular activities of anti-social elements and take stern action and effective measures to contain their activities.

(vii) Action is being taken to employ only women as reservation/booking clerks and supervisors in the major booking offices starting with metropolitan cities.

2. As despite the above measures taken, the Ministry was receiving continuous complaints with regard to corruption and malpractices in reservation, to create an immediate impact, a special squad of Inspectors working under the control of Railway Board was formed and vigorous drive launched to intensify checks/raids at important reservation offices and on running trains. In addition, instructions were also issued to the Zonal Railways that the Vigilance Organisations and Anti-fraud Squads should intensify the checks and raids by seeking assistance of CBI and local police. The special drive launched to check corruption and malpractices in the reservation have proved effective to certain extent as ticket checking and reservation staff have become conscious that their activities are being watched.

3. Removal of unsocial elements from the station premises with the assistance of Police and particular stress on checking of passengers travelling on transferred tickets have been effective in curbing the activities of touts and unauthorised travel agents to a certain extent.

LOOTING OF HOWRAH-DELHI TOOFAN MAIL

†380. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the Howrah-Delhi Toofan Mail was looted by the dacoits between Kunkuta and Kitham stations on the 22nd May, 1978;

(b) the loss of life and property suffered in the incident;

(c) how for Government have succeeded in taking action agains the dacoits; and

(d) the measures taken to check such attacks in future ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes.

(b) One Coach Attendant was killed and one Travelling Ticket Examiner received knife injuries. Ornaments, wrist watches, clothes and cash of passengers were looted.

(c) The Government Railway Police of Uttar Pradesh have recovered some of the looted properties from the house of the concubine of one Ainuddin, a criminal and are making best efforts to arrest him.

(d) (1) The Government Railway Police is escorting all night trains in this section.

(2) Armed Railway Protection Force is also being provided in the trains in this Section during night to prevent theft of railway property. They will also help to instil confidence amongst the passengers and deter the criminals from operating on trains.

(3) Surprise checking and petrolling of railway station Kitham is done jointly by Railway Protection Force and Government Railway Police at night.

DERAILMENT OF DELHI-BOMBAY DELUX

†381. SHRI RAMJI LAL SUMAN, SHRI YADVENDRA DUTT : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether he is aware that 2 persons were killed and 5 injured as a result of derailment of bogies of Delhi Bombay Delux train at Dahanu Road station, 150 kilometers north of Bombay on 24th May;

(b) the action taken against the persons found guilty;

(c) the steps taken to provide relief to their families; and

(d) the necessary action being taken by the Ministry to check the recurrence of such incidents in future?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) In this accident one person was killed, one sustained grievous injuries and 2 simple injuries.

(b) The report of Additional Commissioner of Railway Safety who held a statutory inquiry into this accident is awaited. On receipt of his report suitable action will be taken against the defaulting staff, if any.

(c) An *ex-gratia* payment of Rs. 500/- was made to two persons involved in this accident. Claims for compensation when received will be decided by the *Ex-Officio* Claims Commissioner and payments made by the Railway Administration on the basis of the verdict of the Court.

(d) Safety Organisations on the railways have been engaged in a relentness campaign to create greater safety consciousness amongst the staff connected with the running of trains and to ensure that staff do not violate rules or indulge in short-cut methods. Examination of trains and spot checks in carriage and wagon depots have been intensified and greater care is being paid to the proper maintenance of track.

In order to reduce dependence on the human element, various sophisticated aids like ultrasonic flow detectors for wheels, axles and rails, track circuiting, axle counters, automatic warning system etc. are being introduced progressively.

DACOITY IN AMRITSAR EXPRESS ON 1ST JUNE, 1978

†382. SHRI RAMJI LAL SUMAN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether he is aware of a dacoity committed in the Amritsar Express train near Kitham and Farah Stations between Agra and Mathura on 1st June;

(b) if so, what the Railway Protection Force was doing; and

(c) the action taken by him (the Minister) in this connection?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) It was not a case of dacoity but an attempt to commit robbery.

(b) The Railway Protection Force is only responsible for the protection and security of Railway property including goods parcels and booked luggage entrusted to railways' care while in transit. Responsibility to provide protection to the passengers and their property is that of the Government Railway Police which is under the administrative control of the State Government. On this train, however, one RPF Rakshak was on duty to protect the Railway property. He challenged the criminals who took to their heels after pelting stones injuring the Rakshak.

(c) Being concerned with the increase in heinous crimes affecting the travelling public the Minister of Railways had earlier drawn the attention of the Chief Ministers of West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh and the response were encouraging. On 16-6-78, a high level meeting between the officers of the Ministries of Railways and Home Affairs was held and it was decided (1) The State Govrnments of U.P., Bihar, M.P., West Bengal and parts of Maharashtra will launch vigorous drive against such crime by increasing the strength of the armed escorts; (2) to ensure prompt communication to the armed police escort whenever alarm chain is pulled; (3) to accommodate the armed police escorts in the centre of the train; (4) to provide the police escorts with powerful torches/very light pistols and flares. Armed RPF escorts are being provided on selected trains running in vulnernable sections to protect railway property. This would also help to instil confidence amongst the travelling public and also deter criminals from operating on the trains.

REMEDIAL STEPS TAKEN TO MAINTAIN PUNCTUALITY OF QUTAB EXPRESS

†383. SHRI RAMJI LAL SUMAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) how many times the Qutab Express arrived late at Nizamuddin between 1st May and 1st June after it started operating between Nizamuddin and Jabalpur; and

(b) the causes thereof and whether some concrete steps have been taken to remedy the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) 15 times.

(b) Causes of late arrival of 149 Qutab Express at Nizamuddin include alarm chain pulling, Cattle run over, electrical repairs, signal failure, track sleeper fire, fire in the diesel engine and derailment at Mathura on one day. In order to improve the running of this and other trains, a special punctuality drive has been instituted. This includes setting up of coaching Emergency cells on all the Railways manned by officers and senior staff on a round the clock shift basis and taking up avoidable detentions immediately and preventive/punitive action to improve the running of trains.

This apart, the running of this and other trains is being watched closely.

LOOTING OF JAYANTI JANATA EXPRESS ON 10TH MAY, 1978

†384. SHRI RAMJI LAL SUMAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Jayanti Janata Express was again looted on the 10th May between Vidisha and Sanchi;

(b) if so, the value of loot committed and number of persons injured; and

(c) how far the Railway Protection Force discharged their duty?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) No.

(b) and (c) Do not arise.

एजेंसियों का तथा रसोई गैस की वितरण व्यवस्था का पुनर्गठन

385. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम, भारत पेट्रोलियम निगम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम और काल्टेक्स आयल रिफाइनिंग लिमिटेड, जो रसोई गैस की मुख्य सप्लाई करता है; अपनी एजेंसियों तथा वितरक व्यवस्थाओं का पुनर्गठन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के लिए क्षमता, स्थान तथा एजेंसियों की संख्या के बारे में क्या प्रणाली निश्चत की गई है।

(ग) क्या यह सच है कि गैस कनेक्शनों के लिये वर्ष 1972 से अनेक आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े हैं। पड़े हैं।

(घ) 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े शहरों के लिये प्रति मास कितने गैस भरे सिलेण्ड मंजूरी दी जाती है तथा इससे कम जनसंख्या वाले शहरों के लिये क्या मान दण्ड हैं; और

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में गैस की सप्लाई को नियमित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) और (घ) विभिन्न क्षेत्रों में कार्य संचालन की लागत और काम करने की विशिष्ट शर्तों पर विचार करते हुए खाना पकाने की गैस के वितरक (सहकारिता समितियों को छोड़कर) के लिए गैस से पुनः भरे जाने वाले सिलेण्डरों की अधिकतम सीमा संख्या निम्नलिखित रूप से तय कर दी गई है जिसके लिए उसे प्रतिमाह अपने ग्राहकों को प्रदान करने की अनुमति होगी :—

बाजार	प्रतिमाह गैस से पुनः भरे जाने वाले सिलेण्डरों की संख्या
बम्बइ	6,000
दिल्ली . . .	4,000
दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर .	3,500
दो से दस लाख के बीच की जनसंख्या वाले नगर	3,000
अन्य स्थान	2,500

तेल कम्पनियों को सलाह दी गई है कि वे इन मानदण्डों के आधार पर अपने वर्तमान खाना पकाने की गैस की वितरण एजेंसियों का पुनर्गठन करें।

तथापि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के संबंध में खाना पकाने की गैस का अधिकांश वितरण मैसर्स कोसन गैस कम्पनी, जे० के० गैस कंपनी, ईस्ट कोस्ट गैस कंपनी, डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड आदि जैसी अनुदानग्राहियों के माध्यम से किया जाता है। यह अनग्रानगाहियां अपने एजेंटों के माध्यम से उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस सप्लाई करती है। इन अनुदानग्राहियों के पूर्णरूपेण अधिग्रहण करने के पश्चात् ही इनकी एजेंसियों को पुनर्गठन करने का प्रश्न संभव होगा। इस संबंध में पहले से ही कार्यवाही कर दी गई है ।

(ग) जी. हां।

(ङ) वर्ष 1980 से देश में खाना पकाने की गैस की उपलब्धता में प्रकाशित बड़े पैमाने पर होने वाली वृद्धि से इस उत्पाद के विपणन का यथा समय छोटे छोटे कस्बों में और ग्रामीण कस्बों में निम्नलिखित आधार पर प्रसार करना संभव होगा :—

1. प्रत्याशित ग्राहक क्षमता;
2. पूर्ति के संसाधनों से बाजार के समीप;
3. सुरक्षित तथा सुविधाजनक परिवहन संसाधनों की उपलब्धता ;
4. वितरण उपकरणों का अधिकतम उपयोग; और
5 कार्य संचालन में व्यवहार्यता।

उच्च शक्ति प्राप्त दुर्घटना जांच समिति का प्रतिवेदन

386. **डा० बसन्त कुमार पंडित**
श्री माधव राव सिन्धिया } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्घटनाओं के सम्पूर्ण प्रश्न का अध्ययन करने और वर्तमान ढाचे की पर्याप्तता की जांच करने और दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों का सुझाव देने के लिए सरकार ने एक उच्च शक्ति प्राप्त दुर्घटना जांच समिति की नियुक्ति की थी, और

(ख) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

बम्बई हाई में उर्वरक संयंत्र का स्थान तय करने के लिए नियुक्त समिति

387. **डा० बापू कालदाते : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई हाई में गैस पर आधारित प्रस्तावित उर्वरक संयंत्र का स्थान तय करने के लिये श्री गांगुली के अधीन समिति नियुक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या श्री गांगुली ने इस प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) उचित स्थल का चयन करने के विचार से बम्बई हाई से प्राप्त गैस पर आधारित बड़े पैमाने का एक उर्वरक प्लांट स्थापित करने के लिए विभिन्न संभव स्थलों पर वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के जांच करने के लिए विज्ञान एवं तकनालोजी विभाग ने बी० ए० आर० सी० ट्राम्बे के रसायन समूह के निदेशक डा० ए० के० गान्गुली की अध्यक्षता में वातावरण सम्बन्धी आयोजना एवं संमजन पर राष्ट्रीय समिति का एक कार्यकारी दल नियुक्त किया था। इस कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1978 में प्रस्तुत की थी। जिसमें यह प्रायोजना तारापुर में स्थापित करने के लिये सिफारिश की गई थी परन्तु चूंकि महाराष्ट्र सरकार तारापुर स्थल के पक्ष में नहीं थी इसलिए कार्यकारी दल से बम्बई के दक्षिण में महाराष्ट्र सरकार द्वारा सुझाये गये कुछ अन्य स्थलों में वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करने के लिए पुनः अनुरोध किया था।

महाराष्ट्र सरकार ने निम्न स्थलों का सुझाव दिया था :

1. थाल-वेशेट
2. असर-कुणे
3. सोगांव
4. वडावली
5. दिवी पारंगी

कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट 31-5-78 को प्रस्तुत की थी और उन्होंने असर, सोगांव, वडावली तथा दिवी पारंगी को उर्वरक प्रायोजना के स्थल के लिए अनुचित ठहराया था। कार्यकारी दल ने एक बार फिर मंडवा तथा थाल वेशेट की तुलना में तारापुर को उचित स्थल बताया है।

द्वितीय रिपोर्ट को ध्यान पूर्वक जांच करने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने उर्वरक प्रायोजना थाल-वेशेट में स्थापित करने की सिफारिश की है।

कार्यकारी दल की सिफारिशों तथा राज्य सरकार के विचार को ध्यान में रखते हुए सरकार इस प्रायोजना के स्थल के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय ले लेगी।

(ग) जी नहीं। अध्यक्ष सहित कार्यकारी दल के सभी सदस्यों ने इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये थे।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को विचार में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रेवास में उर्वरक संयंत्र के बारे में आपत्ति

388. **डा० बापू कालदाते : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बम्बई हाई की गैस पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र की रेवास में स्थापना करने के बारे में बम्बई के कुछ लोगों को आपत्ति है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी आपत्ति पर विचार किया है; और

(ग) क्या सरकार ने आपत्ति पर विचार करते समय समिति की विश्वसनीयता पर भी विचार किया है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) मूल प्रस्ताव के अनुसार रेवास में बड़े पैमाने का एक उर्वरक प्लांट लगाने का वहां के स्थानीय निवासियों तथा बम्बई के निवासियों जिन्होंने अपने आप को "बम्बई बचाओ समिति" में संगठित किया है कड़ा विरोध किया है। उनके विरोध का प्रमुख कारण यह है कि इस से बम्बई तथा नये बम्बई क्षेत्र में सम्भवतः प्रदूषण का खतरा बढ़ेगा और किसान भी विस्थापित होंगे। इस बीच प्रस्तावित प्रायोजना का विभिन्न संभव स्थलों पर वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करने के एन० सी० ई० पी० सी० के कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। एन० सी० ई० पी० सी० कार्यकारी दल की सिफारिशें तथा राज्य सरकार के विचार को ध्यान में रखकर प्रायोजना के स्थल के सम्बन्ध में सरकार शीघ्र निर्णय ले लेगी।

रेवास में उर्वरक संयंत्र

389. **डा० बापू कालदाते : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रस्तावित गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र के रेवास में स्थापित करने के बारे में महाराष्ट्र विधान मंडलों के दोनों सदनों द्वारा दी गई मंजूरी के निर्णय की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने विधानमण्डलों के निर्णय को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) जी, हां। महाराष्ट्र विधान सभा ने 21-6-78 को सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि बम्बई हाई गैस पर आधारित प्रस्तावित खाद कारखाने को दक्षिण बम्बई में कोलवा जिले के अलीबाग तालुक में थाल वेसेट पर स्थापित किया जाना चाहिए (न कि रेवास में)। एन० सी० ई० पी० सी० के कार्य दल ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है उन्हें यह अनुरोध किया गया था कि वे थाल वेसेट सहित अनेक संभावित स्थानों पर खाद कारखाना लगाने से वहां के वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करें। कार्यदल की सिफारिशों महाराष्ट्र सरकार के विचारों को ध्यान में रखते हुए सरकार शीघ्र ही स्थान के बारे में निर्णय करेगी।

REPRESENTATION FROM SWATANTRA PADVIDHAR MATADAR SANGH DEMANDING A SEAT IN MAHARASHTRA COUNCIL

†SHRI KESHAVRAO DHONDGE : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether a representation has been received by the Election Commission and the Union Government from the Swatantra Padvidhar (Graduate) Matadar Sangh demanding a seat in the Maharashtra Legislative Council for one of their representatives to be elected from Marathwada region of Maharashtra; and

(b) if so, the action taken or proposed to be taken thereon?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) : (a) No such representation has been received either by the Election Commission or by the Ministry of Law from the Swatantra Padvidhar (Graduate) Matadar Sangh. Representations have, however, been received in the Election Commission from the Chairman, Education Committee, Zila Parishad, Nanded and the Marathwada Shikshak Sangh, Nanded, demanding an independent and separate graduate constituency for the Marathwada Region in Maharashtra. The Commission has also received a letter from Shri G. R. Mhaisekar, M.P. and 12 other M.Ps., urging the creation of an independent and separate constituency for the Marathwada Region in Maharashtra.

(b) The matter is under the consideration of the Election Commission in consultation with the Government of Maharashtra.

CONVERSION OF MANMAD-MUDKHED—PARLI RAILWAY LINE

†391. SHRI KESHAVRAO DHONDGE : Will the Minister of RAILWAYS pleased to state :

(a) the progress of the work of converting Manmad-Mudkhed—Parli railway line in Marathwada Division in Maharashtra into broad gauge line;

(b) the expenditure incurred so far on this scheme; and

(c) when this work will be completed ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Final location survey has been completed and part of the earth-work has been done as a drought relief measure. Further work on Manmad-Aurangabad section will be taken up after monsoon.

(b) Expenditure incurred by Railway is about Rs. 8 lakhs so far.

(c) No target date for completion of this project has yet been fixed.

DEMAND FOR A HIGH COURT BENCH FOR MARATHWADA DIVISION

†392. SHRI KESHAVRAO DHONDGE : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) the steps taken by the Central Government so far to fulfil the demand for the setting up of an independent bench of High Court in Aurangabad for Marathwada Division in Maharashtra; and

(b) the details of the proposal submitted by the State Government in this regard and the reaction of the Central Government thereto ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) : (a) & (b). In January, 1977 the then Chief Minister, Maharashtra sent a proposal for the establishment of a permanent bench at Aurangabad. The State Government were requested to send the views of the Chief Justice of Bombay High Court. The State Government have now requested that two Benches of the High Court may be established —one at Aurangabad and another at Pune. They have sent the views of the Chief Justice. Some further information has been sought from the State Government.

एकाधिकार निर्बन्धनात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा बल्कन लावल को दी गई अनुमति

393. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एकाधिकार निर्बन्धनात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने बल्कल लावल नामक एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी को सिगरेट उत्पादन तथा तम्बाकू परिष्कृत करने की मशीनों की क्षमता में काफी वृद्धि करने की अनुमति प्रदान कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) मै० बल्कन लावल लिमिटेड का, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 21 के अन्तर्गत, तम्बाकू के विधायन के लिये तथा तम्बाकू उत्पादों के बनाने के संयंत्र मशीनरी तथा उपकरणों के निर्माण के लिए एक उपक्रम द्वारा सारवान विस्तार करने का प्रस्ताव, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को जांच एवं रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया था। आयोग ने कम्पनी के प्रस्ताव का कुछ प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमोदन की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आयोग की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

मैसर्स बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड कलकत्ता का राष्ट्रीयकरण

394. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मैसर्स बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० कलकत्ता का राष्ट्रीयकरण करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) क्या सरकार द्वारा अधिग्रहित किये जाने के बाद से इस कम्पनी ने अपने कार्यकरण में कोई उल्लेखनीय सुधार किये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) मई और जून, 1978 के दौरान कम्पनी का उत्पादन क्रमशः 56.68 लाख रुपये और 56.61 लाख रुपये का हुआ था जो कि अधिग्रहण से एक वर्ष पूर्व अर्थात् 1976-77 के दौरान प्राप्त 40.75 लाख रुपये प्रति माह के औसत उत्पादन से अधिक है। उत्पादन के ये आंकड़े अधिग्रहण से पूर्व की अवधि में सबसे अधिक उत्पादन के वर्ष अर्थात् 1974-75 में कम्पनी द्वारा प्राप्त किये 52.66 लाख रुपये प्रति माह के औसत उत्पादन स्तर से भी अधिक है।

CANCELLATION OF TRAINS DUE TO COAL SHORTAGE AT THE END OF MAY 1978

395. SHRI RAM DHARI SHASTRI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the names of the trains cancelled due to shortage of coal at the end of May and in the beginning of June, 1978 and the amount of financial loss suffered as a result thereof;

(b) the reasons for not taking precautionary measures to avoid cancellation of the trains; and

(c) who is responsible for the sudden cancellation of these trains?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

(b) & (c). Due to continued short receipt of steam coal from April, 1978 onwards from the coalfields loco coal stocks on the Railways have gone down to precariously low levels. Besides, steam coal meant for the Railways has partly been diverted to industries in distress. As a result, Railways had taken various steps to conserve steam coal for maintaining essential passenger train services by curtailing departmental and ballast trains, as well as some branch line trains. Close liaison is maintained with the Coal Producing Authorities and the Ministry of Energy for stepping up loco coal supplies. The cancelled trains will be restored as soon as the supply position improves.

जालन्धर छावनी स्टेशन पर सवारी डिब्बों में यात्री-स्थानों की कमी

396. **चौधरी बलबीर सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जालन्धर छावनी स्टेशन पर होशियारपुर के लिये जुड़ने वाले सवारी डिब्बे 'होशियारपुर कोच' में भारी भीड़ होती है जिसके फलस्वरूप यात्रियों को भारी परेशानी होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या यात्रियों को सुविधा देने के लिये किसी अन्य गाड़ी के साथ दिल्ली से होशियारपुर तक का एक और डिब्बा जोड़ दिया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां, केवल पहले एवं दूसरे दर्जे के मिले जुले थ्रू यात्री डिब्बे के अनारक्षित दूसरे दर्जे वाले भाग में।

(ख) और (ग) दिल्ली जालन्धर मार्ग पर चलने वाली मेल/एक्सप्रैस गाड़ियों में अधिक यात्री डिब्बों की गुंजाइश न होने के कारण दिल्ली और होशियारपुर के बीच अतिरिक्त डिब्बों को चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

रेलवे में भ्रष्टाचार

397. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिनांक 21 जून, 1978 के इंडियन एक्सप्रैस में 'कोरप्शन रेपेंट आन रेलवेज' शीर्षक से प्रकाशित समाचार से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) गत तीन महीनों में आरक्षण आदि में भ्रष्टाचार के लिये दिल्ली में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) आरक्षण अनुभाग में महिलाओं को नियुक्त करने के लिये कितनी प्रगति हुई है?

9—279 LSS/78

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) रेलों पर टिकटों के आरक्षण में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में समाचार-पत्र में एक सामान्य शिकायत की गई थी जिसमें इस बात का विशेष उल्लेख किया गया था कि कुछ समय पहले एक चल टिकट परीक्षक ने दक्षिण से दिल्ली को जाने वाली एक गाड़ी में शायिका प्राप्त करने के लिये जनता पार्टी के एक जनरल सेक्रेटरी से रिश्वत ली थी।

दक्षिण से दिल्ली की यात्रा करने वाली किसी पार्टी से इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है। लेकिन 24-11-1977 को दिल्ली से 4 अप फ्रंटियर मेल में स्थान के आबंटन के लिये 10 रुपये का अधिप्रभार लेने के बारे में एक चल टिकट परीक्षक के विरुद्ध शिकायत मिली थी। उसके विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अधीन कार्यवाही शुरू की गई है।

(ग) पिछले तीन महीनों के दौरान आरक्षण आदि में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दिल्ली में कोई भी रेल कर्मचारी गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन, कर्मचारियों की भ्रष्ट गतिविधियों को रोकने के लिये की गई विशेष जांचों के फलस्वरूप भ्रष्ट कार्यवाहियों में लिप्त पाये गये बहुत से कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गई है।

(घ) रेल प्रशासन महानगरों के बुकिंग कार्यालयों में आरक्षण क्लर्कों के रूप में लगाने के लिये आजकल विभागीय उम्मीदवारों का चयन और साथ ही बाहर से महिला उम्मीदवारों की भर्ती कर रहे हैं। ऐसी उम्मीद है कि 1-10-78 तक महिला आरक्षण क्लर्क काम करने लगेंगी।

दक्षिण की ओर जाने वाली गाड़ियों का मार्ग बदलने का सुझाव

398. **श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें यात्रियों की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि दक्षिण की ओर लम्बी दूरी तक जाने वाली रेलगाड़ियों को या तो डाकू रहित क्षेत्रों से होकर ले जाया जाय अथवा इन रेलगाड़ियों का समय इस प्रकार निर्धारित किया जाये कि वे उन क्षेत्रों से दिन के समय गुजरें; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेल सुरक्षा उपायों पर बैठक

399. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल तथा गृह मंत्रालयों की एक संयुक्त बैठक में हाल में रेल सुरक्षा उपायों को बढ़ाने का निर्णय किया गया था;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटनाओं आदि की बाहुल्यता वाले क्षेत्रों के रूप में किन किन प्रदेशों को चुना गया है और रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिये क्या उपाय किये जाने हैं; और

(ग) क्या राज्य सरकारों से सहयोग मांगा गया था और यदि हां, तो उनकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) पिछले दिनों में गाड़ियों के अंदर हुई डकैतियों और लूटपाट की घटनाओं के आधार पर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में कुछ खंडों और गाड़ियों को जघन्य अपराधों के लिये भेद्य माना गया है।

रेल मंत्री ने प्रभावित राज्यों, अर्थात् बिहार, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, और पश्चिम बंगाल, के मुख्य-मंत्रियों के साथ पत्र व्यवहार किया है और उनसे अनुरोध किया है कि यात्रियों और उनकी सम्पत्ति की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिये वे कारगर निवारक उपाय करें।

16-6-78 को रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी और यह विनिश्चय किया गया था कि (1) उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की राज्य सरकारें सशस्त्र पहरेदारों की संख्या बढ़ाकर ऐसे अपराधों के विरुद्ध जोरदार अभियान चलायेंगी, (2) यह सुनिश्चित किया जाये कि रात के समय जब कभी खतरे की जंजीर खींची जाये तो पुलिस के सशस्त्र पहरेदारों को तुरन्त सूचना मिल जाये, (3) पुलिस के सशस्त्र पहरेदारों को गाड़ी के मध्य में स्थान दिया जाये ताकि खतरे को देखते ही वे दो दलों में बंट जायें और अपराधियों को पकड़ने के लिये गाड़ी के दोनों और उतर जायें, (4) पुलिस पहरेदारों को बड़ी शक्तिशाली टार्चें/बड़ी हल्की पिस्तौलें और रोशनी वाले उपकरण दिये जायें, और (5) गार्ड और ब्रेकमैन को शक्तिशाली बत्तियां दी जायें ताकि गाड़ी के दोनों ओर के क्षेत्र में रोशनी की जा सके।

भेद्यखंडों में रात के समय चलने वाली चुनी हुई गाड़ियों में रेल सम्पत्ति की रक्षा करने के लिये रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र पहरेदारों की व्यवस्था की जा रही है। इससे यात्रा करने वाली जनता के मन में विश्वास जगाने और साथ ही अपराधियों को गाड़ियों में अपराध करने से रोकने में सहायता मिलेगी।

सवारी डिब्बों में निम्नलिखित निवारक उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये क्षेत्रीय रेलों ने एक अभियान चलाया है:—

(1) चलटिकट परीक्षक/डिब्बा परिचर रात के 10.00 बजे और प्रातः 6.00 बजे के बीच गलियारों के दरवाजों को ताला लगा देते हैं।

(2) रात के समय चल टिकट परीक्षक और डिब्बा परिचर सतर्क रहते हैं और घुसपैठ करने वालों फेरी वालों और अनधिकृत व्यक्तियों को डिब्बों में घुसने से रोकते हैं।

(3) बिना गलियारेदार गाड़ियों के मामले में गलियारेदार दरवाजे स्थाई रूप से बन्द अथवा निष्प्रयोज्य कर दिये जाते हैं।

फरीदाबाद में प्लेटफार्म

400. **श्री धर्मबीर वशिष्ठ :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के न्यू टाउनशिप फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म रेल की पटरी के बराबर ऊंचे हैं ?

(ख) क्या सरकार को यात्रियों से इस सम्बन्ध में असुविधाओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्लेटफार्मों को ऊंचा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस स्टेशन के प्लेटफार्मों की सतह को ऊंचा उठाने के लिये जनता द्वारा मांग की गई है। रेल उपयोगकर्ता सुविधा समिति का अनुमोदन प्राप्त हो जाने और धन के उपलब्ध होने पर ही आगामी वर्षों के रेलवे निर्माण-कार्यों में शामिल करने के लिये प्लेटफार्मों को ऊंचा उठाने के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

RE : MOTION FOR ADJOURNMENT

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि विपक्ष के नेता श्री सी० एम० स्टीफन से मुझे यह स्थगन प्रस्ताव मिला है:—

"कि अपना दल बदलने वाले किसी व्यक्ति को स्थान च्युत करने और इस के लिये तुरन्त विधान बनाने के सम्बन्ध में सरकार और विपक्ष के नेताओं के बीच हुए समझौते का उल्लंघन करके, श्री शरद पवार को, अपना दल बदल कर, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के रूप में कार्य भार संभालने के लिये

आमंत्रित किया गया है और इस प्रकार भारत सरकार ने (क) विपक्ष के साथ विश्वासघात किया है (ख) दल बदल विरोधी विधेयक को, जिसे संसद के वर्तमान सत्र में लाया जाना है, निष्प्रभावी बना दिया है; और (ग) दल बदल को प्रोत्साहित और दोषमुक्त किया है, जिससे हमारी लोकतंत्रीय प्रणाली दूषित हो गई है।"

चूंकि प्रस्ताव में उल्लिखित सभी तथ्य मेरे पास नहीं हैं अतः मैं लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 60(1) के दूसरे परन्तुक के आधीन चलना चाहता हूं और उनकी ग्राह्यता सम्बन्धी कोई निर्णय देने से पूर्व विपक्ष के नेता और मंत्री से संक्षिप्त तथ्यात्मक वक्तव्य देने के लिये कहूंगा।

मैं दो बातें जानना चाहता हूं कि विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने से भी पहले क्या विपक्ष और सरकार के बीच प्रस्तावित विधेयक के उपबन्धों के बारे में सहमति हो गई थी और क्या केन्द्रीय सरकार का इस मामले से कोई सम्बन्ध है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : नियम 58 के अनुसार स्थगन प्रस्ताव में केवल एक सारवान मामला उठाया जा सकता है लेकिन श्री स्टीफन ने अनेक मामले उठाये हैं। यदि स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं तो अध्यक्ष उस पर विचार तक भी नहीं करेंगे। विपक्ष के नेता और सदन के नेता को कुछ कहने के लिये न कहा जाये। इस प्रस्ताव को सीधे अस्वीकार कर दिया जाये।

श्री श्याम नन्दन मिश्रा (बेगुसराय) : अध्यक्ष महोदय ने दो प्रश्न किये हैं एक विपक्ष के नेता से दूसरा सदन के नेता से। सभा की प्रथा के अनुसार उन्हें ये प्रश्न अपने चेम्बर में पूछ कर स्वयं को सन्तुष्ट करना चाहिये था।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : दल बदल विरोधी विधेयक पुरःस्थापित होने से पूर्व स्थगन प्रस्ताव श्री स्टीफन कैसे पेश कर सकते हैं?

श्री पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : विपक्ष के नेता ने अपने प्रस्ताव में उस बातचीत का उल्लेख किया है जो दल बदल विरोधी विधेयक के बारे में सरकार और विपक्षी दलों और ग्रुपों के बीच हुई थी। लेकिन सभा के पास उस की जानकारी नहीं है।

इसके अतिरिक्त उस बातचीत के आधार पर यह विधेयक अभी तक सभा में पुरःस्थापित भी नहीं किया गया। इस बात को देखते हुए विधेयक का उल्लेख प्रस्ताव में नहीं किया जा सकता और सरकार पर आरोप नहीं लग सकता क्योंकि स्थगन प्रस्ताव तभी रखा जा सकता है जब कोई सुनिश्चित और अनिवार्य मामला हो तथा भारत सरकार का उससे सीधा सम्बन्ध हो।

इस वार्ता के आधार पर जो दलबदल विरोधी विधेयक सभा में पुरःस्थापित होना था, वह अभी तक नहीं हो पाया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव दलबदल विरोधी विधेयक से संबंधित नहीं हो सकता क्योंकि स्थगन प्रस्ताव का विषय निश्चित और अविलम्बनीय महत्व का होना चाहिये।

श्री ए० बाला पजनौर (पांडिचेरी) : स्थगन प्रस्ताव के प्रस्तावक को स्पष्ट कहना चाहिये कि वे पहले भाग को पेश कर रहे हैं या कि दूसरे भाग को।

सभा के सामने कोई निश्चित विषय नहीं है और किसी भी प्रकार की उल्लंघना नहीं हुई है। अतः हम स्वीकार्यता को ही चुनौती दे रहे हैं।

SHRI MANI RAM BAGRI (Mathura) : Sir, you are listening to the English speaking members only which is not proper. It can not be accepted.

श्री गौरी शंकर राय (गाजीपुर) : किसी स्थगन प्रस्ताव के लिये कोई शर्तें होती हैं। स्थगन प्रस्ताव को पढ़ने से पहले यह देखना जरूरी है कि नियम 58 के प्रावधान की शर्त पूरी की जाये।

इस स्थगन प्रस्ताव में नियम 58 के प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा गया है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बड़ागरा) : इन्होंने महाराष्ट्र की घटनाओं तथा आश्वासनों के उल्लंघन आदि का जिक्र किया है। महाराष्ट्र की घटना इस सभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। आश्वासनों के बारे हम भी दल बदल विरोधी विधेयक की मांग करते आये हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि नियम 58(vi) की शर्तें पूरी होनी चाहिये। हम यह नहीं जानते। कि विधेयक विचारार्थ कब लाया जायेगा। इस मामले पर पहले ही चर्चा हो चुकी है।

अध्यक्ष महोदय: इस पर चर्चा नहीं हुई।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्: नियम 58 की शर्तें पूरी होने पर ही नियम 60 लागू होता है। अतः आप नया पूर्वोदहारण नहीं पैदा कर सकते। यह नियम 58(vi) का उल्लंघन है और आप केवल विपक्ष के नेता को ही नहीं सुन सकते।

SHRI Y. P. SHASTRI (Rewa) : The developments of Maharashtra are not within the jurisdiction of this House and, therefore, this adjournment motion can not be allowed here.

Discussions between the Government and the opposition were held at party level and not at Government level and any discussion at party level can not be a subject for adjournment motion.

श्री सौगत राय (बैरकपुर): यह मामला ऐसा है जिसके बारे अभी तक हमारी मांग के बावजूद भी सरकार कानून नहीं ला सकी है। यदि आप इस प्रस्ताव को अनुमति देते हैं तो मैं भी स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दूंगा। आप गलत पूर्वोदहारण पैदा कर रहे हैं। कृपया ऐसा न करें।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): आप दल तथा महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है सरकार उससे संबंधित नहीं है। यदि वहां दलबदल भी हुआ है। वह भी विरोधी दलों की ओर से हुआ है। हम इसके लिये जिम्मेवार नहीं हैं। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय कैसे हो सकता है जबकि अभी विधेयक पेश भी नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय: श्री स्टीफन ने मुझे एक पत्र में लिखा है कि विधेयक से पहले ही आपने उनसे एक समझौता कर लिया था— (व्यवधान)

श्री मोरारजी देसाई: क्या उन्होंने आपको हुए समझौते के बारे लिख कर दिया है?

अध्यक्ष महोदय: नहीं।

श्री के० लकप्पा: आज हम राजनैतिक ध्रुवीकरण के युग से गुजर रहे हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु: कहा गया है कि प्रधान मंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री से बात की थी। कृपया इस पर प्रकाश डालें।

अध्यक्ष महोदय: यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित न करें। (व्यवधान)**

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर): प्रधान मंत्री ने आपके पूछे जाने पर यह नहीं बताया कि उनके तथा विरोधी दलों के बीच क्या समझौता हुआ। उन्होंने कोई वक्तव्य भी नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय: अभी तक नहीं दिया। अनेक व्यवस्था के प्रश्न उठाये गये हैं।

पहला प्रश्न नियम 58(ii) के उल्लंघन के बारे है। इस नियम का कोई भी उल्लंघन नहीं होता। यह धारणा भी गलत है कि नियम 60 के अन्तर्गत कार्यवाही चेम्बर के अन्दर होनी चाहिये।

इस प्रश्न के दो पहलू हैं। पहला यह कि विधेयक से पहले क्या सभी दलों के बीच समझौता हुआ था और दूसरा यह कि क्या केन्द्रीय सरकार का महाराष्ट्र की घटनाओं में कोई हाथ था? इन्हीं दो बातों के बारे पहले मैं प्रधान मंत्री और बाद में श्री स्टीफन को सुनना चाहूंगा।

नियमों में मंत्री महोदय तथा अन्य को बुलाने की व्यवस्था है। मैं तो केवल अपना समाधान कर रहा हूं।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : विरोधी दल के नेता भूल कर रहे हैं। समझौते में यह व्यवस्था है कि यदि 20 प्रतिशत सदस्य दल छोड़ जाते हैं तो इसे दल बदल नहीं माना जाता। इस मामले में तो 50 प्रतिशत सदस्यों ने दल त्यागा है। मैंने किसी को दल छोड़ने का परामर्श नहीं दिया। श्री स्टीफन को दल छोड़ने की सलाह मैंने नहीं दी थी। वह दल बदल की बात करते हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : तथ्य यह है कि प्रधान मंत्री, विधि मंत्री तथा रक्षा मंत्री की उपस्थिति में विरोधी पक्ष के नेताओं की एक बैठक हुइ। पहले तो उन्होंने दल बदल विधेयक के सिद्धान्त बताये। इस सम्बन्ध में संविधान संशोधन विधेयक का प्रारूप हमें दिखाया गया। हमने इस पर खण्डवार चर्चा की। विधेयक में दलों के विभाजन की व्यवस्था नहीं है। मुझे याद नहीं है कि प्रतिशतता के बारे में कुछ कहा गया हो। 45वें संशोधन सम्बन्धी विधेयक पर सहमति हुई थी।

अध्यक्ष महोदय : क्या समझौता हुआ था?

श्री सी० एम० स्टीफन : समझौता यह हुआ था कि इसे शीघ्र कानूनी रूप दिया जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि जब दलों में परस्पर समझौता है तब दल-बदल को रोका क्यों नहीं जाना। एक उपाय यो यह बरता जा सकता है कि जब भी कोई सदस्य दल बदल करता है, तब संसद में उसका स्थान रिक्त माना जाये।

अध्यक्ष महोदय : इसमें केन्द्रीय सरकार का क्या दायित्व है।

श्री सी० एम० स्टीफन : समझौता यह था कि दल-बदल की निन्दा की जायेगी। इसे निरुत्साहित किया जायेगा तथा इस बारे में कानून बनायें जायेंगे। जहां तक श्री शरद पवार की कार्यवाही का सम्बन्ध है प्रधान मंत्री ने बताया है कि 50% से अधिक सदस्य दल छोड़ कर चले गये हैं। श्री पवार ने कहा है कि वह कांग्रेस, दल नहीं छोड़ रहे हैं। वह तो एक विधान मण्डलीय दल बना रहे हैं। अतः उन्हें पार्टी से मुअतिल कर दिया गया है।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

श्री सी० एम० स्टीफन : प्रश्न पर है कि क्या केन्द्रीय सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी है। मेरा मत है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है जबकि संशोधित संविधान के अनुसार राष्ट्रपति केवल मंत्री मंडल के परामर्श से ही कार्यवाही करता है? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे स्वीकार नहीं करता उनका मत ठीक हो अथवा गलत हमें उन्हें सुनना तो चाहिये। **(व्यवधान)**

श्री सी० एम० स्टीफन : हम जानते हैं कि जब राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाता है तब मंत्रीमंडल इसका निर्णय लेता है।

श्री मोरारजी देसाई : खड़े हुये।

श्री सी० एम० स्टीफन : प्रधान मंत्री महोदय, मैं अभी बोल रहा हूं।

श्री मोरारजी देसाई : यह मुझे पता है।

श्री सी० एम० स्टीफन : यह सुविदित है कि जब भी राज्यपाल निश्चय करता है तो यह प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से केन्द्रीय सरकार का निर्णय होता है। हम प्रधान मंत्री के निमंत्रण पर गये थे, श्री मोरारजी देसाई अथवा जनता पार्टी के नेता के नियंत्रण पर नहीं। प्रधान मंत्री को समझौते के अनुसार कार्य करना चाहिये था। खेद की बात है कि दल-बदल करने वाले एक व्यक्ति को मुख्य मंत्री बना दिया गया है। **(व्यवधान)**

प्रधान मंत्री देश के तथा सरकार के सम्माननीय नेता हैं। मैं सदा उनका सम्मान करता आया हूं यह खेद की बात है कि उन्होंने अपनी नैतिकता का बलिदान कर दिया है। जनता पार्टी के नेता श्री श्री एस० एम० जोशी ने कहा है कि उन्होंने महाराष्ट्र की स्थिति से प्रधान मंत्री को अवगत करा दिया है। इस प्रकार वह दल-बदल करने वाले व्यक्ति को मुख्य मंत्री बनाने के लिये जिम्मेदार हैं।

अध्यक्ष महोदय: दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि इसमें केन्द्रीय सरकार का न तो संवैधानिक दायित्व है और न उसका प्रत्यक्ष सम्बध केन्द्रीय सरकार से हैं। इस लिये मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता।

श्री सी० एम० स्टीफन: हमारे दल का यह प्रयास रहा है और अब भी है कि इस सभा की परम्पराओं का अच्छी तरह से पालन करें। मैं आपके माध्यम से दूसरे पक्ष को भी इसे बनाये रखने का निवेदन करूंगा। कृपया इस पर ध्यान दें।

श्री पी० वेंकट सुब्बैया: मैं सदन के नेता से निवेदन करता हूं कि व अपने दल के सदस्यों पर नियंत्रण रखे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष 1976-77 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) उपर्युक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 2372/78]

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा प्रतिवेदन

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कम्पनी (निक्षेप स्वीकृति) दूसरा संशोधन नियम, 1978, जो दिनांक 28 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 252 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कम्पनी (निक्षेप स्वीकृति) तीसरा संशोधन नियम, 1978 जो दिनांक 29 जून, 1978 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 341 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 2373/78]

(3) राष्ट्रीय न्यायिक रक्षा, समान न्याय—सामाजिक न्याय सम्बन्धी प्रतिवेदन (भगवती समिति प्रतिवेदन) *(हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 2374/78।]

*प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण 23 दिसम्बर, 1977 को सभा पटल पर रखा गया था।

(4) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955—असमाधेय रूप से सम्बन्ध बिगड़ने को विवाह विच्छेद का आधार मानने पर विधि आयोग के 71वें प्रतिवेदन @(हिन्दी संस्करण) की एक प्रति ।

(5) संविधान के अनुच्छेद 220—स्थायी न्यायाधीश रहने के बाद वकालत पर प्रतिबन्ध पर विधि आयोग के 72वें प्रतिवेदन @(हिन्दी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2375/78।]

(6) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उपधारा (5) के अन्तर्गत कालटैक्स आयल रिफाइनिंग (इण्डिया) लिमिटेड और हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड एकीकरण आदेश 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 9 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 312 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2376/78]

चालू लाइन (भारत में रेलें) सामान्य संशोधन नियम

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(7) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 47 के अन्तर्गत जारी किये गये चालू लाइन (भारत में रेलें) सामान्य (संशोधन) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 20 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 658 में प्रकाशित हुई थी।(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2378/78)।

अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 तथा बाजार ऋणों के बारे में विवरण

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(8) अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) अतिरिक्त उपलब्धियां अनिवार्य निक्षेप (स्थानीय प्राथमिकता कर्मचारी) (संशोधन) स्कीम 1978 जो दिनांक 17 जून, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 762 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) अतिरिक्त उपलब्धियां अनिवार्य निक्षेप (सरकारी तथा स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारी) (संशोधन) स्कीम, 1978 जो दिनांक 17 जून, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 763 में प्रकाशित हुई थी।

(9) भारत सरकार द्वारा मई और जून, 1978 में जारी किये गये बाजार ऋणों का परिणाम दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2379/78।]

विधेयकों पर अनुमति
ASSENT TO BILLS

सचिव : (एक) मैं पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किया गया और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त वित्त विधेयक, 1978 सभा पटल पर रखता हूं।

(दो) संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित सात विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) पब्लिक सेक्टर लोहा और इस्पात कम्पनी (पुनर्संरचना) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 1978

(2) पत्तन विधियों (संशोधन) विधेयक, 1978

(3) निक्षेप बीमा निगम (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) विधेयक, 1978

@प्रतिवेदनों के अंग्रेजी संस्करण 12 मई, 1978 को सभा पटल पर रखे गये थे।

(4) कोयला खान राष्ट्रीयकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1978

(5) विद्युत (प्रदाय) संशोधन विधेयक, 1978

(6) भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक, 1978

(7) सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण और केन्द्रीय राजस्व बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1978

(तीन) संसद के सदनों द्वारा संयुक्त बैठक में पास किया गया और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1978 भी सभा पटल पर रखता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में

RE. : CALLING ATTENTION

श्री अरविन्द बाल पजनौर (पांडिचरी): जैसा कि कार्यसूची से पता चलता है यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 16 तारीख को मद्रास में दक्षिणी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के बारे में है। शायद ये मुख्य मंत्री यह संकल्प सरकारी तौर पर एक दो दिन में केन्द्रीय सरकार को भेजेंगे। इससे पहले कि इस मामले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में विचार हो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सम्बन्धित मंत्री इस बारे में कुछ समय लेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह मंत्री जी की इच्छा पर निर्भर है।

श्री अरविन्द बाल बजनौर : हम इस सभा में प्रक्रिया सम्बन्धी बातों पर बहुत अधिक समय नष्ट करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कार्यालय से पता चला है कि सरकार को अभी संकल्प की प्रति नहीं मिली है इसलिए शायद वे कुछ समय लें। प्रधान मंत्री जी क्या आप कुछ समय लेंगे ?

श्री बसंत साठे (अकोला) : उत्तर पहले ही आ चुका है।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : वह उत्तर देंगे।

श्री अरविन्द बाल पजनौर : यदि आप राज्य सरकारों से विवरणों की पुष्टि किए बिना मंत्री जी का वक्तव्य देने की अनुमति देंगे तो इससे अनावश्यक रूप से भ्रांति तथा गलतफहमी पैदा हो जायेगी। मैं इस स्तर पर वाद-विवाद नहीं चाहता। हर एक सदस्य को दस मिनट मिलेंगे जिसमें वे कोई बात उठा सकते हैं।

आप मंत्री महोदय को पूरे तथ्य रखने के लिए कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह चाहें तो ऐसा कर सकते हैं।

श्री के० गोपाल (करूर) : पिछले सत्र में यह मामला नियम 377 के अधीन उठाया गया था, तब संचार मंत्री ने ऐसी जानकारी दी थी जो तथ्यों से दूर है। इस बीच इस सदन के एक सदस्य ने हिन्दी में नोटिस पर आपत्ति की। दक्षिण में भारी आन्दोलन होने की सम्भावना है। मैं मामले पर विस्तृत चर्चा की मांग करता हूं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नियम 197 के अधीन 7 सदस्यों ने इस मामले का नोटिस दिया है। परन्तु खेद है कि बैलट में उन व्यक्तियों का नाम नहीं आ पाया। (**व्यवधान**)

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : इस मामले पर चर्चा की जानी चाहिए। मैं चाहता हूं कोई भय न बना रहे। (**व्यवधान**)

श्री बसन्त साठे : ध्यानाकर्षण के अलावा भी चर्चा की जाती है। मैं ध्यानाकर्षण को वापिस नहीं लेना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं कि सरकार तुरन्त ही प्रश्नों का उत्तर दे। इस मामले में शीघ्र ही नियम 184 के अधीन चर्चा की जायेगी, जिसके अन्तर्गत चर्चा का पर्याप्त अवसर मिल जायेगा।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्यह भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर पांच मिनट पर पुन : समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after lunch at five minutes past fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में विनिर्णय

RULING ON QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS AND THE MINISTER OF FINANCE

उपाध्यक्ष महोदय : सर्वश्री के० पी० उन्नीकृष्णन तथा श्री वयालार रवि द्वारा उठाए गए विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय ने निम्न विनिर्णय दिया है।

2 मार्च, 1978 को, श्री श्यामनन्दन मिश्र द्वारा, नियम 377 के अन्तर्गत उठाए गए मामले के बारे में, विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, एक स्विस बैंक को 110 लाख डालरों में 15 मार्च तथा 28 अक्तूबर, 1976 में किए गए दो भुगतानों के बारे में वक्तव्य दिया। मंत्री महोदय ने बताया कि यह भुगतान भारत सरकार तथा ईरान सरकार के बीच वाणिज्य लेन-देन की शर्तों के आधार पर किया गया जिसके बारे में भूतपूर्व प्रधान मंत्री के आदेशानुसार आर्थिक कार्य विभाग द्वारा बातचीत की गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि यह भुगतान करार की शर्तों के अनुसार स्विटजरलैंड में किया गया। इस निधि की व्यवस्था "विशेष स्वैच्छिक व्यय" शीर्षक के अन्तर्गत, विदेश मंत्रालय में की गई। उन्होंने आगे बताया कि यह भुगतान चैकों के माध्यम से किया गया और इस मामले में किसी भी भारतीय को गैर-कानूनी तौर पर किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन तथा श्री वयालार रवि ने नियम 222 के अन्तर्गत विदेश मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा वित्त मंत्री, श्री एच० एम० पटेल के विरुद्ध सूचनायें दी हैं। विदेश मंत्री के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 12-4-1978 को दिये गये वक्तव्य में जानबूझकर कुछ तथ्यों को छिपाया है। वित्त मंत्री के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 30-3-1977 को प्रस्तुत की गई विदेश मंत्रालय की अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) की मांग संख्या 32 में इस निधि को "विशेष राजनैतिक व्यय" शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया, जबकि यह ऐसा व्यय नहीं था।

जहाँ तक वित्त मंत्री के विरुद्ध लगाए गए आरोप का सम्बन्ध है, यह ध्यान में रखा जाये कि चर्चाधीन व्यय भूतपूर्व सरकार के दौरान किया गया था। वर्तमान सरकार ने कार्यभार 25 मार्च, 1977 को संभाला। उस दिन केवल प्रधान मंत्री को ही शपथ दिलाई गई थी। वित्त मंत्री को शपथ 26 मार्च, 1977 को दिलाई गई थी। अनुदानों की अनुपूरक मांगें 30 मार्च, 1977 को पेश की गई थीं अर्थात् नई सरकार द्वारा कार्यभार संभालने के चार दिन बाद में अनुदानों की मांग रखी गई थीं। रिकार्ड से पता चलता है कि चर्चाधीन व्यय विशेष 'राजनैतिक व्यय' के लिए किया गया था। मुझे रिकार्ड की वास्तविकता में कोई सन्देह नहीं है और न ही कोई ऐसी परिस्थितियां हैं जो मुझे यह संकेत दे सकती कि चर्चाधीन व्यय समुचित ढंग से व्यय नहीं किया गया। किसी व्यक्ति को तथ्यों को दबाने के लिए दोषी ठहराने से पूर्व यह साबित किया जाना चाहिए कि तथ्यों को जानबूझकर दबाया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में यह कहना संभव नहीं है कि वित्त मंत्री ने जानबूझकर विचाराधीन व्यय को गलत शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया है। विदेश मंत्रालय के रिकार्डों से पता चलता है कि विचाराधीन व्यय विशेष राजनयिक उद्देश्यों के लिए था। इन कारणों से मैं नियम 222 के अन्तर्गत वित्त मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रस्ताव पर अपनी सहमति नहीं दे सकता।

जहां तक विदेश मंत्री के विरुद्ध लगाए गए आरोप का सम्बन्ध है, मेरा ध्यान किसी ऐसी परिस्थिति की ओर आकर्षित नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो जाये कि विदेश मंत्री को भूतपूर्व सरकार की रक्षा करने में कोई रुचि है। विदेश मंत्री ने नियम 377 के अधीन दिए गए वक्तव्य के जवाब में यह वक्तव्य दिया

है। इस नियम के अन्तर्गत उन्हें कोई वक्तव्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह स्वेच्छा से दिया है। इन बातों से पता चलता है कि उनका किसी को बचाने का इरादा नहीं हो सकता था। अपने वक्तव्य में उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि विचाराधीन भुगतान भारत सरकार तथा ईरान सरकार के बीच एक वाणिज्यिक लेन देन की शर्तों के अनुसार किया गया था। किसी बात से यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि यह वक्तव्य गलत है। उन्होंने आगे बताया कि वाणिज्यिक लेन देन की बात तत्कालीन प्रधान मंत्री के आदेशों के अनुसार आर्थिक कार्य विभाग ने की थी। यह बात भी गलत नहीं है। स्विटजरलैंड में किए गए भुगतान भारत और ईरान के बीच निर्धारित शर्तों के अनुसार हुए थे। यह वक्तव्य भी गलत नहीं है।

यह सच है कि अपने वक्तव्य में मंत्री महोदय ने कहा था कि भुगतान चैकों के माध्यम से किए गए थे, यद्यपि वे डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा किए गए थे। किन्तु खजाना नियमों के अन्तर्गत डिमांड ड्राफ्ट भी चैक ही माने जाते हैं। उनका कोई भी वक्तव्य गलत सिद्ध नहीं हुआ।

यह आरोप लगाया गया है कि उनके वक्तव्य में पूरी जानकारी नहीं दी गई है। यह सही है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं जिन में विस्तृत जानकारी चाहिए थी किन्तु यदि वह विस्तृत जानकारी नहीं दे पाये तो इसका यह मतलब नहीं कि वह जानबूझकर संसद से कुछ तथ्य छिपाना चाहते थे। इन लेन देन की बातों से यह विचार उत्पन्न होता है कि निस्सन्देह ये लेन देन के कार्य उचित नहीं थे। किन्तु ये पहले सिद्ध करने के लिए पूर्णतया अपर्याप्त है कि विदेश मंत्री जान बूझकर किसी तथ्य को छुपा रहे हैं।

उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए मैं विदेश मंत्री के विरुद्ध पेश किए गए विशेषाधिकार के प्रस्ताव पर अपनी सहमति देने से इन्कार करता हूं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : मैं आपके विनिर्णय का आदर करते हुए यह कहना चाहता हूं कि आपने यह माना है कि इन अदायगियों के मामले में जांच की आवश्यकता है। यह एक गम्भीर मामला है।

नियम 377 के अधीन मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(एक) **पुनर्वास विभाग के क्रमबद्ध ढंग से समाप्त करने की योजना के बारे में मंत्री महोदय का कथित वक्तव्य**

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : 16 जुलाई, 1978 को पूर्ति और पुनर्वास मंत्री ने पुनर्वास विभाग को समाप्त करने की घोषणा की। यह एक हानिकारक कदम होगा क्योंकि शरणार्थियों के आवास की समस्या अभी भी बनी हुई है। विशेषकर पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों की समस्या अभी हल नहीं हुई है। इस समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को अपेक्षित धनराशि नहीं दी। दण्डकारण्य से आए 25,000 शरणार्थियों के आ जाने से यह समस्या और भी जटिल हो गई है। ये शरणार्थी पश्चिम बंगाल में अमानवीय परिस्थितियों में रह रहे हैं। जब तक ये सारी समस्याएं हल नहीं होतीं तब तक इस विभाग को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए।

(दो) **मध्य प्रदेश में कथित भारी विद्युत संकट**

DR. LAKSHMI NARAIN PANDEYA : Madhya Pradesh is facing a grave crisis of power shortage. According to tenth power survey the total power production in Madhya Pradesh would fall shor by 400 MW in 1982-83 as compared to the estimated demand. The Planing Commission has suggested that to meet out this shortage Madhya Pradesh should arrange for additional capacity of 600 MW. M.P. Electricity Board has sent many schemes to the Central Electricity Authority, Delhi for their approval, which also includes a scheme for setting up a super thermal power station near Singrauli. In view of the increasing demand of electricity in M.P., it is necessary that this scheme should be accorded approval at the earliest so that action could be taken to set up a super thermal power station at Singrauli.

(तीन) **आगरा में गोलीकांड की न्यायिक जांच की आवश्यकता**

श्री एम० एन० गोबिन्दन नायर (त्रिवेन्द्रम) : संसदे के गत सत्र में 11 मई को मैंने सरकार से अनुरोध किया था कि वह आगरा में हाल की घटनाओं की न्यायिक जांच कराने के लिए कदम उठाये और यदि सरकार मई के अन्त तक ऐसा नहीं करती तो मुझे अनशन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। मैंने प्रधानमंत्री को भी इस

बारे में 19 मई और 12 जुलाई को लिखा था परन्तु उनसे प्राप्त उत्तर निराशाजनक है। प्रधान मंत्री हमें एक विभागीय जांच से सन्तुष्ट कराना चाहते हैं। यह मुझे स्वीकार नहीं है। आज भी आगरा में स्थिति गंभीर है। आतंक का वातावरण अभी भी बना हुआ है। प्रत्येक जगह सशस्त्र पुलिसमैन तथा केन्द्रीय आरक्षित बल के जवान खड़े हैं। 1 मई को जो अत्याचार उन्होंने ढाये थे इसकी याद दिलाते हैं और वहां के निवासियों को चेतावनी देते हैं कि वे ऐसा फिर भी कर सकते हैं। इसी की मैं न्यायिक जांच की मांग कर रहा हूं। जांच निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र होनी चाहिए। इसमें सरकारी तंत्र का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हरिजनों के अधिकारों की रक्षा करना केन्द्रीय सरकार का विशेष उत्तरदायित्व है।

जब तक मेरी मांग मान ली जाती तब तक मैं 20 जुलाई प्रातः 9 बजे से अनशन शुरू कर रहा हूं।

(चार) मैसर्स मैटल फोर्जिंग (प्राइवेट) लिमिटेड, माया परी, नई दिल्ली द्वारा कुछ श्रमिकों का कथित निलम्बन

SHRI UGRA SEN (Deoria) : Sixteen employees of M/s. Metal Forging (P) Ltd., Mayapuri, Delhi were suspended without any valid reason. When the remaining employees demanded their reinstatement, the management of the firm declared lockout on 7-8-78 and then threw 1500 workers out of employment. On 16-6-78 when about 500 workers staged a dharna at the gate of Mill in support of their demand for reinstatement of their colleagues and lifting of lockout, about 115 of them were arrested and sent to jail. Section 144 has been imposed and a reign of error prevails there. This need to be looked into.

तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) विधेयक

TABACCO BOARD (AMENDMENT) BILL

उपाध्यक्ष महोदय: अब डा० रामजी सिंह अपना भाषण जारी रखेंगे।

DR. RAMJI SINGH (Bhagelpur) : We are earning a good amount of foreign exchange through exports of tabacco. But the per acre production of tabacco in India is only 340 kg. while it was 904 kgs. in USA. Steps should, therefore, be taken to step up the per acre production of tobacco in the country.

It is good that Gujarat has been given representation in the Tobacco Board, but other tobacco producing states like Madhya Pradesh, Bihar, Assam etc. should also be given representation in it.

The number of members in the Board should be increased and the labourers should also be given representation on it.

It is a welcome step that the headquarters have been kept at Guntur in Andhra Pradesh which produces 80% of our tobacco production.

The Bill Covers only Virginia tobacco, while many other varieties of tobacco are also being produced in the country. It would be better if all varieties of tobacco are covered under it.

Steps should be taken to give remunerative prices to the tobacco growers so that they get incentive to increase production.

It is seen that the payment for the tobacco purchased from tobacco growers is made to them after a year or so. This needs to be looked into.

Wholesale trade in tobacco should be taken over by the Government. Government is in the bad habit of bringing filmsy bills. Government should bring forward a comprehensive Bill with these words, I support the Bill.

श्री ज्योतिमय बसु (डायमंड हार्बर) : तम्बाकू के बारे में कठिनाई यह है कि इसका व्यापार विदेशी तथा भारतीय एकाधिकार गृहों के हाथ में है तथा उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं का शोषण निरन्तर होता रहा है। हमारा तम्बाकू उतना ही अच्छा है जितना अन्य देशों में पैदा होने वाला तम्बाकू है। फिर भी हमारे सर्वोत्तम तम्बाकू के दाम 8 रुपये प्रति किलोग्राम मिलते हैं जबकि युगोस्लाविया, इटली और जर्मनी के तम्बाकू के दाम क्रमशः 26 रुपये, 28 रुपये तथा 32 रुपये प्रति किलोग्राम मिलते हैं। हम इस तरह कब तक चल सकते हैं?

तम्बाकू के समूचे व्यापार को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय तम्बाकू कम्पनी नियंत्रित करती है जो एक पक्की आर्थिक अपराधी रही है। यह कम्पनी अच्छे तम्बाकू को सस्ते दामों पर अपनी सहयोगी कम्पनियों

को देती है और उसके बदले सस्ते दामों पर अच्छा तम्बाकू लेती है। उत्पाद शुल्क विभाग तथा कृषि मंत्रालय को इस प्रकार के आदान प्रदान पर निगरानी रखनी चाहिये। अब यह कम्पनी सैंकड़ों कर्मचारियों की छटनी कर रही है। अभी हाल में हुए उप सभापति के चुनाव में अनुचित उपाय अपनाए गए हैं। भारतीय तम्बाक कम्पनी इस ढंग से काम कर रही है अतः इस बारे में एक गुप्त जांच होनी चाहिए।

गठित तम्बाकू बोर्ड में अधिकांश सिगरेट निर्माता तथा व्यापारी ही हैं। तम्बाकू बोर्ड में केवल संसद सदस्य विधान सभा सदस्य, सरकार तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि होने चाहिए।

बोर्ड में 3 के स्थान पर 6 संसद सदस्य होने चाहिए जिनमें से 4 इस सभा से तथा 2 दूसरी सभा सै होने चाहिए इसमें तम्बाकू उत्पादक क्षेत्रों से विधायक भी होने चाहिए।

कृषि मूल्य आयोग के प्रतिवेदन से ज्ञात हुआ है कि इस नकदी फसल का मूल्य निर्धारण उद्योगपतियों के हितों में होता है। बीज, जमीन तथा परिश्रम की लागत को ध्यान में नहीं रखा गया है।

नीलामी प्लेटफार्म स्थापित करने के कदम का स्वागत होना चाहिए। मंत्री को इस बात का सुनिश्‍ि य करना चाहिए कि सरकार रिज़र्व बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक इसके लिए पूरी सहायता प्रदान करें अन्यथा यह योजना सफल नहीं होगी। नीलामी एलेक्ट्रानिक क्लाक, नीलामी के डच सिस्टम द्वारा निमित की जानी चाहिये। नीलामी की वर्तमान ब्रिटिश प्रणाली पुरानी है जो उत्पादकों के अहित में है।

नीलामी प्लेटफार्म सभी तम्बाकू उत्पादक क्षेत्रों में हर प्रकार के तम्बाकू के लिये होने चाहिए। सरकार का कर्त्तव्य यह देखना है कि उत्पादकों के हितों की रक्षा की जाए और उन्हें अपने उत्पादन के उचित मूल्य मिले।

सरकार द्वारा दस हजार मिट्रिक टन तम्वाकू का क्रय करने के निर्णय के बाद अब राज्य व्यापार निगम भी तम्बाकू खरीद रहा है। वे उन न्यूनतम निर्यात मूल्य क्यों नहीं देते जो उन्होंने स्वयं निश्चित किए थे। उत्पादकों को बहुत कम मूल्य दिए गए हैं। यह वर्ष बहुत बुरा रहा है।

सिगार उद्योग अत्याधिक उत्पाद शुल्क के कारण समाप्त ही होता जा रहा है। यह उद्योग छोटे स्तर पर है। अतः सरकार को सिगार पर लगाए गए उत्पाद शुल्क को हटाना चाहिए और भारतीय पर्यटन विकास निगम तथा एयर इंडिया जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को छोटे स्तर के सिगार उद्योगों से अनिवार्य रूप से सिगार खरीदने के लिए कहना चाहिए।

श्री पी० वेंकट सुब्बैया : मैं वाणिज्य मंत्री का आभारी हूं कि वे आन्ध्र प्रदेश के हजारों तम्बाकू उत्पादकों के हितों की रक्षा हेतु सामने आए हैं।

संसद में मूल अधिनियम को जल्दबाजी में पारित किया गया जिसमें तम्बाकू सम्बन्धी सभी पहलुओं पर विचार नहीं किया गया। श्री रघुरामैया ने पहल करके तत्कालीन सरकार को एक अधिनियम पारित करने के लिए रजामंद किया था। उससे अब तम्बाकू उत्पादकों की सभी समस्याओं का समाधान हो जायेगा। इस विधेयक का उद्देश्य अनुसंधान तथा विकास करना, उत्पादकों को अधिक पैदावार के लिए प्रोत्साहन देना है, लेकिन अन्य पहलुओं को भुला दिया गया है जिसमें से एक यह भी है कि वे इस स्थिति में हों कि अपने तम्बाकू को उचित मूल्यों पर बेच सकें।

इस वर्ष तूफान उस क्षेत्र में आया है जहां वर्जीनिया तम्वाकू की खेती की जाती है। ऐसे तम्बाकू वाले क्षेत्र में किसान लोग अन्य फसलें नहीं उगाते और इसके कई कारण हैं जैसे मूंगफली तथा अन्य वाणिज्यक फसलों के बीजों की अधिक कीमत। अतः उन्हें तम्बाकू की खेती करनी पड़ती है। खेद की बात है कि केवल एक ही कम्पनी समूचे क्रय कार्य पर विशेषाधिकार बनाए हुए है। किसान उसकी दया पर निर्भर करते हैं। वे केवल सीमित मात्रा में खरीदते•हैं और अन्य गैर-सरकारी मंडी में नहीं आते क्योंकि इस वर्ष यह क्रयकर्ताओं की मंडी है।

जब राज्य व्यापार निगम भी खरीदता है तो इसे बाजार मूल्य पर खरीदने को कहा जाता है। बाजार मूल्य में एकाधिकार वालों की इच्छा के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। लाभप्रद मूल्य आधार माना जाना चाहिए। चाहे उसे कोई निजी कम्पनी खरीदे अथवा सरकारी एजेंसी खरीदे।

मेरे विचार में तो यह विधेयक भी पूरा नहीं है। इससे तो समस्या का एक भाग ही हल हो सकेगा। अतः मंत्री महोदय या तो इसे वापिस ले लें और नया विधेयक लावें या इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करें।

एक तम्बाकू व्यापार निगम की स्थापना अधिनियम का अभिन्न भाग होना चाहिए।

सोवियत संघ हमारा सबसे बड़ा खरीदने वाला देश है। जब से उन्होंने खरीदना आरंभ किया है वे इस को एस० टी० सी० को देने के लिए सहमत नहीं हैं। उनके बिचौलिये इस प्रकार कर रहे हैं जिससे उनके दल को लाभ हो। मंत्री महोदय को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका क्रय कार्य एस० टी० सी० या अन्य सरकारी एजेंसियों के माध्यम से हो।

अधिनियम में यह स्पष्ट होना चाहिए कि तम्बाकू बोर्ड का मुख्यालय आंध्र प्रदेश में होगा।

मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वाणिज्यक वस्तुओं के मामले में उत्पादक के लिए बीमे की व्यवस्था होनी चाहिए। तम्बाकू के मामले में फसल बीमा आरंभ किया जाये।

तम्बाकू की किस्म के अनुसार उत्पादन शुल्क में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

SHRI LAXMI NARAIN NAYAK (Khajaraho) : Through this Bill only Gujarat has been given representation on the Tobacco Board in addition to the States of Andhra Pradesh and Karnataka. Other tobacco growing states like Madhya Pradesh, U.P., Bihar etc. should also be given representation.

The behaviour of the excise department personnel with the tobacco growers is not found good. The levy higher excise duty on them. Secondly, duty is being imposed even on those farmers who are growing tobacco for their own use only and not for sale. Action should be taken to see that such production of tobacco is exempted from duty.

While setting up auction platforms it should be ensured that it does not bring any difficulties to the tobacco growers and purchasers. Fees charged should not prove a burden on any of the two.

All attempts should be made to provide more facilities to the tobacco growers so that they could get remunerative prices for their produce and are not exploited by the excise department or the traders.

श्री अरविन्द बाला पजनौर (पांडिचेरी) : यह सुझाव पहले ही दिया जा चुका है कि एक व्यापक विधेयक लाया जाये। ऐसी आशा है कि मंत्री महोदय सहमत होंगे कि विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाए।

यह सिद्धांत ठीक नहीं है कि किसी वस्तु का किसी राज्य विशेष अधिक उत्पादन होता है तो बोर्ड का मुख्यालय भी उसी राज्य में स्थित हो। हम इस पूरे देश को एक मानते हैं और इस समस्या को उत्पादक और उपभोक्ता और खरीददार और बेचने वाले के बीच की समस्या मानते हैं।

तिरुचि में सिगार निर्माताओं की दशा शोचनीय है। प्रसिद्ध शिवपुरी तम्बाकू चिदम्बरम, त्रिचनापल्ली और कोयमवतूर में उगाया जाता है। बोर्ड के मुख्यालय के लिए अधिनियम में किसी एक स्थान का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। सभी आकस्मिक बातों के लिए व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए।

वित्तीय ज्ञापन में कहा गया है कि बोर्ड की स्थापना और नीलामी मंच बनाने पर 8 लाख रुपया खर्च होगा और प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय 4 लाख रुपए आएगा। यदि निर्यात 100 करोड़ रुपए का होगा तो उन्हें 200 लाख रुपए मिलेंगे। मंत्रीजी स्पष्ट करें कि उन्हें कितना रुपया मिलेगा। उन्हें भविष्य के लिए एक व्यापक नीति और कार्यक्रम बनाना चाहिए।

श्री के० सूर्यनारायण (एलुरु) : इस विधेयक द्वारा देश के तम्बाकू उत्पादकों के हितों का भी संरक्षण होना चाहिए। हमारे आशानुकूल लाभ तम्बाकू बोर्ड से प्राप्त नहीं हुए।

विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों सम्बन्धी विवरण में बोर्ड के मुख्यालय को हैदराबाद से गुंटूर बदलने के कारण बताए गए हैं। हम उनसे सहमत नहीं। मुख्यालय हैदराबाद जाने से छोटे उत्पादक वहां जाकर अपना मामला पेश नहीं कर पायेंगे। बड़े व्यापारी ने, जो उत्पादकों का शोषण करते हैं मुख्यालय को गुंटूर से जाने की व्यवस्था कर ली है। सरकार व्यापारियों के प्रति नरम नीति अपनाती है। अतः सरकार को इस विधेयक के बारे में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और तम्बाकू उत्पादक राज्यों तथा वहां के संसद सदस्यों से मिल कर व्यापक विधान लाना चाहिए।

मुख्यालय गुंटूर से नहीं बदला जाना चाहिए क्योंकि 80 प्रतिशत उत्पादक उस क्षेत्र के आस-पास रहते हैं। उत्पादकों के हित में यही है कि बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर में ही रहे।

बड़े व्यापारी बोर्ड के काम में दखल दे रहे हैं। इसलिए बोर्ड में व्यापारियों को नहीं बल्कि उत्पादकों, संसद सदस्यों और यदि जरूरी हो तो राज्य सरकारों और विधायकों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मंत्री जी को एक व्यापक विधेयक लाना चाहिए।

SHRI RAM SEWAK HAZARI (Rasera) : The Northern region that has been neglected during the last thirty years in the development of tobacco cultivation, requires special attention.

The cultivators in this region specially in Bihar are facing great hardships since the tobacco processing plants have been shifted to Guntur. With a view to mitigating their hardships and removing the problem of unemployment amongst them, a team of Central officers should be sent there to study the difficulties of tobacco cultivators and to suggest measures to re-commissioning the processing plants. Steps should be taken to accord all facilities to farmers for encouraging tobacco cultivation.

It is well and good that headquarters of the Board will be shifted, but keeping in view the requirements of Northern India, their offices should be opened in the Northern region so that difficulties of farmers should be removed and better facilities are accorded to them. A Research Institute should be opened in this part of the country which will give a new direction to farmers.

Special attention should be given to initiate the re-commissioning of tabacco processing plants in Bihar which had been closed down in the past.

श्री पी० के० कोडियान (अडूर) : प्रस्तावित विधेयक एक सीमित विधेयक है। मुख्य समस्या तम्बाकू उत्पादकों को कम मूल्य मिलने की है। उनके उत्पाद को खरीदने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है तथा तम्बाकू कम्पनियां किसानों का कई प्रकार से शोषण करती हैं। किसानों को विवश होकर कम मूल्य पर तम्बाकू बेचना पड़ता है। यह स्थिति तम्बाकू के साथ ही नहीं है। जूट और कपास का भी यही हाल है। अब राज्य व्यापार निगम खरीद को आ रहा है परन्तु बड़ा विलम्ब हो चुका है। किसान अधिक समय तक अपने उत्पाद को रोक नहीं सकते। अतः भविष्य में खरीद समय से चालू की जाए।

देशी तम्बाकू को भी तम्बाकू बोर्ड अपने क्षेत्राधिकार में ले तथा वह भी बाजार में आकर माल खरीदें और बिचौलियों को समाप्त करें।

तम्बाकू उत्पादकों को सभी प्रकार की सहायता दी जाए। तम्बाकू बोर्ड में उनके भी प्रतिनिधि रहें। छोटे किसानों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए।

विधेयक में मुख्यालय को गुन्टूर से स्थानान्तरित करने के लिए जो कारण दिए हैं वे निराधार हैं। मुख्यालय का महत्व उत्पादकों के लिए है। उसका रेल अथवा हवाई अड्डे आदि से दूर होना महत्वहीन है। यह कुछ अधिकारियों का षड्यंत्र लगता है। उन्हें वहां बड़े होटल आदि और अन्य आमोद प्रमोद की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। वे लोग गरीब किसानों के मूल्य पर आनन्द लूटना चाहते हैं।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : वाउचर पद्धति के लागू करने से व्यापारियों ने गरीब किसानों को हानि ही पहुंचाई है। अतः सरकार को चाहिए कि व्यापारियों को ठीक रास्ते पर लाने के लिए वह भी प्रतियोगिता में उतरे और तम्बाकू की खरीद करे।

नीलामी की व्यवस्था करते समय सरकार तम्बाकू के लिए भण्डारा-बैंक आदि की व्यवस्था भी करे।

तम्बाकू के ग्रेड के निर्धारण के लिए फार्म ग्रेडिंग और निर्यात ग्रेडिंग जैसी दो अलग-अलग व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसके लिए गांवों में ग्रेडिंग केन्द्र खोले जाएं।

तम्बाकू से सम्बन्धित सभी संस्थाओं को एक जगह मिला दिया जाए। ऐसा करने से वह एक संस्था अधिक अच्छा कार्य कर सकेगी। किसानों का प्रतिनिधित्व इनमें बढ़ाया जाए जबकि बोर्ड का अध्यक्ष एक किसान ही होना चाहिए।

राज्य व्यापार निगम तम्बाकू बाजार मूल्य पर खरीदने के बजाए लाभकारी मूल्य पर खरीदे।

प्रौसिस करने के नए तरीकों अथवा खोजों का उपयोग किया जाए।

अन्त में मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय एक संशोधन लाएं कि मुख्यालय आन्ध्र प्रदेश से बाहर कहीं और स्थापित नहीं किया जाएगा।

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मुझे सभा के समक्ष एक व्यापक विधेयक पेश करने में हर्ष होता क्योंकि वर्तमान तम्बाकू बोर्ड अधिनियम बोर्ड को केवल वर्जीनिया तम्बाकू की देखभाल की शक्ति प्रदान करता है तथा देशी तम्बाकू जैसे अन्य तम्बाकू की देखभाल नहीं होती।

तम्बाकू बोर्ड की गतिविधियों का विस्तार करने के लिए हमें विद्यमान तम्बाकू बोर्ड के ढांचे में पूरी तरह परिवर्तन करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

यह समिति छठी लोक सभा के दौरान बीड़ी तम्बाकू तथा अन्य गैर वर्जीनिया तम्बाकू की कुल आंतरिक मांग तथा निर्यात मांग का अनुमान लगायेगी और उस आधार पर गैर वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादन लक्ष्यों की सिफारिश करेगी और साथ ही यह भी बतायेगी कि विभिन्न राज्यों में कितनी भूमि में तम्बाकू उगाया जाए। यह समिति वर्तमान विपणन प्रणाली तथा बीड़ी तम्बाकू बनाने के तरीके की जाँच करेगी और ऐसे उपाय सुझायेगी जिससे कि विपणन प्रणाली में सुधार हो सके और यह सुनिश्चित हो सके कि उत्पदकों को उनके उत्पाद के बदले में लाभप्रद मूल्य मिल सके। बीड़ी तम्बाकू खरीदने के लिए यह समिति बीड़ी उद्योग की ऋण आवश्यकताओं पर विचार करेगी और इस उद्देश्य के लिए एक समुचित ऋण नीति की सिफारिश करेगी। वह समिति बीड़ी तम्बाकू की उत्पादन लागत को ध्यान में रखकर बीड़ियों के थोक मूल्य की सिफारिश भी करेगी। इस प्रकार यह समिति वर्जीनिया तम्बाकू को छोड़ कर सभी प्रकार के तम्बाकुओं की देखभाल करेगी। उनकी सिफारिशों के आधार पर ही हम एक व्यापक विधेयक पेश कर सकते हैं।

वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत तम्बाकू बोर्ड को अपने ही नीलामी मंच रखने की शक्ति प्राप्त नहीं है। उन्हें नीलामी करने का प्राधिकार भी प्राप्त नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में यदि उसे यह प्राधिकार नहीं दिया जाता तो हमारे लिए उत्पादकों के प्रति न्याय करना संभव नहीं होगा।

आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा गुजरात सर्वाधिक तम्बाकू उत्पादनकर्ता राज्य हैं इन तीनों राज्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। गुजरात को स्थायी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है और इसलिए इसे स्थायी प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित किया गया है।

जहां तक अन्य राज्यों का संम्बन्ध है उनको भी प्रतिनिधित्व प्राप्त है किन्तु बारी-बारी से।

राज्य व्यापार निगम द्वारा इस वर्ष दिए जाने वाले मूल्यों के बारे में सुझाव दिया गया है। राज्य व्यापार निगम ने दो खरीद की हैं। एक वाणिज्यिक आधार पर 5,000 टन की तथा दूसरी 10,000 टन की।

, यह लेन-देन का काम पूरा हो चुका है और तम्बाकू को 15 अगस्त, 1978 तक अपने अधिकार में ले लिया जाएगा। अत: 10,000 टन तम्बाकू राज्य व्यापार निगम द्वारा सीधे उत्पादकों या उनकी सहकारी समितियों से खरीदा जायेगा। जहां तक 5,000 टन का सम्बन्ध है, यह सही है कि राज्य व्यापार निगम ने जो मूल्य दिया है वह बहुत कम है। यह वाणिज्यिक मूल्य नहीं होना चाहिए बल्कि यह लाभप्रद मूल्य होना चाहिए। राज्य व्यापार निगम को वर्तमान मूल्य पर पुनर्विचार करने के लिए कहा जा रहा है और इस आधार पर इस पर पुन: विचार किया जा रहा है। यदि अतिरिक्त मूल्य दिया जा सकेगा तो यह अच्छी बात होगी।

मंच द्वारा नीलामी करने की प्रणाली का अर्थ उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य देना है। अब बोर्ड ने वाउचर प्रणाली अपनाने का निर्णय ले लिया है। इस प्रणाली के अन्तर्गत भुगतान चेकों द्वारा किया जाता है और स्वाभाविक रूप से भुगतान उत्पादकों के पास पहुंचता है। इस वाउचर प्रणाली में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यह बिल्कुल सत्य है कि कुछ कम्पनियों का एकाधिकार है। सरकारी दृष्टिकोण से हम चाहेंगे कि तम्बाकू बोर्ड पूरी तरह सजग रहे।

जहां कहीं संभव होगा, खरीद राज्य व्यापार निगम, एन० ए० एफ० ई० डी० तथा सहकारी समितियों के माध्यम से की जायेगी।

आरोप लगाया गया है कि वाइस चेयरमैन के चुनाव के समय श्री सिव्वैया को एक मत से हराया गया और उन पर दबाव डाला गया। इस मामले की जांच की जा सकती है और यदि आरोप सही सिद्ध होता तो ऐसे सदस्यों को बोर्ड में नहीं रखा जायेगा। जिन्होंने किसी तरह का दाबाव डाला है।

एक सुझाव यह भी दिया गया है कि वर्तमान नीलामी व्यवस्था के स्थान पर हमें 'इलैक्ट्रानिक डेस्क सिस्टम' अपनाना चाहिए। यह सुझाव निर्यात समिति को भेज दिया जायेगा ताकि इस बात का अध्ययन किया जा सके कि क्या 'डेस्क सिस्टम' अधिक सरल होगा तथा वह देश तथा उत्पादकों दोनों ही के हित में होगा। सिगार उद्योग का उल्लेख भी किया गया है। यह कुटीर उद्योग है जिसमें दो, तीन या पांच व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकता है, इस उद्योग का विकास करने के लिए जो कुछ रियायतें देना सरकार के लिए सम्भव हुआ, वह रियायतें हम सिगार उद्योग के विकास के लिए देने का प्रयत्न करेंगे।

यह कहा गया है कि किसी अन्य देश के राज्य व्यापार निगम से थोड़ा सा ही तम्बाकू खरीदा जबकि गैर-सरकारी कम्पनियों से बड़ी मात्रा में। यह बात सही है और हम इस सम्बन्ध में सम्बन्धित देश से बात कर रहे हैं।

उत्पादकों को अधिक से अधिक लाभकारी मूल्य देने के साथ-साथ अधिक से अधिक विदेशी बाजार बनाना हमारा उद्देश्य है और इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे।

तम्बाकू के उपयोग को बन्द करने का कोई विचार नहीं। समूचे देश में तम्बाकू के उत्पादन की ओर ध्यान दिया जाएगा किसी क्षेत्र की उपेक्षा नहीं होगी। इसके लिए यदि आवश्यक हुआ तो देश भर में तम्बाकू बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। तम्बाकू के परिस्करण की व्यवस्था के लिए उत्पादकों को धन की कमी नहीं रहने दी जाएगी।

बोर्ड का मुख्यालय गुन्टूर से स्थानान्तरित करने का कोई विचार नहीं है तथा उसे आन्ध्र से बाहर ले जाने का प्रस्ताव नहीं है। परन्तु यदि हम देशी तम्बाकू और विरजीनिया तम्बाकू के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो समूचे देश को ध्यान में रखना होगा और इसके लिए आवश्यक है कि मुख्यालय ऐसे स्थान पर हो जहां आने-जाने की सुविधाएं अधिक हों अन्यथा बहुत से क्षेत्र उपेक्षित रह जाएंगे। जब आन्ध्र प्रदेश ने वह नेतृत्व दिया है तो यह सभा राज्य की आभारी है जिसने उत्पादकों के बल पर यह महान सेवा की है।

बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर में होगा। फिलहाल हमारा इसे कहीं और ले जाने का विचार नहीं है। जैस आप चाहते हैं, मैं वैसा ही करने का इच्छुक हूं। आपको भी इस बात पर बल नहीं देना चाहिए कि इसे बदल दिया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हर्बर): मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। 10 दिन पहले कूच बिहार में लगभग 90,000 टन तम्बाकू पड़ा हुआ था। क्या आप उत्पादकों को राहत पहुंचाने के लिए उस तम्बाकू को खरीदने का विचार कर रहे हैं।

सभापति महोदय: क्या आप इसे प्रश्न काल में परिवर्तित करना चाहते हैं? यह विधेयक का स्पष्टीकरण नहीं हुआ। समय बहुत कम है।

श्री मोहन धारिया: राज्य सरकारों के बाजार संघों को पर्याप्त ऋण सुविधाएं प्रदान की जायेंगी और उन्हें खरीद करने के लिए आगे आना चाहिए।

SHRI KALYAN JAIN (Indore) : If more Companies are allowed to export tobacco the farmers will not get remunerative prices.

सभापति महोदय: उन्होंने इस बारे में बता दिया है। इस पर पूरी तरह चर्चा हो चुकी है। स्पष्टीकरण का बहाना बनाकर आप चर्चा पुनः आरम्भ न कीजिए।

SHRI KALYAN JAIN : Sir, give me half a minute's time. (*interruption*)

श्री ग्रजीत सिंह दाभी (ग्रानन्द) : मैंने कल टी० पी०-3 फार्म में एक कालम जोड़ने के बारे में संशोधन करने का सुझाव दिया था। क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री मोहन धारिया : इस पर विचार हो रहा है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि तम्बाकू बोर्ड ग्रधिनियम, 1975 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा

THE MOTION WAS ADOPTED

सभापति महोदय : खंड 2 के बारे में श्री ज्योतिर्मय बसु का संशोधन है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं यह कहना चाहता हूं कि तम्बाकू बोर्ड का चैयरमैन, सबसे वरिष्ठ सदस्य होना चाहिए। मैंने यह भी कहा है कि 3 संसद सदस्यों की बजाए 6 संसद सदस्य होने चाहिए।

श्री मोहन धारिया : मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं करता। वैसे मैं इस पर विचार करूंगा।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को संशोधन वापस लेने के लिए सभा की ग्रनुमति है ?

माननीय सदस्यगण : जी हां।

संशोधन सभा की ग्रनुमति से वापस लिया गया।

The amendment was, by leave, withdrawn

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 2 विधेयक का ग्रंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा

The motion was adopted

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

सभापति महोदय : खंड 3 के बारे में श्री ज्योतिर्मय बसु ने 3 संशोधन पेश किए हैं। श्री बसु क्या ग्राप ग्रपने संशोधन पर दबाव डालना चाहते हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : नहीं।

संशोधन सभा की ग्रनुमति से वापस लिया गया

The amendment was by leave withdrawn

सभापति महोदय द्वारा संशोधन 3 सभा के मतदान के लिए रखा गया ग्रस्वीकृत हुग्रा।

The amendment was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 3 विधेयक का ग्रंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा।

The motion was adopted

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 was added to the Bill

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 4 was added to the Bill

खंड 5

Clause 5

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 और 5 मतदान के लिए रखे और अस्वीकृत हुए।

The amendments Nos. 4 and 5 were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5 was added to the Bill

खंड 6, खंड 7, खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए

Clause 6, Clause 7, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री मोहन धारिया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निज़ामाबाद) : गुंटूर क्षेत्र वर्जीनिया तम्बाकू उगाने के लिए अच्छा स्थान है। **(व्यवधान)** यह भारत में ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में बेहतरीन क्षेत्र है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वह उस क्षेत्र के तम्बाकू उत्पादकों को प्रोत्साहन दें और वहां से बोर्ड को न हटायें।

यह विधेयक पारित किया जाना चाहिए। पहले हम मुख्यत: तम्बाकू के निर्यात से ही विदेशी मुद्रा अर्जित करते थे। पहले की ही स्थिति बनाए रखी जानी चाहिए। तम्बाकू की खेती किए जाने वाले क्षेत्र में कमी नहीं की जानी चाहिए तथा हमें तम्बाकू उत्पादकों को तम्बाकू का अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तम्बाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर में है। यह क्षेत्र राजनीति का अड्डा है तथा यहां से मुख्यालय को बदलने के राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान तम्बाक उत्पादों के विविधीकरण के बारे में कहा है। वह हमें बताएं कि क्या उनकी कोई योजना कीटनाशी तथा कृमीनाशी दवाओं का उत्पादन करने की है? जिसमें घटिया किस्म के तम्बाकू का उत्पादन किया जा सके। तम्बाकू का बहुत कम मूल्य दिया जाता है। यह 20 रुपये प्रति क्विटल के भाव भी बेचा जाता है। यह कीमती कच्चा माल है। यदि सरकार में शक्ति है...... **(व्यवधान)**

SHRI KALYAN JAIN (Indore) : There should be some limit of tobacco to be exported by the various exporting agencies. Permission is not accorded to some other Companies. If all companies are permitted to export tobacco it will be beneficial to the tobacco growers..

सभापति महोदय : कृपया बैठिए। अब मंत्री जी उत्तर देंगे।

(व्यवधान)*

श्री मोहन धारिया : यह बात बिल्कुल गलत है कि केवल कुछ कम्पनियों को ही तम्बाकू के निर्यात की अनुमति दी जाती है। जो भी निर्यात करना चाहे कर सकता है। जहां तक तम्बाकू की खेती का प्रश्न है, हमें यह अध्ययन करना होगा कि हमारी घरेलू आवश्यकताएं क्या हैं और निर्यात क्या है और कहां तक तम्बाकू का निर्यात किया जा सकता है। यह विषय भी विचाराधीन है कि तम्बाकू का प्रयोग कीटनाशक औषधियों के निर्माण में किया जाये अथवा नहीं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आंन्तरिक सुरक्षा (निरसन) विधेयक

MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY (REPEAL) BILL

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :--

"कि आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में यह कहा गया था कि 'मीसा' का निरसन किया जायेगा। 28 मार्च 1978 को कार्यवाहक राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो अभिभाषण किया था, उसमें भी इस नीति को स्पष्ट कर दिया गया था। मुझे आशा है कि सदन इस विधेयक का समर्थन करेगा। मामले का परीक्षण करने पर यह मालूम हुआ कि निवारक नजरबन्दी के लिए कोई केन्द्रीय कानून नहीं है, और कई एक गम्भीर मामलों में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर भी आम धारणा यह थी कि विधि के अन्तर्गत ऐसे संरक्षणों की व्यवस्था की जाए कि उसका गलत प्रयोग न हो पाए। इसी उद्देश्य को लेकर दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक 23 दिसम्बर, 1977 को सदन में प्रस्तुत किया गया था। इस पर भी सन्देह दूर नहीं हुए। यह संदेह निरन्तर बना हुआ है कि निवारक नजरबंदी के अन्तर्गत जो शक्तियां सरकार को प्राप्त हैं, उसका दुरुपयोग होने की सम्भावना है। अतः सरकार ने इस पर पुनः विचार करने का निश्चय किया।

उस समय के गृह मंत्री ने 23 मार्च 1978 को इस सदन में इस सम्बन्ध में घोषणा की थी। सदन की अनुमति से 30 मार्च 1978 को दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक को वापिस ले लिया गया था और 19 अप्रैल 1978 को आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम को निरसन करने वाला विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया था। आशा की जाती है कि सदन इसका समर्थन करेगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागोआ) : इस निरसन विधेयक के बारे में देश में, दोनों प्रकार के विचार हैं, पक्ष में भी हैं और विपक्ष में भी। इसमें कोई संदेह नहीं कि "आंसुका" द्वारा सरकार को बड़ी व्यापक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं जिनके दुरुपयोग की पूरी सम्भावना रहती है। और यह भी ठीक ही है कि पिछले कुछ समय में उसका प्रयोग राजनीतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध किया गया है। विधिवत हो रहे श्रमिक आन्दोलनों के विरुद्ध तो इसका प्रयोग हुआ ही है, अन्य विधिवत आन्दोलनों के विरुद्ध भी इसे अमल में लाया गवा था जिससे देश के विभिन्न वर्गों के लिए वैध अधिकारों की मांग की गई थी।

इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि आपातकालीन स्थिति के दौरान, आर्थिक अपराधियों, तस्करों इत्यादि लोगों की इसके कारण अधिक नहीं चल सकी। जनता पार्टी के सत्तारूढ़ होते ही तस्करी की गतिविधियां पुनः आरम्भ हो गई हैं। काला बाजार करने वाले भी मैदान में आ गए हैं। यदि इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए निवारक नजरबंदी का प्रयोग न किया गया तो समाज विरोधी गतिविधियों का मुकाबला कैसे किया जायेगा। इस मीसा निरसन विधेयक को प्रस्तुत करते हुए सरकार को यह आश्वासन देना होगा कि ऐसा विधान शीघ्र ही प्रस्तुत किया जायेगा जिसके अन्तर्गत आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही हो सकेगी।

तस्करी और काला बाजार करने वाले दिग्गजों का जो हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में स्थान बन गया है, उसे समाप्त करना होगा। इस तरह का कोई कड़ा विधान बनाना होगा कि आर्थिक अपराधियों के लिए कोई राजनीतिक अथवा सार्वजनिक पद लेना अवैध हो जाए। इस तरह का आश्वासन सरकार को देना चाहिए।

SHRI OM PRAKASH TYAGI (Bahraich) : The Government deserves congratulations for bringing forward the Bill to repeal MISA, which is a blot on the fair name of the country.

All the member countries of the United Nations have accepted that human rights should be protected. Our country has always stood for the protection of human rights.

But unfortunately recently we have witnessed suppression of human rights in this country. This is a dark chapter in our history.

The former Prime Minister had made use of MISA to safeguard her seat of power. People were put behind the bars without any rhym or reason.

[श्री के० एन० शेजवालकर पीठासीन हुए
SHRI K. N. SHEJWALKAR *in the Chair*]

The Government should pay special attention to the rehabilitation of those persons who were detained under MISA during the period of internal emergency. A Special cell should be created to deal with this work. The Government should give special assistance to help these people in rehabilitating them.

The Commission set up by the Government to go into excesses committed during the emergency has brought to light many acts of excesses. Special Courts should be set up to punish those who had committed those excesses.

The Congress I people are trying to create an impression that the country cannot be ruled properly without emergency. They are encouraging violence at different places. The Government should enact measures to deal with this lawlessness.

श्री एफ० एच० मोहसिन (धारवाड़ दक्षिण) : 'आंसुका' का निरसन करने वाले इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूं। 'आंसुका' एक ऐसा अधिनियम था जिसके द्वारा कार्यपालिका को व्यापक शक्तियां प्राप्त हो गई थी और इसलिए उसका दुरुपयोग भी किया गया है। ऐसे कुछ उदाहरण हैं।

'आंसुका' का प्रयोग उन लोगों के विरुद्ध किया गया जिन्होंने कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा की। जो लोग लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार के विरुद्ध लोगों को उकसा रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसका प्रयोग जमाखारों के विरुद्ध भी किया गया।

समूचा विश्व मुद्रास्फीति की समस्या का सामना कर रहा था। केवल भारत एक ऐसा देश था जो कि आपात स्थिति के दौरान मूल्यों को कम कर सका। आपात स्थिति के दौरान मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कर लिया गया था। इतने बड़े देश में शक्ति के दुरुपयोग के कुछ मामले हो सकते हैं। किन्तु इसके कुछ लाभ भी हुए। जनता पार्टी आपात स्थिति के दौरान आंसुका के दुरुपयोग का जो चित्र पेश कर रही है, वह सही नहीं है। शक्ति का उपयोग बुरे लोगों के विरुद्ध किया गया। इसका उपयोग समाज-विरोधी तत्वों, जमाखोरों तथा काला बाजारी करने वाले लोगों के विरुद्ध किया गया। भारत को मुद्रा स्फीति तथा आंतरिक गड़बड़ी से बचा लिया गया।

जनता पार्टी ने लोगों को आश्वासन दिया था कि 'आंसुका' का निरसन कर दिया जाएगा। $1\frac{1}{2}$ वर्ष के बाद वे आंसुका का निरसन करने के लिए यह विधेयक लाए हैं। इसका मतलब यही है कि वे समझते हैं कि 'आंसुका' उनके लिए उपयोगी है। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में उन्होंने लघु रूप में 'आंसुका' का प्रयोग किया है। वे आंसुका को समाप्त करके उसी तरह का उपबन्ध दंड प्रक्रिया संहिता में स्थायी रूप से रखना चाहते हैं।

जनता सरकार आंसुका को एक स्थायी कानून बनाना चाहती है। इसे यहां अप्रैल के महीने में पेश किया गया था। सरकार ने इस विधेयक को पूरे मन से नहीं लाया है। भारतीय दंड संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता में जमाखोरी, चोरबाजारी तथा तस्करी को दबाने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं। लेकिन ये चोरबाजारी और जमाखोरी करने वालों तथा तस्करों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते क्योंकि इन्होंने चुनाव के दौरान इनका साथ दिया था जिसके फलस्वरूप ये समाजविरोधी गतिविधियां बढ़ रही हैं। सरकार इन तत्वों तथा मल्य वृद्धि को नियंत्रित करने में असमर्थ है।

सरकार आंसुका का निरसन चाहती है। इसी से काम नहीं चलेगा। इन्हें समाजविरोधी तत्वों को दबाने के लिये सभी उपाय करने चाहिएं।

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi-Sadar) : The former Deputy Minister stated that there is sufficient powers in the I.P.C. and Cr. P.C. to deal with the anti-social activities like black-marketing, hoarding and smuggling. According to him there is no need of MISA. It is really surprising that there are still people in the country who justifies Emergency.

It is really a matter of great satisfaction that we are repealing MISA. We have honoured the wishes of the masses.

There is no doubt that law and order situation is deteriorating. There is students and labour unrest also. It is correct that Janta Party has restored the fundamental rights under Section 19, as committed by it before coming to the power. But what is being done to curb the anti-social activities like smuggling, hoarding and black-marketing. I have statistics to show that law and order situation throughout the country is deteriorating.

We promised to do away with MISA but we also want to guarantee the personal liberty of peaceful citizens. How is the Government going to safeguard the personal liberty of these peaceful citizens ? I want reasonable restrictions to be imposed on fundamental rights for economic offenders and anti-social and undesirable elements.

As stated by the Prime Minister, the law and order problem should be discussed in a Chief Minister's conference. There should be all party consensus for enacting a legislation to curb undesirable and anti-social elements.

Violence is a great threat for the development of the country and democracy. Security of life and property should be ensured to all the peaceful citizens.

A law to ensure security of life and property of all the peaceful citizens should be enacted by discussing the matter in a Chief Ministers Conference.

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति के प्रश्न को 'ग्रांसुका' निरसन सम्बन्धी विधेयक से मिलाना ठीक नहीं है क्योंकि यह बहाना तो ग्रतीत में दिया गया। हम सब जानते हैं कि राजनीतिक विपक्ष के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए 'ग्रांसुका' का ग्रंधा-धुन्ध प्रयोग किया गया था। इसके ग्रतिरिक्त सर्वत्र श्रमिकों, ग्रध्यापकों और छात्रों के विरुद्ध भी इसका उपयोग किया गया। ग्राज हमें जनता पार्टी को नहीं बल्कि लोगों को बधाई देनी चाहिए कि वे ग्रपने ग्रापको ग्रसभ्य तथा हिंसक कानूनों से मुक्त कर पाये हैं और उन्होंने पुनः ग्राजादी हासिल की है और तानाशाही शासन को समाप्त किया है।

ग्रांसुका का प्रयोग 1971 से किया जाता रहा है। इसका प्रयोग तथा कथित कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए नहीं किया गया, न ही देश में ग्रार्थिक ग्रपराधों को समाप्त करने के लिए किया गया बल्कि केवल विरोधी राजनीतिज्ञों तथा लोकतांत्रिक ग्रान्दोलनों के विरुद्ध किया गया। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के ग्रसंतुष्ट लोगों को भी इस कानून का शिकार बनना पड़ा। यह कानून लोगों की सहायता के लिए नहीं था बल्कि देश में विपक्षी दलों तथा लोकतांत्रिक ग्रान्दोलन को कुचलने के लिए था। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने शुरू से ही इसका विरोध करना ग्रारम्भ कर दिया था। हमें हर्ष है कि जनता पार्टी ने ग्रब निरसन करने का निर्णय किया है।

हम इस निरसनकारी विधेयक का स्वागत करते हैं। देश के लोगों के ग्रनुभव को ध्यान में रखते हुए इस तरह के किसी उपबन्ध को संविधान में रखना खतरानाक होगा। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में इस तरह का कानून लागू न हो भविष्य में कोई व्यक्ति इस तरह की शक्तियां न लेने पाए।

हमें ग्राज यह संकल्प भी करना चाहिए कि फासिस्ट, प्रतिक्रियावादी तथा ग्रधिनायकवादी तत्व पुनः सत्ता में न ग्राने पायें। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में कोई प्रशासन ग्रांसुका जैसे कानून न बना सके। ऐसा हम केवल तभी कर सकते हैं, जबकि हम संविधान के ग्रनुच्छेद 22(4) को समाप्त कर दें।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मैं मानता हूं कि ग्रांसुका का निरसन करने वाला यह विधेयक स्वागत योग्य है। किन्तु यह विधेयक कुछ और ग्रधिक सुधरे रूप में लाया जा सकता था। जनता पार्टी को सत्ता में ग्राए लगभग एक साल पांच महीने हो गए हैं और उनका एक बचन यह था कि वे निवारक नजरबन्दी ग्रधिनियम को समाप्त करेंगे। उन्हें यह विधेयक पेश करने में 17 महीने लग गए हैं।

जब हम जनता पार्टी के सदस्यों से यह सुनते हैं कि निवारक नजरबन्दी कानून जैसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए तो मुझे वह समय याद आ जाता है जब आंसुका सीमित अवधि के लिए मूल रूप से लाया गया था और उस समय यह वायदा किया गया था कि इसका दुरुपयोग नहीं किया जायेगा किन्तु जब सरकार एक बार इस तरह का कठोर कानून बना देती है तो उसका दुरुपयोग हो ही जाता है। इसीलिए आज हमें आंसुका जैसे कठोर कानून को तिलांजलि दे देनी चाहिए और ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिए कि ऐसे कठोर कानूनों का प्रयोग विपक्षी दलों के दमन के लिए किया जाए। और इसके लिए संवैधानिक गारंटी होनी चाहिए कि देश में ऐसे कानून भविष्य में कभी न बनेंगे।

मैं अपना भाषण कल जारी रखूंगा।

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 19 जुलाई 1978/28 अषाढ़, 1900 (शक) को ग्यारह बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha the adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 19th July 1978/Asadha 28, 1900 (Saka).

279 लोकसभा/78—19-9-7—भा०स०मु०फा०।